षष्ठम् माला, खण्ड 13, अंक 39 मंगलवार, 18 अप्रैल, 1978/28 चैत्र, 1900 (शक)
Sixth Series, Vol. XIII, No. 39 Tuesday, April 18, 1978/Chaitra 28, 1900 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[(4th Session)

सत्यमेव जयते

[खण्ड 13 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये Price : Four Rupees

यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिंदी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 39, मंगलवार, 18 अप्रैल, 1978/28 चैत्र, 1900 (शक)
No. 39, *Tuesday, April* 18, 1978/*Chaitra* 28, 1900 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions:	21
तारांकित प्रश्न संख्या 760 से 765, 768 और 769	Starred Questions Nos. 760 to 765, 768 and 769	1–21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions:	22
तारांकित प्रश्न संख्या 766, 767, 770 से 774 और 776 से 779	Starred Questions Nos. 766, 767, 770 to 774 and 776 to 779	22–29
अतारांकित प्रश्न संख्या 7131 से 7266 और 7268 से 7319	Unstarred Questions Nos. 7131 to 7266 and 7268 to 7319	29–147
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	147–148
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में	Re. Calling Attention Motion	148
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	148
73 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Seventy-third Report presented	148
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	148
चौथा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश प्रस्तुत किये गये	Fourth Report and Minutes presented	148
गर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	149
17 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Seventeenth Report presented	149
याचिका समिति—	Committee on Petitions—	149
तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Third Report presented	149

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—137 LSS/ND/78

विषय	Subject	पृष्ठ /PAGE
नियम 377 के अधीन मामले--	Matters under Rule 377—	149–151
(1) कर्नाटक राज्य में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा शक्तियों के प्रयोग करने के सम्बन्ध में कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा सहमति वापस लिये जाने का समाचार--	(i) Reported withdrawal of Consent by Chief Minister of Karnataka to the exercise of powers by C.B.I. in the State—	149–150
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	149–150
(2) तारापुर स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए अमरीका द्वारा समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई में विलम्ब का समाचार	(ii) Reported Delay in Supply of Enriched Uranium by U.S.A. for Atomic Power Plant at Tarapur—	150
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	150
(3) मणिपुर में सूख की स्थिति का समाचार	(iii) Reported Drought Conditions in Manipur—	150
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	150
(4) राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों द्वारा हड़ताल की धमकी का समाचार	(iv) Reported Threat to resort to strike by officers of nationalised banks—	150
श्री विनोदभाई बी० शेठ	Shri Vinodbhai B. Sheth	150
(5) मनिला स्थित भारतीय दूतावास में आग लगने का समाचार	(v) Reported Fire in Indian Embassy at Manila—	151
श्री एस० एस० लाल	Shri S. S. Lal	151
बजट सामान्य—	Budget General—	151–181
अनुदानों की मांगे, 1978-79	Demands for Grants, 1978-79—	151–181
विदेश मंत्रालय–	Ministry of External Affairs—	
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	151–152
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	152–153
श्री राम प्रकाश त्रिपाठी	Shri Ram Prakash Tripathi	154–155
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	160–161
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	Dr. Subramaniam Swamy	162–163
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	163–164
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	164–165
श्री कृष्ण कान्त	Shri Krishan Kant	165–167
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri K P Unnikrishnan	167–169

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
श्री यू० एस० पाटिल	Shri U. S. Patil	169
श्री रतनसिंह राजदा	Shri Ratansinh Rajda	169–170
श्री निर्मल चन्द्र जैन	Shri Nirmal Chandra Jain	170–171
श्री राम जेठमलानी	Shri Ram Jethmalani	171-172
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	Shri Balwant Singh Ramoowalia	172–173
चौधरी बलवीर सिंह	Shri Chowdhry Balbir Singh	173–174
श्री श्रीकृष्ण सिंह	Shri Shrikrishna Singh	174
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	174–175
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	175
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	175–181
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	155–160
उड़ीसा में तूफान बंवडर	Cyclone in Orissa—	155–160
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	155
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala	155–156
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	158–159
श्री लक्ष्मी नारायण नायक	Shri Laxmi Narayan Naik	159
श्री गोविन्द मुण्डा	Shri Govinda Munda	159–160
कार्य मंत्रणा समिति--	Business Advisory Committee—	182
पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।	Fifteenth Report presented.	182

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 18 अप्रैल, 1978/28 चैत्र, 1900 (शक)

Tuesday, April 18, 1978/Chaitra 28, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

*760. †**श्री जी० एम० बनतवाला :**

[श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुनर्गठित विधि आयोग के नये अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ख) : श्री हंस राज खन्ना को जो उच्चतम न्यायालय के एक भूतपूर्व न्यायाधीश हैं, पुनर्गठित विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में तथा श्री पी० एम० बक्षी को, जो केन्द्रीय विधि सेवा के सदस्य हैं, सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है ।

आयोग के अन्य दो सदस्यों की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री जी० एम० बनतवाला : इस सरकार ने सबसे अधिक आयोग नियुक्त किये हैं । पर विधि आयोग के गठन के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है । यह उचित नहीं है । चैयरमैन और सचिव कब नियुक्त किय गये तथा आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति में विलम्ब के मख्य कारण क्या हैं ?

श्री शान्ति भूषण : चैयरमैन और सदस्य-सचिव कुछ ही मास पूर्व नियुक्त किये गए थे । विधि आयोग में चैयरमैन समेत चार सदस्य रखने का विचार है । एक अन्य सदस्य की नियुक्ति के बारे में नियुक्ति समिति ने स्वीकृति प्रदान कर दी है । कुछ ही दिनों में इस सम्बन्ध में घोषणा कर दी जाएगी । चौथा सदस्य ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने इस क्षेत्र में विशेषता प्राप्त की हुई हो । इस बारे में विधि आयोग के चैयरमैन से परामर्श किया जा रहा है और वह उपयुक्त व्यक्ति ढूंढने में लगे हुए हैं । जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, घोषणा कर दी जाएगी ।

श्री जी० एम० बनातवाला : कई दिनों से परामर्श चल रहा है पर यह सरकार विधि आयोग के चार सदस्य भी नियुक्त नहीं कर पाई है । यह बात तो समझ में आती है कि इसके लिए किसी बहुत ही योग्य व्यक्ति को नियुक्ति जरूरी है पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि आयोग का गठन असंतोष-जनक तरीके से किया जाए । इस सारे आयोग को बचाने में कितना समय लगेगा तथा इसके पुनर्गठन की क्या जरूरत थी ?

श्री शान्ति भूषण : विधि आयोग तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था । इसलिए इसके पुनर्गठन की आवश्यकता है । जैसा मैंने कहा एक और सदस्य की नियुक्ति की बात तय हो चुकी है । यह सदस्य 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं इसलिए कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ी । अब शीघ्र ही नाम की घोषणा कर दी जाएगी । चौथे सदस्य के रूप में एक व्यक्ति को चुना गया था । पर किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से वह आयोग में आने को तैयार नहीं हैं । अतः चैयरमैन किसी अन्य व्यक्ति की तलाश में हैं । ज्योंही उन्हें उपयुक्त व्यक्ति मिल जाएगा और उसका नाम हमें बता दिया जाएगा, आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मंत्री महोदय ने जो लम्बा उत्तर दिया है उससे सभा सन्तुष्ट नहीं है । क्या इस आयोग के गठन में बार काउंसिल आफ इण्डिया से भी परामर्श किया गया ?

श्री शान्ति भूषण : जी नहीं ।

श्री के० मयातेवर : विधि आयोग का चैयरमैन या सदस्य बनने के लिए किन विशेष योग्यताओं की जरूरत होती है ? क्या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के कार्यरत न्यायधीश को नियुक्त किया जाता है या इन न्यायालयों के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को ?

श्री शान्ति भूषण : उच्चतम या उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा विधि विशेषज्ञ, जूरिस्ट या भारतीय विश्वविद्यालय का कोई भी विधि प्रोफेसर इस आयोग का चैयरमैन और सदस्य नियुक्त किया जा सकता है ।

स्वदेशी काटन मिल्स लिमिटेड संबंधी मामला

*761. **श्री मोहन लाल पिपिल :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री स्वदेशी काटन मिल्स के नये निदेशकों की नियुक्ति के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के संबंध में 14 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2853 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के मामले में उच्च न्यायलय के आदेश के प्रवर्तन को रोकने के लिये आदेश हेतु आवेदन पत्र के साथ संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील के लिये विशेष अनुमति देने के लिये याचिका का क्या परिणाम निकला है ; और

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या अन्तरिम उपाय करने का विचार है कि वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के निरन्तर कुप्रबन्ध के अधीन कम्पनी के कार्यकरण की स्थिति और न बिगड़े ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) अपील के लिये विशेष छूट देने की याचिका माननीय] सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, सोमवार 10 अप्रैल 1978 को सुनवाई के लिये प्रस्तुत हुई। कुछ समय तक पार्टियों की सुनवाई करने के पश्चात, न्यायालय ने मामला 24 अप्रैल, 1978 तक के लिये स्थगित कर दिया।

(ख) मामला न्यायालय के अन्तर्गत है, अतः कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत आगे कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। तथापि, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग की दिनांक 13 अप्रैल, 1978 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 265(ङ)/18 कक/आई०डी०आर०ए०/78 के अनुसार, उद्योग (विकास एवं विनिमय) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, नैशनल टैक्स्टाइल कारपोरेशन लिमिटेड को, मैं० स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के कथित सभी उपक्रमों अर्थात (1) मैं० स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर (2) मैं० स्वदेशी काटन मिल्स, पान्डेचरी (3) मैं० स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी (4) मैं० स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ भंजन (5) मैं० उदयपुर काटन मिल्स लिमिटेड, उदयपुर तथा (6) मैं० रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, रायबरेली, के प्रबन्ध को अपने अधिकार में ले लेने के लिये प्राधिकृत किया है।

Shri Mohan Lal Pipil : I would like to thank the Janata Government for taking over six units of the Swadeshi Cotton Mills. Now I would like to know when the shares of the above Mill are proposed to be acquired? Several persons died there on 6th December, 1977. The Mill has been lying closed since then. May I know when this mill will be recommissioned?

Shri Shanti Bhushan: It is not possible to give a categorical assurance in this regard as Government have not taken any decision so far. The National Textile Corporation has recently been appointed as the authorised controller for this Mill. Efforts will be made to recommission this mill very soon.

Shri Mohan Lal Pipil : What steps are proposed to be taken to solve the labour problem there so as to avoid recurrence of such incidents?

Shri Shanti Bhushan: The N.T.C. has taken over the mill. It will take necessary steps keeping in view the situation obtaining there.

श्री के० लक्कप्पा : मैं यह जानना चाहता हूँ कि श्री सीताराम जयपुरिया द्वारा चलाया जा रहा स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड को सरकारी नियंत्रण में लेने में क्या कठिनाई थी ? इसके क्या कारण हैं ? (व्यवधान) विधि-मंत्री को श्री सीताराम जयपुरिया ने दो मामलों में वकील नियुक्त किया था।**

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप प्रथम दृष्टि प्रमाण नहीं देंगे मैं इसको उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not Recorded.

श्री के० लक्कप्पा : मैं अब सीधा प्रश्न पूछूंगा। **(व्यवधान)** मंत्री महोदय श्री सीताराम जयपुरिया द्वारा संचालित स्वदेशी पोलिटेक्स लि० को सरकारी नियंत्रण में लेने पर विचार करें क्योंकि वहाँ काफी कुप्रबन्ध है और सरकारी प्रभाव भी उस पर है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसका उत्तर दें या न दें यह आप पर निर्भर है क्योंकि यह प्रश्न संगत नहीं है **(व्यवधान)**।

श्री शान्ति भूषण : उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत प्रबन्ध अर्जन का मामला उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित है। इसका विधि और न्याय मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहाँ तक कम्पनी अधिनियम की धारा 408 के अधीन सरकारी निदेशक नियुक्त करने का प्रश्न है, इस धारा के अन्तर्गत निदेशक नियुक्त किये जा चुके हैं। पर इस आदेश का प्रवर्त्तन दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक दिया गया है। मैंने इस सभा को पहले भी बताया था कि स्वदेशी पोलिटेक्स लि० पर लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। हिसाब-किताब की जांच का आदेश दे दिया गया है। इस जांच के परिणामस्वरूप इस बात पर विचार किया जाएगा कि सरकारी निदेशक नियुक्त करने की जरूरत है अथवा नहीं।

Shri Hukam Chand Kachwai: The reasons for take over of six units of the Swadeshi Cotton Mills are that they had been flouting the legal provisions on a large scale. May I know whether Government propose to make arrangements for the refund of money on account of workers provident fund and gratuity and dues of suppliers who are small traders? If so, when the dues are likely to be paid?

Shri Shanti Bhushan: I think it it now the duty of the N.T.C. to arrange for payment of dues of workers of this undertaking which was the main cause of the unfortunate incident there. As regards the money of other companies.....

Shri Hukam Chand Kachwai: Which have supplied material.

Shri Shanti Bhushan: Of course, a scheme will be drawn to ensure payment of all dues keeping in view the financial position of the company.

श्री सौगत राय : महोदय, मई 1977 में कम्पनी विधि बोर्ड को कम्पनी अधिनियम की धारा 209(क) के अन्तर्गत निरीक्षण करना पड़ा था तथा धारा 408 के अधीन इस कम्पनी को एक नोटिस जारी किया गया था। मेरी समझ में नहीं आता कि कम्पनी को लोकहित के विरूद्ध काम करने से रोकने के लिए निदेशक क्यों नहीं नियुक्त किए गए। मेरा प्रश्न मजदूरी की बकाया राशि के बारे में है। उत्तर प्रदेश सरकार को एक रसीवर नियुक्त करना चाहिए जो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर स्वदेशी पोलिटेक्स द्वारा स्वदेशी काटन मिल्स में लगाये गए एक करोड़ रुपये के मूल्य के शेयरों को जब्त करे। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे कम्पनी कानून बोर्ड द्वारा की गयी जांच के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे क्योंकि अबतक जो कुछ भी कहा गया है वह सिर्फ एक दिखावा था। स्वदेशी पालिटेक्स के शेयरों के बारे में कम्पनी कानून बोर्ड की तुलना में क्या स्थिति है क्योंकि ये शेयर स्वदेशी काटन मिल्स में पहले ही निवेश किये जा चुके हैं।

श्री शान्ति भूषण : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का स्वदेशी काटन मिल लिमिटेड के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम की धारा 408 के अन्तर्गत की गई जांच से सम्बद्ध कार्यवाही के बारे में सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, जांच के परिणामस्वरूप सरकार ने निश्चय किया था और वास्तव में धारा 408 के अधीन सरकारी निदेशक नियुक्त किया है। किन्तु..... के बारे में **(व्यवधान)**।

सरकार के इस आदेश से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया कि कार्यवाही जारी रहे और सरकार धारा 408 के अधीन इस विषय पर विचार जारी रखा जाये तथा इस सम्बन्ध में यदि आवश्यक हो तो एक आदेश भी दिया जाये। किन्तु यह आदेश तब तक क्रियान्वित नहीं होगा जब तक उच्च-न्यायालय इसकी अनुमति नहीं दे देता है। अतः धारा 408 के अधीन सरकारी निदेशकों की नियुक्ति का एक आदेश बनाया गया किन्तु इसे अभी क्रियान्वित नहीं किया गया है। अतः दिल्ली उच्च-न्यायालय में एक रिट याचिका की सुनवाई हुई थी। यह स्वीकृत हुई और एक स्थगन आदेश दिया गया जिसके अधीन धारा 408 के अन्तर्गत कम्पनी निदेशकों के विभाग का संचालन स्थगित किया गया क्योंकि मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है और रिट याचिका पर निर्णय नहीं हुआ है। अतः इस विषय की अर्थात् क्या कार्यवाही हुई है, जांच करना सम्भव नहीं है क्योंकि मामला अभी निर्णय के लिए पड़ा हुआ है ..... (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या आप प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखेंगे।

श्री शान्ति भूषण : मैं इस पर ध्यान देने के बाद विचार करूंगा। मामला न्यायालय में है। मैं विचार करूंगा कि क्या ऐसा कोई दस्तावेज सभापटल पर रखा जाये।

श्री सौगत राय : स्वदेशी पालीटेक्स के बारे में मेरे प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में क्या उत्तर है ?

श्री शान्ति भूषण : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, सम्भवतः माननीय सदस्य ने इसे थोड़ा मिला दिया है क्यों कि इस स्वदेशी पालिटेक्स के स्वदेशी काटन मिल लिमिटेड में शेयर नहीं है। दूसरी ओर स्वदेशी काटन मिल लिमिटेड के स्वदेशी पालिटेक्स में कुछ शयर है। जहां तक उन शेयरों का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बिजली के सम्बन्ध में देय भुगतान को जो उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड को देय थी इकट्ठी करने के प्रयोजन से राज्य सरकार ने इस राशि का प्राप्तकर्त्ता नियुक्त किया है और फिर इन शेयरों को सम्बद्ध किया है। मेरी जानकारी के अनुसार इन शेयरों की राशि प्राप्तकर्ता को नहीं मिली है किन्तु प्राप्तकर्ता ने विज्ञापन निकाला है और इनकी खरीद के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये है। कुछ प्रस्ताव आये हैं और इनमें से एक किसी बड़े औद्योगिक गृह का स्वीकार किया गया है। मुझे सभा को यह सूचित करना है कि कम्पनी अधिनियम की धारा 372 के अधीन, विधि मंत्रालय अर्थात् कम्पनी कार्य विभाग की अनुमति के लिए अभी तक कोई आवदन पत्र नहीं आया है ..... (व्यवधान)।

श्री सौगत राय : मैं उद्योग मंत्री के वक्तव्य से पढ़ रहा हूं और जो कुछ मैंने कहा है वह सही है। माननीय विधि मंत्री कहते हैं कि जो कुछ मैंने कहा है वह गलत है। ..... (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में नहीं जायेगा। मंत्री महोदय ने यह कहा है कि कुछ भ्रम है क्योंकि शेयर पालीटेक्स द्वारा नहीं लिए गये ..... (व्यवधान)। क्या प्रत्यक छोट मामले के लिए लोगों को इस प्रकार खड़ा होना चाहिए।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं शामिल किया गया।

**Not recorded as ordered by chair.

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : क्या मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूं कि वे क्यों नम्रता से नहीं बोल सकते ? क्यों वे हमेशा लड़ना चाहते है मेरी समझ में यह बात नहीं आती है (व्यवधान) यह ठीक तरीका नहीं है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सबसे खराब बात यह है कि जब एक व्यक्ति खड़ा होता है और बोलता है तो मैं समझ नहीं पाता हूं क्या उसे और आधे दर्जन लोगों की मदद चाहिए। मैं समझता हूं कि श्री सौगत राय की आवाज काफी तेज है और सुनी जा सकती है। क्या श्री लकप्पा की सहायता की आवश्यकता है। यदि कोई गलती है तो उसे ठीक किया जा सकता है किन्तु यह बात समझ में नहीं आती है कि आधे दर्जन लोग चिल्लाएं। मंत्री महोदय ने कहा था कि बातों को मिलाया गया और यह नम्र भाषा में कहा गया है।

(व्यवधान)

श्री शान्ति भूषण : क्या मैं स्पष्ट करूं ? सम्भवत: माननीय सदस्य यह बात मानेंगे कि स्वदेशी काटन मिल के जो एक कम्पनी है, दूसरी कम्पनी अर्थात् स्वदेशी पालीटेक्स लिमिटेड में शेयर है। सम्बद्ध भाग इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक प्राप्तकर्ता नियुक्त करे जो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्वदेशी पालीटेक्स के 1 करोड़ रुपये के शेयरों को जो स्वदेशी काटन मिल में लगे हुए है जब्त करे यह वास्तव में वह स्वदेशी पालीटेक्स लिमिटेड के शेयरों से सम्बद्ध किया जा सकता है। सम्भवत: सबसे अच्छी भाषा यह होनी चाहिए थी कि "स्वदेशी काटन मिल द्वारा निवेश किये गये" किसी संयुक्त वाक्य में बहुत से लोग 'में' या 'द्वारा' प्रयोग करते हैं। स्वदेशी काटन मिल में निवेश किये गये का अर्थ है स्वदेश काटन मिल के वे शेयर दूसरी कम्पनी में हैं। अत: स्वदेशी काटन मिल में इसे निवश के रूप में माना जा सकता है। यह एक निवेश है किन्तु यह केवल एक भाषा है। भाषा के द्वारा विचार व्यक्त किये जाते हैं। बहुत से लोग भिन्न भिन्न तरीके से कहते हैं किन्तु सबका अभिप्राय एक ही होता है।

पश्चिम एक्सप्रेस में सीजन टिकटधारियों को प्रतिबंधों में छट

*762. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1975 के दौरान आगामी सूचना मिलने तक सीजन टिकट धारियों को वातानुकूलित एक्सप्रेस (डीलक्स)/पश्चिम एक्सप्रेस से यात्रा करने के लिए अतिरिक्त प्रतिबन्धों में छूट दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बडोदरा तथा दोहड़ के बीच इस समय कोई छूट न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

. . . . . .

विवरण

(क) सीजन टिकट धारियों को 25 डाउन/26 अप वातानुकूलित एक्सप्रेस (डीलक्स)/पश्चिम एक्सप्रेस गाड़ियों से यात्रा करने की अनुमति नहीं है। अगस्त/सितम्बर, 1976 के दौरान लाइन पर भारी टूट-फूट के कारण गाड़ी सेवाओं में भारी कमी कर दी गयी थी। 30-9-76

तक सीजन टिकट धारियों को गोधरा और बडोदरा के बीच यात्रा करने की अस्थायी अनुमति प्रदान की गयी थी। सामान्य स्थिति के पुनर्स्थापन तक दैनिक यात्रियों की कठिनाइयों को कम करने के लिए केवल अस्थायी उपाय के रूप से ऐसा किया गया था।

(ख) ये गाड़ियां दूरगामी यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है और इन गाड़ियों में स्थान का बड़े पैमाने पर उपयोग किये जाने की वजह से दोहद और बडोदरा के बीच सीजन टिकट धारियों को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

Shri Somjibhai Damor : Mr. Speaker, Sir, formerly there was corruption in Railways now there are ill-practices there. When this train arrives at Dohad at 7 hours in the morning, the urinals are full to the capacity with passengers. Whether in sleepers also facilities similar to that available in First Class passenger trains would be available by paying 50 paise?

Prof. Madhu Dandvate : Sir, this question is entirely different from the original question. Even then I want to tell the Hon'ble Member that when the bridge over Daman Ganga gave way and repairs to the bridge started, we gave permission for trainshipment facility. The dates given by him in his question are incorrect. He has referred the date of August, 1975. He is back by a year. The season ticket holders facility was given during the period from August, 1976 to September, 1976. At that time Delux and Western Express—two trains were run. Other trains were suspended. Frontier mail was diverted through Central Railway. Therefore, season ticket holders were allowed to travel by these trains. But as soon as the bridge was reconstructed this facility was withdrawn and the old position was restored. Therefore there is no question of withdrawing any old facility.

Shri Somajibhai Damor : I had asked that you do not allow these facilities to season ticket holders whereas passengers can travel in first class in the trains in day time also. Therefore facility to travel in sleeper coaches should also be allowed. At present accommodation is available by paying Rs. 15 or Rs. 20. If it is allowed corruption will be stopped. Whether such a facility will be allowed?

Prof. Madhu Dandvate : You have mentioned Delux and Western Express. Both these trains are long route journey trains. We have been continuously receiving this demand that while travelling from Delhi to Bombay lot of expenditure is incurred and by giving this facility to travel by these trains to other passengers would cause inconvenience. The occupation in these two trains is 139 percent. The average occupation is 139 percent when the capacity is 100 only. In the circumstances if the season pass holders are allowed to travel by these compartments the long distance passengers will be put to lot of inconvenience and this has also been pointed out in this House earlier.

विधि आयोग की सिफारिश

*763.† श्री मनोरंजन भक्त :
श्री प्रद्युम्न बाल :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उच्चतर न्यायपालिका की संरचना और अधिकरिता के संबंध में विधि आयोग की 58वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित विषयों की बाबत की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है :

(1) आपराधिक मामलों में अपील ;

(2) सेवा निवृत्ति की आयु ; और

(3) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अन्य फायदों का दिया जाना ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

विधि आयोग की सिफारिश	उस पर सरकार का विनिश्चय
(1)	(2)
संविधान के अनुच्छेद 134(1)(ग) का संशोधन किया जाना चाहिए जिससे कि उच्चतम न्यायालय में दाण्डिक अपीलों को प्रमाणपत्र द्वारा उन मामलों तक निर्बन्धित किया जाए जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र दिया गया है कि मामले में सार्वजनिक महत्व का विधि का कोई सारवान प्रश्न है जिसका विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है ।	अनुच्छेद 132 और 133 के साथ अनुच्छेद 134(1)(ग) के संशोधन के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।
1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	
1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जाए ।	1. यह विनिश्चय किया गया कि इस सिफारिश को स्वीकार न किया जाए क्योंकि यह वांछनीय समझा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु में अन्तर रहना चाहिए ।

विवरण—जारी

1	2
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मुफ्त असज्जित मकान दिया जाना चाहिए या उसके स्थान पर मकान किराया भत्ता की यथोचित रकम दी जानी चाहिए । इस विषय में विकल्प न्यायाधीशों पर छोड़ दिया जाना चाहिए । यह उपबंध किया जा सकता है कि मकान किराया भत्ता लेने के लिए प्रवृत्त साधारण नियम के प्रयोजन के लिए श्रेणी 'क' के रूप में अधिसूचित शहरों में स्थित उच्च न्यायालयों की बाबत मकान किराया भत्ता 500 रु० प्रतिमास और अन्य शहरों की बाबत वह किराया 350 रु० प्रतिमास होना चाहिए ।	2. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 का संशोधन 1976 में किया गया था । संशोधन के आधार पर प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे नियमों के अनुसार जो इस निमित्त समय-समय पर बनाए जाय किराया दिए बिना सरकारी निवास के उपयोग के हकदार होंगे । यदि कोई न्यायाधीश स्वयं सरकारी निवास के उपयोग की सुविधा नही लेगा तो उसे उसके वेतन के साढ़े बारह प्रतिशत के बराबर की रकम का भत्ता प्रतिमास दिया जाएगा ।
3. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को 300 रु० प्रतिमास का कार भत्ता दिया जाना चाहिए ।	3. संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 में एक नई धारा 22ख अन्तःस्थापित की गई है जिसके द्वारा प्रत्येक न्यायाधीश को तीन सौ रुपए प्रतिमास का सवारी भत्ता इस शर्त के अधीन रहते हुए दिया जाएगा कि वह मोटर कार रखे ।
4. पेंशन की प्रसुविधा के संबंध में इस व्यापक नियम की सिफारिश की गई है कि उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों को, जिनका सेवाकाल दस वर्ष या इसके अधिक समय की है, अधिवर्षिता प्राप्त होने के कारण उनके सेवा निवृत्त होने पर उनके मासिक वेतन का आधा पेंशन के रूप में मिलना चाहिए । यदि उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश दस वर्ष या इससे अधिक की सेवा पूरी करने के पश्चात् अधिवर्षिता से भिन्न कारण से सेवा निवृत्त होता है तो वह 1,000 रु० प्रतिमास पेंशन पाने का हकदार होगा । इसी प्रकार यदि उच्च न्यायालय का	4. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 में संशोधन करने वाले संशोधन अधिनियम, 1976 के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संशोधन से पूर्व अनुज्ञेय पेंशन बढ़ा दी गई है इसे तारीख 1-10-74 से भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है । पेंशन के अतिरिक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कुटुम्ब पेंशन की वे सुविधाएं भी दी गई हैं जो केन्द्रीय सिविल सेवा श्रेणी I अधिकारियों को अनुज्ञेय है । उन्हें मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति वार्षिकी की प्रसुविधाएं भी अनुज्ञात की गई हैं जो श्रेणी 1 के अधिकारियो को अनुज्ञेय हैं । यह इस उपांतर के अधीन होगा कि हकदारी के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा 2½ वर्ष की होगी

विवरण—जारी

(1)	(2)
कोई न्यायाधीश दस वर्ष से कम की सेवा पूरी करके (अधिवर्षिता से भिन्न कारण से) सेवा निवृत्त होता है तो वह 500 रु० प्रतिमास से अनधिक अनुपातिक पेंशन का हकदार होगा (रकम का अवधारण सेवा काल के अनुसार आनुपातिक रुप से किया जाएगा और यह रकम प्रतिमास अधिक से अधिक 500 रु० होगी ।	और यह कि न्यायाधीश के रूप में पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए उपदान 20 दित के वेतन की दर से परिकलित की जाएगी । यह विनिश्चय किया गया कि इस सिफारिश को स्वीकार न दिया जाए क्योकि उच्च न्यायालय के त्यायाधीशों को अनुज्ञेयपेंशन संबंधी प्रसुविधाएं संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अधिक आकर्यक बना दी गई हैं।
5. यदि उच्च न्यायालय के किसी पदासीन न्यायाधीश की मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा को, 500 रु० प्रतिमास पेंशन या पेंशन की उस रकम के, जिसके लिए वह तब हकदार होता यदि वह अपनी मृत्यु को तारोख को सेवानिवृत्त हुआ होता, आधे के बराबर रकम जो भी अधिक हो, मिलनी चाहिए । विधवा को यह पेंशन तब तक दी जानी चाहिए जबतक वह जीवित रहे ।	5. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 17 क के अधीन किसी न्यायाधीश के जिसकी मृत्यू हो जाती है, कुटुम्ब को वही पेंशन मिलेगी जो केन्द्रीय सिविल सेवा श्रेणि 1 के अधिकारियों को अनुज्ञेय है। वर्तमान नियमों के अधीन विधवा 250 रु० प्रतिमास पेंशन पाने की हकदार है । यह महसूस किया गया था कि वर्तमान उपबंध पर्याप्त हैं ।
6. किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के अधिवर्षिता की आयु पर सेवा निवृत्त होने को बाबत यह सिफारिश की गई है कि यदि कोई न्यायाधीश मुख्य न्यायाधिपति के रूप में पांच वर्ष या अधिक समय तक कार्य करता है तो उसे मुख्य न्यायाधिपति के रूप में अपने वेतन की आधी रकम पेंशन के रूप में मिलनी चाहिए । यदि वह मुख्य न्यायाधिपति के रूप में पांच वर्ष से कम समय तक कार्य करता है तो उसकी पेंशन आनुपातिक रूप से अवधारित की जानी चाहिए । किसी भी दशा में उसे उच्च न्यायालय के अवर न्यायाधीश की अधिकतम पेंशन से कम पेंशन नहीं मिलनी चाहिए ।	6. संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा उच्च न्यायालय के अवर न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधिपति के लिए अधिकतम पेंशन क्रमश: 22,400 रु० और 28,000 रु० नियत की गई है । मुख्य न्यायाधिपति की पेंशन उच्चतर दर पर परिकलित की गई है अर्थात् पुरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 2,400 रु० की दर से, जबकि अवर न्यायाधीश के मामले में यह पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 1,600 रु० की दर से परिकलित की गई है । ये उपबंध पर्याप्त समझे गए और यह विनिश्चय किया गया कि इस फार्मूला को परिवर्तित न किया जाए ।

विवरण—जारी

(1)	(2)
7. उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीशों को उपलब्ध मुफ्त चिकित्सीय परिचर्या और अन्य चिकित्सीय प्रसुविधाएं उनके सेवा निवृत्त होने के पश्चात् भी उन्हें उपलब्ध होनी चाहिए ।	7. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम में संशोधन करने वाले संशोधन अधिनियम, 1976 के आधार पर उस तारीख से, जिसको उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1976 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, अर्थात् 18-3-76 से प्रत्येक सेवा निवृत्त न्यायाधीश और उसका कुटुम्ब चिकित्सीय उपचार के संबंध वही सुविधाएं, उन्हीं शर्तों पर पाने के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सिविल सेवा श्रेणी 1 का कोई सेवा निवृत्त अधिकारी और उसका कुटुम्ब केन्द्रीय सरकार के तत्समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों और आदेशों के अधीन पाने के हकदार हैं ।
8. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवा की उन शर्तों के संबंध में जिनके लिए उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, उन्हें केन्द्रीय सरकार के सचिव के बराबर माना जाना चाहिए ।	8. इस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस राज्य सरकार के सचिव के बराबर माना जाता है जिसमें उस उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान है ।

II. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश

1. उच्चतम न्यायालय के वे न्यायाधीश जिन्होंने इस न्यायालय में 8 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी कर ली है अधिवर्षिता की आयु पर सेवा निवृत्त होने पर अपने वेतन की आधी रकम के बराबर पेंशन पाने के हकदार हों ।	1. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 का 1976 में संशोधन करके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुज्ञेय पेंशन बढ़ा दी गई है ।
2. उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को वैसी ही चिकित्सा परिचर्या और अन्य चिकित्सीय प्रसुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जैसी कि उनके कार्यकाल में उन्हें उपलब्ध होती हैं ।	2. 1976 में संशोधित उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 के आधार पर उस तारीख से जिस तारीख को उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1976 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई अर्थात् 18-3-76 से प्रत्येक सेवा निवृत्त न्यायाधीश और उसक

विवरण—जारी

(1)	(2)
	कुटुम्ब चिकित्सीय उपचार के संबंध में वही प्रसुविधाएं उन्हीं शर्तों पर पाने के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सिविल सेवा श्रेणी 1 का कोई सेवा निवृत्त अधिकारी और उसका कुटुम्ब केन्द्रीय सरकार के तत्समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों और आदेशों के अधीन पाने के हकदार हैं ।
3. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को 300 रु० प्रतिमास कार भत्ता दिया जाना चाहिए ।	3. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में संशोधन अधिनियम, 1976 के आधार पर एक नई धारा 23क अन्तःस्थापित की गई है जिसके द्वारा उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वह मोटर कार रखता हो 300 रु० प्रतिमास सवारी भत्ता पाने का हकदार होगा ।
4. भारत के मुख्य न्यायाधिपति के संबंध में यह सिफारिश की गई है कि यदि उन्होंने उस रूप में तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक कार्य किया है तो अधिवर्षिता की आयु पर सेवा निवृत्त होने पर उन्हें मुख्य न्यायाधिपति के रूप में उनके वेतन के आधे के बराबर रकम पेंशन के रूप में मिलनी चाहिए यदि उन्होने मुख्य न्यायाधिपति के रूप में तीन वर्ष से कम अवधि तक कार्य किया हो तो (ऐसी सेवा निवृत्ति पर) उनकी पेंशन की रकम आनुपातिक रूप से अवधारित की जानी चाहिए । किसी भी दशा में उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम पेंशन से कम पेंशन नहीं मिलनी चाहिए ।	4. 1976 में संशोधित उच्चतम न्यायालय (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 के अधीन मुख्य न्यायाधिपति की पेंशन उसके द्वारा पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 2,400 रु० के आधार पर परिकलित की जाती है । इसके अतिरिक्त यदि उनकी पेंशन 20,000 रु० प्रति वर्ष से कम परिकलित की गई है तो सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 658 रु० की रकम या यदि पेंशन 20,000रु० से अधिक परिकलित की गई है तो 1,680 रु० प्रति वर्ष उनकी पेंशन में जोड़े जाते हैं । वर्तमान उपबंध के अधीन जो अधिकतम पेंशन उन्हें मिल सकती है वह 36,400 रु० प्रति वर्ष है जबकि उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के मामले में अधिकतम पेंशन 28,000 रु० है । इस प्रकार 1976 में तारीख 1-10-1974 से पेंशन पर्याप्त रूप से बढ़ा दी गई है ।

विवरण—समाप्त

(1)	(2)
5. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों (और उनके कुटुम्बों) को छुट्टी यात्रा रियायत इस समय प्रत्येक दो वर्ष में एक बार मिलती है। यह रियायत प्रत्येक वर्ष मिलनी चाहिए।	5. अद्यतन संशोधित उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1959 के नियम 6(क) में यह उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपनी छुट्टी के दौरान वर्ष में एक बार अपने राज्य में अपने स्थायी निवास स्थान जाने के लिए अपने और अपने कुटुम्ब के सदस्यों के लिए यात्रा रियायत का हकदार होगा।
6. उन्हें अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा रियायत परिकलित करते समय रेल भाड़ा के संबंध में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए।	6. इस मामले की जांच की गई थी और विनिश्चय आस्थगित रखने का फैसला किया गया। इस समय स्थिति भा० प० से० अधिकारियों को अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा रियायत के अनुसार ही है। उनके मामले में भी कटौती की जाती है।

श्री मनोरंजन भक्त : विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि उच्चतम न्यायालय में अपराधिक याचिकाएं दायिर करने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये संविधान में संशोधन करना चाहिये और इसलिये माननीय मन्त्री द्वारा सभापटल पर रखा गया विवरण में यह कहा गया है कि अनुच्छद 132 और 133 के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 134(1)(ग) में भी संशोधन किया जाना चाहिये। यह संशोधन सरकार के विचाराधीन हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संशोधन की प्रमुख बातें क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है।

श्री शान्ति भूषण : यह मामला अभी विचाराधीन है। जब तक इस मामले पर विचार हो रहा है तब तक मैं संशोधी विधेयक के अन्तिम स्वरूप के बारे में कुछ नहीं कह सकता।

श्री मनोरंजन भक्त : उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में 1976 में संशोधन किया गया था। विधि आयोग के सुझावों को ध्यान में रख कर देखा जाये तो लगता है कि 1976 के संशोधन के माध्यम से काफी लाभ पहुंचा है। यह संशोधन आपात स्थिति के दौरान किया गया था और उस समय सदन में न्यायाधीशों की प्रतिबद्धता के बारे में आलोचना की गई थी। किन्तु अब की बदली हुई राजनीतिक स्थिति में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस समय किय गय सारे संशोधन पर पुनः विचार कर रही है ?

श्री शान्ति भूषण : उस समय न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में जो भी संशोधन किय' गये, उनमें से अब किसी को भी वापस लेने पर सरकार विचार नहीं कर रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ा रही है क्योंकि वह इन दोनों न्यायालयों के न्यायाधीशों में अन्तर रखना चाहते है । क्या सरकार राज्य सरकारों को सहायता दे रही है कि वह फौजदारी मामलों को शीघ्र निपटा कर उन्हे न्याय दिलवा सके । पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय सहायता की मांग की है । क्या सरकार यह सहायता देने पर विचार कर रही है ?

श्री शान्ति भूषण : जहाँ तक सेवा निवृत्ति की आयु का सम्बन्ध है, विधि आयोग ने यह सिफारिश की थी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु 62 से बढ़ा कर 65 वर्ष कर दी जाये। उस समय सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया था क्योंकि सरकार दोनों न्यायालयों के न्यायाधीशों में अन्तर रखना चाहती थी । अब तक सरकार ने उनकी सेवा निवृत्ति की आयु में वृद्धि के प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया है । उच्चतम न्य यालय के न्यायाधीशों ने भी एक सुझाव भेजा था कि वहां के न्यायाधीशों की सेवा निवृति की आयु में भी वृद्धि की जाये किन्तु उस पर कभी कोई विचार नहीं किया गया है ।

यह सच है कि मने कुछ समय पहले सभी राज्यों के मुख्य-मंत्रियों को पत्र लिखे थे और उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया था कि फौजदारी मामलों को निपटाने में विलम्ब के कारण न्याय नहीं हो पाता है और मैंने यह सुझाव दिया था कि वह शायद और न्यायालय स्थापित करने पर विचार करें और शायद और कदम भी उठाना चाह ताकि स्थिति से निपटा जा सके । इस सम्बन्ध में अनेक राज्यों ने और अधिक न्याय लयों की स्थापना कर ली है और बंगाल के मख्यमन्त्री ने मुझे लिखा है कि "हम न्यायालयों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, किन्तु इसमें वित्तीय कठिनाईयां भी हैं ।" उन्होंने लिखा है कि उन्हें केन्द्र से वित्तीय सहायता मिलनी चाहिये । अब यह स्पष्ट है कि यह समस्या पश्चिम बंगाल सरकार की ही नहीं है यह समस्या देश के सभी राज्यों के लिय है अतः पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठत । राज्य सरकारों को सहायता देने के प्रश्न पर विचार करना होगा ।

अहमदाबाद से मद्रास को सीधी नई रेलगाड़ी

*764. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद तथा मद्रास के बीच नई सीधी रेलगाड़ी आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो कब और वह कितने-कितने समय बाद चलती है;

(ग) क्या इस पूरी रेलगाड़ी में केवल दूसरी श्रेणी ही है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त रेलगाड़ी में यात्रियों के लिये अन्य क्य विशेष तथा अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध कराई गयी हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफसर मधु दंडवते) : (क) से (ग): जी हां। सप्ताह में एक बार चलने वाली 145/146 मद्रास बीच अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रस गाडी को 6-4-78 से चलाया गया है । यह एक श्रेणी रहित गाड़ी है जिसमें केवल दूसरें दज के ही डिब्ब ह ।

(घ) यह तेज गाड़ी पूर्णतः आरक्षित है जिसमें दूसरे दर्ज की गद्देदार शायिकाओं की व्यवस्था है। निर्धारित प्रभारों के भुगतान पर मांग करने पर जनता विस्तार सप्लाई किये जाते हैं। शीतल जल के लिए सवारी डिब्बों में जल कंटेनरों की भी व्यवस्था की गयी है। खाना गरम-गरम परोसा जा सके इसके लिए इस गाड़ी में एक पेंटरी कार की भी व्यवस्था है। इस गाड़ी में पुस्तकें उधार देने का एक पुस्तकालय भी चलाया गया है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : अध्यक्ष महोदय, मैं रेल मन्त्री को उनके द्वारा इस नई रेल को चलाने के लिये उनको बधाई देता हूं, इससे बड़ी सहायता मिलेगी और इसका अनेक लोगों ने स्वागत किया है। "वर्ग-विहीन समाज" की बात तो ठीक है किन्तु वह इसे "वर्ग-विहीन रेल" कहते है। उनके कहने का अभिप्राय यह है कि यह रेल द्वितीय श्रेणी की रेल है। उन्होंने इस रेल का नाम भी बड़ा खूबसूरत रखा है। मुझे मालूम है कि इसका नाम इनकी पसन्द का है 'नवजीवन रेल' महत्वपूर्ण नाम है। इसी प्रकार उन्होंने कलकत्ता से बम्बई के बीच चलने वाले रेलगाड़ी का गीतांजलि एक्स-प्रेस नाम रखा है। नवजीवन रेलगाड़ी अब सप्ताह में एक बार चलती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसे सप्ताह में दो या तीन बार नहीं चलाया जा सकता। क्या इस रेलगाड़ी को ऐसे रास्ते से नहीं चलाया जा सकता कि उसमें आन्ध्र प्रदेश और गुजरात के लोगों को लाभ मिल सके।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने मुझे बधाई दी है मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जो सुझाव उन्होंने दिया है उस सम्बन्ध में हम घोषणा कर चुके हैं। जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, उसी प्रकार से हम 'नवजीवन रेलगाड़ी' को सप्ताह में अधिक बार चलायेंग। दूसरी बात यह है कि दक्षिण में आन्ध्र, मंगलौर और केरल के लोगों को कठिनाईयों हो रही हैं। हम पहले ही घोषणा कर चुके है कि कुछ ही दिनों में हम और रेल डिब्बों की व्यवस्था करेंगे ताकि इन लोगों को भी इस रेलगाड़ी से लाभ पहुंचा सके।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : आप अतिरिक्त रेल डिब्बों का दक्षिण भारतीय नाम रखिये।

प्रो० मधु दंडवत : हम उन्हे यह नाम देंगे। मैं उसके लिये श्रीमती पार्वती कृष्णन् से सलाह लुंगा और मुझे आशा है कि वह अच्छा सुझाव देंगी। अहमदाबाद से यात्रियों के कुछ सुझाव आये है कि जब तक नई रेल डिब्बों की व्यवस्था नहीं कर दी जाती, तब तक दक्षिण में तो समय-सारिणी में कुछ परिवर्तन कर दिय जायेंगे ताकि जब तक वह मद्रास पहुंचेग और यदि उन्हें आगे रेलगाड़ी लेनी हो तो उसके लिये रेलगाड़ियों उपलब्ध हो सके। हम उस समस्या पर विचार कर रहे हैं।

हम अधिक सुविधाओं की भी व्यवस्था कर रहे हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अहमदाबाद और मद्रास के बीच और अधिक रेल सुविधाएं देने का हमारा विचार है। हमने इसी रेलगाड़ी में भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का चित्रण किया है जिसमें गांधीजी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रित किया गया है। तथा साथही महत्वपूर्ण उद्धरणों को भी लिखा गया है। हमें इसके प्रति बहुत ही उत्साह प्राप्त हुआ है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : संगीत का भी बड़ा महत्व होता है। इससे बड़ी शांति प्राप्त होती है।

प्रो० मधु दंडवते : यदि वह इस रेलगाड़ी से यात्रा करे तो उन्हे मालूम पड़ेगा कि रेलगाड़ी के पहियो से मुखरित होता हुआ संगीत भी बड़ा कर्णप्रिय होता है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : उन्होंने बताया है कि यह रेलगाड़ी पूर्ण तथा आरक्षित रेलगाड़ी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रास्ते में पड़ने वाले स्टेशन से मद्रास जाने और आने वाले यात्रियों को भी आरक्षण सुविधा उपलब्ध है और क्या गाड़ी में दिये जाने वाले जनता बिस्तर अच्छी किस्म के होते हैं अथवा जनता किस्म.... (**व्यवधान**)। जब हम कोई वस्तु मुफ्त अथवा कम कीमत पर उपलब्ध करते हैं तो हमें उसके गुण का ध्यान नहीं रहता है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस प्रकार की वस्तुओं की किस्म का ध्यान भी रखा जायेगा। बिस्तर पर लिया जाने वाला किराया कितना है। रेल मन्त्री महोदय ने अहमदाबाद से कलकत्ता के बीच एक रेलगाड़ी चलाई है। क्या वह अहमदाबाद और दिल्ली के बीच जयपुर होकर 'यंग इंडिया' नाम से एक रेल चलायेंगे ताकि इन राज्यों को भी जोड़ा जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : अन्तिम प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

प्रो० मधु दंडवते : जहां तक प्रश्न के भाग (क) का सम्बन्ध है, इस रेलगाड़ी को इस प्रकार चलाया जा रहा है कि यह अहमदाबाद से चलती है, बड़ौदा जाती है उसके बाद सूरत, नन्दुरबार, जलगांव, मनमाड, डोंड, शौलापुर, गंटक्कल, गुटी, रेनीगुटी और मद्रास जाती है। इन सभी स्टेशनों पर टिकट उपलब्ध होते हैं। बीच पड़ने वाले स्टेशनों के आरक्षण भी उपलब्ध हैं। यह रेलगाड़ी बीच के स्टेशनों पर रुकती नहीं है अतः आरक्षण के लिये प्रश्न ही नहीं उठता।

जहां तक जनता बिस्तरों का सम्बन्ध है, यदि माननीय सदस्य इससे यात्रा करें तो उन्हें पता चलेगा कि हम साफ सुथरे बिस्तर उपलब्ध करने का प्रबन्ध कर रखा है ताकि यात्रियों को सुखद और गहरी नींद मिले और जहां तक रेलगाड़ी को आगे बढ़ाने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि हम ऐसी सुविधाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध करना चाहते हैं। अतः हम और वर्ग-विहित रेल गाड़ियां चलाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और इनमें यह सभी सुविधाएं उपलब्ध की जायेंगी। हम रेलगाड़ियों को भुवनेश्वर–सिकन्दराबाद, सिकन्दराबाद–बम्बई और उसी प्रकार अहमदाबाद–भावनगर–पोरबन्दर और भुवनेश्वर और दिल्ली बरास्ता आसनसोल के बीच चलाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, आप इस प्रश्न की सीमा को व्यापक बना रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने प्रश्न पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : इसलिये मैंने कहा है कि अन्तिम प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। यदि आप प्रश्न की सीमा को व्यापक बना देते है तो उसके अनुपूरक प्रश्नों की सीमा भी व्यापक हो जायेगी।

प्रो० मधु दंडवते : अब मैं अन्तिम रेलगाड़ी के बारे में बताऊंगा। उत्तरी क्षेत्र में भी एक रेलगाड़ी चलाई जायगी नहीं तो मुझ पर क्षेत्रीयवाद का आरोप लगाया जायगा। अतः एक रेलगाड़ी हावड़ा से जम्मू तक चलाई जायगी जो पटना, लखनऊ और लुधियाना से होकर जायगी। हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

श्री विजय कुमार एन० पाटिल : क्या नरदना और धूले मार्ग को, जिसकी दूरी 20 मील है, रेलगाड़ी से जोड़ा जा सकता है। यह क्षेत्र अहमदाबाद और मद्रास के बीच पडता है। इससे अहमदाबाद और मद्रास की दूरी 60 मील कम हो जायेगी। इस जिले के निवासियों ने इस सम्बन्ध में सरकार से मांग की है ?

प्रो० मधु दंडवते : यह प्रश्न एकदम अलग है ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, आपने इस विषय को व्यापक बनाया है । खैर, आप इस पर विचार करेंगे ।

श्री विजयकुमार एन० पाटिल : क्या कम से कम सरकार इससे सहमत तो होगी ।

श्री मधु दंडवते : मैं यह कह रहा हूं कि इस आधार पर हमें पहले ही एक ज्ञापन मिल गया है । हम इसपर विचार करेंगे । मैं कोई दृढ़ आश्वासन नहीं देने जा रहा हूं । जब तक हम समस्या पर ध्यान नहीं देंगे तब तक उत्तर देना उचित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव यह है कि मंत्री प्रश्न का उत्तर दें । विषय-क्षेत्र को मत बढ़ाइए । इसके बाद इससे अनुपूरक प्रश्नों के क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा । मेरा सभी से यही अनुरोध है ।

रेल दुर्घटनायें

*765. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाल एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में कुल कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं ;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कुल कितने लोग मरे हैं ;

(ग) जोनवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) मुआवजे के रूप में कुल कितनी राशि दी गई है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवत) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) से (ग) : विभिन्न रेलों में 1-10-77 से 31-3-78 के दौरान गाड़ियों की टक्कर होने गाड़ियों के पटरी से उतर जाने, समपारों की दुर्घटनाओं और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में होने वाली गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या और उसमें मारे गये व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गयी है :—

रेलवे	गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गये व्यक्तियों की संख्या
1. मध्य	67	8
2. पूर्व	26	8
3. उत्तर	62	77
4. पूर्वोत्तर	35	4
5. पूर्वोत्तर सीमा	29	..
6. दक्षिण	43	8
7. दक्षिण मध्य	32	12
8. दक्षिण पूर्व	59	..
9. पश्चिम	59	22
जोड़	412	139

(घ) 1-10-77 से 31-3-78 की अवधि के दौरान गाड़ी दुर्घटनाओं के शिकार हुए व्यक्तियों या उनके आश्रितों को भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत लगभग 2.50 लाख रु० की राशि का भुगतान क्षतिपूर्ति के रूप में किया गया था। अन्य दावे तदर्थ दावा आयुक्तों/पदेन दावा आयुक्तों के न्यायालयों में विचाराधीन हैं और न्यायालय के निर्णय के आधार पर दावेदारों को भुगतान किया जायेगा।

इन दुर्घटनाओं में ड्यूटी पर मारे गये 16 रेल कर्मचारियों में से 14 मृतक कर्मचारियों को कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत 3,32,100 रुपये की देय क्षतिपूर्ति की रकम का भुगतान कर दिया गया है।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : मंत्री महोदय को यह ज्ञात होना चाहिए कि यह एक व्यापक भावना है कि रेलवे का रखरखाव संतोषजनक नहीं है, विशेष रूप से गैंगमैन आदि के बारे में अनेक वर्गों में स्वीकृत मफलिन सूत्र का, व्यक्तियों की नियुक्ति या उन पर होने वाले खर्च के मामले में अनुसरण नहीं किया गया है। परिणाम यह हुआ है कि मृत्यु या सेवानिवृत्ति से होने वाले रिक्त पदों को कभी भी नहीं भरा जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि यातायात कई गुना बढ़ गया है, रेलगाड़ियों को सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय ने इन सभी बातों पर विचार कर लिया है और क्या वह यदि अधिक नहीं तो कम से कम मफलिन सूत्र को पूरा करने के लिए मृत्यु और सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों को भरने हेतु अधिक संख्या में गैंगमैनों और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति करने पर विचार कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : इस समस्या के दो पहलू हैं। एक तो रखरखाव का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न गैंगमैनों को काम बांटने और अभी तक पालन किए जाने वाले सूत्र को सही सही लागू करने के सम्बन्ध में है। मुझे सभा को यह बताने में खुशी है कि हाल ही में हमने अपने सभी अनुरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने और मजबूत बनाने का प्रयास किया है और बहुत से यांत्रिक उपाय भी शुरू किए जा रहे हैं। जहां तक गैंगमैनों की समस्या का सम्बन्ध है, मैंने इसी सभा में यह बताया है कि अनेक कारणों से हम लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर कंक्रीट के स्लीपरों की व्यवस्था शुरू करने को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि भविष्य में कंक्रीट के स्लीपर अधिक दिनों तक चलेंगे अर्थात् 15 से 25 वर्षों के स्थान पर लगभग 50 वर्ष चलेंगे। जब हम कंक्रीट के स्लीपरों की व्यवस्था शुरू करेंगे तब इस नयी व्यवस्था में गैंगमनों के हाथ से काम नहीं कर पायेंगे और इसलिए काम मशीनों द्वारा किया जाएगा। परन्तु इस मशीनीकरण से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि गैंगमैनों को अन्यत्र नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने जो आरंभ में शिकायत की है उसके बारे में हम इस बात को देखेंगे कि जब भी गैंगमैनों के पदरिक्त होंगे तब हम इन रिक्त पदों को बिना भरे हुए नहीं रहने देंगे। गैंगमैनों के साथ अन्याय कभी भी नहीं होने दिया जाएगा।

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : 412 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें 129 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मैं यह जानना चाहती हूं कि कितनी दुर्घटनायें तोड़फोड़ के कारण हुई हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने सभा को पहले भी कई बार बता दिया है कि 1 अप्रैल, 1977 से 31 मार्च, 1978 तक अवधि के दौरान मार्ग में 127 सकावटों का पता लगा है। इनमें से कुछ तो फिशप्लेटों के हटाने के बारे में हैं और कुछ स्थानों में पटरियां काट दी गयी थी। यद्यपि 127 बार प्रयास किए गए। उनमें से 8 मामलों में तोड़ फोड़ के कारण दुर्घटनायें हुई हैं। अन्य कदमों के अतिरिक्त

नवम्बर में हमने 25,000 व्यक्तियों--14,000 गैंगमैन और 11,000 रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को पहरा देने के लिए नियुक्त किया है और मुझे यह कहने में बड़ी खुशी है कि 23 दिसम्बर, 1977 में पहरा शुरू किए जाने के बाद तोड़फोड़ के कारण एक भी दुर्घटना नहीं हुई है और यह गैंगमैनों की वजह से है ।

श्री टी० ए० पई : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने मृत्यु के मामले में मुआवजे की राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है, क्योंकि उपकर के रूप में इकट्ठा की गई राशि प्रत्येक वर्ष बहुत कम बचती है और उचित यह होगा कि रेल यात्री विमान यात्रियों की भांति समझे जाये ?

प्रो० मधु दंडवते : माननीय सदस्य को, जो पहले रेल मंत्री रह चुके हैं, इस बात की जानकारी है कि 50,000 रुपये मुआवजे की राशि बड़ी चर्चा करने के बाद शुरू की गयी थी । आमतौर पर विमान दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों और रेल दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों को दिये जाने वाले मुआवजे में कुछ सम्बन्ध है । हवाई जहाज में खतरा अधिक माना जाता है और इसलिए इस हद तक मुआवजे की राशि सदैव अधिक रहती है । इस सम्बन्ध में अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत को स्वीकार किया गया है और इस बात को सदैव स्वीकार किया गया है कि जब भी किसी एक मामले में वृद्धि की जाती है तो दूसरे मामले में भी ऐसा ही किया जाता है । वास्तव में मैंने स्वयं इस बात का सुझाव दिया था कि इस बात की जांच की जानी चाहिए । हमने इस बात की जांच की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिक से अधिक यह राशि 50,000 रुपये होनी चाहिए और यदि हम इसमें वृद्धि करते हैं तो विमान दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के मामले में भी मुआवजे की राशि में वृद्धि की जानी होगी । इस समय हम 50,000 रुपये ही मान रहे हैं । दुर्घटनाओं के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए ।

श्री शम्भु नाथ चतुर्वेदी : क्या मैं चालू वर्ष और पिछले वर्ष की रेल दुर्घटनाओं के तुलनात्मक आंकड़े जान सकता हूं ?

प्रो० मधु दंडवते : 1974-75 में इस अवधि में दुर्घटनाओं की संख्या 479 थी । इस वर्ष 412 है । 1975-76 में 428, 1976-77 में 368 और 1977-78 में 412 थी ।

श्री वेदव्रत बरुआ : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि तोड़फोड़ के सिद्धांत का क्या हुआ है ? क्या यह एक सिद्धांत ही रह गया है अथवा क्या कोई निष्कर्ष भी निकला है कि अनेक दुर्घटनायें तोड़फोड़ के कारण हुई हैं जिनमें जन धन की क्षति हुई है ? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस सिद्धांत के प्रस्तुत होने के 6 महीने या 1 वर्ष के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस तोड़फोड़ में किसका हाथ है ? यह कहना व्यर्थ है कि तोड़फोड़ हुई है परन्तु हम यह नहीं जानते कि यह तोड़फोड किसने की । हमें यह बताया जाये कि क्या उन्हें किन्हीं तत्वों पर संदेह है और इस मामले में कुछ निष्कर्ष निकला है ।

प्रो० मधु दंडवते : तोड़फोड़ के सिद्धांत का कोई प्रश्न नहीं है । यदि तोड़फोड़ सिद्धांत बनकर रह जाता है तो मुझे अधिक खुशी होती । तब तो कोई खतरा ही नहीं रह जाता । परन्तु यह व्यवहार रूप में किया गया है । फिश प्लेटों के हटाये जाने, चाबियों के साथ छेड़खानी करने और पटरियों आदि के काटे जाने से रेलपथ में 127 रुकावटें हुई हैं । इन कारणों से 8 दुर्घटनाएं हुई हैं । पहरा शुरू करने के बाद भी हम देखते हैं कि तोड़फोड़ के 27 प्रयास किये गए परन्तु हमारे पहरा देने वाले व्यक्तियों ने गाड़ियों के आने से पहले समय पर इसका पता लगा लिया । तोड़फोड़ के कारण जो 8 दुर्घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं है । अन्तिम प्रतिवेदन अभी आना है ।

एक मामले में मुर्तजापुर में 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, परन्तु यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि वे रेल कर्मचारी नहीं हैं, क्योंकि ऐसी धारणा बनाने का प्रयास किया जाता है कि चूंकि बोनस न देने के कारण उनमें असंतोष है और कर्मचारियों का इनमें हाथ है। 1974 में इनमें सबसे अधिक असंतोष व्याप्त था और 20 दिन की हड़ताल हुई थी परन्तु उस संघर्ष के दौरान भी तोड़फोड़ की एक भी घटना नहीं हुई थी। इसलिए मैं नहीं कहना चाहता कि रेल कर्मचारियों का इनमें हाथ है। किसी रेल कर्मचारी ने तोड़फोड़ का कोई कार्य नहीं किया है।

श्री बेदव्रत बरुआ : क्या राजनीतिक तत्वों का इसमें हाथ है ?

प्रो० मधु दंडवते : जांच जारी है। इसमें किसी राजनीतिक दल का हाथ होने का पता नहीं चला है। परन्तु यह पता चला है कि वे रेल कर्मचारी नहीं है। इतना मैं कह सकता हूं।

Exploration for Oil and Gas in Uttar Pradesh

*768. **Shri Ram Dhari Shastri:** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the names of the places in Uttar Pradesh where Oil and gas are being explored and the progress thereof; and

(b) whether such exploration is also being conducted in district Deoria and if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) At present the ONGC is drilling a well near Puranpur in Pilibhit Distt. of Uttar Pradesh. The well has so far been drilled to a depth of 402 metres.

(b) No, Sir. But seismic survey is in progress in Deoria District.

Shri Ram Dhari Shastri: I would like to know the names of the places in Uttar Pradesh where survey work is going on? Is survey work in this regard going on in some other places besides Pilibhit?

Shri Janeshwar Mishra: No survey work is going on at present anywhere except Pilibhit.

Shri Ram Dhari Shastri: May I know the names of the places in Deoria district where the work is going on and when this work is likely to be completed ?

Shri Janeshwar Mishra: One seismic party is working in Gorakhpur and Deoria districts and datas in regard to this survey are being studied by the Institute of Petroleum Exploration. It is not possible to give details in this regard.

Shri Ram Vilas Paswan: I would like to know the names of the places where oil and gas have been explored and the quantity of oil and gas are being obtained therefrom. I would also like to know the names of the states besides Uttar Pradesh.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल उत्तर प्रदेश से है।

Shri Janeshwar Mishra: An effort was made for exploration of oil in four places of Uttar Pradesh *i.e.* in Ujhani, Kasganj, Tilahar and Muhand but no success has been achieved from the wells drilled there.

Shri Brij Bhushan Tiwari: May I know whether Government have any proposal to conduct survey in other places in Uttar Pradesh?

Shri Janeshwar Mishra: In addition to the places mentioned by me Government propose to send a seismic team to valley of Gandak in the east of Gorakhpur and O.N.G.C. is examining it.

Over-Bridge at Gaya

*769. **Shri Ishwar Chaudhry:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Ministry had given any assurance regarding construction of an over-bridge at Gaya (Bihar) junction and completion thereof by April, 1974;

(b) if so, the reasons for not completing it so far; and

(c) the time by which this over-bridge is likely to be completed?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) to (c): There is already one foot over-bridge at Gaya Junction serving the passenger traffic. The work of construction of a second foot over-bridge at Gaya Railway Station was included in the Railway's works programme 1973-74.

Foundations for the bridge and fabrication of steel work have been completed and erection of structures has been taken in hand.

Gaya station being situated on busy electrified section, erection of bridge will have to be done with a lot of care as shifting of over-head electrical wires etc. is involved. This work will, therefore, have to be phased in such a way that there is no dislocation to traffic. It is expected that the work will be completed by the end of 1979.

Shri Ishwar Chaudhry: The previous Government had given an assurance that entire work on this bridge will be completed by April, 1974. Now Government promise that it will be completed by 1979. I would like to thank the honourable Minister therefor. I am putting this question after many years since the promise made by the previous Government in April, 1974. I would like to know whether honourable Minister will arrange to speed up this work. So far as I know this work has not been taken up so far. The foundation work of the bridge has been completed. The pace of the progress of this work is very slow. Whether he has any proposal to speed up the work.

Shri Sheo Narain: I am not responsible for the previous Government. Janata Government has taken the responsibility and we are progressing fast.

Shri Ishwar Chaudhry: May I know as to what is the length and breadth of this bridge? What is the traffic capacity of this bridge? This bridge should have been built in 1974 but it could not be completed neither in 1976 nor in 1977. Now it is 1978. Will the Minister of Janata Party will accept that this bridge should have been completed this year but it has not been completed. Is this the indication of their going fast?

Shri Sheo Narain: Its length will be 109 metres and its breadth 2.44 metres.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राजधानी एक्सप्रेस

*766. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी एक्सप्रेस में उपलब्ध स्थानों में से कितने प्रतिशत स्थानों पर यात्री यात्रा करते हैं, इसके ठीक समय पर आने-जाने और हानि-लाभ के पृथक-पृथक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि यह एक्सप्रेस रेलवे के खर्च में एक बड़े सफेद हाथी की तरह है; और समाज का धनी वर्ग ही इसका लाभ उठाता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस एक्सप्रेस के स्थान पर जनता राजधानी एक्सप्रेस चलाने का है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (ग) : हावड़ा-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में, पहले दर्जे के वातानुकल डिब्बे में 63 और 100% के बीच तथा वातानुकूल कुर्सीयान में 87 और 100% के बीच स्थान का उपयोग होता है जबकि बम्बई--सैन्ट्रल नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में पहले दर्जे के वातानुकूल डिब्बे में 70 और 100% तथा वातानुकुल कुर्सीयान में 83 से 100% स्थान का उपयोग होता है। जनवरी से मार्च 1978 तक की अवधि में नयी दिल्ली-हवड़ा तथा नयी दिल्ली-बम्बई सैन्ट्रल राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां 51 यात्राओं में से क्रमश: 43 और 44 बार समय पर पहुंची। राजधानी एक्सप्रेस से होने वाली आमदनी की तुलना अन्य गाड़ियों की आमदनी के साथ करने से यह पता चलता है कि यह गाड़ी लाभप्रद है। इन गाड़ियों की तेज रफ्तार के कारण उड़ने वाली धूल से बचने के लिए इन्हें वातानुकूलित बनाना आवश्यक है। इस गाड़ी की विशेष कर विदेशों से आने वाले पर्यटकों द्वारा अत्याधिक सराहना की गयी है। तेज रफ्तार वाली इन गाड़ियों के साथ साधारण सवारी डिब्बे नहीं जोड़े जा सकते।

ग्रीष्म काल में यात्रियों की भीड़ निपटाने के लिये प्रबन्ध

*767. **श्री के० मालन्ना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष ग्रीष्मकाल में यात्रियों की भीड़ निपटाने के लिये रेल प्राधिकारियों ने कोई विशेष प्रबन्ध किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते): (क) और (ख) : जी हां। आगामी गर्मियों में ग्रीष्मकालीन भीड़भाड़ को निपटाने के लिए विभिन्न मार्गों पर रेलों द्वारा लगभग 1200 विशेष गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है, बशर्ते यातायात प्रस्तुत हो। एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें महत्वपूर्ण मार्ग और गाड़ियों के फेरे दिखाये गये हैं।

विवरण

विशेष गाड़ियां

मार्ग	फेरे
1. नयी दिल्ली-मद्रास	सप्ताह में दो बार
2. हवड़ा-दिल्ली-कालका	साप्ताहिक
3. दिल्ली-जम्मू तवी	सप्ताह में तीन बार
4. निजामुद्दीन-बम्बई सैन्ट्रल	सप्ताह में दो बार
5. बम्बई सेन्ट्रल-जम्मू तवी	साप्ताहिक
6. बम्बई वी० टी०—त्रिवेन्द्रम	साप्ताहिक
7. बम्बई वी० टी०-मद्रास	साप्ताहिक
8. बम्बई वी० टी०-वास्को-डी-गामा	सप्ताह में दो बार
9. बम्बई-सिकन्दराबाद	साप्ताहिक
10. बम्बई-पुणे	दैनिक
11. बम्बई वी० टी०-वाराणसी	सप्ताह में दो बार
12. बम्बई सैन्ट्रल-गांधीधाम	सप्ताह में दो बार
13. बम्बई सैन्ट्रल-अहमदाबाद	सप्ताह में पांच दिन
14. अहमदाबाद-मारवाड़	दैनिक
15. वीरमगाम-जामनगर	सप्ताह में दो बार
16. हवड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी	सप्ताह में दो बार
17. हवड़ा—जम्मू तवी	साप्ताहिक
18. हवड़ा-बरौनी	साप्ताहिक
19. धनबाद-वाराणसी	एक दिन छोड़कर
20. दिल्ली सराय रोहिल्ला—जोधपूर	सप्ताह में दो बार

धनबाद रेलवे लोको कर्मचारी

*770. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद रेलवे लोको कर्मचारियों ने 1 फरवरी, 1978 को कोई हड़ताल की थी जिससे रेल यातायात पूर्णतया ठप्प हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की क्या मांगें हैं और उनके बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) 31-1-78 से 1-2-78 तक काम रूक गया था लकिन चोपन को छोड़कर यात्री सेवा चालू रखी गयी थी।

(ख) चोपन के लोको रनिंग कर्मचारियों की यह मांग थी कि उनके कर्मीदल का कार्य-क्षेत्र बढ़ा दिया जाये, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। चोपन शेड तथा अन्य सम्बद्ध शेडों के रनिंग कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र के पुनर्समायोजन का प्रश्न रेल प्रशासन के विचाराधीन है।

Compulsory Cost Audit in Industries

*771. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Law, Justice & Company Affairs** be pleased to state:

(a) the number of such units in textile and other industries in which compulsory cost audit has been introduced so far; and

(b) when this Audit was introduced and the results thereof?

The Minister of Law, Justice & Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) (i) Cost Accounting Records (Cotton Textile) Rules, 1977 have been brought into force on 1st July, 1977 and hence no unit in cotton textiles has so far been subjected to cost audit. These units will be subjected to cost auditing in respect of their financial year commencing on or after 1-7-1978.

(ii) As regards units in other industries, orders for cost auditing have been issued to 732 companies during the period 1-1-69 to date, covering 23 classes of industry.

(b) The provisions relating to cost auditing were introduced by the Companies (Amendment) Act 1965 (31 of 1965) which came into force on 15-10-1965. Under these provisions orders for cost auditing were issued in respect of 23 classes of companies at different times after 1-1-1969. Broadly the findings of the cost auditing as per reports received so far are as indicated below:—

1. Deficiencies in the system of maintaining cost accounting records and system of costing.
2. Under-utilisation of capacity in some cases and impact thereof on costs.
3. Imbalance in production facilities in some cases.
4. Bottlenecks militating against achievement of optimum capacity in some cases.
5. Unsatisfactory financial position and continued losses in some cases.
6. High profitability in some cases.

खड़गपुर वर्कशाप

*772. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खड़गपुर वर्कशाप के कर्मचारियों से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि रेलवे हवी इलेक्ट्रिकल रिपेअर शाप में मरम्मत पर आने वाली लागत से अधिक लागत पर प्राइवेट फर्मों को मरम्मत का काम दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई पूछताछ की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रक्रिया से रेलवे राजस्व को हानि पहुंचने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी हां। भारी मरम्मत कारखाना, बिजली कर्मचारी परिषद्, खड़गपुर की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष और सचिव का रेल मंत्री के नाम एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। प्राइवेट पार्टियों को मरम्मत का उतना ही काम दिया गया है जितना रेल कारखाने की क्षमता से अधिक होता है। प्राइवेट पार्टियों को काम का ठेका टेंडर देने के समस्त नियमों का अनुपालन करते हुए दिया गया है।

(ख) इस मामले की जांच-पड़ताल की गयी है और शिकायतें को सही नहीं पाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल अधिकारियों द्वारा ए० सी० सी० में यात्रा

*773. **श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय 57 के पैरा 7 में उसके द्वारा की गई सिफारिश का उल्लंघन करते हुए, ड्यूटी पर रेल अधिकारियों द्वारा ए० सी० सी० में यात्रा के लिए वेतन सीमा 2250 रुपये से घटा कर 1800 रुपये कर दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : यात्रा की श्रेणी की पात्रता के सम्बन्ध में रेल कर्मचारियों तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बीच चली आ रही सापेक्षताओं को संशोधित ढांचे में मोटेतोरे पर बनाये रखने के उद्देश्य से इसे सम्बन्ध में तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों में यथा आवश्यक आशोधन किया गया था। ड्यटी पर कनिष्ट प्रशासनिक ग्रेड के रेल अधिकारियों की वातानुकूल डिब्बों में यात्रा करने की पात्रता के लिए 1800 रुपये और उससे अधिक की वेतन सीमा मंत्रिमंडल के अनुमोदन से रेलवे अधिकारियों तथा सिविल एवं रक्षा विभागों के अधिकारियों के बीच संशोधन से पहले की सापेक्षताओं को मोटे तौर पर बनाये रखने के दृष्टिकोण से निर्धारित की गयी थी।

हावडा में टिकट चैक करने वाले पर्यवेक्षक

*774. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति में हावड़ा में टिकट चैक करने वाले पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजर्स) द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में किन तथ्यों का उल्लेख किया गया है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने और अपराधी अधिकारियों को दंडित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) जी हां।

(ख) अवैध रूप से किराया प्रभार लेने, रसीद जारी किये बिना रकम वसूल करने और यात्रियों के साथ गाली-गलौच किये जाने के सम्बन्ध में आठ अभ्यावेदन और शिकायतें प्राप्त हुई थी।

(ग) जी हां। इसमें से सात अभ्यावेदनो और शिकायतों के सम्बन्ध में जांच का काम पूरा हो चुका है। विभागीय और आमने-सामने की पूछताछ से ये आरोप सिद्ध नहीं हो पाये हैं। एक मामले में अभी जांच हो रही है।

(घ) सतर्कता संगठन और भ्रष्टाचार निरोधी दल द्वारा गुप्त रूप से निगाह रखी जा रही है। यदि कोई कर्मचारी किसी तरह का कदाचार करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

Constitution of Official Languages Implementation Committee

†*776. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) Whether the Official Languages Implementation Committee has been constituted in his Ministry/Department;

(b) If so, the dates on which it held its meetings in 1977 and decision taken therein;

(c) The number of decision out of them fully implemented; and

(d) The reasons for the delay for not implementing the remaining ones?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) Official Languages Implementation Committees have been constituted in both the Deptt. of Petroleum and the Department of Chemicals & Fertilizers.

(b) to (d): A statement giving the required information is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

(b) to (d): Meetings of the Official Languages Implementation Committee were held on 17-1-77, 19-1-77, 25-5-77, 7-6-77, 27-9-77, 6-10-77 and 30-12-77. The following important decisions were taken in these meetings.

(1) Setting up of Hindi cells and recruitment of Hindi staff in the undertakings.

(2) To purchase Hindi typewriters.

(3) To purchase help books and materials.

(4) Te reply in Hindi to communications/letters received in Hindi.

(5) To start original correspondence in Hindi with offices in Hindi speaking States.

(6) To issue all general orders bilingually.

(7) To prepare frequently used terminology for the Ministry.

(8) Dissemination of information among employees of provisions of Official Languages Act, 1963 and Official Languages Rules, 1976.

(9) Labels/Cartons of drugs to be printed bilingually.

(10) Rubber stamps to be issued bilingually.

(11) To post Hindi knowing typists in Hindi Section by rotation.

(12) To start Hindi Workshops.

(13) To introduce Cash Award Scheme.

(14) To constitute Division/Section-wise Committees to encourage use of Hindi in noting and drafting.

Decisions listed at S. Nos. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 and 14 have been fully implemented. The other decisions are under implementation and the progress thereof is reviewed at the meetings of the Official Languages Implementation Committees.

कोचीन तेल शोधक कारखाने के वर्तमान संयंत्र में परिवर्तन करने के लिये विशेषज्ञ समिति

*777. **श्री के० ए० राजन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने के वर्तमान संयंत्र में परिवर्तन करने की एक योजना पर केन्द्रीय विशेषज्ञ समिति विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख): दिसम्बर, 1977 में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबन्ध-निदेशक श्री आर० एन० भटनागर की अध्यक्षता में सरकार ने एक अध्ययन दल नियुक्त किया जिसे इस बात की जांच करनी थी कि छटी पंचवर्षीय योजना (1978–83) के दौरान और बाद के दो वर्षों में कितनी अतिरिक्त शोधन क्षमता और द्वितीय स्तर की प्रोसेसिंग क्षमता स्थापित करनी आवश्यक होगी और कितनी क्षमता के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू करनी होगी। इस अध्ययन दल को यह काम भी सौंपा गया कि विभिन्न परियोजनाओं के तकनीकी, लाजिस्टीकल और आर्थिक पहलुओं का मूल्यांकन करके बतायें कि उपर्युक्त अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने में किन परियोजनाओं और स्थानों को प्राथमिकता दी जाय। इस अध्ययन दल ने कोचीन में द्वितीय स्तर की 'प्रोसेसिंग' सुविधाओं की स्थापना की संभावनाओं पर भी विचार किया है। इस अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट मार्च, 1978 में दे दी है और सरकार उस पर विचार कर रही है।

Use of Hindi in Income Tax Appellate Tribunal

†*778. **Shri Raghavji :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the policy of Government regarding use of Hindi in the Income Tax Appellate Tribunals;

(b) the steps taken to ensure progressive use of Hindi in these Tribunals; and

(c) the total number of Income-tax Appellate Tribunals in the country and which of these tribunals have started recording their awards in Hindi?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) & (b): The Income-tax Appellate Tribunal has been implementing the instructions/orders or circulars etc. issued from time to time by the Government of India for the progressive use of Hindi according to the Official Languages Act, 1963. The Members, Officials and the staff of the Tribunal are being trained in Hindi under the Hindi Teaching Scheme. Under Rule 5A of the Income-tax

Appellate Tribunal Rules, 1963 the President of the Tribunal has notified that in Benches located at Hyderabad/Bangalore/Nagpur/Allahabad/Amritsar/Chandigarh/Delhi/Indore/Jabalpur/Jaipur/Patna, parties may file documents drawn up in Hindi, if they so desires. Similarly, under Rule 5B, the President has notified that in the aforesaid Benches, the Tribunal in its discretion may permit the use of Hindi in its proceedings or while passing orders.

(c) There are 38 Benches in 19 places of the country. So far no Bench has started recording its orders in Hindi.

दिल्ली में रेल फाटक

*779. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन मुख्य रेल फाटकों का ब्यौरा क्या है, जहां ऊपरी पुल बनाये जाने चाहिए;

(ख) जिन रेल फाटकों पर 1978, 1979 और 1980 के दौरान ऊपरी पुल बनाये जाने का प्रस्ताव है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) रेल फाटकों पर उपरि पुल बनाने के कितने मामलों में सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं; और

(घ) उन अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) निम्नलिखित सम पारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण वांछनीय समझा गया है :—

(1) दिल्ली कैंट के समीप कि०मी० 14/4–5 पर जेल रोड समपार सं० 12–बी

(2) शक्तिनगर के समीप कि०मी० 4/4–5 पर समपार सं० 2

(3) रामपुरा के समीप कि०मी० 7/1–2 पर समपार सं० 5

(4) रानीबाग के समीप कि०मी० 9/2–3 पर समपार सं० 7

(5) मंगोलपुरी के समीप कि०मी० 13/7–8 पर समपार सं० 9

(6) ब्रिटानिया फैक्टरी के समीप कि०मी० 25/3–4 पर समपार सं० 12

(7) अशोक बिहार के समीप कि०मी० 26/2–3 पर समपार सं० 13

(8) तुगलकाबाद के समीप कि०मी० 1519/6–7 पर समपार सं० 580

(9) ओखला औद्योगिक क्षेत्र के समीप कि०मी० 1523/1–2 पर समपार सं० 580–ए

(10) ओखला औद्योगिक क्षेत्र के समीप कि०मी० 1526/4–5 पर समपार सं० 581

(11) रोहतक रोड के समीप कि०मी० 5/8–9 पर समपार सं० 4–सी

(ख) 1978–79 के दौरान किसी ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव नहीं है। 1979–80 के लिए प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है यदि दिल्ली प्रशासन/सड़क प्राधिकरण उसके सम्बन्ध में आवश्यक प्रारम्भिक/औपचारिक कार्रवाई पहले से ही पूरी कर ले।

(ग) दो मामलों में पहले अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं अर्थात् प्रश्न के भाग (क) के उत्तर की म सं० (1) और (2) के संबंध में (अर्थात् जेल रोड और शक्तिनगर में) समपारों के बदले ऊप सड़क पुलों का निर्माण करने ।

(घ) जेल रोड में ऊपरी सड़क पुल के लिए, लागत के प्रस्तावित विभाजन और सामान्य सुविधाओं संबंधी आरेखण के संबंध में नगरनिगम की स्वीकृति की प्रतीक्षा है । शक्तिनगर पर ऊपरी सड़क पुल के सबंध में दिल्ली प्रशासन/सड़क प्राधिकरण से एक निश्चित प्रस्ताव की प्रतीक्षा है जिसमें वर्तमान नियमों के अनुसार उन्हें लागत का अपना हिस्सा वहन करने की सहमति देनी है ।

कनोई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का निदेशक बोर्ड

7131. **श्री के० लक्कप्पा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनोई इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लि०, कलकत्ता के निदेशक बोर्ड के वर्तमान निदेश कों के नाम क्या-क्या हैं ;

(ख) इसके मुख्य शेयर होल्डरों का पूरा ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्यक के पास कितने मूल्य के और कितने प्रतिशत शयर है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त कम्पनी, कम्पनी अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार लेखा पुस्तकों और संविदा पुस्तकों का रख रखाव नहीं करती है;

(घ) क्या उक्त कम्पनी ने ऋण और जमा राशियां स्वीकार की है और कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अन्य विभिन्न कम्पनियों को ऋणों का अंतरण भी कर दिया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और प्रमुख अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) निदेशक मंडल में निम्नांकित व्यक्ति सम्मिलित है :—

1. श्री मुरलीधर कनोई
2. श्री ओम प्रकाश कनोई
3. श्री हरी कृष्ण कनोई
4. श्रीमती करूणा कनोई

(ख) एक विवरण पत्र संलग्न है । (अनुलग्नक क)

(ग) कम्पनी कार्यविभाग को इस मामले की सूचना नहीं है तथा इस विषय पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) तथा (ङ) : एक विवरण पत्र संलग्न है ? (अनुलग्नक ख)

विवरण 1

30-9-1977 तक बनाई गई वार्षिक विवरणी के अनुसार प्रमुख हिस्सेधारियों के नाम, धारित हिस्सों का मूल्य तथा प्रतिशत निम्न प्रकार है :—

नाम	धारीत हिस्सों का मूल्य	प्रतिशत
1. श्री मुरलीधर कनोई	45,000 रु०	9%
2. श्रीमती करुणा कनोई	45,000 रु०	9%
3. श्री ओम प्रकाश कनोई	35,000 रु०	7%
4. श्री ओ० पी० कनोई	53,000 रु०	10.6%
5. श्रीमती शोभा कनोई	40,000 रु०	8%
6. कुमारी श्रीकांता कनोई	60,000 रु०	12%
7. कुमारी उमाकांता कनोई	60,000 रु०	12%

विवरण-2

31-3-1977 के तुलन-पत्र में प्रकट किये गये कम्पनी द्वारा स्वीकार किये गये ऋण तथा जमा-धन की बाबत ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

	रु०
प्रतिभूत रहित ऋण	
अल्पावधि ऋण	
निदेशकों से	7,16,500
अन्यो से	38,95,314
अन्य ऋण	
निदेशकों से	7,75,154
अन्यों से	5,34,031

313-19-77 के तुलन पत्र में दी गई अपनी रिपोर्ट में लेखा- परीक्षकों ने टिप्पणी की कि कम्पनी स्वीकृत जमा धन की बाबत, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 क तथा कम्पनी (जमा धन की स्वीकारोक्ती) नियम 1975 के उपबन्धो के पालन करने के पग उठा रही है। इस टिप्पणी पर कार्यवाही परीक्षान्तर्गत है। कम्पनी कार्यविभाग के पास आरोपित अनेक अन्य कम्पनियों को अन्तरित ऋणों की बाबत कोई सूचना नहीं है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण के लिए सेल

7132. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जनजातियों के लिये पदों के आरक्षण को सख़्ती से लागू किया जाए, विधि कार्य विभाग में विशेष सेल कार्य करता रहा है ; और

(ख) क्या वर्ष 1977-78 के दौरान इस सेल को कोई शिकायत भेजी गई थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हां ।

(ख) 1977-78 के दौरान सेल में एक शिकायत प्राप्त हुई थी । उस पर उचित रूप से विचार करने के पश्चात् उसे अंतिम रूप से निपटा दिया गया था ।

दीना नगर और अमृतसर के बीच यात्रियों के लिये मासिक सीजन टिकट

7133. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दीना नगर और अमृतसर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों द्वारा मासिक सीजन टिकट जारी करने सम्बन्धी भारी मांग है ;

(ख) क्या यह सच है कि स्टेशन मास्टर, दीना नगर द्वारा यह टिप्पणी किये जाने का समाचार मिला है कि मासिक सीजन टिकट मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक, उत्तर रेलवे की मंजुरी से ही जारी किये जा सकते हैं ;

(ग) क्या पठानकोट–अमृतसर रेलवे सेक्शन ट्रेन ट्रेवलर्ज एसोसियशन, गुरदासपुर ने इस बारे में मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक, उत्तर रेलवे को कोई अभ्यावेदन भेजा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । मुख्य वाणिज्य अधीक्षक भी 80 कि० मी० से आगे मासिक सीजन टिकट जारी करने के प्राधिकार देने के लिए सक्षम नहीं हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) 10-3-1978 को एसोसियेशनों को सूचना दी गयी थी कि वर्तमान नीति के अनुसार, दीना नगर और अमृतसर के बीच, जिसकी दूरी 82 कि० मी० है, मासिक सीजन टिकट जारी नहीं किये जा सकते ।

न्यायाधीशों की सेवा शर्तें सुधारने का प्रस्ताव

7134. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनमानों में वृद्धि करने और उनकी सेवा शर्तों में और सुधार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) : सरकार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनमानों को बढ़ाने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है । इस समय सरकार निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार कर रही है, अर्थात :—

(i) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को आबंटित किरायामुक्त आवास या उसके बदले में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को अनुज्ञेय मकान किराया भत्ते के संबंध में उनको आय-कर के संदाय से छूट देने का प्रस्ताव ;

(ii) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 को इसलिए संशोधित करने का प्रस्ताव जिससे कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को चिकित्सीय आधार पर इस समय मिलने वाली 45 दिन की छुट्टी के स्थान पर 120 दिन की छुट्टी पूरे वेतन सहित लेने की अनुज्ञा दी जा सके ।

भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति ने नवम्बर, 1977 में एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा-निवृत्ति की आयु क्रमशः 62 वर्ष से 65 वर्ष तथा 65 वर्ष से 68 वर्ष कर दी जाए । सरकार ने इस प्रस्ताव पर अभी कोई विचार नहीं किया है ।

वर्गीकृत न किए गये कार्मिक दल के अधिकारी

7135. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में हजारों अधिकारियों का वर्गीकृत न किया गया एक सुदृढ कार्मिक दल है क्योंकि वे अस्थायी अधिकारियों के रूप में भर्ती किये गये थे ;

(ख) क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तीन चरणों में इसके पांच न्यायाधीशों ने निर्णय दिया है कि ये अधिकारी सहायक अधिकारी हैं और उन्हें अपनी-अपनी भरती की तारीखों से वरिष्ठता का हकदार माना जाना चाहिए ; और

(ग) किन आधारों पर उनका मंत्रालय न्यायिक डिक्रियों की अवहेलना करता है और अन्य मंत्रालयों के विपरीत उपरोक्त निर्णयों को लागू नहीं करता है क्योंकि इससे इन अस्थायी अधिकारियों के भविष्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1,089 अस्थायी अधिकारी जो शर्तों में कुछ ढील देकर संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये थे "अवर्गीकृत" थे अर्थात् वे न तो श्रेणी I में और नहीं श्रेणी II में आते हैं क्योंकि उनकी भर्ती अस्थायी पदों के लिए की गयी थी ।

(ख) एक अस्थायी अधिकारी द्वारा दायर की गयी याचिका के सम्बन्ध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में रेल प्रशासन को केवल यह निदेश दिया था कि प्रवर वेतनमान में जिला अधिकारी के पद के लिए स्थानापन्न रिक्ति में नियुक्ति के लिए प्रार्थी के नाम पर रिक्ति होते ही विचार किया जाय । इसका अनुपालन कर लिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Demands of Nagrik Sangharsh Samiti, Gangtok, Sikkim

†7136. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 1056 on 20th February, 1978 regarding memorandum submitted by a Delegation from Sikkim and state:

(a) the details of the demands contained in the Memorandum submitted by the Nagrik Sangharsh Samiti, Gangtok, Sikkim; and

(b) whether Government have since considered these demands and if so, the reaction of Government thereto and if not, the time by which these will be considered by Government?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) A copy of the Memorandum dated the 2nd December, 1977 received from the Nagrik Sangharsh Samiti, Gangtok (Sikkim) is attached. **[Placed in Library. See No. L.T. 2128/78.]**

(b) As the issues contained in the Memorandum have wide implications, some time is likely to be taken by the Government to arrive at decisions thereon. The endeavour of the Government would be to take a decision in the matter well in time before the next elections to the State Legislative Assembly.

Visit of G. M. Western Railway to Veraval

†7137. **Shri Dharmasinh Bhai Patel:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the General Manager, Western Railway visited Veraval Town in Junagarh District of Gujarat; if so, when;

(b) whether the Sorath Chamber of Commerce, Veraval submitted any charter of demands to the General Manager, Western Railway, if so, the details of demands/complaints made therein; and

(c) the action taken in regard to these demands of complaints and if no action has been taken so far, when and what action is proposed to be taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes, Sir. On 28-2-1978.

(b) & (c): The information is being collected and will be laid on the table of the House.

एफ० टी० ए०/प्रशासन को प्राप्त हुये अभ्यावेदन

7138. **श्री रोबिन सेन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 से 1977 तक के दौरान एफ० टी० ए०/प्रशासन, पश्चिम रेलवे को कुल कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए ;

(ख) कुल कितने अभ्यावेदन अन्तिम रूप से निपटा दिय गय और कुल कितने अभ्यावेदन अभी तक अनिर्णित पड़े हुए हैं ;

(ग) इस अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) कर्मचारियों के इन अभ्यावेदनों को शीघ्र निपटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाय गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) 67

(ख) निर्णित 59
अनिर्णित 8

(ग) अनिर्णित अभ्यावेदन बहुत पुराने नहीं हैं और अधिक विलम्ब नहीं हुआ है। इन्हें अन्तिम रुप दिया जा रहा है।

(घ) कर्मचारियों के अभ्यावेदनों को शीघ्र निपटाने का आदेश है। इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को की गई शिकायतें

7139. **श्री डी० वी० चन्द्र गौडा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन व्यापारियों द्वारा कुछ मामले ध्यान में लाये गये हैं। जिन्होंने गत दो वर्षों के अनुचित और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया के संबंध में निर्माताओं के विरुद्ध एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को शिकायतें की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा आयोग ने प्रत्येक मामले में क्या निर्णय किया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) एक विवरण पत्र संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—2129/78]

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

7140. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड बम्बई द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए की गई विभिन्न अनियमितताओं की ओर दिलाया गया है ;

(ख) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) इस कम्पनी के निदेशक-बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं और प्रमुख शेयरधारी कौन-कौन हैं तथा प्रत्येक के पास कितने प्रतिशत तथा कितने मूल्य के शेयर हैं ; और

(घ) क्या यह आरोप लगाया गया है कि इस कम्पनी ने अधिकारियों की उचित तरीके से कोई अनुमति लिये बगैर ही विभिन्न स्रोतों से जमा राशियां प्राप्त की हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) : 1. सरकार का ध्यान 26 सितम्बर, 1976 के "न्यू ऐज" में कम्पनी द्वारा की गई अनियमितताओं के आरोपों के सम्बन्ध में प्रकाशित लेख की ओर आकृष्ट किया गया था। निम्नलिखित मुख्य आरोप हैं :—

(क) 31-12-74 और 31-12-75 को समाप्त हुए वर्षों के लिए कम्पनी के लाभ और हानि लेखाओं में सूचित किये गये आंकड़ों में विसंगति थी।

(ख) डुबे और संदेहास्पद ऋणों के उपबन्धों में विसंगति थी।

(ग) बन्द किये गये स्टाक में विसंगति।

(घ) लाइसेन्स क्षमता और अनुमति दिये उदार वादी कारण से अधिक उत्पादन।

(ङ) बगैर ब्याज की अदायगी के वितरकों से अग्रिम आरक्षित एकत्र करना तथा कथित धन को तुलन पत्र में प्रगट किये और काम में लेना।

(च) व्यापार की भारी योजनाओं का चलाना और छिपा धन कमाना ।

(छ) बगैर लाइसेन्स के होटलों के रूप में अतिथि गृहों को चलाना ।

(ज) कम्पनी ने अपनी विदेशी सभ्यता धारण की जो 85 प्रतिशत है कम नहीं किया है ये मसले कम्पनी के साथ उठाए गये थे जिसमें स्थिति का सन्तोष जनक स्पष्टीकरण दिया है ।

2. इसके अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत इस कम्पनी की लेखा बहियों आदि के निरीक्षण के दौरान निरीक्षण अधिकारी द्वारा 1974 में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई थी :—

(1) कम्पनी (शेयर प्रमाण-पत्रों का प्रेषक) नियम 1960 के साथ पठित धारा 150 के उपबन्धों का पालन न करना ।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 297, 299/301 के उपबन्धों (कम्पनी द्वारा किये गये निर्देशक के हित में अनुबन्ध) का पालन न करना ।

(3) कार्यवृत्त पुस्तकों के रखरखाव के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 193 के उपबन्धों का पालन करना ।

(4) प्राधिकृत पूंजी के अधीन विवरण के लेखे की अनुसूची 6 के साथ पठित धारा 211 का पालन न करना ।

3. मद (2) विधि विभाग के परामर्श के साथ परीक्षान्तर्गत है । शेष मदों को कम्पनी द्वारा दोषों को ठीक करने के पश्चात् समाप्त कर दिया गया है ।

(ग) बोर्ड के निदेशकों के नाम	शेयर धारण का मूल्य (रु० में)	प्रतिशत
1. श्री टी० थामस (अध्यक्ष) . . .	..	..
2. श्री इ० एच० शिमिन (उपाध्यक्ष) .	..	..
3. श्री आर० बनर्जी	3,000	0.0015
4. श्री एच० सी० बीजावत . . .	5,000	0.0025
5. श्री जे० सी० चोपड़ा . . .	5,000	0.0025
6. श्री एस० एम० दत्ता . . .	6,000	0.0029
7. श्री ए० एस० गुप्ता . . .	7,500	0.0037
8. श्री एस० एच० गुरसाहनी . . .	2,000	0.00098
9. श्री जे० पी० लुस्टी	..	..
10. श्री जे० एस० राज	..	..

(ग) बोर्ड के निर्देशकों के नाम	शेयर धारण का मूल्य (रु० में)	प्रतिशत
प्रधान शेयर धारी (शेयर धारण करने वाले जिनका मूल्य 1 लाख रु० से अधिक है)		
1. यूनि लीवर लिमिटेड, यू०के०	14,33,48,500	70.39
2. लाइफ इन्शोरेन्स कारपोरेशन . .	16,67,530	0.82
3. यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया . .	40,82,640	2.00
4. जनरल इन्शोरेन्स कापोरेशन	2,25,930	0.4
5. बैंक आफ इन्डिया . . .	1,80,210	0.9
6. दी कलकत्ता होस एण्ड नर होम बेनिफिटस ऐसोसियेशन लिमिटेड	1,69,510	0.83
7. इन्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमेन्ट ट्रस्ट लिमिटेड . .	3,61,180	0.18
8. ओरियन्टल फायर एन्ड जनरल इन्शोरन्स कम्पनी लिमिटेड	10,35,660	0.57
9. यूनाइटेड इन्डिया फायर एन्ड जनरल इन्शोरेंस कम्पनी लि०	7,95,590	0.39
10. न्यू इन्डिया एन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड .	8,94,890	0.44
11. नेशनल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड . .	3,26,550	0.16
12. रुबी जनरल इन्शोरन्स कम्पनी लिमिटेड .	1,59,270	0.78
13. नेशनल एंन्सोरेन्स कम्पनी लिमिटेड . .	1,23,460	0.061

(घ) तथा (ङ) : यह आरोप लगाया गया था कि कम्पनी में वितरकों से आरक्षित अग्रिम के रूप में ब्याज मुक्त भारी राशि एकत्र की थी और यह तुलना पत्र में प्रगट नहीं की गई थी। यह मामला कम्पनी के साथ उठाया गया इस सम्बन्ध में कम्पनी ने स्पष्टीकरण दिया कि कम्पनी में पुनः वितरन स्टाकिस्टों को सामग्री का व्यापार यथावत रखने तथा विपरीत अनुभव के कारण, कम्पनी ने, चैको के मामले में, यह निर्णय किया गया कि वितरक स्टाकिस्ट से डूबी हुई रकम के हिस्से के भाग को आर्थिक रूप से सामग्री के मूल्य से, जो उनको यथावत बेचा तथा दिया जा रहा है से लिया जाए। कम्पनी ने स्पष्टीकरण दिया कि इस प्रकार अग्रिम लेकर डूबे ऋण को पूरा करना विवेक पूर्ण व्यापार प्रथा है और किसी भी सामग्री के पूर्ति कर्ता को ऋण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। या सामग्री की आपूर्ति पर अन्य था तब नगद भुगतान पर साथ साथ खरीद कर्ताओं को सामग्री देने के साथ बाध्य किया जा सकता यह स्पष्टीकरण किया गया कि चूंकि ये वितरक स्टाकिस्टों को लगातार आपूर्ति किये जाने वाली सामग्री के मूल्य के लिए आरक्षित अग्रिम की प्रकृति के थे इसलिए ब्याज की अदायगी का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। कम्पनी प्रतिस्पर्धा की किसी भी समय पर बेची गई सामग्री का मूल्य वितरक स्टाकिस्टों सहित जिसमें कम्पनी ने पहिले ही स्वामित्वता उनको हस्तांतरित कर ही थी वह उनके ऋण के रूप में अग्रिम आरक्षित की अपेक्षा अधिक थी कम्पनी ने यह भी कहा है कि यह सत्य नहीं था कि ये अग्रिम तुलन पत्र में प्रगट नहीं किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में यह दिखलाई देता है कि निम्नलिखित राशियां "आरक्षित", "अग्रिमों" के शीर्ष के अन्तर्गत कम्पनी के तुलना पत्र में उल्लिखित की गई है।

वित्तीय वर्ष	आरक्षित अग्रिम (लाख रु० में)
31-12-1974	24,37
31-12-1975	188,54
31-12-1976	270,73
31-12-1977	300,29

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार थे जमाओं को स्वीकार करने के लिए सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

Development of Mansai Station

†7141. **Shri Yuvraj:** Will the Minister of **Raliways** be pleased to state:

(a) whether there are suitable arrangements for the developments of Mansai, Mahimapur and Tejnarainpur stations in Katihar Division of North-Eastern Border Railways;

(b) whether all the said crossing stations were 'B' class stations but now these have been converted into 'D' class stations; and

(c) if so, the time by which arrangements will be made for installing signals, taking back fourth class employees, providing crossing facilities for trains and for converting the said stations into 'B' class again?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c): After the opening of Broad Gauge line via Farakka and Kumedpur, the number of trains running on Katihar—Maniharighat were considerably reduced and there was no justification to retain these 3 stations as 'B' class line clear stations. As such, in the year 1969, Manshahi was converted into 'D' class station and Mahiarpur and Tejnarayanpur into DK class stations retaining all the passenger amenities and other facilities at these stations. Class IV staff have been posted at these stations according to the work load. There is no justification or necessity to convert these stations back into 'B' Class stations.

भुवनेश्वर से बम्बई तक एक्सप्रेस रेल गाड़ी चलाने सम्बन्धी प्रस्ताव

7142. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि क्या भुवनेश्वर से बम्बई बरास्ता हैदराबाद और भुवनेश्वर से दिल्ली बरास्ता खड़गपुर, आसनसोल, मुगलसराय, इलाहाबाद एक्सप्रेस रेल गाड़ी चलाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : निकट भविष्य में, भुवनेश्वर तथा सिकन्दराबाद और सिकन्दराबाद तथा बम्बई के बीच सीधी गाड़ियां चलाने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । आसनसोल के रास्ते भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच एक गाड़ी चलाने के प्रस्ताव की भी जांच की जा रही है ।

कर्नाटक में बड़ी लाइनों का निर्माण

7143. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई बड़ी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये कर्नाटक सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजे गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या कुछ अधूरी परियोजनायें छठी या पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) कर्नाटक राज्य सरकार गुन्तकल्लु-बेंगलूर लाइन के आमान परिवर्तन के काम को जल्दी पूरा करने और मैसूर-बेंगलूर मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम शुरू करने के लिए जोर डाल रही है ।

(ख) और (ग) : गुन्तकल्लु-बेंगलूर लाइन के आमान परिवर्तन का काम चल रहा है और 48 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है । लगभग 24 करोड़ रुपये की कुल लागत में से मार्च, 1977 के अन्त तक इस परियोजना पर 11.3 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं । चालू वर्ष के बजट में इस परियोजना के लिए 2.06 करोड़ रुपये का व्यवस्था की गयी है । इस परियोजना के 1983 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है, बशर्ते कि अगले वर्ष और उसके बाद के वर्षों में इसके लिय पर्याप्त धन उपलब्ध हो ।

रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व लडाकू सैनिकों का अभ्यावेदन

7144. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-मध्य रेलवे, सिकन्दराबाद के रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व लड़ाकू सैनिकों का 12 जनवरी, 1978 का एक अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा शीघ्र ही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) तथा (ख) : दक्षिण मध्य-रेलवे के वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा परीक्षक के कार्यालय, सिकन्दराबाद में कार्यरत एक लिपिक द्वारा भेजा गया 20-1-78 का एक अभ्यावेदन महाप्रबंधक को प्राप्त हुआ है और उसे प्रतिरक्षा विभाग के प्राधिकारियों को भेजा गया है । उत्तर प्राप्त होने पर इस संबंधी आगे की कार्रवाई की जायेगी ।

अचलदा स्टेशन पर माल की बुकिंग आदि से प्राप्त आय

7145. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के इलाहाबाद रेलवे डिवीजन में अचलदा स्टेशन पर वर्ष 1967-68 से 1977-78 तक वर्षवार माल की बुकिंग आदि से कितनी आय हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : वर्ष 1969-70 से वर्ष 1977-78 तक अछल्दा रेलवे स्टेशन पर माल यातायात से उपार्जित राजस्व का वर्षवार विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	रकम (रुपये)
1969-70	3,38,213
1970-71	4,59,631
1971-72	3,43,463
1972-73	4,79,522
1973-74	6,07,354
1974-75	4,73,751
1975-76	12,25,492
1976-77	15,88,158
1977-78	11,37,567

वर्ष 1967-68 और वर्ष 1968-69 से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

उरान, बम्बई एक उर्वरक संयंत्र

7146. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उरान, बम्बई में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : मैसर्स दीपक निट्राइट लि० को 255 मी० टन प्रतिदिन अमोनिया के निर्माण के लिए महाराष्ट्र में उरान के नजदीक गैस पर आधारित एक छोटे आकार के एक संयंत्र स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्ताव को निम्नलिखित कारणों से पहले ही अस्वीकार किया गया था ।

(i) बम्बई क्षेत्र में गैस पर आधारित 1,350 मी० टन प्रतिदिन की क्षमता वाले नियोजित किय जा रहे संयंत्र की तुलना में 235 मी० टन प्रतिदिन की क्षमता वाला संयंत्र अलाभकर है ।

(ii) बम्बई हाई से उपलब्ध सम्बद्ध गैस के उपयोग के लिए सरकार ने पहले ही अपने कार्यक्रम तैयार किये हुए है तथा सम्बद्ध गैस का उपयोग में लाने के लिए ही इस प्रस्ताव को स्वीकृति देना आवश्यक नहीं है ।

(iii) प्रार्थी का अमोनिया के लिए कोई स्पष्ट विपणन कार्यक्रम नहीं है । कम्पनी ने अस्वीकृति के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है । यह अभ्यावेदन विचाराधीन है ।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पास सरकारी निवास

7147. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं ;

(ख) उनमें से कितनों को उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन किराया-मुक्त सरकारी निवास दिये गये हैं ; और

(ग) चण्डीगढ़ प्रशासन ने ऐसे न्यायाधीशों को, जिनके पास अभी तक सरकारी निवास नहीं हैं, किराया-मुक्त सरकारी निवास देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय मे मुख्य न्यायाधिपति सहित उन्नीस न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं ।

(ख) मुख्य न्यायाधिपति सहित सत्रह न्यायाधीशों को किराया-मुक्त निवास दिए गए हैं ।

(ग) दो न्यायाधीशों को जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं, स्थानान्तरित हो कर आए हैं, किराया-मुक्त निवास दिया जाना बाकी है । चण्डीगढ़ प्रशासन के अनुसार प्रशासन उपयुक्त मकानों की खोज कर रहा है और आशा की जाती है कि बाकी बचे दोनों न्यायाधीशों को शीघ्र ही किराया-मुक्त निवास दे दिए जाएंगे ।

माल और पार्सल चढ़ाने-उतारने सम्बन्धी ठेके देने के लिए करार करने हेतु मंडलीय अधीक्षक की धन संबंधी सीमाएं

7148. **श्री बटेश्वर हेमराम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे के मण्डलीय अधीक्षक श्रम सहकारी समितियों/ठेकेदारों के साथ कितने मूल्य तक के माल और पार्सल चढ़ाने-उतारने सम्बन्धी ठेके करारों के बारे में बातचीत कर सकते हैं या ऐसे करार कर सकते हैं ;

(ख) इलाहाबाद में इस समय कितने मूल्य के पार्सलों को प्रतिवर्ष लादा-उतारा जाता है ;

(ग) क्या इलाहाबाद में पार्सल लादने-उतारने के बारे में ठेके देने के लिए सम्बद्ध मण्डलीय अधीक्षक सक्षम है या यह अधिकार मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक के पास है ; और

(घ) इलाहाबाद में नये ठेका देने के बारे में निर्णय करने में क्या कठिनाई है क्योंकि माल-ठेका पहले ही 31 जुलाई 1977 को समाप्त हो चुका है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर रेलवे के मण्डल अधीक्षक श्रम सहकारी समितियों/ठेकेदारों के साथ नीचे दिये गये मूल्यों की सीमा तक के माल और पार्सल यातायात की सम्हलाई सम्बन्धी ठेका करारों के बारे में सक्षम हैं और ऐसे करार निष्पादित कर सकते हैं :--

उत्तर रेलवे	. 10 लाख रु० प्रति वर्ष तक
पूर्व रेलवे	. 5 लाख रु० प्रति वर्ष के लिए
पूर्वोत्तर रेलव	. . 10 लाख रु० प्रत्येक मामले में

(ख) 2,54,100 रुपये प्रति वर्ष ।

(ग) इलाहाबाद का पार्सल सम्हलाई ठेका, मण्डल अधीक्षक इलाहाबाद के सक्षमता के अंतर्गत है ।

(घ) इसकी जांच की जा रही है । इस बीच वर्तमान समितियों को कार्य जारी रखने की अनुमति दे दी है ।

Violation of Rules by Certain Companies

7149. **Shri Hukmdeo Narayan Yadav:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to lay a statement showing:

(a) the initial capital, the capital in 1977 and the capital of banks in respect of the following companies:—

(1) Mahavir Rice Mills, Darbhanga (Bihar)

(2) Gaurishankar Badrinarain, Sakari (Bihar)

(3) Vinay Krishan Agrawal and Company, Dharbhanga (Bihar)

(3) Shivnandan Agrawal and Company, Darbhanga (Bihar)

(5) Matadin and Company, Darbhanga (Bihar)

(6) Moti Market, Darbhanga (Bihar); and

(7) Radhakrishan Kajariwal and Company, Darbhanga (Bihar); and

(b) whether charges of violation of the provisions of the companies Act by these companies were proved and whether Government propose to conduct investigation in this regard and if not, the reasons therefor?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) None of the seven firms mentioned in the Question is registered as a company under the Companies Act, 1956. The information relating to the initial capital, the capital in 1977 and the capital of banks in respect of these names is therefore not available.

(b) Since none of the firms mentioned in Part (a) is registered as a company under the Companies Act, they do not come within the purview of that Act.

Dacoities Committed on Samastipur Division

†7150. **Shri Surendra Jha Suman:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that two train dacoities were committed in the jurisdiction of Samastipur Division on North Eastern Railway during the period from 14th to 18th February, 1978; and

(b) if so, the details thereof and the safety measures being taken by the Department to check such incidents?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No case of train dacoity has been reported in the jurisdiction of Samastipur Division of North Eastern Railway during the period from 14th to 18th February, 1978.

(b) Does not arise.

रास्ते में पड़ने वाले (वेसाइड) रेलवे स्टेशनों पर बुकिंग

7151. **श्री सूरज भान :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि रास्ते में पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों की बुकिंग खिड़की प्रायः समय पर नहीं खुलती है ताकि यात्री असुविधा के बिना टिकट खरीद सकें और कभी कभी वे रेलगाड़ी के अन्तिम स्टेशन पर छोड़ने के बाद खोली जाती है और इससे अत्यन्त परेशानी होती है ; और

(ख) रेलवे यात्रियों को, जो सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : बुकिंग खिड़कियों के समय पर न खुलने के बारे में रेल प्रशासनों को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इस आशय के अनुदेश पहले से ही हैं कि बुकिंग खिड़कियां गाड़ी के पहुंचने से कम से कम एक घंटा पहले और होने वाले यातायात को देखते हुए जैसा आवश्यकता हो इससे भी अधिक समय पहले खोली जायें ।

निरीक्षण कर्मचारियों द्वारा बारम्बार जांच की जाती है और दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

Synthetic and Chemical Limited, Bareilly

7152. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the year in which the Synthetic and Chemical Limited, Bareilly stationed its representative in Lucknow and the monthly expenditure incurred on the representative and his assistants under the various heads; and

(b) the monthly amount spent by the representatives stationed in Lucknow from 1974 to 1977 and the details thereof?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) and (b) : The Department of Company Affairs have no information in the matter as the Companies Act, 1956 does not contain any provision under which the company is required to furnish any statement containing such information to the Government.

निरोध संबंधी विधि को अभिनिषिद्ध करने के लिए संविधान के संशोधन का प्रस्ताव

7153. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने सरकार से अनुरोध किया है कि विचारण किए बिना निरोध को अभिनिषिद्ध करने के लिए संविधान का संशोधन किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने सरकार से अनरोध किया है कि वास्तविक आपात स्थिति को छोड़कर, भारत के नागरिकों के, विचारण किए बिना निरोध को अभिनिषिद्ध करने के लिए संविधान का उपयुक्त रूप में संशोधन किया जाए ।

(ख) सरकार संविधान के संशोधन के लिए प्रस्तावों को अन्तिम रूप देते समय उक्त सुझाव पर यथोचित विचार करेगा ।

तारकुंडे समिति की सिफारिशें

7154. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारकुंडे समिति की विभिन्न सिफारिशों पर कोई विनिश्चय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) सरकार तारकुंडे समिति की सिफारिशों पर निर्वाचन सुधार संबंधी अन्य प्रस्तावों के साथ विचार कर रही है । अभी तक उन पर कोई विनिश्चय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Group III Railway Employees

†7155. **Shri Ram Charan**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of group III Railway employees of the Central Railways whose pre-1971 representations have been lying undecided;

(b) the reasons for not taking any decision thereon; and

(c) when decisions are likely to be taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c): The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Proposal to Facilitate Divorce

†7156. **Shri S. S. Somani**: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Ministry has under consideration any proposal to facilitate divorce;

(b) whether divorce is deemed to have taken place automatically when the husband and wife live separately for 5 years without intimating the court and do not enter into correspondence with each other and also do not approach the court for maintenance allowance; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) Government is considering the question whether irretrievable breakdown of marriage should be introduced as a ground for divorce in the Hindu Marriage Act, 1955. Government has no other proposal under its consideration to "facilitate divorce".

(b) No, Sir.

(c) Mere living apart of husband and wife for a specified period as a ground for divorce may not prove acceptable in the present social conditions in India.

Agency of Vendors cancelled

7157. **Shri Ramji Lal Suman:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether an agency of two vendors on commission basis was cancelled without any reasons at Mathura Jn. on 20th February, 1978; and

(b) whether Government are aware that there is no justification of this cancellation and the checking was improper?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b): Five commission vendors of departmental catering unit at Mathura Jn. were suspended on 21-2-78. During the course of a surprise check conducted by Vigilance Inspectors at Mathura Jn. station on 21-8-77 certain unauthorised vendors were found selling Petha and Pedha, etc. at this station. While the inspectors were recording evidence of the unauthorised vendors, these five commission vendors misbehaved and threatened the Vigilance Inspectors and obstructed their inquiry. The Vigilance Inspectors are authorised to check the working of catering establishments. These vendors were suspended for the lapses.

नागालैंड और कुछ अन्य राज्यों के विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र

7158. **श्री के० बी० छेत्री** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैण्ड, मघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) राज्यवार निर्वाचन-क्षेत्रों के नाम क्या हैं और प्रत्येक निर्वाचनक्षेत्र में निर्वाचकों की कुल संख्या क्या है ; और

(ग) राज्यों में विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों के सीमांकन के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण सदन के पटल पर रख दिए गए हैं । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—2130/78]**

(ग) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के सीमांकन के लिए मानदण्डों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 170 में और संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963, परिसीमन अधिनियम, 1972 और दि रिप्रेजेन्टेशन आफ सिक्किम सब्जेक्ट्स ऐक्ट, 1974 के सुसंगत उपबंधों में किया गया है ।

इलाहाबाद आदि डिवीजनों में रेल कर्मचारियों की संख्या

7159. **श्री शिव सम्पत्ति राम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के वर्कशाप, निर्माण तथा रेल विद्युतीकरण विभागों सहित इलाहाबाद, बीकानेर, दिल्ली, फिरोजपुर, जोधपुर तथा मुरादाबाद डिवीजनों में वर्ष 1972 में तथा 31 दिसम्बर, 1977 तक विभिन्न श्रेणियों में रेल कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ख) उत्तर रेलवे के सभी डिवीजनों विभिन्न श्रेणियों के उन कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जो प्रति वर्ष भर्ती किये गये अथवा पदोन्नत किये गये तथा उनमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को तथा अन्य लोगों की कुल संख्या कितनी है (अनसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों की सूची दी जाये); और

(ग) उत्तर रेलवे के प्रश्न के भाग (क) में बताये गये डिवीजनों के सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती तथा पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिये निर्धारित आरक्षित स्थानों में कम भरे गये स्थानों को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आरक्षित पदों पर नियुक्तियां और प्रोन्नतियां

7160. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय, उससे सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में तथा यदि कोई पब्लिक सेक्टर उपक्रम हो तो उनमें गत एक वर्ष में प्रत्येक श्रेणी के पदों में कुल कितने पद भरे गये और ऐसी नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का कितना निश्चित अंश है और प्रत्येक श्रेणी में जितने पदों का आरक्षण समाप्त किया गया, उनकी संख्या कितनी है और उसके क्या कारण हैं, और

(ख) प्रत्येक श्रेणी के पदों में कुल कितनी विभागीय प्रोन्नतियां की गई अथवा कितने पदों का दर्जा बढ़ाया गया और इनमें से कितने पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्राप्त हुए ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) : (क) (i) **भरे गए पदों की संख्या**

ग्रुप	भरे गए पदों की कुल संख्या	अ०जा०	अ०ज०जा०
क	58	7	2
ख	73	8	4
ग	175	32	13
घ	12	6	..

(ii) ऐसे पदों की संख्या जिनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया

ग्रुप	अ० जा०	अ०ज०जा०	कारण
क	1	1	आरक्षित समुदायों में से कोई उपयुक्त अभ्यर्थी
ख	3	3	नहीं मिला ।
ग	1	2	
घ	..	..	

(ख) (i) विभागीय प्रोन्नति की कुल संख्या

ग्रुप	कुल	अ० जा०	अ० ज० जा०
क	14	..	..
ख	43	5	3
ग	92	14	9
घ	12	5	..

(ii) ऐसे पदों की कुल संख्या जिनका दर्जा बढ़ा दिया गया

ग्रुप	कुल	अ०जा०	अ०ज०जा०
क	..	..	..
ख	2	..	..
ग	..	..	..
घ	..	..	..

कुकिंग गैस के कम्पनीवार दिये गये कनेक्शन

7161 **श्री वसन्त साठे :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1978 तक कम्पनीवार कुल कितने गैस सिलेंडर (कुकिंग गैस) जारी किये गये और जमानत जमा के रूप में कुल कितनी राशि वसूल की गयी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : यथा उपलब्ध अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :--

तेल उद्योग का नाम	उपभोक्ताओं को दिये गये सिलेण्डरों की कुल संख्या	प्रतिभूति जमा धनराशि के रूप में इकट्ठी की गई कुल राशि
1	2	3
1. इंडियन आयल कार्पो० लिमि० (31-12-1977 की यथास्थिति के अनुसार)	लगभग 15 लाख	लगभग 22 करोड़ रु०
2. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लिमि० (31-12-1977 की यथास्थिति के अनुसार)	लगभग 6 लाख	लगभग 5.9 करोड़ रुपये
3. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि० (1-3-1978 की यथास्थिति के अनुसार)	लगभग 5.4 लाख	लगभग 5.8 करोड़ रुपये
4. कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लि० (31-3-1978 की यथास्थिति के अनुसार)	लगभग 7 हजार	लगभग 20 लाख रुपये

वर्ष 1976 में कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लि० को अधिग्रहण से पूर्व कालगैस के उपभोक्ताओं को जो सिलेण्डर दिये गये थे, उनके मालिक उस कम्पनी के वितरक/अनुदानग्राही है और उन्हें ऊपर इस कम्पनी के सामने दर्शाये गये आंकड़े में शामिल नहीं किया गया है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तनजानिया में तेल की खोज का काम बन्द करना

7162 **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तनजानिया में तेल की खोज का कार्य बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तनजानिया में कोई तेल की खोज का काम नहीं लिया है। इसका तनजानिया पेट्रोलियम डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन के साथ केवल एक व्यधन कार्य के लिए ठेका है जो अब भी प्रभावी है।

रेलवे जंक्शनों पर कारों के प्रवेश पर शुल्क

7163. **पंडित द्वारिका नाथ तिवारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे जंक्शन स्टेशनों पर कारों के प्रवेश पर कोई शुल्क लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो शुल्क की राशि कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो जब कोई कार पटना जंक्शन पर स्टेशन यार्ड में प्रवेश करती है तो वहां परप्रति कार एक रुपया शुल्क के रूप में लिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) मुख्य मुख्य स्टेशनों पर जहां कारों आदि के ठहरने के लिए अलग से स्थान की व्यवस्था की गयी है, प्राइवेट कारों के स्टेशन सीमा में ठहरने पर वाहन शुल्क लिया जाता है।

(ख) और (ग) : स्टेशन के महत्व के अनुसार प्रतिकार 50 पैसे से लेकर एक रुपया तक वाहन शुल्क लिया जाता है। पटना जंक्शन स्टेशन पर प्राइवेट कारों पर लगने वाला शुल्क प्रतिकार एक रुपया निर्धारित किया गया है ।

वर्कशाप का जामनगर से हापा ले जाया जाना

7164 **श्री विनोदभाई बी० शेठ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम रेलवे में जामनगर स्थित वर्कशाप को हापा ले जाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों को आवास, पानी तथा परिवहन आदि की क्या सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) वीरमगाम-ओखा-पोरन्दर मीटर आमान खण्ड का बड़ी लाइन में परिवर्तन हो जाने पर जामनगर मीटर आमान खण्ड पर नहीं रहेगा। अतः उस समय जामनगर वर्कशाप का स्ट्रक्चर और उपस्कर हापा में अन्तरित कर दिया जायेगा और उसका उपयोग बड़ी लाइन के मालडिब्बों की मरम्मत के लिए किया जायेगा ।

(ख) हापा जामनगर से लगभग 5 कि० मी० की दूरी पर है। हापा मीटर आमान यार्ड में काम करने वाले कर्मचारी जामनगर में रहते हैं और निजी वाहनों तथा उपलब्ध यातायात के साधनों द्वारा हापा में काम करने आते हैं। जामनगर में रहने वाले कर्मचारियों को जामनगर वर्कशाप के हापा में अन्तरण के फलस्वरूप अपना निवास स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए किसी विशेष प्रकार की सुविधा जैसे मकान, पानी अथवा यातायात की व्यवस्था करने की आवश्कता नहीं पड़ेगी।

पैराफीन मोम का आयात और उसे राज्यों में वितरित करने का मानदण्ड

7165. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पैराफीन मोम का कितनी मात्रा में आयात किया गया ;

(ख) उस एजेंसी का नाम क्या है जिसके माध्यम से उसका आयात किया जाता है ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारत में कितनी मात्रा में पैराफीन मोम का निर्माण किया गया ;

(घ) लघु उद्योगों के उपयोग के लिए इसका राज्यों में वितरण करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है ; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान गुजरात सरकार को उसकी मांग की तुलना में कितनी मात्रा में सप्लाई की गई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : पैराफिन मोम की स्वदेशी उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से 1977-78 की आयात नीति में संशोधन करके पहली बार यह व्यवस्था की गई है कि वास्तविक उपभोक्ता मैसर्स बामर लारी एण्ड कं० लि० कलकत्ता जो इस मंत्रालय के अधीन एक सरकारी कम्पनी है के द्वारा पैराफिन मोम का आयात कर सकते हैं। 1977-78 के दौरान वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा इस कम्पनी के पास करीब 2,600 मी० टन पैराफिन मोम के आयात के लिए आर्डर रजिस्टर किये गये थे। इसमें से 1,713.5 मि० टन की माल का मार्च, 1977-78 के मध्य तक आयात किया गया था। पक्के पंजीकरण के आधार पर मैसर्स बामर लारी एण्ड कम्पनी ने 1,050 मि० टन पैराफिन मोम की और मात्रा के लिये आर्डर दिये हैं।

(ग) असम तेल कम्पनी की दिगबोई शोधनशाला देश में पैराफिन मोम के उत्पादन के लिये प्रमुख स्रोत है। 1976 तथा 1977 के वर्षों में इस शोधनशाला में पैराफिन मोम का उत्पादन निम्न-प्रकार था :--

1976	43,000 मि० टन
1977	41,780 मि० टन

(घ) विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को पैराफिन मोम का वार्षिक वर्ष विशेष में अनुमानित उपलब्धता और प्रत्येक राज्य द्वारा गत वर्ष में उठाये गये मोम के आधार पर किया जाता है।

पैराफिन वैक्स (सप्लाई वितरण और मूल्य निर्धारण) आदेश के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य संघ शासित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकरण को इस मंत्रालय द्वारा आबंटन किये जाने वाले पैराफिन वैक्स में से अपने अधिभार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले वास्तविक उपभोक्ताओं को पैराफिन वैक्स का आबंटन करने के लिये सक्षम है चाहे ये उपभोक्ता वृहद्, मध्यम अथवा लघु उद्योग क्षेत्र में क्यों न आते हों।

देशीय पैराफिन वैक्स के आबंटन के मामले में वर्तमान लघु उद्योग एककों के हितों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से विकास आयुक्त (लघु स्तर उद्योग) उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 5 नवम्बर, 1977 के अपने परिपत्र में राज्यों संघ शासित क्षेत्र के सभी उद्योग निदेशकों से कहा था कि देशी पैराफिन वैक्स के वितरण में लघु क्षेत्र एककों को प्राथमिकता दें और बड़े उद्योग एककों को आदेश दें कि आयातित स्रोतों से अपनी आवश्यकतायें पूरी करें।

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में जिनको वैक्स का आबंटन किया गया है, उनके द्वारा देशी पैराफिन मोम का उठान निम्न प्रकार है :--

1976 . .	796 मी० टन
1977 . .	1,135 मी० टन

Hawkers in A. H. Wheeler & Co.

7166. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of hawkers working on contract basis in A. H. Wheeler and Company at various railway stations; and

(b) their service conditions and the measures taken for security of their service?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) 962.

(b) M/s. A. H. Wheeler and Company manage their bookstalls at railway stations through their Agents and the hawkers are engaged by these Agents. The service conditions of the hawkers and the security of their service etc. do not come under the purview of Railways. It has, however, been provided in the agreements with the Railways that M/s. A. H. Wheeler & Co. will pay fair wages to their workmen. M/s. A. H. Wheeler & Co. have reported that the conditions of engagement of hawkers at each station are settled between the individual agent and the hawkers and that the hawkers are removed only in cases of misconduct or embezzlement.

बम्बई और सूरत के बीच सुपरफास्ट गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव

7167. **श्री हितेन्द्र देसाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और सूरत के बीच सुपरफास्ट गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह गाड़ी कब से चलाई जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भागलपुर महादेवपुर—भीपुर स्टीमर रेल सेवा

7168. **डा० रामजी सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि भागलपुर महादेवपुर-भीपुर-स्टीमर रेल सेवा लाइनों पर एक गैर-सरकारी नौका भी है;

(ख) क्या यह सच है कि गैर सरकारी नौका केवल 50 पैसे लेती है जबकि स्टीमर में 1 रुपया 40 पैसे लगते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार रेल सेवा को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये इस असमानता को दूर करेंगी;

(घ) क्या यह सच है कि गैर सरकारी कम्पनी रात्रि में भी सेवा उपलब्ध कराती है और अपने स्टीमर को रेलवे के स्टीमर के निकट ही खड़ा करती है और नियमों का उल्लंघन करके यात्रियों को अपने स्टीमर की ओर आकर्षित करती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) रेल प्राशासन द्वारा निर्धारित धाट उतराई प्रभारों में ऊपरी खर्च जैसे धाट का अनुरक्षण नदी की धारा को नाव-वहन के लिए बनाए रखना, कीमती सहायक उपस्कर आदि सम्मिलित हैं । अतः प्रभारों में कमी करना सम्भव नहीं है इससे धाट उतराई के संचलन में रेल प्रशासन द्वारा पहले से ही उठाई गयी अत्यधिक हानि में वृद्धि हो जायगी ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) रेल प्रशासन ने इस मामले के सम्बन्ध में राज य सरकार से कहा है कि गैर-सरकारी धाट उतराई चालकों को रेलवे धाटों से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थानान्तरित कर दे ।

Fertilizer Factory in Rajasthan

7169. **Shri Jagdish Prasad Mathur:** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Government propose to formulate any scheme to set up rock phosphate and pyrites—based fertilizer factory in Rajasthan State; and

(b) whether any survey has been conducted in respect of manufacturing fertilizers out of the said minerals and if so, the results achieved in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilisers (Shri Janeshwar Mishra): (a) and (b) : Rock-phosphate mined from Jhamarkotra has been found suitable for manufacture of phosphatic fertilizers and is being used by the fertilizer units in the country. The suitability of Saladipura Pyrites for manufacture of fertilizers has not yet been established. Steps are being taken for making the necessary techno-economic feasibility studies for exploring the possibility of setting up a fertilizer plant in Rajasthan based on Jhamarkotra rock phosphate.

डी० बी० के० रेलवे लाइन पर गाड़ियों का देरी से चलना

7170. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण पूर्व रेलवे की डी०बी०के० रेलवे लाइन पर गाड़ियां काफी समय से प्रतिदिन देरी से चलती हैं;

(ख) क्या लम्बी समयावलि के साथ यात्री गाड़ियों को डीजल चालित इंजनों के साथ चलाया जाना है;

(ग) क्या रेल अधिकारियों ने जेपोर, कोरापुट आदि महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों को रेल यात्रियों की सुविधा के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 के साथ जोड़ने वाली सड़कों को सुधारने के लिये कोई उपाय किये हैं; और

(घ) नगरों से दूर इन लम्बी लाइनों के यात्रियों के लाभ के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1 डब्ल्यू० के० /2 डब्लू०के०, वाल्तेयर-किरण्डुल मिलीजुली गाड़ी का समय पालन सामान्यतः सन्तोषजनक रहा है । मार्च, 1978 के दौरान समय पालन क्रमशः 93.5 और 86.7 प्रतिशत रहा ।

(ख) चूंकि 1 डब्लू०के० /2 डब्लू० के० ही इस खंड पर मिली जुली गाड़ियां हैं अतः माल यातायात की निकासी पर प्रभाव डाले बिना समग्र रूप से इनका समय नहीं घटाया जा सकता। इस मार्ग पर अलग एक सवारी गाड़ी चलाना भी व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इस खण्ड की क्षमता पूर्णतः निर्यात के लिए लौह अयस्क की ढुलाई के लिए समर्पित है।

(ग) जयपुर रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय मार्ग से जोड़नेवाली लिंक सड़क की मरम्मत की जा रही है। कोरापुट्ट को जोड़ने वाली सड़क पर पहले से ही तारकोल बिछा है। अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों के पहुंच मार्गों को भी संतोषजनक स्तर पर रखा जा रहा है।

(घ) कोटवलासा-किरण्डुल खंड के कोटवलासा अड़ाकू, कोरपुट्ट, शुंगावरम्पुकोट और जगदलपुर स्टेशनों पर चाय के स्टालों की व्यवस्था की गयी है। पाडुआ, जयपुर और किरण्डुल स्टेशनों पर चाय, काफी, पान, बीड़ी सिगारेट आदि का गाड़ी के पास जाकर बेचने की व्यवस्था की जा रही है। इस समय, जगदलपुर में खाना परोसा जाता है। सुंगावरम्पुकेट और कोरापुट्ट स्टेशनों पर भोजन परोसने की व्यवस्था की जा रही है।

उत्कल और पुरी से निजामुद्दीन तक गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव

7171. **श्री सरत कार :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्कल और पूरी से निजामुद्दीन तक प्रतिदिन राष्ट्रीय गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस गाड़ी की दैनिक सेवा न होने के कारण अनेक तीर्थ यात्रियों को कठिनाइयां हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग): यात्रियों की सुविधा के लिए,पुरी और निजामउद्दीन के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली एक गाड़ी 77/78 उत्कल एक्सप्रेस अक्टूबर, 1969 से चलायी गयी थी।

इसके फेरे बढ़ाकर 15-3-76 से इसे सप्ताह में तीन बार और 1-4-1977 से सप्ताह में चार बार चलने वाली गाड़ी बना दिया गया। इसके अलावा, 1-4-77 से पूरी और निजामुद्दीन के बीच साप्ताहिक तेज़ सेवा के रूप में 143/144 कलिंग एक्सप्रेस भी चलायी गयी है। आसनसोल के रास्ते दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच एक गाड़ी चलाने के प्रस्ताव की भी जांच की जा रही है।

Proposal to hold Conference on Law and Media

†7172. **Shri Ram Sewak Hazari:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether an international conference on Law and Media is proposed to be held in New Delhi;

(b) if so, the agenda thereof and the names of the countries participating therein; **and**

(c) the expenditure to be incurred thereon?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) There is no proposal under consideration of the Government to hold an International Conference on Law and Media. However, it is understood that the Press Institute of India is holding a private Seminar on the subject at New Delhi.

(b) & (c): Do not arise.

Employers' Welfare Fund

7173. **Shri Ram Naresh Kushwaha:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) how and on what items/works the amount of 98 lakh rupees deposited in North Eastern Railway Employees' Welfare Fund is being spent;

(b) whether it is being utilised to meet the daily needs of the employees or on luxuries therefor; and

(c) if it is being spent on luxuries, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) During 1977-78, in view of the co-operation and dedicated work by all sections of railway employees, the Government sanctioned a special grant of Rs. 15 crores for staff welfare and amenities on Indian Railways. Out of this amount, a sum of Rs. 95 lakhs was allotted to the North Eastern Railway to be spent on staff welfare activities. This amount is being spent on the following welfare activities:—

	Rs. in lakhs
(i) Sanitization of 1333 staff quarters	20.00
(ii) Provision of water taps in 1649 staff quarters	5.00
(iii) Electrification of 1251 staff quarters	16.00
(iv) Improved/additional accommodation for educational facilities for children of railway employees	15.85
(v) Recreational facilities for employees in the form of institutes, welfare centres and auditoria	18.25
(vi) Better sports facilities	5.30
(vii) Holiday Homes	8.00
(viii) Buses for school going children of employees, provision of shopping centres at Gorakhpur and additional equipment in hospitals	6.60
TOTAL	95.000

(b) & (c): Do not arise.

रेल लाइनों का बिछाया जाना

7174. **श्री गंगाधर अप्पा बुरांडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता के पश्चात् जिला भीर में कुल कितने किलोमीटर लम्बी रेल लाइनें बिछाई गई;

(ख) जिला भीर के विस्तृत क्षेत्रों की उपेक्षा के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि रेल लाइनों के न होने के कारण इस जिले में कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ; और

(घ) यदि हां तो विस्तृत जिला भीर में रेल लाइनें बिछाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) स्वतंत्रता के पश्चत् जिले भीर में कोई रेल लाइन नहीं बिछायी गयी है ।

(ख) से (घ) : जिन क्षेत्रों में परिवहन सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध नहीं है या जिन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, वहां नयी रेल लाइनों के निर्माण की आवश्यकताओं के बारे में सरकार को पता है। लेकिन धन की कमी के कारण ऐसी और अधिक लाइनों के निर्माण का काम शुरू नहीं किया जा सका ।

वैगन-तोड़ने की गतिविधियां रोकने के लिए कार्यवाही

7175. **श्री रेणुपद दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व रेलवे में रानाघाट-लालगोला सेक्शन पर और देश के अन्य भागों में वैगन-तोड़ने की बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

1. रानाघाट और लालगोला के बीच चलने वाली मालगाड़ियों की रेलवे सुरक्षा दल द्वारा मार्ग रक्षा करना;

2. बहुमूल्य परेषणों/खाद्यान्नों को ले जाने वाली गाड़ियों की रेलवे सरक्षा दल द्वारा मार्ग रक्षा करना;

3. जिन यार्डों में चोरी की घटनाएं अधिक होने की संभावना रहती है वहां रे०सु०द० के कुत्तादस्तों द्वारा भी गश्त लगाया जाना;

4. महत्वपूर्ण तथा भेद्य यार्डों पर रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा दिन-रात गश्त लगाना तथा रखवाली करना;

5. अपराधियों, चुरायी गयी सम्पत्ति के प्राप्त कर्ताओं का पता लगाने और छापे मारने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय रेलों की अपराध आसूचना शाखाओं तथा रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यरो के कर्मचारियों को अपराध आसूचना एकत्रित करने के लिए तैनात किया जाता है ;

6. रेलवे सुरक्षा दल द्वारा महत्वपूर्ण माल-गोदामों और प्लेटफार्मों की निगरानी की जाती है ।

7. अपराधिक आसूचना की अदला-बदली के लिए रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस के बीच निकट सम्पर्क बनाये रखा जाता है ;

8. भेद्य खण्डों में लोहा और इस्पात ; खाद्यान्नों, चीनी, तिलहन आदि ले जाने वाली मालगाड़ियों का रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा मार्ग रक्षा करना;

9. कीमती माल ले जाने वाले डिब्बों में ठीक से रिवेट और ताले लगाये जाते हैं;

10. अपराध के स्थान का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण यार्डों में माल-डिब्बों की सील की जांच की जाती हैं ।

इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के विरुद्ध एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा की गई शिकायतें

7176. **श्री समर गुहा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने गत कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न कारणों से तथा अनेक अवसरों पर इन्डियन आक्सीजन लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतें की;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) ऐसी शिकायतों के बारे में इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) मैसर्स इंडियन आक्सीजन लिमिटेड के विरुद्ध 1976 की अवधि में एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा आयोग ने दो प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं का गठन किया था ।

(ख) एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं की इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के विरुद्ध गठित जांचें निम्नलिखित आरोपों से सम्बन्धित हैं :

1976 की प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथा संख्या 2

(क) उसके द्वारा विभिन्न उक्त गैस की बिक्री के लिए मूल्य लेने में विभेद, उन स्थानों पर जहां कोई प्रतियोगिता नहीं है और या जहां कम प्रतियोगिता है वहां ऊंची दरें लेना और स्थानों पर जहां प्रतियोगिता है, वहां कम दरें देना, और

(ख) पटिया आधार पर उस व्यवहार में उपरोक्ताओं से ऊंची दरें लेना जिसका उपक्रम कम है और उन उपरोक्ताओं से कम मूल्य लेना जिनका उपक्रम तुलनात्मक रूप से अधिक है, और

(घ) मूल्य लेने के लिये विभिन्न स्थानों पर पटियों की भिन्न संख्या निर्धारित करना और इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों के उपभोक्ताओं के मध्य अधिक विभेद करना ।

1976 की प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथा संख्या 44

(क) प्रत्येक गैस सिलेन्डर के साथ बगैर उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनषंगियों की बिक्री के लिए जोर जबरदस्ती करना,

(ख) गैस उपस्करों को ठीक करने की सुविधा देने में अत्यधिक विलम्ब करना, इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को अनुषंगियों सहित नये उपस्करों के लेने के लिए बाध्य करना आदि,

(ग) मैसर्स इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ है और दोनों मामलों में सुनवाई का इच्छुक है,

(घ) शिकायत को समर्थन देने और आगे चलाने के लिए आवश्यक कार्यवाहियां आयोग के समक्ष एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा आयोग के जांच निदेशक के द्वारा आयोग के समक्ष चालू की गई है ।

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती

7177. **श्री मनोहर लाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की नियमित रीति द्वारा 10—15 वर्ष पूर्व सहायक अधिकारी के रूप में प्रथम श्रेणी की सेवा में लगभग 1068 अधिकारियों की भर्ती की गई थी और अभी तक उनकी सेवाओं को स्थायी नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सभी मंत्रालयों को दिये गये मंत्रिमण्डल सचिवालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22 जुलाई, 1977 के अधीन सिद्धांतों के बावजूद उन्हें स्थायी न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : वर्ष 1955 से वर्ष 1967 तक की अवधि में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिथिलीकृत शर्तों के अन्तर्गत 1089 अस्थायी अधिकारियों (वर्गीकृत) की भर्ती की गयी थी अर्थात् ये भर्ती न तो श्रेणी I के अस्थायी पदों के लिए थी और न ही श्रेणी II के अस्थायी पदों के लिए। 300 अधिकारी अभी भी अस्थायी हैं, लेकिन उनमें से 109 को निकट भविष्य में शीघ्र ही स्थायी रूप से समाहृत कर लिया जायेगा और इस प्रकार 191 अस्थायी अधिकारी शेष रह जायेंगे। ये अधिकारी मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 22-7-1172 के कार्यालय ज्ञापन के अन्तर्गत नहीं आते।

Revenue from Demurrage and Wharfage

7178. **Shri Birendra Prasad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the amount of revenue accrued to the Railways during 1977-78 on account of demurrage and wharfage?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): This information would become available in July 1978 after the close of the Accounts for the year 1977-78.

During the year 1976-77 the amount of wharfage and demurrage that accrued was Rs 48.45 Crores against which collection and waivers amounted to Rs. 28.53 Crores and Rs. 15.85 Crores respectively.

सदस्य के पद का बनाया जाना

7179. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने पुनर्गठित रेलवे बोर्ड में सदस्य के एक नये पद (इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रानिक्स) बनाये जाने की सिफारिश की थी;

(ख) क्या आयोग ने इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की थी कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उपलब्ध आधुनिक प्रौद्योगिक गतिविधियों का पूरा उपयोग करते हुए उनका लाभ उठाया जाये;

(ग) क्या सरकार ने रेलवे बोर्ड में सलाहकार (इलेक्ट्रिकल) का केवल एक पद बनाया है;

(घ) इसके क्या कारण है और प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को पूर्णतया लागू न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड में सदस्य (इलेक्ट्रिकल) न होने के कारण पिछले कुछ वर्षों में रेल विद्युतीकरण के कार्य को उपेक्षा हुई है;

(च) क्या सरकार इस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रानिक युग में सदस्य (इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रानिक) का एक ऐसा पद बनाने को वांछनीय नहीं समझती है जिस पर रेल विद्युतीकरण और तत्संबंद्ध कार्यों की पूरी जिम्मेदारी हो; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग ने रेलवे बोर्ड में सदस्य (बिजली और इलेक्ट्रानिक्स) के पद के सृजन की विशेष रूप से कोई सिफारिश नहीं की थी। रेलवे से संबंधित रिपोर्ट की सिफारिश सं० 6 प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफारिश की थी कि "कुशल कार्य संचालन के लिये रेलवे बोर्ड का आकार छोटा होना चाहिये। अध्यक्ष और वित्त सदस्य (वित्त आयुक्त) के अलावा बोर्ड के सदस्यों की संख्या आमतौर पर 6 से अधिक नहीं होनी चाहिये।" अपनी रिपोर्ट के अध्याय 2 के पैरा 17, जिसके फलस्वरूप सिफारिश संख्या 6 में की गई टिप्पणी दी गई थी, प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक बृहद बोर्ड (7 सदस्यों का बोर्ड) के सदस्यों के बीच काम के इस प्रकार बटवारे की सिफारिश की थी :--

अध्यक्ष : सामान्य प्रशासन (जिसमें प्रबन्ध विकास शामिल है), योजना जनसंपर्क, सुरक्षा सतर्कता और अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन।

सदस्य (वित्त) : वित्त, बजट, कुशलता ब्यूरो, सांख्यिकीय और अर्थवक्ष।

सदस्य (इंजीनियरी) : सिविल इंजीनियरी।

सदस्य (यांत्रिक) : यांत्रिक।

सदस्य (परिवहन और वाणिज्य) : परिवहन, यातायात और वाणिज्य-शाखाएं, रेलवे संरक्षा।

सदस्य (बिजली और इलेक्ट्रानिक्स) : बिजली, सिगनल एवं दूर-संचार।

सदस्य (कार्मिक) : कार्मिक मामले, जनशक्ति और कार्मिक आयोजना, संगठन एवं पद्धति, राजपत्रित अधिकारियों की भर्ती और प्रशिक्षण, भंडार।

(ख) अपनी रिपोर्ट के अध्याय 2 के पैरा 17 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्नलिखित टिप्पणी दी थी;

> "हाल के वर्षों में कुछ विभागों का महत्व बढ़ गया है और परिचालनिक, कुशलता, आधुनिकीकरण और परिषकरण के दृष्टिकोण से उनका महत्व बना रहेगा। हम बिजली इंजीनियरी, सिगनल और दूर संचार का विशेष रूप से उल्लेख करेंगे।"

(ग) जी, हां।

(घ) मितव्ययिता तथा कार्यकुशलता के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया था कि बोर्ड के सदस्यों की वर्तमान संख्या में कोई वृद्धि न की जाये।

(ङ) जी नहीं। इस प्रकार की आशंका का कोई आधार नहीं है।

(च) और (छ) : बिजली कर्षण और अन्य गतिविधियों के मामले में रेलों की मौजूदा आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों को कारगर ढंग से पूरा करने के लिये वर्तमान संगठनात्मक ढांचा तथा व्यवस्थाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

सतर्कता संगठन

7180. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सतर्कता संगठनों में वे रेल अधिकारी लगाये जाते हैं जो उस रेलवे के महाप्रबन्धक के अधीनस्थ हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सतर्कता संगठन के ये अधिकारी उन्मुक्त भाव से और निर्भीकता पूर्वक कार्य नहीं करते क्योंकि उनका भविष्य उनसे उपर के रेल अधिकारियों के हाथों में रहता है ;

(ग) सतर्कता संगठन के कितने मामलों को सफलतापूर्वक जांच की और अधिकारियों सहित कितने व्यक्तियों को, श्रेणीवार, दंडित किया गया; और

(घ) इस संगठन को सीधे मुख्य सतर्कता आयुक्त के अधीन न रखने के क्या कारण हैं जिससे उनके द्वारा निरीक्षित गोपनीय रिपोर्टों, पदोन्नतियों आदि के मामले में उन्हें पूरा संरक्षण मिल सके और इसे प्रभावी और सार्थक बनाया जा सके ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) प्रबन्ध व्यवस्था के भाग के रूप में क्षेत्रीय रेलों का सतर्कता संगठन कुल मिलाकर महाप्रबन्धक के पर्यवेक्षण में कार्य करता है ।

(ख) जी नहीं । रेलवे के सतर्कता के सभी अधिकारी सतर्कता सम्बन्धी काम के बारे में अन्य विभागाध्यक्षों के अधीन नहीं होते । इस काम को वे स्वतंत्र रूप से और निडर होकर करते रहे हैं तथा अभी भी कर रहे हैं ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, उन मामलों की संख्या जिनमें विभागीय जांच की गयी थी और उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें इस प्रकार की सतर्कता/विशेष पुलिस स्थापना के मामलों में दण्ड दिया गया, नीचे दी गयी है :

	1974-75		1975-76		1976-77	
	उन मामलों की संख्या जिनमें विभागीय जांच की गयी	ऐसे मामलों में दण्डित कर्मचारियों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें विभागीय जांच की गयी	ऐसे मामलों में दण्डित कर्मचारियों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें विभागीय जांच की गयी	ऐसे मामलों में दण्डित कर्मचारियों की संख्या
राजपत्रित .	151	36	172	68	209	76
अराजपत्रित .	2912	1351	3249	1958	3309	2499

(घ) प्रबन्ध व्यवस्था का अंग होने के कारण, सतर्कता संगठन को कुल मिलाकर क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों के पर्यवेक्षण में ही रहना पड़ता है ।

Farrukhabad-Mailani

7181. **Shri T. S. Negi:**
Shri Surendra Bikram:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a survey was conducted for construction of railway lines from Farrukhabad to Mailani via Shahjahanpur and from Farrukhabad to Gola Gokarnatha via Shahjahanpur and whether final report thereof was sent to him by the Chief Engineer, Broad gauge lines construction, North-Eastern Railway, Gorakhpur on 12th October, 1977 and if so, the action taken thereon and if not, the reasons therefor; and

(b) whether he would accord priority to the construction of these railway lines as these come in the most backward area?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b): Yes, the Survey Report is under detailed examination. Further consideration to the project will be given after the survey report has been scrutinised. The decision would also depend upon the availability of funds for construction of new lines in backward areas of the country.

Proposal to introduce Qutab Express from Jabalpur to New Delhi

7182. **Shri Narmada Prasad Rai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to introduce Qutab Express from Jabalpur to New Delhi ;

(b) whether it is a fact that route of this train has already been decided ; and

(c) if not, the present route thereof which have been decided ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c): It has been decided to extend 149/150 Hazarat Nizamuddin-Agra Cantt Qutab Express to and from Jabalpur via Jhansi, Harpalpur, Manikpur, Satna and Katni, sometime in May, 1978.

रेल वर्कशापों का आधुनिकीकरण

7183. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वर्कशापों के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) कारखाना आधुनिकीकरण परियोजना का उद्देश्य कार्य-निष्पादन और चल-स्टाक की उपलब्धता में सुधार करना तथा चल-स्टाक के निर्माण और अनुरक्षण की लागत में कमी करना है । रेलों को उपलब्ध सीमित संसाधनों के भीतर, मशीन और संयंत्र का अतीत में समय पर बदलाव सम्भव नहीं हो सका । इसके परिणामस्वरूप, कारखानों और मरम्मत डिपुओं में 70 प्रतिशत मशीनें और संयंत्र गतायु और बेकार हो गये और इस प्रकार कारखाना समूह की निर्माण और अनुरक्षण सम्बन्धी क्षमता का ह्रास हुआ । आधुनिकीकरण परियोजना 10 वर्ष की अवधि में पूरी होगी और इसमें निम्न-लिखित की व्यवस्था शामिल होगी ।

(1) पुरानी और अप्रचलित मशीनों के स्थान पर आधुनिक मशीन और संयंत्र लगाना ।

(2) यूनिट एक्सचेंज असेम्बलियों की व्यवस्था करना ताकि अनुरक्षण में कम से कम समय लगे ।

(3) बेहतर सामान और माल चढ़ाने-उतारने सम्बन्धी व्यवस्था ।

(4) बेहतर किस्म नियंत्रण के लिए मापविधा संबंधी और परीक्षण संबंधी उपस्कर की व्यवस्था ।

(5) परिष्कृत खाके बनाना और कार्यभार का युक्तिकरण करना ।

Number of siding at Maihar

7184. **Shri Sharad Yadav:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of siding at Maihar on Central Railway for loading goods;

(b) the names of the firms having private sidings; and

(c) whether any company has occupied railway siding and, if so, since when?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Three, including one assisted siding.

(b) There are no private sidings at this Station, but one such siding is under construction for M/s Maihar Cement. There is also an assisted siding for M/s Maihar Stone Lime Co. Ltd.

(c) No.

जम्मू से पठानकोट तक अधिक रेलगाड़ियां

7185. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू से पठानकोट तक और अधिक गाड़ियां चलाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जम्मू तवी में टर्मिनल सुविधाएं पर्याप्त न होने के कारण पठानकोट जम्मू तवी खण्ड पर एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने का न तो औचित्य है और न ही परिचालनिक रूप से व्यावहारिक है ।

निर्यात माल की ढुलाई पर भाडे में छूट

7186. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला :**
श्री यशवंत बोरोले :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात माल की ढुलाई पर भाड़े में कोई छूट देने का इस बीच निर्णय किया गया है;

(ख) किस प्रकार का निर्णय किया गया ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

Opening of Railway Stations and Conversion into Junctions

†7187. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of new railway stations opened throughout the country during the last three years ;

(b) the number of stations, out of them, converted into junctions ; and

(c) the details in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (c) : Information is being collected and will be laid on the table of Sabha.

दिल्ली से उड़ीसा के लिए सीधी तेज एक्सप्रेस गाड़ी

7188. **श्री बैरागी जैना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली से उड़ीसा के बीच सीधी सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी न चलाने के क्या कारण है चूंकि गाड़ी ही संचार का एक मात्र सीधा साधन है जबकि अन्य राज्यो को राजधानियों के लिए उक्त सुविधाओ की व्यवस्था है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : फिलहाल 1-4-1977 से पुरी और निज़ामुद्दीन के बीच सप्ताह में एक बार चलने वाली तेज रफ्तार वाली 143/144 कलिंग एक्सप्रेस गाड़ी चल रही है । इसके अलावा, पुरी और निज़ामुद्दीन के बीच 77/78 उत्कल एक्सप्रैस सप्ताह में 4 दिन चल रही है ।

भावनगर डिवीजन में मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना

7189. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के भावनगर डिवीजन में सुपेड़ी और धोराजी के बीच 22 मार्च, 1978 को एक मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतर गये थे;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण है तथा उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मार्च महीने में रेल दुर्घटनाओं में फिर वृधि हुई और गुजरात राज्य में इनकी संख्या अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इनको रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) इस दुर्घटना में 13 माल डिब्बे पटरी से उतर गये थे ।

(ख) पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के पोरबन्दर-जेतलसर मीटर आमान खण्ड पर सुपेदी और धोराजी स्टेशनों के बीच 22-3-78 को लगभग 13.25 बजे जब 14 अप डीजल माल गाड़ी चल रही थी, वह 145/14-11 कि०मी० पर पटरी से उतर गयी । इस दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई अथवा किसी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंची । इस दुर्घटना से सम्बन्धित जांच कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ): जी हां, पश्चिम रेलवे में मार्च, 1978 में पटरी से उतरने की 13 दुर्घटनाएं हुई जिनमें से 9 गुजरात राज्य में हुई थीं। गुजरात राज्य में बिना चौकीदार वाले समपार पर भी एक दुर्घटना हुई थी। गुजरात राज्य में पटरी से उतरने की जो 9 दुर्घटनाएं हुई थी उनमें से 4 रेल कर्मचारियों की असफलता के कारण, 3 यांत्रिक उपस्करों की खराबी के कारण, और 2 अकस्मात कारणों से हुई। बिना चौकीदार वाले समपार की दुर्घटना रेल उपयोक्ताओं की गलती के कारण हुई थी।

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी नियमों का उल्लंघन न करें और लाघव तरीके न अपनाये, इस सम्बन्ध में कर्मचारियों को परामर्श दिया जाता है। इस व्यवस्था के अलावा सवारी और माल डिब्बा डिपुओं में गाड़ियों के परिक्षणो और मौके पर किये जाने वाले जांच कार्य में तेजी लायी गयी है। रेल उपयोग कर्ता मोटर वाहन नियमों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं अथवा नहीं, इसे सनिश्चित करने के लिये पुलिस प्राधिकारियों के समन्वय से अचानक छापे भी मारे जाते हैं।

Trains running between Ghaziabad and Saharanpur

†7190. **Shri K. Prakash:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of regular trains which were running on Ghaziabad-Saharanpur railway line in 1947 and the number thereof now after 30 years; and

(b) whether he is aware that passengers face great inconvenience due to shortage of trains on the line?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) As per October 1948 Time Table (oldest available), 6 pairs of trains between Ghaziabad and Saharanpur, 2 pairs of trains between Meerut City and Ghaziabad and one pair of trains between Meerut City and Saharanpur were available, whereas now as per April '78 Time Table, 9 trains in the down direction and 8 trains in the up direction between Saharanpur and Ghaziabad, one pair of trains each between Ghaziabad and Meerut City and between Meerut City and Saharanpur are available.

(b) Though there are demands for additional trains, it has not been found feasible for want of spare line capacity on this saturated section and of terminal facilities at Delhi/New Delhi.

विदेशी कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

7191. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों, उनकी शाखाओं तथा उनको सहायक कम्पनियों के नाम और ब्यौरा क्या है जिन पर वर्ष 1977 के दौरान कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप लगाय गये थे;

(ख) प्रत्येक फर्म के विरुध्द क्या विशिष्ट आरोप लगाये गये थे; और

(ग) उक्त उल्लंघन के लिए सम्बद्ध फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग): सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

भ्रष्टाचार के मामले

7192. **श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे विशेषकर मुरादाबाद डिवीजन में इस समय भ्रष्टाचार के कितने और किस-किस प्रकार के मामले विचाराधीन हैं; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) उत्तर रेलवे में और विशेषकर मुरादाबाद मंडल में 31-3-1978 को सतर्कता सम्बन्धी अनिर्णीत मामलों की संख्या नीचे दी गयी है :—

	उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल सहित सभी मंडल		मुरादाबाद मंडल	
	राजपत्रित	अराजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित
भारी दण्ड सम्बन्धी कार्यवाही .	18	144	2	18
मामुली दण्ड सम्बन्धी कार्यवाही .	10	145	..	21
अदालतों में अभियोजन . .	3	26	..	2
	31	315	2	41

(ख) इन सभी मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है और कार्यवाही पूरी हो जाने पर यथावश्यक कार्रवाई की जायेगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए बराबर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

एक्सटेंशन हैल्थ एजुकेटर

7193. **डा० विजय मण्डल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिप्लोमाधारी डाक्टरों को वर्ष 1966-73 के बीच श्रेणी-3 की सेवा से श्रेणी-I में पदोन्नत कर दिया गया है तथा इसके केवल दो वर्ष पूर्व हैल्थ इन्सपेक्टरों को 550—750 रुपए तथा 700—900 रुपए के दो ऊंचे वेतनमान दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि वर्ष 1966 में भर्ती किये गये स्नातकोत्तर एक्सटेन्शन हैल्थ एजुकेटरों को अभी तक उंचे संवर्ग के पदों में कोई प्रतिशत नहीं दिया गया है ;

(ग) क्या ऐसा इसलिये है कि यह एक अस्थायी संगठन है;

(घ) क्या इसलिये कि इस संगठन का वित्त पोषण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है;

(ङ) यदि उपरोक्त (ग) तथा (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या अस्थायी दर्जे वाले कर्मचारियों को और आगे संवर्ग देने पर कोई रोक है; और

(च) क्या मंत्रालय ने इस के लिये अतिरिक्त निधियों के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को कभी प्रस्ताव भेजे थे और वे अस्वीकृत हो गये थे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (च) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

स्नेहक पदार्थों और ग्रीज के बिना लाइसेंस वाले उत्पादक

7194. **श्री फकीर अली अंसारी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने उत्पादक हैं जो बिना लाइसेंस के स्नेहक पदार्थों और ग्रीज का उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सिद्ध हो गया है कि इन उत्पादक द्वारा उत्पादित घटिया किस्म का और नकली माल जो बाजार में आता है उससे आधुनिक किस्म की मशीनरी और उपकरणों को अत्याधिक नुकसान पहुंचता है; और

(ग) स्नेहक पदार्थों और ग्रीज का उत्पादन करने वाले इन लाइसेंसहीन उत्पादकों की इस प्रकार की गतिविधि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कठोर कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) सरकार के पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) : महीम मशीनरी और उपकरणों में यदि निम्न स्तरीय और नकली स्नेहक तेलों का प्रयोग किया जाये तो इससे उनमें नुकसान होगा, परन्तु जिस सीमा तक यह बात हो रही है, उसकी जानकारी नहीं है । फिर भी, इस मिलावट करने की प्रवृत्ति से बचने और स्नेहक तेलों की सही कोटी को सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जा रह हैं/की परिकल्पना की जा रही है ।

2. राज्य सरकारों/संघ-शासित प्रदेश के प्रशासनों से कह दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत जो अधिकार उनके पास हैं, उनका प्रयोग करने की और पैट्रोलियम उत्पादों में मिलावट करने वालों के साथ सख्ती से पेश आने की उन्हें सलाह दी गई है ।

3. स्नेहक तेलों में मिलावट/उसके कुप्रयोग की समस्याओं की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित एक विशषज्ञ पेनल द्वारा सुझाये गये उपायों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के अलावा, सरकार ने स्नेहक तेलों के वितरण के सम्बन्ध में एक अनुशासन योजना तैयार की है, जिसे सभी प्रमुख तेल कम्पनियों द्वारा कार्यान्वित करना जरूरी है । इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि तेल कम्पनियों के पेट्रोल पम्पों के माध्यम से स्नेहक तेलों के वितरण में किसी प्रकार का कदाचार न हो, वे अपने अपने फटकर पेट्रोल पम्पो/एजन्टों की अचानक जांच पड़ताल करती है । तेल कम्पनियों से यह भी कह दिया गया है कि वे सभी प्रमुख उपभोक्ताओं को सीधे संवर्धित रूप से बिक्री करें । नकली ल्यूब तेलों को बाजार में कम से कम मात्रा में लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कुछ और अधिक कदम उठाये जाने के बारे में विचार किया जा रहा है :—

(i) सरकार का आटोमोटिव तेलों, औद्योगिक तेलों और ग्रीसों के सभी उत्पादन कर्ताओं के लिये वैधानिक आई० एस० आई० मार्केट का प्रयोग करने का प्रस्ताव है । इस सम्बन्ध में आई०एस०आई० और अन्य सम्बन्धित संगठनों के परामर्श के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

(ii) ल्यूब उत्पादन कर्ताओं के प्रयोजनार्थ सम्भरण भंडार के आबंटन के लिये और कड़े नियंत्रण निर्धारित किये गये हैं। इसका उद्देश्य उपउत्पादों के उत्पादन से था सम्बन्धित प्रदान किये गये सम्भरण भंडार के सही लेखा जोखा को सुनिश्चित करना है।

(iii) तेल कम्पनियों को बिचौलियों को समाप्त करने के लिये कह दिया गया है और साथ ही स्नेहक तेलों के वितरण में व्यस्त एजेंसियों को बढ़ाने की प्रवृत्ति से बचने के लिये कह दिया गया है ताकि तेल कम्पनियों द्वारा उनके संचालनों पर जो प्रभावी नियंत्रण किया जाता है, उसमें किसी प्रकार की कमी न आने पाये।

(iv) तेल कम्पनियों स प्रमुख प्रचार अभियान चलाने के लिये कह दिया गया है ताकि उपभोक्ताओं में और अधिक जागृति उत्पन्न की जा सके तथा उनमें भागीदारी की भावना जगा दी जा सके।

(v) विशेषकर प्रयुक्त स्नेहक तेलों के पुनः साफ करने के क्रिया किलाप के सम्बन्ध में, जो कि सम्भावी रूप से स्नेहक तेलों के मिलावट का मख साधन है तेल को पुनः साफ करने वालों के स्वतः पंजीकरण करने की योजना को लागू करने के लिये अभी हाल हो में निर्णय लिये गये हैं, जो बुनियादी कोटि मानदंड की योग्यता पूरी करते हैं और जिनके पास तेल साफ करने वाले गुणों के मानदंडों सहित अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध हैं।

4. नकली स्नेहक तेलों के उत्पादन कर्ताओं के कार्यकलापों पर नियंत्रण लगाने के वर्तमान कानूनों की पर्याप्तता के विशिष्ट पहलू सहित इस क्षेत्र में निहित समस्याओं की गहराई का मुल्यांकन करने के काम में इस समय एक उद्योग समूह व्यस्त है। उसे कह दिया गया है कि वे मंत्रालय को निश्चित और ठोस सुझाव प्रस्तुत करें ताकि उनको कार्यान्वित किया जा सके।

सीरे की उपलब्धता और उसका उपयोग

7195. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीरे की वर्तमान उपलब्धता क्या है और इसमें स कितने सीरे का उपयोग (एक) शराब बनाने वाले उद्योगों में (दो) उद्योगों में काम आने वाले एल्कोहल के उत्पादन में (तीन) रंग रोगन, स्पिरिट, वार्निश तथा अन्य कपनियों में होता है;

(ख) सरकार की नशाबंदी नीति को उत्तरोत्तर क्रियान्विति होने पर सीरे के उत्पादन का प्रयोग करने की क्या योजनाएं हैं; और

(ग) उद्योगों में काम आने वाले अल्कोहोल का उत्पादन करने के लिये कितने नये लाइसेंस दिए जाएंगे और क्या गन्नेका उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के निकट ऐसे उद्योग स्थापित किए जाएंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) देश में सीरे की वर्तमान उपलब्धता लगभग 22 लाख मी० टन प्रतिवर्ष है। लगभग 1 लाख मी० टन सीरा जानवरों की खुराक तथा चारे और तम्बाकू चिकित्सा जैसे अन्य विविध उपयोगों के प्रयोग मे लाया जाता है। सीरे की शेष मात्रा ईथल अल्कोहोल (परिशोधित स्पिरिट) के उत्पादन के लिए शराब-कारखानों में प्रयोग की जाती है। लगभग 70 प्रतिशत परिशोधित स्पिरिट उद्योगों के काम तथा शेष 30 प्रतिशत पेय (पोटेबल) शराब के निर्माण के प्रयोग में लाया जाता है।

(ख) सरकार और अल्कोहोल पर आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही है ।

(ग) शराब-कारखानों की क्षमता सीरे की उपलब्धता के अनुकूल होनी चाहिये । शराब कारखाने की स्थापना चीनी कारखानों के निकट ही की जाती है ।

राउरकेला में मुख्यालय रखते हुए एक नये डिवीजन की मांग

7196. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की कोई मांग प्राप्त हुई है कि इष्टतम कार्यसंचालन- कुशलता प्राप्त करने के लिए वर्तमान विलासपुर, चक्रधरपुर, वालटेयर तथा खर्दा रोड डिविजनों का पूनर्गठन करके राउरकेला में मुख्यालय रखते हुए एक नया डिविजन खोला जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है और इसकी संभवत: कितनी अवधि में क्रियान्विति की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) इस मांग पर सावधानी से विचार किया गया था परन्तु प्रशासनिक, परिचालनिक और आर्थिक दृष्टि से इसे स्वीकार नहीं पाया गया ।

हावड़ा कोच को गांधी धाम तक बढ़ाये जाने का अभ्यावेदन

7197. **श्री अनन्त दवे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ के लोग तथा यात्रियों की संगठन हावड़ा कोच के जो अब तक वीरमगांव तक ही आती है, गांधीधाम तक बढ़ाने के लिए रेलवे अधिकारियों को लिखते रहे हैं;

(ख) इस हावड़ा बोगी को गांधीधाम तक न ले जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जो, हां ।

(ख) और (ग): इस समय हावड़ा और वीरमगांव के बीच दो सीधे सवारी डिब्बे , अर्थात् पहले और दूसरे दर्जे का एक मिला जुला और दूसरे दर्जे का एक 3 टीयर शयनयान 2 अप/78/15 डाउन और 16 अप /77/1 डाउन गाड़ियों में चल रहे हैं । गांधीधाम और भूज स्टेशनों के लिये क्रमश: 4 और 2 शायिकाओं सहित विभिन्न स्टेशनों के कोटे निर्धारित किये गये हैं । चूंकि वीरमगांव स्टेशन तक के और बरास्ता वीरमगांव स्टेशनों का कोटा बहुत अधिक है, अत: सीधे जाने वाले डिब्बों को गांधीधाम तक बढ़ाये जाने स सौराष्ट्र क्षेत्र के वर्तमान उपयोगकर्ताओं को असुविधा होगी ।

काम रोका जाना

7198. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों द्वारा अपनी देय राशियों की अदायगी न होने पर काम रोके जाने की कोई घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) और : (ख) : जी हां, हाल ही में इस प्रकार की तीन घटनाएं हुई हैं :—

(i) पूर्व रेलवे पर, रेल श्रम अधिकरण, 1969 के निर्णय के आधार पर 1-8-74 से 30-4—75 तक की अवधि के लिए अपने समयोपरी के तत्काल भगतान की मांग करते हुए गोमों के लोको रनिंग कर्मचारियों ने 29-12-77 से 30-12-77 तक काम करना बन्द कर दिया था ।

(ii) दक्षिण रेलवे पर, मंडल लेखा कार्यालय में समयोपरि बिलों के पास होने में विलम्ब के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के रूप में 28-2-78 को मंडल अधीक्षक कार्यालय, मद्रास के प्रवेश द्वार पर एक 'धरना' आयोजित किया था ।

(iii) दक्षिण पूर्व रेलवे पर, अपने वेतन के तुरन्त भुगतान की मांग करते हुए 20-3-78 को मुख्य यार्ड मास्टर, संतरागछन्दो के अधीन काम करने वाले कुछ एवजियों ने काम बन्द कर दिया ।

(ग) उपर्युक्त मामलों में स्वीकार्य भुगतानों की व्यवस्था कर दी गयी है । इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि वार्षिक वेतन वृद्धि का समय पर भुगतान, कर्मचारियों को समयोपरि और रनिंग भत्ते का भुगतान, तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश से सम्बन्धित वेतन का निर्धारण तथा बकाया राशि का भुगतान इत्यादि को बिना किसी प्रकार का बकाया संचित किए सामयिक रखा जा रहा है, रेलों पर अनुदेश पहले स ही मौजूद है ।

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि यह काम साथ साथ किया जा रहा है और विलम्बित भुगतानों पर उच्च स्तरीय निगाह रखने की व्यवस्था के लिए हाल ही में रेल मंत्रालय कार्यालय में हुए विचार-विमर्श के दौरान रेल प्रशासनों को और अनुदेश दिये गये हैं ।

मैसर्स ग्लोब मोटर्स द्वारा जमा राशियों का भुगतान

7199. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स ग्लोब मोटर्स, दिल्ली ने जमाकर्ताओं की राशियों का दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एक व्यवस्थित योजना में वापस लौटानी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि तीन-चार किस्त देने के पश्चात् ग्लोब मोटर्स ने उन्हें राशि वापस लौटाना बन्द कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) : जैसा कि 13 दिसम्बर, 1977 को उत्तर दिये गये लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3791 के उत्तर में उल्लेख किया गया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रबन्ध की योजना, जो 22 फरवरी, 1970 से प्रभावी हुई थी, के अन्तर्गत मैसर्स ग्लोब मोटर्स लिमिटेड को अपने लेनदारों (जमाकर्ताओं सहित) की छः किस्तों में वापिस करना अपेक्षित था और अन्तिम किस्त 22 मार्च, 1974 को देय होती थी । अदायगियां चार किस्तों तक की गई थीं । और जैसा कि 29 अप्रैल, 1975 को उत्तर दिये गये लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 7909 के उत्तर में उल्लेख किया गया था कि न्यायालय ने पांचवीं किस्त की अदायगी के लिए 31 जुलाई, 1975 तक के समय के विस्तार की स्वीकृति दी थी तथा छठी किस्त, पांचवीं किस्त की अदायगी के पूर्ण होने से दो साल की अवधि में दी जानी थी ।

जैसा कि 18 दिसम्बर, 1977 को उत्तर दिये गयलोकसभा अतारांकित प्रश्न के उत्तर में उल्लेख किया गया था, कि कम्पनी ने कम्पनी रजिस्टार, दिल्ली के पास 31 मार्च, 1975, 31 मार्च, 1976 और 31 मार्च, 1977 तक समाप्त होने वाली अवधियों के लिए जमाओं की विवरणी प्रस्तुत नहीं की है। कम्पनी के समापन का दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 15 अप्रैल, को आदेश दिया गया था। कम्पनी ने शासकीय समापक, दिल्ली के पास कार्य विवरणी प्रस्तुत नहीं की। इसलिए सरकार को कम्पनी द्वारा जमाओं की अदायगियों के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति की जानकारी नहीं है। शासकीय समापक दिल्ली द्वारा भूतपूर्व निदेशक के विरुद्ध कार्य विवरणी प्रस्तुत नहीं करने के लिए अपराध का मामला प्रस्तुत किया गया है।

(ग) तथा (घ) कम्पनी की समापन कार्यवाहीयां उच्च न्यायालय के निर्देशान्तर्गत सपन्न की जाती है इसलिए सभी कार्यवाही शासकीय समापक द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशकों के अनुसरण में की जाएगी।

आर्थिक शक्ति का केन्द्रीत होना

7200. **श्री चित्त बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री औद्योगिक घरानों की बिक्री और लाभ के बारे में 21 मार्च, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 388 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन वर्षों के दौरान केवल कुछ ही हाथों में आर्थिक शक्ति और अधिक केन्द्रीत हुई है; और

(ख) यदि हां तो स्थिति का अनुमान लगाने और इस प्रवृत्ति को उल्टा मोड़ने के लिये क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) दिनांक 21 मार्च, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 388 के उत्तर में 45 औद्योगिक घरानों के व्यापारावर्त तथा लाभों की बाबत् सूचना दी गई है। आंकडों से प्रतीत होता है कि इन में से अधिकांश के व्यापारावर्त तथा लाभों में वृद्धि हुई है तथा उसी सीमा तक इन घरानों की आर्थिक शक्ति में भी वृद्धि हुई है।

(ख) दिनांक 23 दिसम्बर, 1977 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी सरकार के वक्तव्य के पैरा 18 व 19 में, बृहद घरानों के भावी विस्तार के लिये लगाये गये नवीन बन्धनों का ब्यौरेवार वर्णन है। (सम्बन्धित भाग संलग्न है।)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2131/78]

कुलियों द्वारा दी जाने वाली फीस

7201. **श्री बी० सी० काम्बले :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुख्य कुली (मुकद्दम) सहित प्रत्येक रेलवे कुली को लाइसेंस फीस (शुल्क) सहित (एक) रेल अधिकारियों (दो) मध्य, पश्चिम, दक्षिण तथा पूर्व रेलवे में रेलवे संघ को मासिक अथवा वार्षिक विभिन्न प्रकार की कितनी फीस देनी होती है; और

(ख) जिन परिस्थितियों में रेल कुलियों को कार्य करना पड़ता है उसको देखते हुए क्या सरकार का विचार फीस (शुल्क) कम करने तथा अधिक लाल वर्दी प्रदान करने की सुविधा मंजूर करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) लाइसेंस धारी भारिकों द्वारा रेल प्रशासनों को दिये जाने वाले लाइसेंस शुल्क की सीमाएं 1 रु० से 5 रु० प्रति भारिक, प्रति मास हैं। इनका निर्धारण किसी स्टेशन के महत्व और वहां प्रस्तुत यातायात पर निर्भर करता है। मुख्य भारिक (मुकद्दम) को किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता।

भारिकों द्वारा उन यूनियनों को जिन्हें रेल प्रशासन द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गयी है, दिये गये चन्दे/शुल्क के बारे में रेलवे को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Flag Station at Rasana Mahar

†7202. **Shri Motibhai R. Chaudhary**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a demand has been made to provide a flag station at Rasana Mahar between Chandisar and Disa station on Palanpur-Gandhidham railway line in Ajmer Division on the Western Railway and, if so, since when and the reasons for not fulfilling it ;

(b) whether it is a fact that there is a long distance between Chandisar and Disa and if so, whether keeping this fact in view this station will be provided for convenience of the people and if so, when ; and

(c) whether with a view to provide facilities to employees of Dantiwada Dam and also to employees of Agriculture University of Gujarat State, this station will be provided at an early date ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c) : Demands were received in the years 1961, 1969, 1972 and 1976 for opening a halt station at Rasana Mahar between Chandisar and Disa stations. The proposal was examined but was not found financially justified. The distance between Chandisar and Disa stations is 14.20 Kms. This area is very well served by Road transport. There is an asphalted road running parallel to the Railway line and for the convenience of the public and the employees of Dantiwada Dam and Agriculture University, adequate number of buses are being operated by the Gujarat State Road Transport Corporation. However, the proposal would be examined once again.

जला हुआ कोयला चुगन और राख उठाने के ठेके

7203. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद और लखनऊ डिवीजनों में "खुले क्षेत्र (ओपन एरिया) सहित शैड की सफाई करने" के लिए जिन ठेकेदारों/श्रम सहकारी समितियों के पास जला हुआ कोयला चुने और राख उठाने के ठेके हैं उनको राशियों का एक मुश्त भुगतान किया जा रहा है;

(ख) ठेकेदारों/श्रमसहकारी समितियों को लखनऊ डिवीजन का अन्य लोको शैडों सहित टूण्डला, शिकोहाबाद, अलीगढ़, एटा, इलाहाबाद, कानपुर, जूही, चुनार आदि में किये गये एक मुश्त भुगतान का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उत्तर रेलवे के इलाहाबाद और लखनऊ डिवीजनों में कोयला चढ़ाने उतारने, जला हुआ कोयला चुगने और राख उठाने के ठेके सम्बद्ध डिवीजनल सुपरिटेंडेंट द्वारा दिये जाते हैं अथवा सम्बद्ध सीनियर डिवीजनल मैकेनिकल इंजिनियरों द्वारा दिये जाते हैं; और

(घ) श्रम सहकारी समितियों को ठेके देने के बारे में सीनियर डिवीजनल मैकेनिकल इंजीनियर के निर्णय के विरुद्ध अपील या पुनर्विचार करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) लखनऊ मंडल पर राख उठाने के लिए एक मुश्त भुगतान किया जा रहा है, जब कि इलाहाबाद मंडल के कुछ शैडों में एक मुश्त भुगतान किया जा रहा है तथा अन्य में उठायी गयी राख की वास्तविक मात्रा के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। जला हुआ कोयला चुगने के लिए, चुगी गयी मात्रा तथा बुपुर्दगी के लिए भुगतान किया जा रहा है।

(ख) इलाहाबाद तथा लखनऊ मंडलों के शैडो में राख उठाने के लिए हर महीने एक मुश्त भुगतान की जा रही राशि निम्नलिखित है :-

इलाहाबाद मंडल		लखनऊ मंडल	
शैड	राशि	शैड	राशि
	रुपये		रुपये
इलाहाबाद	विभागीय	लखनऊ	5975.00 रुपये
टूण्डला .	7001.00 रुपये	फैजाबाद .	1825.00 रुपये
शिकोहाबाद .	1871.00 रुपये	प्रतापगढ़ .	1000.00 रुपये
अलीगढ़ जं०	1100.00 रुपये	वाराणसी .	950.00 रुपये
इटावा	कुछ नहीं	रायबरेली	600.00 रुपये
कानपुर . .	2191.00 रुपये	सुलतानपुर	1130.00 रुपये
कानपुर . .		जौनपुर . .	850.00 रुपये
(जी०एम०सी०/जूही)	कुछ नहीं	प्रयाग . .	600.00 रुपये
चुनार .	701.00 रुपये		

(ग) वरिष्ठ मंडलीय यांत्रिक इंजीनियर को टेंडर समिति की सिफारिशों पर ठेके प्रदान करने का अधिकार है।

(घ) इस मामले में अपीलों की समीक्षा करने के लिए मंडल अधीक्षक, सक्षम प्राधिकारी हैं।

गौहाटी तिनसुखिया रेल लाइन

7204. **श्री अहमद हुसेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकट भविष्य में गौहाटी से तिनसुखिया तक बड़ी लाइन की व्यवस्था करने/बढ़ाने के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं; और

(ख) इस पर कितना खर्च आयेगा तथा क्या कोई सर्वेक्षण आदि किया गया है। किए जाने की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : बड़ी लाइन को गुवाहाटी से आगे तिनसुखिया तक बढ़ाने के प्रश्न पर गुवाहाटी तक बड़ी लाइन बन जाने के बाद विचार किया जा सकेगा। इस 513 कि०मी० लम्बी लाइन का प्रस्तावित आमान परिवर्तन की लागत लगभग 55 करोड़ रुपये आयेगी।

मद्रास में कास्टिक सोडा कारखाना के लिए लाइसेंस

7205. **श्री जी० भुवारहन** : या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने मद्रास में कास्टिक सोडा कारखाना आरम्भ करने के लिए लाइसेंस दिया है ;

(ख) यह लाइसेंस कब दिया गया था; और

(ग) कारखाना अब तक चालू न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : जी, हां। मैसर्स कोठारी (मद्रास) लि० को निम्नलिखित क्षमताओं के लिए कास्टिक सोडा, लिक्विड (तरल) क्लोरीन तथा हाइड्रोक्लोरिन एसिड के निर्माण के लिए तमिलनाडु राज्य में एक नई एकक की स्थापना के लिए दिनांक 24.12.1975 को एक औद्योगिक लाइसेंस संख्या सी आई एल 466 (75) जारी किया गया था।

(i) कास्टिक सोडा	33,000 मी०टन प्रति वर्ष
(ii) लिक्विड (तरल) क्लोरीन	20,000 मी० टन प्रति वर्ष
(iii) हाइड्रोक्लोरीन एसिड	24,750 मी० टन प्रति वर्ष

(ग) कास्टिक सोडा एक दीर्घावधि वाला उद्योग है। फर्म को 31.3.76 को सी सी आई एण्ड ई द्वारा उपकरणों और मशीनरी के आयात के लिए एक पूंजीगत माल आयात लाइसेंस (केपीटल गुडस इम्पोर्ट लाइसेंस) दिया गया था फर्म का सिविल निर्माण कार्य तथा मशीनरी के ढांचे सम्बन्धी निर्माण कार्य आदि अन्तिम स्तर पर हैं। यह अनुमान किया जाता है कि एकक 1979 में उत्पादन प्रारम्भ करेगा।

स्वदेशी पोलिटैक्स लिमिटेड के बारे में शिकायतें

7206. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री स्वदेशी पोलिटैक्स में कुप्रबन्ध के बारे में 14 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2688 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों/पार्टियों के नाम क्या हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उपरोक्त प्रश्न के (क) तथा (ख) भागों में उल्लिखित स्वदेशी पोलीटैक्स लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतें की थी;

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि ये शिकायतें स्वदेशी काटन मिल्स लिमिटेड के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के कहने पर जा रही हैं जो स्वदशी पोलिटैक्स लिमिटेड के कुशल कार्यकरण में बाधा डालने को कटिबद्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) एक वितरण पत्र संलग्न है ।

(ख) जैसा कि विवरण-पत्र में उल्लेख किया गया था, स्वदेशी काटन मिल्स के प्रबन्ध निदेशक श्री आर० आर० जयपुरिया ने कतिपय शिकायतें की हैं । यह ज्ञातव्य नहीं है कि क्या उसने दूसरों को भी स्वदशी पोलिटैक्स लिमिटेड के विरुद्ध भड़काया है ।

(ग) शिकायतों का, जैसा कि 14 मार्च, 1978 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 2688 के उत्तर में उल्लेख किया गया था, अन्वेषण किया जा रहा है ।

विवरण

1. श्री वी० एन० आहुजा
2. श्री बाल कृष्ण टंडन
3. श्री शशी कुमार मल्होत्रा
4. श्री वेद प्रकाश अग्रवाल
5. श्री मुरलीधर गुप्ता
6. श्री राजा राम जयपुरिया
7. श्री राजेन्द्र कुमार महेश्वरी
8. बी० बी० नरुला
9. श्री गोपाल चन्द मित्तल
10. श्री कुंज बिहारी लाल
11. स्व शी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटड
12. श्री जी० पी० खैतान
13. श्री एस० डी० वनुंरलेस्कर
14 स्वदेशी पोलिटैक्स के कर्मचारी (हस्ताक्षर रहित)

1974 में रेल हड़ताल

7207. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इंडिया रेलवे इम्प्लायीज फैडरेशन ने एन० ई० सी० आर० एस० के क संघटक के रुप में वर्ष 1974 की रेल हड़ताल में भाग लिया था ;

(ख) क्या वर्तमान रसकार सभी यूनियनों के साथ परामर्श कर रही है, परन्तु ए० आई० आर० एफ० की सलाह पर कन्फेडरेशन की उपेक्षा कर रही है ;

(ग) सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए वर्तमान सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, क्योंकि दोनों ही फैडरेशन ऐसा करने में पूर्णतः विफल रहे हैं ;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ पदाधिकारी ए० आई० आर० एफ० और एन० एफ० आई० आर० के पदों पर गत 25 वर्षों से आसीन हैं और उनके चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से नहीं किये जाते हैं और

(ङ) यदि हां, तो मजदूर संघों को लोकतांत्रिक बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (शिव नारायण) : (क) इस महासंघ अथवा उसके घटकों ने रेलों को हड़ताल करने का नोटिस दिया था ।

(ख) संसद में रेल मंत्री द्वारा यह बयान दिये जाने के फलस्वरूप कि वे रेल कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में श्रम संगठनों से बातचीत करेंगे, दो मान्यता प्राप्त संगठनों अर्थात् आल इंडिया रेलवे मैन्स फैडरेशन और नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवे मेन के साथ तथा रेल मजदूरों से सम्बद्ध कुछ संसद सदस्यों जिनके साथ ट्रेड यूनियनों के लोग भी थे साथ ही अनौपचारिक रूप से बातचीत हुई थी ताकि यह पता लगाया जा सके रेलों पर उचित औद्योगिक सम्बन्धों को बढ़ाने के लिए क्या ठोस कदम उठाये जा सकते हैं ।

(ग) मान्यता प्राप्त दोनों संगठनों के कर्मचारियों का अनेक कोटियों के मामले उठते हैं । इसके अतिरिक्त सरकार की नीति यह है कि रेल कर्मचारियों की सभी शिकायतों और मांगों पर उचित ध्यान दिया जाय चाहे उन्हें किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा प्रस्तुत किया गया हो या किसी गैर-मान्यता प्राप्त यूनियन/फैडरेशन द्वारा ।

(घ) और (ङ) : इनका सम्बन्ध निकायों के आन्तरिक मामलों से है । इन संगठनों के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में कोई विवाद नोटिस में नहीं आया है ।

एकाधिकार आयोग की धारणा के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के विचार

7208. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने एकाधिकार आयोग धारणा को संशोधित करने के बारे में सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख): भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ, नई दिल्ली ने श्री न्यायाधीश राजेंद्र खन्ना की अध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति को दिये गये ज्ञापन में, उपस्थापित किया है कि एकाधिकार एवं निबन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अध्याय 3 को हटा दिया जाय । और यह भी सुझाव दिया है कि एकाधिकार आयोग केवल निबन्धनकारी व्यापार प्रथाओं से सम्बन्धित मामलों को ही संव्यवहारित करे । सरकार उक्त समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है, जिसको उसके पास 30 जून, 1978 तक प्रस्तुत कर दिये जाने की आशा है, इसके पश्चात् सरकार इस में की गई सिफारिशों का अध्ययन करके अपने विचार सूचित करेगी ।

Conversion of Raipur-Dhamtari narrow gauge

†7209. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1057 on the 28th February 1978 regarding uneconomic railway in Madhya Pradesh and state:

(a) the time by which work relating to conversion of Raipur-Dhamtari narrow gauge line into broad gauge line will be undertaken because its survey has already been completed;

(b) the time by which survey in regard to linking of Jabalpur-Gondia narrow gauge line with broad gauge line is expected to be completed and when the work of laying broad gauge line will be started.

(c) whether it is proposed to link Gwalior-Shivpuri narrow gauge line with Guna-Maksi line by converting it into broad gauge line; and

(d) if so, whether residents of this area have submitted to Govt. any complaint or suggestions and what is the estimated amount of expenditure likely to be incurred on the conversion of 120 kilometre line into broad gauge line?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) The question of taking up the conversion of the Raipur-Dhamtari narrow gauge line into broad gauge will depend upon the availability of resources and the time by which the conversion will be undertaken cannot be indicated at this stage.

(b) The Preliminary Engineering-cum-Traffic survey for the conversion of Jabalpur-Gondia narrow gauge section into broad gauge is nearing completion. A decision regarding the conversion of the line will be taken after the survey is completed and the report examined.

(c) and (d): Gwalior-Shivpuri line has since been dismantled. Representations have been received for linking Gwalior with Guna by a BG line. The proposed line will be 225 kms. long and will cost approximately Rs. 32 crores and will be given due consideration as and when there is substantial improvement in the resource position for construction of new lines in backward areas of the country.

G.M. Western Railway's visit to Porbandar

†7210. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the General Manager of Western Railway, Bombay had visited Porbandar city of Saurashtra Region in Gujarat and if so, when;

(b) whether the Railway employees Union, Porbandar had submitted certain demands at that time and if so, the details thereof;

(c) the names of demands which have been accepted and which have not been accepted so far separately indicating the reasons for not accepting those demands; and

(d) the time by which they will be accepted?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (d): Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Seminar on Bombay High Oil and Gas Ahmedabad

7211. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether a Seminar on Bombay High Oil and Gas and their utilisation was held on 23rd July, 1977 under the auspices of Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Ahmedabad and Forum for Development of Gujarat, Ahmedabad and a memorandum containing demands raised in the seminar was submitted to Government ;

(b) if so, when Government received the said memorandum and the demands made therein ;

(c) which of these demands have been accepted and when these were accepted ; and

(d) the demands which have not so far been accepted indicating the reasons therefor and when and how these demands will be accepted ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) to (d) : A seminar had been organised by the Gujarat Chamber of Commerce and Industry in July 1977 on the utilisation of gas from offshore structures of Bombay High and Bassein fields with particular reference to Gujarat. No memorandum containing any demands raised in the seminar was submitted to Government.

However, in the seminar it was decided that an Action Committee consisting of members representing industry, technology and Government Administration be appointed to assess the potential of offshore gas and crude oil and its effective and optimum utilisation. Accordingly a Committee under the chairmanship of the then President of the Gujarat Chamber of Commerce and Industry was constituted. Its Report has been received by the Government on the 4th April, 1978. The various recommendations of this Report are under examination at present.

अनुभाग अधिकारियों का स्थानान्तरण

7212. **श्री रोबिन सेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राजकोट भावनगर, रतलाम और कोटा डिवीजनों के अनभाग अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जाता है जब कि पश्चिम रेलवे यातायात लेखा कार्यालय (ट्रेफिक एकाऊंट्स आफिस) के दिल्ली कार्यालय में कार्य कर रहे अनुभाग अधिकारियों का स्थानान्तरण नहीं किया जाता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : जी नहीं । अनुभाग अधिकारी (लेखा) के पद प्रवरण पद हैं । उनकी वरिष्ठता समूची रेलवे के आधार पर निर्धारित की जाती है और उनका स्थानान्तरण पश्चिम रेलवे पर किसी भी स्थान पर किया जा सकता है ।

वाराणसी डिवीजन का सिगनल और दूर-संचार कर्मचारी एसोसिएशन

7213. **श्री रोबिन सेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी डिवीजन के सिगनल और दूर-संचार कर्मचारी एसोसियेशन से सरकार को उनकी शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनका समाधान करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नाराचण) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दार्जिलिंग प्लांटेशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का निदेशक बोर्ड

7214. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दार्जिलिंग प्लांटेशन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता के निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं और इस कम्पनी के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त कम्पनी का एक विदेशी कम्पनी अर्थात् दार्जिलिंग टी कम्पनी लिमिटेड के कारोबार को हाथ में लेने हेतु गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए इस कम्पनी में भारी पुंजी निवेश किया गया है ;

(घ) प्रमुख शेयरधारी कौन कौन हैं और प्रत्येक के पास कितने प्रतिशत, कितने मूल्य के शेयर हैं; और

(ङ) क्या यह आरोप लगाया गया है कि इस कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों का उल्लंघन करके बहुतसी अनियमितताएं की हैं यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ख) तथा (ग) : यह कम्पनी भारत में, दि दार्जिलिंग कम्पनी लिमिटेड, ब्रिटेन के व्यापार तथा उपक्रम का अवाप्ति के लिये प्रवर्तित तथा निर्मित हुई थी । कम्पनी, कम्पनि रजिस्ट्रार, कलकत्ता के पास 24-12-76 को पंजीकृत हुई थी । कम्पनी में नियोजनों की बाबत कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कम्पनी ने अभी तक कोई तुलन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है । कम्पनी का प्रथम तुलन-पत्र कम्पनी रजिस्ट्रार कलकत्ता के पास जून 1978 तक प्रस्तुत किया जाना है ।

(घ) कम्पनी ने अपने विनिगमन से अभी तक कोई बंटन विवरणी प्रस्तुत नहीं की है । इसने कोई वार्षिक विवरणी भी प्रस्तुत नहीं की है । इसकी प्रथम वार्षिक विवरणी को अभी प्रस्तुत करने का समय आया है । अतः हिस्सेधारियों तथा धारित हिस्सों की बाबत कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, निम्नांकित व्यक्तियों ने कम्पनी के पार्षद नियमों को अभिदत्त किया एवं प्रत्येक ने 10 रु० के मूल्य का एक साम्य हिस्सा लिया है :—

1. श्री श्रीराम कपूर
2. श्री एन० ए० राजन
3. श्री ज० कपूर
4. श्री पी० सुब्रामैनियम

5. श्री एस० एन० धावन

6. श्री पी० के० पान्डे

7. श्री आर० मैनन

(ङ) इस प्रकार के कोई आरोप प्राप्त नहीं हुए हैं ।

विवरण

(1) मैं० दार्जिलिंग प्लान्टेशन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक मंडल की संरचना निम्न प्रकार है :—

नाम

1. श्री फैंक आर्थर फैरो

2. श्री श्रीराम कपूर

3. श्री गोलाम मोमिन

(2) कम्पनी का मुख्य उद्देश्य, साथ साथ, दार्जिलिंग कम्पनी लिमिटेड, नामक एक कम्पनी, जो इंगलिश कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत विनिगमित हुई थी, तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय लंदन में तथा भारत के लिये मुख्य कार्यालय 31 चौरंगी रोड, कलकत्ता में है, के भारत स्थित व्यौपार तथा उपक्रम को अवाप्ति गृहण करना तथा विकास करना था । साथ ही इस उद्देश्य में भारत को इसके व्यापार व उपक्रम से सम्बन्धित सभी जायदाद, परिसम्पत्तियां सभी ऋण व देयताओं, ठेकों तथा चायबागों का प्रबन्ध सम्मिलित था । मुख्य उद्देश्य, जो इसके पार्षद नियमों में दिया गया है, जो इस कम्पनी द्वार हाथ में लिया जायेगा, में यह व्यापार भी सम्मिलित है :—

चाय काफी तथा अन्य उत्पादों के बाग लगाना, खेती करना, उगाना तथा व्यापार करना तथा बागवानी व खेती की सभी प्रकार की मशीनरी, कार्यान्वयन, अपेक्षित वस्तुओं आदि का निर्माण, व्यापार ।

ए० एस० सी० इन्जीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट्स लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के निदेशकों के नाम

7215. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ए० एस० सी० इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट्स लि०, कलकत्ता के निदेशक बोर्ड के निदेशकों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रमुख शेयरहोल्डरों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक व्यक्ति और फर्मों के पास कितने मूल्य के शेयर हैं और उनकी प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि कम्पनी के प्रबन्धकों ने कम्पनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करके अत्यधिक अनियामतताए की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) 2 मई, 1977 तक बनाई गई वार्षिक विवरणी के अनुसार, मै०ए०एस०सी०इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की संरचना निम्न प्रकार है :—

1. श्री बी० सी० मित्तल
2. श्री एम० एल० मित्तल
3. श्री आर० के० चौधरी
4. श्री एम० सुदर्शनम्
5. श्री एल० एन० मित्तल
6. श्री एम० गोइन्का

श्री के० के० दमानी अतिरिक्त निदेशक के रूप में 17-5-1977 के फर्म संख्या 32 के अनुसार परिवर्ती नियक्त किये गये थे ।

(ख) इस कम्पनी के मुख्य साम्य हिस्सेधारी निम्नलिखित है :—

हिस्सेधारी का नाम	10 रु० की दर के धारित साम्य हिस्सों की संख्या	प्रतिशत
1. मै० ग्योवानीला लिमिटेड . . .	2,15,150	49.30%
2. मै० कनौरिया प्लास्टोचीम प्रा० लि० . .	1,20,000	27.50%
3. श्री एस० के० रटेरिया . .	40,000	9.17%
4. श्री पी० के० मित्तल	21,000	4.81%
5. श्री वी० के० मित्तल	20,050	4.59%
6. श्री एस० के० कनौरिया	20,000	4.58%
	4,36,200	

(ग) नहीं, श्रीमान जी । इस विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) उत्पन्न नहीं होती ।

Railway crossing near Jhouba Railway Station

†7216. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is need for constructing a railway crossing near Jhouba railway station on the North East Frontier Railway for the farmers and workers residing in Jhouba, Kursel, etc. villages ;

(b) whether there are many trains going from Katihar to Assam and from Katihar to Barsoi and Radhikapur railway stations; and

(c) whether Government propose to provide a railway crossing there in view of the difficulties of the people and if so, the time by which the said railway crossing will be provided; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) There is no need for constructing a new level crossing as the existing level crossing at km 597/11-12 near Jhouba station is already available to villagers for crossing the railway tracks.

(b) Yes.

(c) & (d) : Do not arise.

मंचेश्वर स्थित सवारी डिब्बे मरम्मत करने का कारखाना

7217. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग की भुवनेश्वर के निकट मंचेश्वर स्थित डिब्बे मरम्मत करने के एक कारखाने की स्थापना करने सम्बन्धी कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) आशा है मंचेश्वर में इस यान मरम्मत कारखान के निर्माण का काम शीघ्र ही शुरू हो जायेगा। इस काम के लिए 1978-79 के बजट मे 42.91 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी गयी है। दक्षिण पूर्व रेलवे से प्राप्त इस निर्माण कार्य की परियोजना रिपोर्ट और प्राक्कलन की इस समय जांच पड़ताल की जा रही है ।

कटक में रेलवे सेवा आयोग

7218. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग रेलवे सेवा आयोग, पूर्व क्षेत्र की एक शाखा कटक में अथवा भुवनेश्वर अथवा खुर्दा रोड में खोलने पर विचार कर रहा है जैसे कि अभी हाल में रांची और धनबाद में शाखा कार्यालय खोले गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख): उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर या कटक में रेल सेवा आयोग कलकत्ता का एक शाखा कार्यालय खोलने का सुझाव दिया है। इस बारे में जांच की जा रही है ।

पलासा और बालासोर के बीच एक यात्री रेल गाड़ी चलाने संबंधी प्रस्ताव

7219. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे विभाग को पलासा और बालासोर के बीच रेलवे लाइन के इस हिस्से में कोई सीधी यात्री रेलगाड़ी न होने के कारण यात्रियों को यात्रा करने में होने वाली कठिनाई को देखते हुए, कोई यात्री रेलगाड़ी चलाने संबंधी कोई प्रस्ताव जनता से प्राप्त हुआ है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : मार्ग के विभिन्न खण्डों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता की कमी के कारण तथा बालासौर और पलासा में अपेक्षित टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण, बालासौर तथा पलासा के बीच, इस समय एक यात्री गाड़ी चलाने का परिचालनिक दृष्टि से औचित्य नहीं है। बालासौर और पलासा दोनों स्टेशनों पर 3 जोड़ी डाक/एक्सप्रेस गाड़ियां ठहरती हैं। इसके अलावा खोरधा रोड़ में गाड़ी बदलने पर इन स्टेशनों के बीच मेल लेने वाली गाड़ियां भी उपलब्ध हैं।

विकलांग व्यक्तियों को रेलवे रियायत

7220. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकलांग छात्रों को रेलवे रियायत देने के बारे में थाने (महाराष्ट्र) की महिलाओं से सरकार को 30 अक्तूबर, 1977 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा निकट भविष्य में करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : थानाको महिलाओं से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन, अभिभावक संघ और बधिर विद्यार्थियों के विकास हाई स्कूल, दादर, बम्बई के प्रधानाचार्य से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। विचार करने के बाद यह विनिश्चय किया गया था कि शारीरिक दृष्टि से अपंग विद्यार्थियों के मामले में, वर्तमान नियमानुसार 15 के लिए एक के बदले ऐसे 5 विद्यार्थियों के साथ एक परिचर को अनुमति दी जानी चाहिए। एसोसियेशन की अन्य दो मांगें कि परिचर के रियायती टिकट के प्राधिकार पर 12 वर्ष से कम आयु के बहरे विद्यार्थियों को मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए और छः और 12 तथा 12 और 16 वर्ष के बीच बहरे विद्यार्थियों के मामले में मार्गदर्शन की सीमा बढ़ा दी जाये, स्वीकार नहीं की जा सकी।

कार अटेंडेंटों की शिकायतें

7221. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे बम्बई के डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट को बम्बई डिवीजन के बारे में कार अटेंडेंटों की शिकायतों के बारे में दिनांक 4 अक्तूबर, 1976 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाही की गई है और कब ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Hindi Advisory Committee

7222. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Hindi Advisory Committee has been constituted in his Ministry ; and

(b) if so, the names of members thereof and the number and names, among them, of those nominated on the recommendations of the Official Languages Department?

The Minister of States in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) & (b): No, Sir. The question of constituting the Hindi Advisory Committee in this Ministry is under active consideration.

कोयला और राख उठाने की ठेकेदारी पंजीकृत श्रमिक सहकारी संस्थायें

7223. **श्री हेमराम बटेश्वर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वास्तविक श्रमिकों को उन वास्तविक तथा पंजीकृत श्रमिक सहकारी संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनके पास उत्तर रेलवे के इलाहाबाद तथा लखनऊ डिविजनों में कोयला, जला हुआ कोयला तथा राख आदि उठाने के ठेके हैं और उनके पास गत वर्षों के ठेकों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) अनुसूची की विभिन्न मदों के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा निर्धारित तथा श्रमिक सहकारी संस्थाओं को अदा की गई कार्य दरों का ब्यौरा क्या है, और इलाहाबाद तथा लखनऊ डिविजनों पर अलग-अलग औसत मासिक यातायात कितना होता है ;

(ग) क्या इलाहाबाद डिविजन पर रात के समय कोयला उठाने के लिये ऊंची दरें निश्चित की गई हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि इलाहाबाद डिविजन में श्रमिक सहकारी संस्थाओं को जो दरें दी जाती हैं वे लखनऊ डिविजन में दी जाने वाली दरों से कम हैं; और

(ङ) यदि हां, तो श्रमिकों में असंतोष दूर करने के लिये इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) अनुबन्ध 'क' के रुप में एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-2132/78]**

(ख) अनुबन्ध 'ख' और 'ग' के रुप में दो विवरण संलग्न हैं । **[ग्रंथालय में रख गये । देखिए संख्या एल० टी०-2132/78]**

(ग) जी हां, अलीगढ़ जंक्शन पर इन तीन मदों के उतराई के सम्बन्ध में एक विवरण अनुबन्ध 'ख' में दिया गया है ।

(घ) एक स्टेशन की दरें दूसरे स्टेशन की दरों से भिन्न होती हैं । क्योंकि ये दरें ठेके की पिछली दरों को देखते हुए निर्धारित की जाती हैं । प्रत्येक स्टेशन पर दर निर्धारण वहां पर प्रचलित नैमित्तिक मजदूरी की दरों तथा अन्य बातों पर निर्भर करता है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Capital of U.P. Trading Company and other firms

7224. **Shri Hukmdeo Narain Yadav**: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the total initial capital of U.P. Trading Company, Darbhanga Marketing Company (Bihar) and their capital at the end of 1977 and amount of bank loan out of that and the names of industrial establishments in which these companies had their shares and the value of the shares; and

(b) whether these companies have transacted business in contravention of the provisions of the Companies Act and were found guilty and if so, the action taken against these companies?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) Information about the initial paid-up capital of M/s Uttar Pradesh Trading Company Limited and M/s Darbhanga Marketing Company Limited, according to their first balance sheets, and their latest paid-up capital as at 31-3-1977 along with the amount of bank loans taken by these companies and the details of their investments in other industrial establishments as on 31-3-1977 is given in the annexed statement.

(b) Both these companies had been inspected under section 209(4) of the Companies Act, 1956—Darbhanga Marketing Company Ltd., in 1973 and Uttar Pradesh Trading Company Ltd., in 1974. In the course of inspection, no violation of the Companies Act, 1956 came to notice in case of the former company. In the case of latter company, namely Uttar Pradesh Trading Company Limited, the inspection report brought out non-compliance of the provisions of sections 150 read with Rule 7 of the Companies (Issue of Share Certificate) Rules, 1960, 293(1)(d), 204(1) and 370 of the Companies Act, 1956. In view of the satisfactory compliance made/promise to make good these non-compliances except that of Section 370 of the Companies Act, were not pursued further. For non-compliance of Section 370 of the Companies Act, the company has been warned to be more careful in future.

Statement

Initial paid-up capital of M/s Uttar Pradesh Trading Company Ltd. and M/s Darbhanga Marketing Company Ltd. according to their first balance-sheet and their latest paid-up capital as at 31-3-77 *alongwith the amount of bank loans taken by these companies and the details of their investments in other industrial establishments.*

Sl. No.	Name of the Company	Date of registration	Paid-up Capital as at 31-3-52 (First balance-sheet) Rs.	Paid-up Capital as at 31-3-77 (Latest balance-sheet) Rs.	Amount of bank loan as on 31-3-77 Rs.	Details of investments as on 31-3-77 Names of the companies in which investments held	Amount Rs.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Uttar Pradesh Trading Company Ltd.	23-2-51	80,000	16,00,000	Nil	*Equity Shares* :	
						India Steamship Company Ltd. .	10,51,198
						The New Swadeshi Sugar Mills Ltd. . .	1,12,787
						The Oudh Sugar Mills Ltd. .	11,263
						Ratnakar Shipping Company Ltd. . .	7,71,840
						India Malayasia Textiles Berhad	2,94,181
						Maruti Ltd. .	4,00,000
						Octavious Steel & Co. Ltd. .	2,11,728
						Ceekay Automotive Products Ltd.	50,000

Statement—*Contd.*

1	2	3	4	5	6	7	8
						Vikram Roller Flour Mills Ltd.	1,00,000
						Shree Export House Ltd.	60,150
						Taparia Ltd.	40,105
						Haryana Oxygen Ltd.	50,000
						Preference Shares :	
						New India Sugar Mills Ltd. (12.21%)	2,506
						New India Sugar Mills Ltd. (5½%)	34,471
						Debentures :	
						Dabriwala Steel & Engg. Co. Ltd.	2,50,000
						The Hindustan times Ltd.	1,75,438
						TOTAL	36,15,667
2. Darbhanga Marketing Company Ltd.		23-2-51	78,910	8,68,010	Nil	*Ordinary Shares* :	
						India Steamship Co. Ltd.	12,75,629
						Industrial Credit & Investment Corpn. of India Ltd.	7,500
						Ratnakar Shipping Co. Ltd.	89,024
						Bihar State Financial Corpn. Ltd.	12,032
						Birla Buildings Ltd. (Shares of Rs. 10 each)	2,407
						Birla Buildings Ltd. (Shares of Rs. 100 each)	12,031
						Maruti Ltd.	3,00,000
						Vikram Roller Flour Mills Ltd.	1,00,000
						BeharJournals Ltd.	20,852
						Shree Export House Ltd.	60,150
						Newspapers Ltd.	2,760
						Taparia Ltd.	40,105
						Preference Shares :	
						Central India Machinery Mfg. Co. Ltd.	10,473
						Debentures :	
						Dabriwala Steel & Engg. Co. Ltd.	2,50,000
						TOTAL	21,82,963

[The above does not include share application money of Rs. 1,07,914 paid by the company for purchase of shares of Kapilavastu Sugar Mills Ltd.].

रेलवे डिब्बों में आने वाले लाइसेंस रहित फेरी वाले और भिखारी

7225. **श्री सूरज भान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि बहुत से फेरी लगाने वाले, जिन्हें रेलवे द्वारा लाइसेंस नहीं दिया गया है, और भिखारी रेलवे डिब्बों में आते हैं और वे यात्रा करने वाली जनता के लिये असुविधा पैदा करते हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो यात्रा करने वाली जनता के लिये इस मुसीबत तथा असुविधा की स्थिति को दूर करने के लिये, जो एक प्रकार से रेलवे के प्रबंध में जनता के विश्वास को खत्म करता है, क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी हां। गाड़ियों और स्टेशन परिसरों में भिखारियों और अनधिकृत हाकरों के उत्पात की रोकथाम के लिए हर प्रयास किया जाता है ।

रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा दल और टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों की सहायता से रोकथाम के विशेष अभियान चलाये जाते हैं ताकि स्टेशन परिसरों में भिखारियों और अनधिकृत हाकरों के प्रवेश को रोका जा सके और उन्हें स्टेशनों तथा गाड़ियो में से निकाला जा सकें ।

पोस्टरों और लाउड स्पीकरों पर घोषणा आदि के माध्यम से जनता का सहयोग पाने के लिए प्रयास किये जाते हैं । जनता से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे भिखारियों को भीख न दे और अनधिकृत व्यक्तियों से खाने-पीने की चीजें न खरीदें ।

चलती गाड़ियों में तथा स्टेशनों पर जो अनधिकृत हाकर खाने पीने की वस्तुएं बेचते हुए पाये जाते हैं, उनके विरुद्ध भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अन्तर्गत कारवाई की जाती है ।

Bareilly Station

7226. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he is aware that water taps at platform No. 4 in Barielly station on the Northern Railway remain dry during the period from 5 P.M. to 10 P.M. as a result of which passengers face great difficulty ; and

(b) if so, whether many complaints in this regard have also been entered in the complaint book and if so, the reasons for not taking action on this matter of public importance and whether the Divisional Superintendent, Moradabad did not pay attention to it ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) & (b) : All the platforms at Barielly Station on the Northern Railway are provided with 24 hours water supply. However, due to bursting of delivery pipe of one of the tubewells, the water pressure was not adequate from 31-3-1978 to 2-4-1978 and consequently there was no water in the taps on platform No. 4 during peak hours on those 3 days. The pipeline was repaired on 2-4-1978 and since then, there is sufficient water in the taps on platform No. 4.

Altogether, four complaints were received about insufficient water out of which one was on 31-3-1978 and the 2nd on 2-4-1978. The other two complaints are very old. undated and not even signed.

Recruitment of Gangmen in Western Railway

†7227. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Maflin formula is in force in recruitment of Gangmen in Ratlam Division on Western Railway ;

(b) the number of casual and substitute workers failing short of that provided in the said formula ; and

(c) when the old casual and substitute workers will be made regular ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) The modified Maflin formula has been held in abeyance.

(b) Does not arise.

(c) This depends upon vacancies and the suitability of the candidates to be adjudged in the selection for recruitment against the vacancies of Gangmen in the permanent cadre.

विदेशी मूल के ईसाई निकायों के स्वामित्व वाली कम्पनियां

7228. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत भारत में इस समय विदेशी मूल के ईसाई निकायों के स्वामित्व वाली कितनी कम्पनिया पंजीकृत हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक ने भारत में अब तक कितनी पूंजी लगाई है ;

(ग) कंपनियों के रूप में उनकी व्यापारिक गतिविधियां क्या है ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार प्रत्येक कंपनी को कितना लाभ हुआ ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) 31-3-78 तक उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार भारत में व्यापारिक स्थान रखने वाले विदेशी मूल के 15 ईसाई निकाय थे, जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 592 के अन्तर्गत पंजीकृत थे।

(ख) से (घ) : संलग्न विवरण-पत्र में, भारत में इन ईसाई निकायों के नियोजन (अर्थात्) परिसम्पत्तियों का मूल्य), उनके कार्य कलापों का प्रकृति, तथा उनके लाभ-हानियों, की गत तीन वर्षों की नवीनतम उपलब्ध सूचना का समावेश है।

विवरण

आवी शाखाओं के माध्यम से भारत में कार्य कर रही विदेशी मूल की ईसाई निकाय

क्रम संख्या	ईसाई निकाय का नाम	विदेशी ईसाई कम्पनी के विनिगमन का देश	नवीनतम उपलब्ध तुलन-पत्र के अनुसार भारतीय शाखा की परिसम्पत्तियों का मूल्य (लाख रु० में)	कार्य कलापों की प्रकृति	गत तीन वर्षों के मध्य आय से अधिक व्यय वर्ष (राशि लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6
1	अनाथ बन्धु गुहा एण्ड सन्स लिमिटेड	बंगला देश	7.72 (30-9-66 के तुलनपत्र के अनुसार) ।	धार्मिक तथा धर्मार्थ कार्य-कलाप	..
2	कनाडियन बैप्टिस्ट (ओवरसीज) फोरेन मिशन बोर्ड इन्टर-चर्च विदेश एजेन्सी)	कैनेडा	कम्पनी को बंद किये जाने की कार्यवाही चल रही हैं।	विदेशी मिशनरी कार्य को प्रबन्ध करना ।	..
3	अलोक लिमिटेड	ब्रिटेन	0.77 (31-12-62 के तुलन-पत्र के अनुसार कम्पनी को मृतप्राय समझा गया है) ।	केवल धमार्थ कार्य कलाप अर्थात विश्व के सभी भागों में युवकों में शिक्षा, अध्यायन अथवा अनुसंधान को प्रोत्साहन देना।	..

4	चर्च मिशनरी ट्रस्ट एसो-सियेशन ।	ब्रिटेन	तुलन-पत्र प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है ।	चर्च मिशनरी सोसाईटी के लिये किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ एकाकी या संयुक्त रूप से एक ट्रस्टी के रूप में अपने नाम का प्रयोग करना या करने की अनुमति देना ।			..
5	लन्दन मिशनरी सोसाइटी कारपोरेशन	ब्रिटेन	—वही—	धर्मार्थ कार्य कलाप क्राइस्ट के ज्ञान का प्रसार करना ।			..
6	मेथोईस्ट मिशनरी ट्रस्ट एसोसियेशन ।	ब्रिटेन	—वही—	धार्मिक कार्य कलाप ।			..
7	मिशन टू लेयर्स कारपोरेशन	ब्रिटेन	—वही—	—वही—			..
8	एस०टी० जान दि इवान्गीलिस्ट ट्रस्ट एसोसिएशन ।	ब्रिटेन	—वही—	—वही—			..
9	वैस्लगन मैथोडिस्ट मिशनरी ट्रस्ट एसोसिएशन ।	ब्रिटेन	—वही—	—वही—			..
10	वूमैन्स होम आफ फोरेन मिशन सोसाइटी आफ दि एडवेन्ट क्रिश्चियन डोमी-नेशन ।	संयुक्त राज्य अमेरिका ।	—वही—	—वही—			..
11	रायल कामनवैल्थ सोसाईटी फार दि ब्लाइन्ड ।	ब्रिटेन	8.72 (कम्पनी के 31-12-76 के तुलन-पत्र के अनुसार) ।	धार्मिक कार्य कलाप अर्थात अन्धों के लिये कल्याण, शिक्षा व नौकरी का प्रबन्ध करना तथा अन्धेपन को रोकना ।	1974 1975 1976	. . .	2.19 17.15 31.02

विवरण--जारी

1	2	3	4	5	6
12	वार आन वान्ट	ब्रिटेन	कम्पनी को बंद किये जाने की कार्यवाही चल रही है।	धार्मिक कार्य कलाप।	..
13	क्रिश्चियन चिल्ड्रन्त फण्ड इन्स०।	संयुक्त राज्य अमेरिका।	14.76 (कम्पनी के 30-6-77 के तुलन-पत्र के अनुसार)।	—वही—	1975 . 1.10 1976 . 1.50 1977 . 0.28
14	मिशनरी बोर्ड आफ दी चर्च आफ गाड।	संयुक्त राज्य अमेरिका।	5-55 (कम्पनी के 30-6-69 के तुलन-पत्र के अनुसार। कम्पनी को बंद किये जाने की कार्यवाही चल रही है)।	परोपकारी तथा धार्मिक कार्य कलाप।	
15	यूनाइटेड चर्च बोर्ड फार वर्ल्ड मिनिस्ट्रीज।	संयुक्त राज्य अमेरिका।	66.21 (कम्पनी के 31-12-74 के तुलन-पत्र के अनुसार)।	धार्मिक कार्य कलाप।	1972 कुछ नहीं 1973 कुछ नहीं 1974 कुछ नहीं

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

7229. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री हुकम देव नारायण यादव :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए कितनी कम्पनियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये हैं ; और

(ख) उनके विरुद्ध आरोपों की मुख्य बातें क्या हैं और उनके विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) : सूचना संग्रहीत की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा स्वदेश भेजा गया धन

7230. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975, 1976 और 1977 के तीन वर्षों में फार्मास्युटिकल्स उद्योग की विदेशी सहयोग वाली कम्पनियों द्वारा लाभांश रायल्टी और तकनीकी शुल्क के रुप में अपने-अपने देशों को कितनी राशि भेजी गई ;

(ख) इस कम्पनियों द्वारा उक्त अवधि में कितनी मुद्रा कमाई गई ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और क्या सरकार का विदेशी को भेजे जाने वाली राशि, यदि कोई हो, पर कोई रोक या प्रतिबंध लगाने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटा ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) और (ख) : वर्ष 1975 और 1976 में संगठित क्षेत्र की 40% से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली और विदेशी सहयोग प्राप्त औषध और भेषज निर्माता कम्पनियों के बारे में अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है ।

वर्ष 1977 के लिये सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) उद्योग के सभी क्षेत्रों में कार्यरत ऐसी सभी विदेशी कम्पनियों पर लागू संबंधित सांविधिक/विनियमन संबंधी प्रावधानों के अनुसार लाभ आदि को स्वदेश भेजने की अनुमति दी जाती है।

विवरण

क्रम संख्या	फर्म का नाम	लाभांश रायल्टी और तकनीकी शुल्क के रुप में बाहर भेजी गई राशि		औषधों के निर्यात के रुप में अर्जित विदेशी मुद्रा
		वर्ष	राशि मूल्य रुपये लाखों में	राशि मूल्य रुपये लाखों में
1	2	3	4	5
1	मैसर्स एबोट लबोरेटरीज	1975	शून्य	72.73
		1976	16.36	53.23
2	मैसर्स बी कौम . .	1975-76	2.66	1.30
		1976-77	शून्य	0.30
3	मैसर्स बुरोज वैल्कम . .	1975	शून्य	18.40
		1976	3.91	22.80
4	मैसर्स वारनर हिन्दुस्तान .	1975	6.55	26.17
		1976	13.00	28.60
5	मैसर्स कार्टर वालेस . .	1975	शून्य	एन ए
		1976	0.03	वही
6	मैसर्स हिवफैन्स . .	1975	शून्य	एन ए
		1976	0.20	एन ए
7	मैसर्स मे एण्ड बेकर . .	1975	शून्य	50.24
		1976	3.91	39.76
8	मैसर्स एस० के० एफ० . .	1975	28.55	0.90
		1976	..	2.60
9	मैसर्स रोश . . .	1975	8.59	29.98
		1976	30.67	55.41
10	मैसर्स इण्डियन शैरिंग्स . .	1975	0.47	एन ए
		1976	शून्य	वही
11	मैसर्स पार्क डैविस . .	1975	वही	9.30
		1976	10.01	30.91

विवरण—जारी

1	2	3	4	5
12	मैसर्स एंग्लो फ्रेंच . .	1975	0.60	3.62
		1976	0.90	12.53
13	मैसर्स ग्लैक्सो . .	1975	33.43	166.52
		1976	45.46	165.94
14	मैसर्स जानसन एण्ड जानसन .	1975	1.88	49.13
		1976	16.28	38.81
15	मैसर्स फाइज़र लिमिटेड .	1975	15.60	84.29
		1976	एन ए	86.21
16	मैसर्स वैय्थ लैबोरेटरीज लि०	1975	4.45	शून्य
		1976	11.13	शून्य
17	मैसर्स सीबा गेगी . .	1975	21.33	37.00
		1976	34.18	8.00
18	मैसर्स साइनामाइड . .	1975	1.35	18.23
		1976	19.70	14.37
19	मैसर्स अल्कली एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० .	1975	शून्य	22.00
		1976	वही	27.00
20	मैसर्स ई० मर्क . .	1975	3.83	7.69
		1976	शून्य	8.90
21	मैसर्स मर्क शार्प एण्ड डोहमे .	1975	0.02	16.00
		1976	13.45	10.05
22	मैसर्स सैन्डोज . .	1975	शून्य	168.00
		1976	25.84	264.00
23	मैसर्स बूट्स . . .	1975	4.79	33.25
		1976	10.17	37.09
24	मैसर्स रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि० .	1975-76	4.60	33.00
		1976-77	12.00	40.00
25	मैसर्स बेयर इंडिया लि० .	1975	59.14	10.47
		1976	23.27	13.00
26	मैसर्स ज्योफरी मैनर्स . .	1975	6.03	2.58
		1976	20.32	5.58
27	मैसर्स हैक्सट फार्मास्यूटिकल लि० .	1975	9.48	100.60
		1976	20.36	133.71

विवरण—समाप्त

1	2	3	4	5
28	मैसर्स आरगेनोन	1975	4.50	122.25
		1976	4.06	220.43
29	मैसर्स सुहरिद गेगो	1975–76	2.00	शून्य
		1976–77	शुन्य	एन ए
30	मैसर्स सैनवायोटिक्स लि०	1975–76	1.34	3.28
		1976–77	शून्य	एन ए
31	मैसर्स यूनो सैंको	1975	0.40	3.61
		1976	1.07	8.32

बिना टिकट यात्रा करना

7231. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अब भी बहुत से लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने और सामान्यतया किन क्षत्रों में इस कारण रेलवे को कुल कितनी धनराशि की हानि होती है; और

(ग) उक्त दोष को प्रभावी रुप से रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है और इनके क्या ठोस परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : भारतीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा की बुराई से निपटने के लिए टिकट जांच की सामान्य व्यवस्था के अलावा टिकट जांच के जोरदार अभियाय चलाये जाते ह । 1-4-77 से 28-2-78 तक की अवधि के दौरान 99,442 विशेष जांचे की गयी, जबकी पिछले वर्ष की इसी अवधि में 88,737 विशेष जांचें की गयी थी । 1–4–77 से 28–2–78 तक की अवधि के दौरान इन संकेंद्रित अभियानों के परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री तथा उससे जो आमदनी हुई वह पिछले वर्ष की तदनुरुपी अवधि की आमदनी की अपेक्षा बहुत अधिक है । बिना तिकट यात्रा करने की मात्रा प्रत्येक क्षेत्र में तथा हर क्षेत्र की प्रयेंक गाड़ी में भिन्न-भिन्न होती है। वर्ष 1976-77 के दौरान सभी भारतीय रेलों पर नमूने के जांच के आधार पर बिना टिकट यात्रा से प्रतिवर्ष लगभग 18 करोड़ रुपयें का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया था ।

बिना टिकट यात्रा के विरूद्ध चलायें जा रहे अभियान में कोई ढील नहीं आ ी है । टिकट जांच सम्बधी गतिविधियां और तेज कर दी गयी हैं ।

न्यायाधीशों के रिक्त पद

7232. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एक या अधिक उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधिपति सहित न्याया ीशों के कोई पद रिक्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पूर्ण तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उक्त रिक्त पदों को कब और कैसे भरा जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों की जो स्थिति 13-4-1978 को थी उसको दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है । संबद्ध राज्य प्राधिकारियों और मुख्य न्यायाधिपतियों को स्मरण कराया गया है कि वे अपनी सिफारिशें शीघ्र भेज दे । उनसे यह भी कहा गया है कि वे प्रस्तावों को भेजने में विनिर्दिष्ट समय सूची के अनुसार ही कार्य करें ।

विवरण

क्रम सं०	उच्च न्यायालय का नाम	रिक्त पद		
		स्थायी	अपर	
1	2	3	4	
1	इलाहाबाद . .	2	..	
2	आंध्र प्रदेश . .	1	1	
3	मुम्बई . . .	..	4	
4	कलकत्ता . .	..	..	
5	दिल्ली . . .	1	3	
6	गौहाटी . .	4*	..	*रिक्त पदों में से एक पद मुख्य न्यायाधिपति का पद है ।
7	गुजरात . .	1	4	
8	हिमाचल प्रदेश . .	1†	..	†रिक्त पद मुख्य न्यायाधिपति का पद है ।
9	जम्मू-कश्मीर . .	..	1	
10	कर्नाटक . .	1	..	
11	केरल . . .	..	..	
12	मध्य प्रदेश . .	1	..	
13	मद्रास . . .	..	3	
14	उड़ीसा . .	..	1	
15	पटना . .	..	1	
16	पंजाब और हरियाणा .	1	3	

विवरण—जारी

1	2	3	4	
17	राजस्थान . .	3‡	4	‡इन रिक्त पदों में से एक पद मुख्य न्यायाधिपति का पद है । नियुक्ति अधिसूचित कर दी गई है, किन्तु मनोनीत मुख्य न्यायाधिपति ने कार्य ग्रहण नहीं किया है ।
18	सिक्किम . .	..	..	
		16	25	
		41		

कृपया ध्यान दें : इसके अतिरिक्त, 14 पद जो निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में हाल ही में उन तारीखों से सृजित किए गए हैं जिन तारीखों को वे भरे जाएंगे अभी भरे जाने है :—

	स्थायी	अपर
इलाहाबाद	..	3
हिमाचल प्रदेश	..	1
मध्य प्रदेश	..	6
कर्नाटक	1	..
पटना	..	3
	1	13
	14	

रेल द्वारा गुजरात को कोयले की ढुलाई

7233. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रेलवे बोर्ड द्वारा हाल ही में अचानक 35 प्रतिशत की कटौती किये जाने के कारण, दक्षिणी गुजरात में निश्चित कोटे के कोयले की ढुलाई पर गंभीर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कटौती करने के क्या कारण हैं, और

(ग) रेल द्वारा कुशल ढंग से तथा शीघ्रता से कोयले की ढुलाई में सुधार करने तथा वृद्धि करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेलवे बोर्ड द्वारा इस प्रकार की कोई कटौती नही की गयी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यथा संभव अधिकाधिक मात्राओं में कोयले का लदान कायम रखने के लिए रेलों द्वारा हरसंभव प्रयास किये जाते है ।

नैमित्तिक गैंगमैनों को परियोजना दरें

7234. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'ओपन लाइन' में काम करने वाले नैमित्तिक गैंगमैन को परियोजना दरें देने के मामले में और फिर बीमारी या अन्य सही कारणों से बाद के 6 महीनों में 20 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने पर परियोजना दरों से उनको वंचित रखने के सम्बन्ध में मंत्रालय ने क्या नीति और सिद्धान्त अपनाये हैं;

(ख) 'ओपन लाइन' में एक ही प्रकार के और विशिष्ट काम के लिए नैमित्तिक गैंगमनोंको आंशिक रूप से परियोजना दरें देने और सी० पी० सी० वेतनमान देने का क्या औचित्य है ;

(ग) उन नैमित्तिक गैंगमनों की कुल संख्या कितनी है जिनको वर्ष 1976 से धनबाद डिविजन में सी० पी० सी० वेतनमान और परियोजना दरे दी जाती हैं; और

(घ) परियोजना दरें दिये जाने के क्या कारण है और धनबाद डिविजन की 'ओपन लाइन' में यह पद्धति किस तारीख से लागू की गई थी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : चालू लाइनों पर नैमित्तिक श्रमिक पहले 120 दिन के लिए दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं । 120 दिन की लगातार सेवा पूरी हो जाने पर उन्हें मासिक दर पर और अस्थायी पद के स्थर पर रख लिया जाता हैं और वे अस्थायी रेल कर्मचारियों को दिये जाने वाले लगभग सभी लाभों के हकदार हो जाते हैं । परियोजना में सेवा के 6 महीने पूरे होने पर उन्हें वेतन क्रम के आधार पर वेतन दिया जाता है, मियाभाय अधिकरण द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार है, परियोजनाओं में काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों की लम्बी अवधि तक काम से अनुपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाती, अतः बीमारी आदि सरीखी आकस्मिकताओं के लिए उन्हें 20 दिन तक का प्राधिकृत अनुपस्थिति की स्वीकृति दी जाती है, इस सीमा से आगे किसी प्रकार का अनुपस्थिति से नियोजन की निरन्तरता भंग समझी जाती है और वेतन क्रम की दर पर वेतन के हकदार होने से पूर्व उन्हें 6 महीने की दूसरी सेवा अवधि पूरी करनी होती है ।

(ग) और (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक के तकनीकी पर्यवेक्षकों (टेक्निकल सुपरवाइजर्स) द्वारा हड़ताल

7235. **श्री ए० के० राय** : क्या पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक के तकनीकी पर्यवेक्षक 20-3-1978 से भूख हड़ताल पर हैं और यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है को तकनीकि पर्यवेक्षकों की मांगे लम्बे समय से उनके मंत्रालय के विचाराधीन हैं और यह मामला अभी तक विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो यह मामला कब तक विचाराधीन रहेगा और तकनीकी पर्यवक्षकों की हड़ताल को समाप्त कराने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : सिन्दरी एकक के तकनोकी सुपरवाइजरों ने एफ० सी० आई० में डिग्री और गैर डिग्री प्राप्त इंजीनियरों के लिए पदोन्नति के सिंगल चैनल को जारी करने की अपनी मांग के समर्थन में भूख हड़ताल की थी। एफ० सी० आई० के पदोन्नति के सिंगल चैनल को जारी करने के निर्णय के परिणामस्वरूप आंदोलन समाप्त किया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मियां भाई न्यायाधिकरण का पंचाट

7236. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल डिविजन के बाराकर और कालबोबेथन पी० डब्ल्यू०आई० के 160 गैंगमनों को 16 मार्च 1978 से ड्यूटी से रोक दिया गया है क्योंकि उन्होंने सेवा में कृत्रिम व्यवधान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था जिससे वे हमेशा के लिए सी० पी० सी० से वंचित रह जाते ;

(ख) क्या यह सच है कि सेवा में कृत्रिम व्यवधान की व्यवस्था मियांभाई न्यायाधिकरण के पंचाट की भावना के अनरूप नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी प्रथा को रोकने के लिए अनुदेश जारी करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं । वास्तव में पहले वाले कार्य की अस्थायी संस्वीकृति की समाप्ति पर 16-3-78 की संस्वीकृति के अन्तर्गत की गयी नयी नियुक्ति को उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने अब 28-3-78 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ।

(ख) और (ग) : वर्तमान नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाएं जान बूझ कर अस्थाई रूप से भंग की जाये । इस प्रकार की हिदायतों को समय-समय पर दोहरा दिया जाता है ।

Production of oil in Bombay High

7237. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) the quantity of oil being extracted from the Bombay High every month/every year at present;

(b) the quantity of petrol produced out of it and its percentage to the total petrol production in the country; and

(c) the maximum quantity of oil likely to be produced from Bombay High every year and by what time it will be achieved?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) The production rate from Bombay High has been stepped upto 80,000 barrels per day equivalent to 4 million tonnes per annum from 18-1-1978. Since 5-4-1978 production has been stopped for making connection to platform 'F' and making submarine pipelines operational. After these are commissioned the daily rate of production can be stepped upto about 100,000 barrels per day equivalent to 5 million tonnes per annum.

(b) The information is being collected and would be laid on the Table of the Sabha.

(c) On completion of Phase-III development of Bombay High in March 1980, the likely production from Bombay High is expected to be at the rate of 6 million tonnes per annum and on completion of Phase V by 1981-82, the production potential would be 10 million tonnes per annum.

हेवी रिपेअर शाप इलेक्ट्रिकल, खड़गपुर

7238. **श्री दोनेन भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खड़गपुर स्थित हैवी रिपेअर शाप इलैक्ट्रिकल का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है और वहां पर अप्रयुक्त क्षमता है जबकि काम अन्य स्थानों को स्थानान्तरित किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि काम स्थानान्तरित किये जाने के बाद उसे गैर सरकारी फर्मों को सौंपा जा रहा है जिस पर खड़गपुर की अनुमानित लागत से लगभग दुगनी लागत आती है ;

(ग) क्या सरकार को इस विषय पर कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और मांगे क्या है; और

(ङ) अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख) : जी नहीं ।

(ग) से (ङ) : जी हां । भारी मरम्मत कारखाना, बिजली कर्मचारी परिषद् खड़गपुर की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष तथा सचिव से माननीय रेल मंत्री के नाम एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । उठाये गये मुद्दों तथा वास्तविक तथ्य नीचे दिये गये हैं :–

(i) भारी मरम्मत कारखाना, खडगपुर से कार्य का स्थानान्तरण टाटानगर को करना

टाटानगर में बोर्ड द्वारा यथानुमोदित मरम्मत सुविधाए बिजली परिसम्पत्तियों में हुई वृद्धी के कारण उत्पन्न अतिरिक्त कार्यभार को सम्हालने के लिए स्थापित की गयी थी । दो मरम्मत कारखानों के बीच कार्य युक्तिसंगत बना दिया गया है । खड़गपुर कारखाने में सामान्य-सेवाओं तथा गाड़ी बत्ती संबंधी मशीनों की मरम्मत होती है जबकी टाटानगर के कर्षण मरम्मत कारखाने में बिजली रेल इंजनों के कर्षण मोटरों, ट्रांसफार्मरों आदि की मरम्मत होती है । युक्तिकरण खराब एवं मरम्मत किये गये उपस्करण की ढुलाई के कारण होने वाले निरर्थक खर्च को बचाने के लिए किया गया है ।

8—137 LSS/ND/78

(ii) प्राइवेट फर्मों को उंची लागत पर कार्य सौंपना

मरम्मत का कार्य प्राइवेट फर्मों को खडगपुर और टाटानगर कारखानों की क्षमता का पूरा उपयोग करने के बादही दिया गया है और वह भी उसी हद तक दिया गया है जितना ये कारखाने खराब उपकरण की मरम्मत करने में असमर्थ थे और जिससे भारी नुकसान होने का संभावना थी। निर्माण कार्य के ठेके टेण्डर प्रक्रिया भी विभिन्न विधिवत् अनुपालन करने के बाद तथा वित्त विभाग की उचित सहमति से सभी निर्धारित क्रियाओं का अनुपालन करते हुए दिये गये। प्राईवेट फर्मों द्वारा किये जाने वाले ऐसे निर्माण कार्यों की लागत जिन के लिए खड़गपुर कारखाने में सुविधाएं उपलब्ध हैं, खड़गपुर कारखाने में उनकी अनुमानित लागत से अधिक नहीं होती है।

(iii) खड़गपुर में कर्षण मोटर आर्मेचरों की मरम्मत के लिए स्वीकृत कर्मचारियों को अभ्यर्पित करना।

खड़गपुर में कुल कार्यभार कम नहीं हुआ है। खड़गपुर कारखाने में कोई भी कर्मचारी फालतू नहीं हुए है। वहां कोई निष्क्रिय क्षमता नहीं है।

दक्षिण पूर्व रेलवे में सिगनल तथा दूरसंचार विभाग का माइक्रोवेव अनुभाग

7239. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के सिगनल तथा दूरसंचार में माइक्रोवेव अनुभाग में पदों और कर्मचारियों के आरक्षण को कम करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार का निर्णय क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) से (ग) : बहुसरणि रेडियो रिले प्रणालीयों (माइक्रोवेव, यू एच एफ और वी एच एफ) के लिए अनुरक्षण कर्मचारियों की व्यवस्था करने हेतु इस मंत्रालय ने भिन्न-भिन्न प्रकार के रिपोर्टर स्टेशनों पर अनुरक्षण कार्यभार तथा क्षेत्रिय रेलों और डाक तार विभाग द्वारा कर्मचारियों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अपनाये जा रहे पैटर्न को ध्यान में रख-कर मापदण्ड निश्चित किये है। नये मापदण्डों का कार्यान्वियन होने पर कुछ रेलों पर अनुरक्षण कर्मचारियों की संख्या बढ़ जायेगी जबकि दक्षिण-पूर्व रेलवे पर यह कुछ कम हो जायेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे पर जो कर्मचारी फालतू होंगे, उन्हें उसी रेलवे पर नये माइक्रोवेव प्रतिष्ठानों के अनुरक्षण कार्य पर लगाया जायेगा और वहां, इसके कारण छंटनी नहीं होगी।

सूक्ष्म तरंग कार्य के लिये अधिक कुशलता की आवश्यकता

7340. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूक्ष्म तरंग अनुभाग का कार्य ऐसा है जिसे करने में अधिक कुशलता की आवश्यकता होती है और इस कार्य को करने वाले कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देना पड़ता है ;

(ख) क्या प्रारम्भ में कुछ ऐसे नियम बनाये गये थे कि कुछ कार्य निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को न सौंपा जाये;

(ग) क्या अब कुछ उंचे दर्जे की तकनीक वाले पदों का दर्जा घटाने का प्रयास किया जा रहा है और कर्मचारियो पर कार्यभार बढाया जा रहा है ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या निति है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) यह एक तथ्य है कि सूक्ष्म तरंग अनुरक्षण का काम एक उच्चतर कौशल का काम है और कर्मचारियों को नौकरी के समय में और रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में दोनों जगह विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(ख) प्रारम्भ में जब रेलों ने सूक्ष्म तरंग जाल तंत्र की व्यवस्था की थी, उन्हें अनुरक्षण स्थापना संबंधी अपेक्षाओं का कोई अनुभव नहीं था । इसलिये प्रत्येक रेलवे अपने अपने मानकों का अनुसरण कर रही थी । 1975 में रेल मंत्रालय के कुशलता ब्यूरो ने एक अध्ययन किया और कुछ अन्य स्थापनाओं ने प्रचलित प्रणालियो तथा रेलों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए सूक्ष्म तरंग उपस्कर के अनुरक्षण के लिए अनुसरण किये जाने वाले प्रतिमानों का निर्धारण किया ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सरकार की यह नीति है कि उपर्युक्त प्रश्न (ख) के उत्तर में दिए गए प्रतिमानो का अब अनुसरण किया जाए ।

ट्रेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन वर्कर्स एसोसिएशन

7241. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री बह बताने कि कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार को ट्रेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन वर्कर्स एसोसिएशन से उनके सदस्यों की शिकायतों के बारे मे कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) सरकार की नीति के अनुसार किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर समुचित विचार किया जाता है और कारवाई की जाती है । सभी कोटियो के कर्मचारियों की मांगो पर विचार किया जाता है और स्थायी वार्ता तंत्र एवं संयुक्त परामर्श तंत्र के विभिन्न स्तरों के माध्यम से उनका समाधान किया जाता है ।

विवरण

1. उच्च तनाव जोखिम भत्ता।
2. रनिंग भत्ता ।
3. कारखाना सुविधाएं ।
4. जोखिम बीमा ।

5. मुफ्त भोजन ।

6. मुफ्त रेलवे क्वार्टर ।

7. कार्य और कार्यभार विश्लेषण ।

8. उच्चतर ग्रेड में काम करना ।

9. वेतन-पर्ची ।

10. पदोन्नति ।

11. संरक्षा ।

12. पुष्टीकरण ।

13. 40% बेसिक ट्रेडमैन पद ।

14. ड्यूटी ड्रेस की सप्लाई ।

दक्षिण पूर्व रेलवे के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के 'एस्टीमेटर'

7242. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में 'एस्टीमेटरों' को अभी तक स्थायी क्यों नहीं किया गया है, जबकि वे 12 से 14 वर्ष तक सेवा कर चुके है और स्थायी पद भी उपलब्ध है ;

(ख) दक्षिण पूर्व रेलवे के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में एस्टीमेटरी-डाफ्टस्मैनों और ट्रेसरों के पद लम्बे समय से रिक्त पड़े रहने के क्या कारण है, जिससे वहां पर अब काम कर रहे कर्मचारियों पर कार्यभार अधिक बढ गया है ; और

(ग) इन पदों को कब तक भर दिये जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) कर्मचारियों का स्थायीकरण अनेक बातों पर निर्भर करता है, उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार स्थायीकरण पिछली बार मार्च, 1977 में किया गया था, धारणाधिकार मुक्त पदो की अनुपलब्धता के कारण इस समय एस्टीमेटरों के रूप में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का अभी तक स्थायीकरण नहीं किया जा सका यद्यपि उन्हे सेवा करते हुए लम्बी अवधि व्यतीत हो चुकी है ।

(ख) और (ग): दक्षिण-पूर्व रेलवे के सिविल इंजीनियरी विभाग में कनिष्ठ ड्राफ्टमैनों, कनिष्ठ एस्टीमेटरों और ट्रेसरों के कोई पद रिक्त पड़े है जहां तक उच्चतर ग्रेड के पदों का सम्बन्ध है, उन्हें इसलिए नही भरा जा सका क्योंकि इस रेलवे के सिविल इंजीनियरी विभाग के आरेखण कार्यालयों में कर्मचारीयों की पहले ही से अधिकता है । संवर्ग की समग्र रूप से समीक्षा कर ली गयी है और अब रेल प्रशासन द्वारा इस मामले की समीक्षा की जा रही है। इस बीच पदोन्नति के लिए विनिर्दिष्ट पदो को भरने के लिए प्रवरण और उपयुक्तता परीक्षाएं हो रही हैं और आशा है कि शीघ्र ही यह काम पूरा हो जायेगा ।

नागपुर आदि डिवीजनों में रेल कर्मचारियों की कुल संख्या

7243. श्री शिव सम्पत्ति राम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 के दौरान तथा 31 दिसम्बर, 1977 तक मध्य रेलवे की वर्कशापों; निर्माण तथा रेल विद्युतीकरण विभागों सहित भुसावल, बम्बई, जबलपुर, झांसी तथा नागपुर डिवीजनों में विभिन्न वर्गों में रेल कर्मचारियों की कुल संख्या क्या थी;

(ख) मध्य रेलवे के सभी डिवीजनों में विभिन्न वर्गों में ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है जिनकी प्रति वर्ष भर्ती अथवा पदोन्नति हुई और उनमें से अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्यों की कुल संख्या कितनी थी (अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की सूची दी जाये) : और

(ग) मध्य रेलवे के उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित डिवीजनों में सभी वर्गों में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों में कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायगी ।

आसनसोल आदि डिवीजनों में रेलवे कर्मचारियों की संख्या

7244. श्री शिव सम्पत्ति राम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) पूर्व रेलवे के आसनसोल, सियालदह कलकत्ता (कोल-टोट), धनबाद, दानापुर हावड़ा और मगलसराय डिवीजनों में, जिसमें वर्कशाप, निर्माण और रेलवे विद्युतिकरण भी शामिल हैं, वर्ष 1972 और 31 दिसम्बर, 1977 तक विभिन्न श्रेणियों में रेलवे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी ।

(ख) पूर्व रेलवे के समस्त डिवीजनों में विभिन्न श्रेणियों में ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिनकी भर्ती अथवा पदोन्नति प्रत्येक वर्ष के दौरान हुई और उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की सूची दी जानी चाहिए), कितनी है ; और

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित पूर्व रेलवे के डिवीजनों में सब श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये सीधी भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से आरक्षित निर्धारित रिक्त स्थानों की कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिये गये ठेके/लाइसेंस

7245 **श्री आर० एम० राकेश** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय द्वारा कुल कितने ठेके/लाइसेंस दिये गये है और जनता-सरकार के शासन-काल के दौरान उनमें से यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कोई ठेके/लाइसेंस दिये गये हैं तो प्रत्येक प्रवर्ग में उनकी संख्या कितनी है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह य) : रूम-कूलरों, एयर कंडीशनरों, हीटरों की मरम्मत और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारिवृन्द की वर्दियों के लिए दिए गए ठेकों जैसे छोटे मोटे कार्यों के लिए ठेकों के अलावा मार्च, 1977 से इस मंत्रालय द्वारा कोई ठेका या लाईसैंस नहीं दिया गया है। कम्पनी कार्य विभाग ने फल और पान की एक दुकान का लाइसेन्स दिया है और यह लाइसैंस अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को दिया गया है।

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन

7246. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल बोर्ड द्वारा जारी किये गये आदेशों के परिणामस्वरूप दक्षिण-पूर्व रेलवे, आद्रा के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों में पैदा हुई विषमता के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) आद्रा प्राथमिक पाठशाला, दक्षिण पूर्व रेलवे के कुछ कनिष्ठ शिक्षक, प्राधिकृत वेतन मान में उनके वेतन का निर्धारण होने के कारण, अगले उच्चतर चरण पर वेतन वृद्धि की तारीख में परिवर्तन हुए बिना 27-5-1970 से अपने से वरिष्ठ शिक्षकों की तुलना में अधिक वेतन ले रहे हैं।

(ग) इस मामले पर शिक्षा मंत्रालय के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है, शिक्षकों के वेतनमान को संशोधित करने के उनके निर्णय के परिणामस्वरूप, रेलवे स्कूल के शिक्षकों के सम्बन्धों में वेतनमान में संशोधन करने के आदेश दिये गये थे।

गरहरा ट्रांसशिपमेंट शैड, पूर्वोत्तर रेलवे

7247. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के गरहरा ट्रांसशिपमेंट शैड पर माल उतारने और लादने का कार्य विभागीय श्रमिकों द्वारा किया जा रहा है ;

(ख) क्या मन्दुआडिह ट्रांसशिपमेंट शैड पर भी ऐसी ही कार्यवाही की गयी है ;

(ग) यदि हां, तो गरहरा और मगदुआडिह में श्रमिकों को क्या क्या वेतनमान दिया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) गरहरा यानान्तरण शैड में लदाई और उतराई का काम नैमित्तिक मजदूरों द्वारा किया जाता है जिन्हें अस्थायी ओहदा दिया हुआ है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) : गरहरा में वेतनमान इसप्रकार है :—

यानान्तरण मजदूर	196–232 रुपये
टिंडलस	200–250 रुपये
पर्यवेक्षक	225–308 रुपये

मंडुआडीह में लदान और उतराई का काम ठेके के मजदूरों द्वारा किया जाता है ।

Implementation of Official Languages Act, 1963

7248. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether his Ministry/Department has informed their attached and subordinate offices of the provisions of Official Languages Act, 1963 and the June, 1975 rules made thereunder and have been asked to implement them ;

(b) if so, whether the Ministry/Department have ensured full implementation of the above provisions and rules ; and

(c) if not, the reasons therefor and steps being taken to ensure full implementation of rules relating to Official Languages ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) to (c) : Provisions of the Official Languages Act, 1963 and the rules thereunder are being brought to the notice of the Fertilizer Industry Coordination Committee which has been established in December 1977 for implementation. The Ministry has no other attached or subordinate office.

Manuals and Forms in Diglot Form

7249. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the number of Manuals and forms used in his Ministry/Department;

(b) the number, out of them, translated in Hindi and the number of those published in diglot form ;

(c) the reasons for those not yet translated or published in diglot form ; and

(d) the time by which these would be prepared in diglot form ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) No manuals and forms have so far been printed for exclusive use in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers.

(b) to (d) : Do not arise.

Suggestion to extend Bhopal-Vidisha shuttle to Bina

†7250. **Shri Raghavji :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway has received any suggestion for extending of Bhopal-Vidisha Shuttle train upto Bina Station;

(b) if so, the action being taken thereon ; and

(c) the difficulties or obstacles in the way of accepting the suggestion ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes.

(b) & (c) : Extension of 1 VB/2 VB Bhopal-Vidisha shuttles to/from Bina is, at present, operationally not feasible for want of adequate terminal facilities at Bina.

कुछ कम्पनियों के कर्मचारियों के वेतनों में भारी वृद्धि

7251. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, सदर्न पेट्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, हेचेस्ट डाईज एण्ड केमिकल्स लिमिटेड जैसी कुछ कम्पनियों ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से अपने कुछ कर्मचारियों, जिनमें उनके रिस्तेदार शामिल हैं, के वेतनों में भारी वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो उनका वेतन पहले कितना था और इसमें 1975 और 1976 में कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) इन कम्पनियों के वेतनमानों में भारी वृद्धि करने की अनुमति देने के क्या विशेष कारण हैं;

(घ) अन्य कितने मामलों में यह मामला विचाराधीन है जबकि अन्य कम्पनियों में रिस्तेदारों सहित कर्मचारी ऊंची योग्यता वाले हैं ;

(ङ) इस मामले में क्या मानदंड है ;

(च) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ङ) : इन कम्पनियों के कर्मचारियों के प्राप्त वेतन से कम्पनियों के दो सिलसिले वार लेखों में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अनुसरण में कम्पनियों द्वारा प्रगट की गई सूचना के अनुसार बढ़ोतरी दिखलाई गई है, किन्तु इस प्रकार के बहुत से मामलों में कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत इस प्रकार की बढ़ोतरी के लिये केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है। वह सीमा जिसके लिए केन्द्रीय सरकार से कम्पनियों द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्रों पर विचार करने के पश्चात् अनुमोदन मांग और दिया गया है, उसका अनुलग्नक क में उल्लेख किया गया है। अनुलग्नक क के अन्तर्गत आए मामलों के सम्बन्ध में बढ़ोतरी का सम्बन्धित समय पर विभाग द्वारा अनुशासित मार्ग संदर्शिका के अनुसार में अनुमति दी गई है।

(च) और (छ) : हां, श्रीमन् जी। इस विभाग में उन तीन कम्पनियों के प्रबन्धकीय कर्मिकों के वेतन में भारी बढ़ोतरी के सम्बन्ध में आरोप प्राप्त हुए थे। परीक्षा करने पर, यह पाया गया कि वे कम्पनियों के कर्मचारियों के प्राप्त वेतनों में बढ़ोतरी से अधिक सम्बन्धित थे, जिसके सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 1956 के विद्यमान उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं है।

विवरण

(1) भारत कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

29-5-1972 से 31-12-1975 तक की अवधि के लिये कम्पनी के समस्त निदेशकों के लिए, कम्पनी के शुद्ध लाभ का 1 प्रतिशत, जो 1,20,000 रु० प्रतिवर्ष का अधिकतम सीमा तक हो सकता था, स्वीकृत किया गया था। कम्पनी द्वारा अभ्यावेदन किये जाने पर विभाग के दिनांक 12 दिसम्बर 1972 के पत्र में, इस सीमा की कम्पनी के बढे हुये लाभ को दृष्टिगत रखते हुये, 1,50,000 रु० प्रतिवर्ष बढ़ा दिया गया। यह कमीशन कम्पनी के निदेशकों के बीच विभाज्य है जिनकी संख्या आवेदन पत्र देते समय आठ थी।

(2) सदर्न पैट्रो केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड

सदर्न पैट्रो केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के पूर्ण-कालिक निदेशक श्री आर० नरसिम्हन का वेतन 3500–250–5000 रु० के वेतन मान में 4000 रु० प्रतिमास से, 4500–500–6500 रु० के वेतन मान में, कम्पनी में उनकी वरिष्टता को दृष्टि में रखते हुये इस विभाग के दिनांक 24 मार्च, 1972 के पत्र द्वारा 15 जुलाई 1974 से बढ़ा दिया गया था।

अभी हाल ही में कम्पनी की लेखाबहियों के निरीक्षण करने के परिणामस्वरूप कम्पनी कार्य विभाग की सूचना में आया है कि श्री के० आर० श्रीवास्तव भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक दिसम्बर 1974 से अक्तूबर, 1976 तक अधिकतम पारिश्रमिक जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था की अपेक्षा लेता रहा है। लिये गये अधिक पारिश्रमिक को वापिस लेने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(3) होचेस्ट डाईज एण्ड केमीकल्स लिमिटेड

कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक, श्री एफ० एस० रिपोर्टर का पारिश्रमिक, इस विभाग के दिनांक 12 अक्तूबर 1977 के पत्र द्वारा, उन्हें जब वे 1 मई 1976 से पुनर्नियुक्त किये गये, तो वेतन के 25 प्रतिशत का अधिकतम सीमा तक कम्पनी के शुद्ध लाभ पर 1 प्रतिशत कमीशन देकर बढ़ाया गया था।

रेलवे की जमीन पर झुग्गीवालों द्वारा झुग्गीयां डाला जाना

7252. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राणा प्रताप बाग, जी० टी० रोड, दिल्ली में रेलवे लाइन के निकट रेलवे की जमीन पर अनेक झुग्गी वाले रेल लाइन के किनारे रह रहे हैं ;

(ख) क्या अनेक दुर्घटनायें हो चुकी हैं और कुछ बच्चे रेल दुर्घटनाओं में मर गये हैं ;

(ग) क्या रेल मंत्रालय ने निर्माण और आवास मंत्रालय को स्थान खाली कराने और उन्हें अन्यत्र बसाने के बारें में पत्र लिखा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नही ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) हाल में सब्जी मण्डी और आजादपुर रेलवे स्टेशनों के बीच राणा प्रताप बाग के निकट न तो कोई दुर्घटना हुई है और न इस क्षेत्र में रेल दुर्घटना से बच्चों के मरने का कोई समाचार ही है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण को, जो कि आबादकारों को हटाने और पुनर्वास करने के लिए समर्थ प्राधिकारी है, इस मामले में पहले ही लिखा जा चुका है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दियों की सप्लाई

7253. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को घटिया वर्दियों की सप्लाई कर रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि कपड़े और सिलाई व्यय की व्यवस्था करने के लिए वे काफी समय से आन्दोलन कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उनकी मांगे क्यों नहीं पूरी की हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : कुछ कर्मचारियों की ओर से कपड़े की सप्लाई करने और वर्दी के लिए सिलाई प्रभारों की मांग रही है लेकिन इस मांग को मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से स्वीकार करना संभव नहीं है :—

(1) रुपया बचाने की दृष्टि से कुछ कर्मचारी कपड़ों को बेच देते हैं और पुरानी वर्दी को पहनना जारी रखते हैं। इस प्रकार वे ड्यूटी पर भद्दी पौशाक में दिखायी देते हैं।

(2) मार्केट में व्याप्त सिलाई की ऊंची दरों का भुगतान स्वयं करते हुए कुछ कर्मचारी वर्दी की सिलाई की व्यवस्था करने में समर्थ नहीं हो पायेंगे।

(3) अपने कार्यस्थलों पर या उनके निकट सिलाई सुविधाओं के अभाव के कारण मार्ग-वर्ती स्टेशनों के कर्मचारी अपनी वर्दी की सिलाई कराने में समर्थ नहीं हो पायेंगे।

(4) फिलहाल वर्दियों की कटाई रेलों द्वारा उनके सेन्टरों/फैक्टरियों में की जाती है और उनकी महिला समितियों, हथकरघा सेन्टरों, आर्डिनेन्स फैक्टरियों आदि द्वारा सिलाई की जाती है। इस प्रक्रिया में और न्यून सिलाई प्रभारों और थोक में वर्दियां बनाने के कारण कपड़े की काफी बचत होती है। इस प्रक्रिया को इसलिए भी लाभकारी समझा गया है क्योंकि यह हथकरघा केन्द्रों आदि में काम करने वाले रेल कर्मचारियों के आश्रितों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित करती है।

लेकिन, कर्मचारियों की ओर से किसी तरह शिकायत को दूर करने की दृष्टि से वर्दियों को बनवाने और सप्लाई करने की प्रक्रिया को सुप्रवाही बना दिया गया है और व्यक्तिगत माप लेने की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जा रहा है।

सोवियत रुस से तेल का आयात

7254. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रुस से हाल ही में आयात किये गये डीजल तेल में गंधक तथ्य अधिक मात्रा में हैं और यह रेलवे तथा अन्य भारी वर्कशापों में उपयोग किये जाने योग्य नहीं है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस डिजल तेल का प्रयोग करने से बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों को शारीरिक क्षति पहुंची है ; और

(ग) यदि हाँ, तो प्रयोग से पूर्व इसका उचित ढँग से परीक्षण करने और इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित हाई स्पीड डीजल तेल के लिए मानदण्ड यह बताया गया है कि भार के रुप में गंधक का अंश अधिकतम एक प्रतिशत होना चाहिये। सोवियत सप्लाई कर्ता के साथ इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा दी गई शर्तों के अनुसार हाईस्पीड डीजल तेल के गंधक का अंश 0.2% और 1.00% के बीच होना आवश्यक है। हाल ही में सोवियत से आयातित डीजल तेल के खेप में गंधक के अंश का रेंज 0.9% से 0.26 % है जो कि भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर है। सोवियत रुस से आयातित डीजल तेल के गंधक के अधिक अंश के बारे में रेलवे या अन्य क्षेत्रों से उनके कर्मचारियों पर इस तेल के उपयोग से दुष्प्रभाव के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश

7255. **श्री वसन्त साठे :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिये न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है और वास्तव में कितने न्यायाधीश काम कर रहे हैं ;

(ख) 31 मार्च, 1978 को रिक्त स्थान कितने थे और उनको भरने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) वर्ष 1978-79 के लिये न्यायाधीशों तथा अन्य सहायक कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये अनुमोदित/विचाराधीन प्रस्तावों का उच्च न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या विनिश्चय किया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) : तारीख 31-3-78 को न्यायाधीशों की स्वीकृत सदस्य संख्या, पदासीन न्यायाधीशों की संख्या और रिक्त स्थानों की संख्या बताने वाला विवरण संलग्न है। इन रिक्त स्थानों को शीघ्र भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है। संबद्ध राज्य प्राधिकारियों और मुख्य न्यायाधिपतियों को स्मरण कराया गया है कि वे अपनी सिफारिशें शीघ्र भेज दें। उनसे यह भी कहा गया है कि प्रस्ताव भेजने में वे विनिर्दिष्ट समय सूची के अनुसार ही कार्य करें।

(ग) और (घ): दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से उक्त उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों के चार पदों के सृजन का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उस पर कार्यवाही की जा रही है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों के वर्तमान 6 पदों को स्थायी न्यायाधीशों में बदले जाने के लिए और अपर न्यायाधीशों के 9 पदों के सृजन के लिए एक अन्य निर्देश हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से प्राप्त हुआ है। इसकी जांच की जा रही है।

जहां तक सहायक कर्मचारियों का संबंध है, किसी भी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 229 के उपबंधों के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा की जाती है।

विवरण

क्रम सं०	उच्च न्यायालय का नाम	न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या		न्यायाधीशों की वास्तविक संख्या		रिक्त स्थान	
		स्थायी	अपर	स्थायी	अपर	स्थायी	अपर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इलाहाबाद	40	10	39	10	1	..
2.	आंध्र प्रदेश	18	3	18	2	..	1
3.	मुम्बई .	27	8	24	7	3	1
4.	कलकत्ता	33	7	33	7	..	..
5.	दिल्ली	18	3	17		1	3
6.	गौहाटी .		..	5		3	..
7.	गुजरात	14	4	13		1	4
8.	हिमाचल प्रदेश	3	..	2	..	1	..
9.	जम्मू-कश्मीर	†4	2	2	2	1	..
10.	कर्नाटक	14	4	13	4	1	..
11.	केरल .	13	3	13	3	..	..
12.	मध्य प्रदेश	20	3	19	3	1	..
13.	मद्रास .	16	6	16	3		3
14.	उड़ीसा .	7	1	7	..		1
15.	पटना . .	18	9	18	8	..	1
16.	पंजाब और हरियाणा	17	6	16	3	1	3
17.	राजस्थान .	10	4	6	1	4	3
18.	सिक्किम . .	2	..	2	..	..	..
	जोड़ .	†282	73	263	53	18	20
		†355		316		38	

कृपया ध्यान दें :-उपर्युक्त रिक्त स्थानों के अलावा, 14 पद जो हाल ही में उन तारीखों से स्वीकृत किए गए हैं जिन तारीखो को वे भरे जाएंगे, अभी भरे जाने हैं।

इन नए सृजित पदों का ब्यौरा इस प्रकार है :--

	स्थायी	अपर
इलाहाबाद .		3
हिमाचल प्रदेश		1
मध्य प्रदेश .		6
कर्नाटक . .	1	..
पटना . .	..	3
	1	13
	14	

†एक पद प्रास्थगित रखा गया है और उसके बदले में अपर न्यायाधीश का एक पद सृजित किया गया ।

वर्ष 1977–78 के दौरान जारी किये गये पास

7256. **श्री वसन्त साठे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पास जारी करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का पुनरीक्षण किया गया है और उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसे पास जारी करने के लिये क्या मानदंड और प्रक्रिया अपनाई जाती है ; और

(ग) वर्ष 1977-78 के दौरान महाराष्ट्र में कितने लोगों को पास दिये गये और उनके नाम क्या हैं और उन व्यक्ति/संगठनों के नाम क्या हैं तथा संख्या कितनी है जिन्हें कम्पलीमेंटरी पास बंद कर दिये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : मानार्थ पास जारी करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित सामान्य मार्गदर्शन सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं :—

(i) ऐसे संस्थान एवं संगठन जो सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, खेलकूद एवं शैक्षिक कार्यों में लगे हों और जिनका कार्यक्षेत्र अखिल भारतीय स्तर का हो ।

(ii) ऐसे संगठन जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे एवं उपेक्षित वर्गों, महिलाओं, अन्धों तथा अपंग व्यक्तियों आदि के कल्याण कार्य में लगे हों ।

(iii) राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लगे प्रतिष्ठत व्यक्ति जिसके लिए उन्हें अक्सर यात्रा करना अपेक्षित हो ।

(ग) दो विवरण प्रस्तुत हैं ।

विवरण 1

महाराष्ट्र के ऐसे व्यक्तियों के नाम जिन्हें 1977–78 के दौरान पास जारी/नवीकृत किये गये

		पास का दर्जा	पास की संख्या
	(क) 1977-78 के दौरान नय पास जारी किये गये ।		
1	अध्यक्ष, डा० अम्बेडकर मोरियल मे सोसाइटी, चन्द्रपुर . .	पहला	एक
2	महात्मागांधी इंस्टीटूट आफ मेडिकल साईंसेस, सेवाग्राम का एक पदाधिकारा दूसरे दर्जे में एक परिचर के साथ . . .	पहला	एक
3	नेशनल लेप्रासी आरगनाइजेशन, वर्धा का एक पदाधिकारी .	दूसरा	एक
	(ख) 1977–78 के दौरान नवीकृत पास		
1	श्री पी० एन० राजभोज, अध्यक्ष, भारत दलित संघ, पुणे, दूसरे दर्जे में एक परिचर के साथ	पहला	एक
2	श्री एन० वी० तुंगर, पुणे, गांधी दर्शन तथा छूआछूत का एक कार्यकर्ता	पहला	एक
3	टाटा अग्रीकल्चुरल एंड सरल ट्रेनिंग सेन्टर आफ दि ब्लाइंड, बम्बई का एक पदाधिकारी	पहला	एक
4	संचालिका तथा/या एसिस्टेंट, मातृसेवा संघ, नागपुर, दूसरे दर्जे के एक पुरुष/महिला कार्यकर्ता के साथ	पहला	एक
5	गांधी मेमोरियल सोसायटी फाउंडेशन, वर्धा के कोई दो कार्यकर्ता .	पहला	एक
6	कस्तूरबा हैल्थ सोसाइटी, वर्धा का एक पदाधिकारी, दूसरे दर्जे में एक परिचर के साथ .	पहला	एक
7	सेवाग्राम आश्रम की श्रीमती निर्मला गांधी .	पहला	एक
8	इंडियन सैक्यूलर सोसाइटी, बम्बई का एक पदाधिकारी .	पहला	एक
9	पूना ब्लाइंड मैन्स एसोसिएशन, पुणे का एक अंधा कार्यकर्ता एक मार्गदर्शक के साथ	पहला	एक
10	नैशनल एसोसियेशन फार दी ब्लाइंड का एक पदाधिकारी/कार्यकर्ता जिसे यदि वह अंधा हो तो एक वैयक्तिक सहायक ले जाने की अनुमति होगी	पहला	एक
11	अन्तर भारतीय पुणे का विनिर्दिष्ट पदाधिकारी .	पहला	एक
12	भारतीय संस्कृत कोश मण्डल, पुणे के सदस्य श्री महादेव जोशी .	पहला	एक
13	निदेशक या एक और पदाधिकारी (एक बार एक ही द्वारा उपयोग में लाया जायेगा) रंगमंच रिसर्च इंस्टीट्यूट, बम्बई .	पहला	एक
14	श्री डी० जी० केलकर, राजा केलकर म्यूजियम, पुणे एक साथी के साथ .	पहला	एक
15	श्री राम सिंह भनावत, जनरल सेक्रेटरी, आल इंडिया बंजारा सेवा संघ, बम्बई .	पहला	एक
16	इंडियन काउंसिल आफ सोशल वैलफैयर, बम्बई का एक पदाधिकारी .	दूसरा	एक
17	गांधी मेमोरियल ले प्रासी फांउंडेशन, वर्धा का कोई कार्यकर्ता .	दूसरा	एक

विवरण-2

क्रम सं०	रद्द किये गये मनाई पासों की सूची पार्टी या संगठन का नाम
1	2
	पहला दर्जा
1	श्री लल्लन प्रसाद व्यास, सहायक सचिव, विश्व हिन्दू सम्मेलन, नागपुर
2	संत साहित्य सदन, बम्बई का एक कार्यकर्ता
3	संत साहित्य सदन, बम्बई का एक कार्यकर्ता
	दूसरा दर्जा
	कोई नहीं

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्रिय कर्मचारियों की आवास समस्या

7257. **श्री वसन्त साठे :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 मार्च, 1978 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में आवास की कमी के कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्रीय कर्मचारी अशान्त शीर्षक (ओ एन जी सी फील्ड स्टाफ अनइजी ओवर हाउसिंग शोर्टेज) के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें प्रकाशित विभिन्न बातों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में की गई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Proposal to introduce direct Express between Udaipur and Bikaner

†7258. **Shri S. S. Somani :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether with a view to provide facility to the people travelling between Udaipur and Bikaner, Government propose to introduce a direct express train on this section via Marwar Junction and Jodhpur ; and

(b) if not, whether Government propose to change the timings of trains to ensure that it takes 16 hours instead of 36 hours in travelling between Udaipur and Bikaner ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No.

(b) One 1st cum 2nd Class through service coach is at present running between Udaipur and Bikaner by 95/96 Marwar Mail and 221/222 Passenger taking an overall journey time of 26 hours 35 minutes in Bikaner-Udaipur direction and 25 hours 50 minutes in the reverse direction.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा समुद्रपार देशों में तेल की खोज

7259. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को समुद्रपारीय तेल की खोज के कार्यों में भारी धक्का लगा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन देशों में तेल की खोज का कार्य किया गया था और इस बारे में कुल कितनी हानि हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अब तक केवल दो देशों, ईरान तथा ईराक में तेल की खोज का कार्य किया है ।

ईरान में दो स्थानों पर वाणिज्यिक स्तर पर तेल मिला और दोनों क्षेत्रों से तेल निकाला जा रहा है ।

ईराक में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खोदे गये कुएं में तेल मिला लेकिन जिस दर से तेल निकला उस आधार पर ठेके की शर्तों के अनुरुप उसे वाणिज्यिक स्तरकी खोज नहीं कही जा सकती । इस कार्य पर मार्च 1977 तक 1.29 करोड़ रुपये के मूल्य ह्रास सहित कुल खर्च लगभग 9.68 करोड़ रुपये हुआ ।

सोनपुर–बारांबकी लाइन (गेज) को बदला जाना

7260. **श्री द्वारिका नाथ तिवारी :** क्या **रेल** मंत्री सोनपुर-लखनऊ सेक्शन में लाइन को बदले जाने के बारे में 21 मार्च 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3734 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोनपुर-बाराबंकी के बीच लाइन को (गेज) बदले जाने का काम पूरा होने का मल निर्धारित समय क्या है ;

(ख) क्या सोनपुर और छपरा रेलवे स्टेशनों के बीच 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है ;

(ग) शेष कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(घ) सोनपुर और बाराबंकी के बीच लाइन की (गेज) बदलने का नया निर्धारित कार्यक्रम क्या है और इसके लिए कितनी धन राशि की आवश्यकता होगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) इस परियोजना की समापन की तारीख मूलतः दिसम्बर, 1977 निर्धारित की गयी थी । परन्तु धन के सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इस काम को पूरा नहीं किया जा सका ।

(ख) से (घ) : आमान परिवर्तन के कुल काम का 55 प्रतिशत पूरा हो चुका है और शेष बचे समूच काम को 1980 तक पूरा कर लिये जाने और उस लाइन को चालू किय जाने की योजना है ।

नवीनतम मूल्यनिर्धारण के अनुसार इस परियोजना पर लगभग 69 करोड़ रुपया खर्च होगा। मार्च, 1978 तक इस परियोजना पर लगभग 39.57 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। चालू वर्ष में इसके लिए 12.97 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। इस आमान परिवर्तन परियोजना को पूरा करने के लिए 16.46 करोड़ रुपये को और रकम को आवश्यकता पड़ेगी।

हाल्ट स्टेशनों पर अधिभार

7261. **श्री द्वारिकानाथ तिवारी :** क्या रेल मंत्री शेरहाल्ट तक जाने और वहां से आने पर टिकटों पर अधिभार के बारे में 21 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के संबंध में यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) कितने हाल्ट स्टेशनों पर ऐसा अधिभार लगाया गया है ;

(ख) कितने हाल्ट स्टेशनों पर ऐसा अधिभार नहीं लगाया गया है ;

(ग) हाल्ट स्टेशनों पर अधिभार लगाने का क्या आधार है ; और

(घ) किन परिस्थितियों में कुछ हाल्ट स्टेशनों पर अधिभार लगाया जाता है और अन्य हाल्ट स्टेशनों पर ऐसा अधिभार नहीं लगाया जाता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 273

(ख) 798।

(ग) और (घ) : जब किसी हाल्ट स्टेशन का कार्य-संचालन वित्तीय दृष्टि से उचित न पाया जाये, तब आवर्ती हानि को कम करने के लिये अधिभार लगाया जाता है।

जामनगर में रेल पुल

7262. **श्री विनोदभाई शाह सेठ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जामनगर में रेल का पुल टूटी फूटी हालत में है और 70 साल से भी अधिक पुराना होने के कारण वह खतरनाक बन गया है ; और

(ख) उसकी मरम्मत करने या इसके स्थान पर कोई नया पूल बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) राजकोट-जामनगर खण्ड पर जामनगर के निकट किलोमीटर 324/9-12 पर मीटर लाइन की रेल-एवं-सड़क विक्टोरिया पूल (सं० 376) की मेहराबों में आयी दरारों की रेल प्रशासन को जानकारी है। लेकिन, पूल की संरचना में आयी इन दरारों के कारण रेल यातायात को कोई खतरा नहीं है।

(ख) मेहराबों को सीमेंट का पतला लेप करके मजबूत बनाने का काम पहले से ही चल रहा है और इसका अच्छा परिणाम निकला है।

बीरमगांव-ओखा बड़ी लाइन आमान परिवर्तन परियोजना के पूरा हो जाने के बाद मीटर लाइन के वर्तमान विक्टोरिया पुल को रेल यातायात के लिए बन्द कर दिया जायेगा और तब यह यातायात नदी की धारा के विपरीत दिशा में निर्मित नये रेलवे पूल से ढोया जायेगा।

कटक में रेल उपरि पुल

7263. **श्री सरत कार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्राधिकारियों को कटक में रेल उपरि पूल के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हाँ ।

(ख) वर्तमान नियमों के अनुसार वर्तमान समयपारों के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल बनाने के प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा इस वचन के साथ कि वे इस निर्माण पर होने वाले खर्च का 50% वहन करेंगे, प्रयोजित किये जाने चाहिए। यद्यपि राज्य सरकार कटक में पिछले 10 वर्ष से ऊपरी सड़क पुल बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही थी परन्तु अभी अभी उन्होंने इस पर आगे कार्रवाई न करने का निर्णय किया है। अतः यह प्रस्ताव छोड़ दिया गया है। इस बारे में रेल प्रशासन द्वारा आगे तभी कार्रवाई की जायेगी जब यह प्रस्ताव पुनः राज्य सरकार द्वारा भेजा जायेगा।

कटक जंक्शन का ओवरहाल

7264. **श्री सरत कार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक रेलवे जंक्शन का ओवरहाल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) यात्री और पार्सल यातायात के वर्तमान स्तर के लिए कटक स्टेशन पर विद्यमान सुविधाएं उपयुक्त समझी जाती हैं। फिर भी चालू वर्ष के दौरान कुछ अतिरिक्त सुविधाओं जैसे डारमिटरी किस्म के विश्रामालय, प्लेटफार्म पर जल शीतल, एकफल स्टाल और एक साइकिल शेड के निर्माण के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है। इस स्टेशन के ढांचे में कोई अन्य बड़ा परिवर्तन फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

(ख) यात्री यातायात में वृद्धि और इस स्टेशन के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए उड़ीसा सरकार (परिवहन विभाग) ने 10-9-77 को भुवनेश्वर में रेल मंत्री को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में कटक रलवे स्टेशन पर टर्मिनल संबंधी और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए लिखा है।

विधि कार्य विभाग द्वारा किया गया कार्य

7265. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में विधि कार्य विभाग ने सरकार को विधिक सलाह देने के सिलसिले में क्या कार्य किया है ; और

(ख) इस अवधि में इस विभाग ने किन विधानीय अध्युपायों के संबंध में कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) : (क) विधि कार्य विभाग में 1-1-1977 से 28-2-1978 की अवधि के दौरान लगभग 61,906 सलाह के मामलों के संबंध में कार्य किया।

(ख) यद्यपि विधानीय अभ्युपायों से संबंधित सलाह के विषयों के बारे में कोई पृथक अभिलेख नहीं रखा जाता है। तथापि उपलब्ध जानकारी के अनुसार सुसंगत अवधि के दौरान इस विभाग ने लगभग पैंतीस महत्वपूर्ण विधानीय अध्युपायों पर विचार किया।

मूल्य ह्रास आरक्षण निधि

7266. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल्वे में कितनी मूल्यह्रास आरक्षण निधि अब सरकार के पास उपलब्ध है ;

(ख) क्या सरकार इस निधि का उपयोग करने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 31-3-1977 को मूल्यह्रास आरक्षित निधि में 218.67 करोड़ रुपये का इतिशेष था। मार्च, 1978 के अन्त में 226.51 करोड़ रुपये के इतिशेष का अनुमात लगाया गया है।

(ख) और (ग) : संरचना, बाड़ और गिट्टियों के कार्य को छोड़कर सभी बेकार परिसम्पतियों के नवीकरण की व्यवस्था करने के लिए 1 अप्रैल, 1924 से मूल्यह्रास आरक्षित निधि की शुरुआत की गयी थी। प्रत्येक वर्ष रेल्वे अभिसमय समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित विशिष्ट रकम राजस्व से मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में विनियोजित की जाती है और परिसम्पत्तियों के बदलाव और नवीकरण का समस्त व्यय इस निधि में प्रभारित होता है। 1976-77 और 1977-78 में राजस्व से विनियोजित रकम और 1978-79 के बजट में व्यवधिक रकम क्रमश: 135 करोड़ रुपये, 140 करोड़ और 145 करोड़ रु० है। 1976-77 के दौरान निधि से 125.22 करोड़ रुपये खर्च हुए और 1977-78 और 1978-79 में क्रमश: 147 करोड़ और 151.42 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। इस निधि से विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत जैसे चल स्टाक, मशीन और संयंत्र, रेल पथ का नवीकरण पुल सम्बन्धी कार्य यातायात सुविधा, सिगनल और अन्तर्पाश आदि पर खर्च किया जाता है। 1978-79 के अन्त में 235.69 करोड़ रुपये के अतिशेष का अनुमान लगाया गया है। योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से वार्षिक योजना परिव्यय के लिए समग्र सीमा निर्धारित करते समय मूल्यह्रास आरक्षित निधि में उपलब्ध राशि को ध्यान में रखा जाता है।

Higher Officers in N. E. Railway

†7268. **Shri Ram Naresh Kushwaha** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the extent to which the strength of higher officers has increased in the North Eastern Railway during the past ten years ;

(b) whether corresponding increase was made in Accounts Department of the above railway and if not, the reasons therefor ;

(c) whether Class III and Class IV posts were also increased along with the increase in officers posts and if not, the reasons therefor ; and

(d) whether the increase in the above posts has been in accordance with the increase in railway revenue and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) The number of officers' posts has increased from 466 to 597.

(b) The number of Accounts Officers' posts increased from 24 to 41.

(c) & (d) : The number of Class III and IV posts increased from 94,674 to 1,00,929. Sanction of additional posts is not directly related to the increase in railway revenue but is based on volume of work and worth of charge and responsibility. However, gross traffic receipts increased from Rs. 37.67 crores to Rs. 88.54 crores during the period in question.

Discussion with I.R.F.

†7269. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he had any discussions with all the office bearers of Indian Railwaymen Federation (Bhartiya Rail Mazdoor Sangh) on 28th October, 1977 and if so, the points on which he agreed during the discussion and the details thereof ; and

(b) whether President and other office bearers of Indian Railwaymens' Federation had given any demand note and if so, the details thereof and the nature of action taken thereon so far and if action has not been taken main reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b) : In pursuance of the statement made by the Minister for Railways in the Parliament that he would be having discussions with Labour Organisations on the problems of Railway employees, informal discussions were held with certain Members of Parliament connected with Railway Labour along with representatives of trade unions who accompanied them, in order to explore what concrete measures could be taken towards fostering a proper industrial relations climate on the Railways. One such discussion held was with Shri Hukam Chand Kachwai and Shri Subramaniam Swamy on 28-10-77 and they were accompanied by certain trade union representatives.

Among the subjects dicussed were residuary problems relating to the May 1974 Railway Strike, Bonus for railwaymen, utilisation of the special grant of Rs. 15 crores for railwaymen's amenities and welfare, refund of C.D.S., decasualisation and Service Conduct Rules and also recognition of the Bhartiya Railway Mazdoor Sangh and its affiliates. The position in respect of these demands was explained at the meeting itself.

Some of the demands are under active consideration whereas others, which are intimately linked with the problem of wages, incomes and prices, will be considered only after the in-depth study of these problems by the Bhoothlingam Committee recently appointed by the Government.

Some of the issues such as payment of C.D.S., merger of dearness allowance with pay, etc., raised in the Charter of demands, cannot be considered by the Railways alone, since they are wider issues on which Government as a whole has to take the decision.

The issues arising out of the May 1974 strike and other questions mentioned in the charter are under consideration. One issue connected with the strike of May 1974 has been decided and orders have been issued on 1-3-78 that the period of absence of railway employees during that strike should be adjusted against their leave due, and where no leave is due, by sanction of extraordinary leave withuot pay.

Number of contractors with five Catering Stalls

7270. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of contractors with five catering stalls, trolleys and other stalls under one catering contractors in all the Railways and the number of Harijan and adivasi contractors among them ;

(b) whether Government propose to allot only one catering stall and one trolley to one family in future and if so, the details in this regard and if not, when such a scheme will be introduced ; and

(c) whether such a scheme will help mitigate unemployment in the country and it will be in consonance with the Janata Government's commitment to eradication of unemployment from the country ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) & (c) : As per existing rules, which are based on the recommendation of the Railway Catering and Passenger Amenities Committee, one contractor can hold catering/vending contracts at Railway stations upto a maximum of 6 units. There is no proposal at present to restrict the holding of catering contracts to one stall and one trolley per family.

Violation of Companies Act by Loonar Engineering and other Firms

7271. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) when Loonar Engineering, Shohol Engineering Works, Siraj Sons and Hamilton Industries Private Limited at 10C, Tulsi Pipe Road, Mahalaxmi, Bombay-15 were set up and the number and names of persons in the Board of Directors thereof ;

(b) whether it is a fact that Directors thereof have always, violated provisions of the Company Law and if so, the action taken so far by Government against them from time to time ; and

(c) whether government are aware that their Boards of Directors appoint anybody as director in violation of rules and get the capital worth lakhs deposited by their agents for supply of their manufactured goods and if so, the amount of money deposited by the agents with them so far and the amount of capital invested by directors in the company and who have invested this capital and when ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) Of the four names referred to, only two are of companies registered under the Companies Act, viz. M/s. Siraj Sons Private Limited and M/s. Hamilton Industries Private Limited. These two companies were registered with the Registrar of Companies, Maharashtra, Bombay on 12-8-1977 and 25-11-1958 respectively. The names of Directors of these companies as per the information available with the Registrar of Companies are as under:

1. Siraj Sons Private Limited.

(a) Shri Gulab Chand G. Siraj

(b) Shri Dharmendra G. Siraj

(c) Shri Anil G. Siraj.

2. Hamilton Industries Private Limited.

(a) Shri Chandrasi Chatrabhoy Udeshi

(b) Shri Vishwambharlal Prabhudayal Khetan

(c) Shri Vasantlal Jethalal Upadhyay

(d) Shri Jitendra Jairam Sampat.

(b) (i) Nothing has come to the notice of the Department of Company Affairs so far to indicate that the Directors of M/s. Siraj Sons Private Limited have violated the provisions of Company Law. The question of taking action against them therefore does not arise.

(ii) The Directors of M/s. Hamilton Industries Private Limited have violated sections 210 and 220 of the Companies Act, 1956 during the last several years by not laying Balance Sheets before the company in general meeting and filing the same with the Registrar of Companies within the prescribed time limits. The directors were prosecuted and convicted for these defaults and fines were imposed. They also violated provisions of sections 159 and 192 of the Act and Rule 10 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975, by delaying filing of Annual Return, Special Resolution and Return of Deposits. For this delay, additional filing fees were imposed by the Registrar of Companies.

(c) (i) The Government are not aware of any director being appointed in these companies in violation of rules.

(ii) In the case of Siraj Sons Private Limited except 30 equity shares subscribed by the directors, no return of allotment has so far been filed by the company with the Registrar of Companies, Maharashtra. Further, this company's first Balance Sheet and Profit and Loss Accounts are not yet due for filing, and, therefore, there is no other information available.

(iii) As regards Hamilton Industries Private Limited, capital invested by the directors in the form of shares held, is as under :—

	In equity shares of Rs. 100 each Rs.	In preference shares of Rs. 1000 each Rs.
1. Shri J. J. Sampat	1,25,000	1,00,000
2. Shri V. J. Upadhyay	1,09,000	8,000
3. Shri V. P. Khetan	1,25,000	30,000
4. Shri C. C. Udeshi	2,21,000	

From the Balance Sheets filed for the last three years, the advances received against the orders and deposits from customers are as under :—

	1974	1975	1976
(1) Advances received against orders . .	22,49,578	33,55,724	8,64,274
(2) Deposits from customers	1,15,750	99,000	1,99,000

'रनिंग स्टाफ' के रुप में टिकट निरीक्षक तथा कण्डक्टर

7272. **श्री रेणुपद दास :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि भारतीय रेलवे के अधिकांश जोनों में टिकट निरीक्षकों तथा कण्डक्टरों को वर्ष 1931 तक "रनिंग स्टाफ" की श्रेणी में रखा गया था ।

(ख) श्री जे० बी० कृपलानी की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार जांच समिति की सिफारिशों के बावजूद इन टिकट निरीक्षकों तथा कण्डक्टरों को अभी तक "रनिंग स्टाफ" की श्रेणी से वंचित रखा गया है ; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं, केवल कुछ भूतपूर्व राज्य और भूतपूर्व कम्पनी रेलों पर टिकट जांच कर्मचारियों को रनिंग कर्मचारी माना गया था ।

(ख) और (ग) : कदाचार जांच समिति ने इस बारे में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की । हालांकि, केवल ऐसे कर्मचारी जो गाडियों के संचलन के लिए प्रत्यक्षतः प्रभारी हों और उत्तरदायी हों, रनिंग कर्मचारियों के रुप में वर्गीकृत किए गए हैं । चूंकि चल टिकट परीक्षक और कण्डक्टर किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप में गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित नहीं है, इसलिए उन्हें रनिंग कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है । अन्य गैर रनिंग कर्मचारियों की भांति दौरे के समय वे यात्रा भत्ता लेते हैं । इसके अलावा इस मामले को संयुक्त परामर्श तन्त्र के अधीन पंचाट बोर्ड के समक्ष ले जाया गया था और 30 जून, 1972 को इस बोर्ड ने चल टिकट परीक्षकों को रनिंग कर्मचारियों के रूप में मानने की मांग को रद्द करते हुए अपना पंच निर्णय दिया था ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति

7273. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 मार्च, 1978 के "टाइम्स आफ इण्डिया" दिल्ली में "तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारी बहुगुणा योजना के विरुद्ध" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पदाधिकारी का चुनाव तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बाहर से किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का बाहरी व्यक्तियों के चुनाव के कारण आयोग के व्यापक हितों में इसके प्रवर अधिकारियों एवं सदस्यों में उत्पन्न होने वाले असन्तोष को किस प्रकार से कम करने का विचार है ;और

(ङ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के भीतर ही योग्य व्यक्तियों के उपलब्ध होने के बावजूद बाहरी व्यक्तियों को लाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ): जी, हां। उक्त समाचार पत्र में प्रकाशित लेखा में उल्लिखित मुख्य-मुख्य बातों का सारांश निम्नलिखित है :—

(I) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग पिछले वर्ष संसद में घोषित की गई "पुनः संरचना" नामक योजना को समाप्त करने के हक में है।

(II) इस योजना को कार्यान्वित करने से, इस आयोग में, जो कि बुनियादि तौर पर एक प्रोद्योगिकीय संगठन है, "जनरलिस्टों" का प्रभुत्व हो जायेगा।

(III) केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों के अपेक्षाकृत कम वरिष्ठ अधिकारियों को अंशकालिक सदस्यों के रूप में रखने का प्रस्ताव करके तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के दर्जे को पदावनत कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, वित्त तथा पैट्रोलियम मंत्रालयों के सचिवों को आयोग के उन निर्णयों पर वीटो करने का अधिकार होगा, जिन्हें अनुमोदन के लिये उनके अपने अपने मंत्रालयों को अन्तिम रूप से भेजा जाता है।

(IV) ऐसी आशंका है कि तटवर्ती, अपतटीय और समुद्रपार कार्य संचालनों के लिए नये नये सृजित तीन पदों पर संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के आसीन होने को बजाय कुछ बाहर के प्रभावशाली व्यक्ति आसीन हो सकते हैं।

(V) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष श्री एन० बी० प्रसाद के उत्तराधिकारी का संगठन से न लिए जाने की संभावना।

उन विभिन्न कारणों का, जिनके आधार पर ओ एन जी सी के भावी संगठनात्मक ढांचे पर सरकार के अन्तिम निर्णयों को घोषित किया गया था, दिनांक 6-12-1977 को पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री श्री एच० एन० बहुगुणा द्वारा दिये गये वक्तव्य में पहले से ही उल्लेख कर दिया गया है।

यह कहना सही नहीं है कि सचिव के स्थान पर अपर सचिव/संयुक्त सचिव को आयोग का सदस्य ममोनित करने से ओ एन जी सी के दर्जे में कमी आ गई है।

केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सभी उच्च स्तरीय और दूसरे दर्जे की नियुक्तियां वित्त मंत्रालय की (सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो) संकल्प संख्या 5(1)/74/बी पी ई (पी ई एस बी) दिनांक 30 अगस्त, 1974 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में की जाती है। आयोग के अध्यक्ष और तटवर्ती तथा अपतटीय और समुद्रपार कार्य संचालनों के लिए कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति से सम्बन्धित कार्रवाई इन्हीं अनुदेशों के अनुसार की जा रही है।

Availability of Forms in Hindi in Courts

†7274. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Law Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that forms in some of the courts are available in English and Urdu only and not in Hindi;

(b) if so, action being taken by Government in this regard; and

(c) the names of States in the courts of which forms are available in Hindi?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) to (c): Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पठानकोट में यात्रियों के लिये स्थान

7275. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगड़ा-चम्बाकुलु से आने वाले यात्रियों को दिल्ली-बम्बई हावड़ा और मद्रास जाने वाली गाड़ियों में पठानकोट में स्थान मिलने में भारी कठिनाईयां होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन यात्रियों को पठानकोट में होने वाली कठिनाइयों के बारे में जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) : पठानकोट से दिल्ली दिशा की ओर वर्तमान गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने और एक नयी गाड़ी को चलाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। पठानकोट से चढ़ने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए इस समय निम्नलिखित खंडीय सवारी डिब्बों की व्यवस्था की गई है : —

(i) पठानकोट से सियालदह - 52 डाउन जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस गाड़ी में दूसरे दर्जे का एक सवारी डिब्बा ।

(ii) पठानकोट से नयी दिल्ली- 60 डाउन श्रीनगर एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे का एक 3-टीयर शयन यान और एक सवारी डिब्बा ।

(iii) पठानकोट से दिल्ली- 34 डाउन जम्मू तवी-दिल्ली मैल, में दूसरे दर्जे का एक सवारी डिब्बा टर्मिनलों पर अपेक्षित टर्मिनल सुविधाओं और मार्गवर्ती खंडों पर लाइन क्षमता की कमी के कारण पठानकोट से दिल्ली बम्बई/मद्रास/हावड़ा के बीच एक नयी गाड़ी का चलाया जाना इस समय परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। वर्तमान गाड़ियों के डिब्बों की संख्या में वृद्धि करना भी व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इन गाड़ियों में नियमित आधार पर एक अतिरिक्त सवारी डिब्बा चलाये जाने की गुंजाइश नहीं है ।

अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाएं

7276. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उन सरकारी, अर्ध-सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाओं के अलग-अलग नाम क्या है जिनके लिये विधि मंत्रालय द्वारा अनुदान दिया जाता है ;

(ख) विधि मंत्रालय ने, गत पांच वर्षों में वर्षवार किस-किस संस्था को कितनी-कितनी अनुदान की राशि मंजूर की ;

(ग) प्रत्येक संस्था को किस प्रयोजन के लिए अनुदान की मंजूरी दी गई ;

(घ) अनुदान की मंजूरी के लिए क्या कसौटी अपनाई जाती है ; और

(ङ) विधि मंत्रालय इन संस्थाओं के कार्य का किस प्रकार नियंत्रण करता है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी देने वाले विवरण 1 और 2 संलग्न हैं ।

(घ) संस्थाओं को सहायता अनुदान वित्त मंत्रालय द्वारा अधिकथित सिद्धन्तों और उसके द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार दिए जाते है ।

(ङ) संस्थाओं के समग्र कार्यों की निगरानी संस्थाओं की उपलब्धि एवं कार्य की रिपोर्टों, उनके संपरीक्षित लेखा विवरणों, अनुसंधान-कार्य सम्बन्धी कार्यक्रमों और उनके अन्य क्रियाकलापों से सम्बन्धित कार्यक्रमों को देखकर की जाती है ।

विवरण 1

उन संस्थाओं के नाम जिन्हें वार्षिक सहायता अनुदान प्राप्त होता है और उन्हें स्वीकृति अनुदान की रकम दर्शाने वाला विवरण

(क) गैर-सरकारी संस्थाएं

वर्ष	संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान	भारतीय विधि संस्थान	इन्टरनेशनल ला एसोशिअेशन क्षेत्रीय शाखा (भारत)
	रु०	रु०	रु०
1973-74 . .	2,00,000.00	5,49,500.00	75,000.00
1974-75	2,00,000,00	4,50,000.00	2,75,000.00
1975-76	2,00,000.00	6,00,000.00	25,000.00
1976-77	4,00,000.00	5,66,972.00	24,905.00
1977-78 . . .	4,00,000.00	6,00,000.00	6,992.00

(ख) कानूनी संगठन

केन्द्रीय वक्फ परिषद् (वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 8 क के उपबन्धों के अधीन गठित)

	रु०
1973-74 . .	कुछ नहीं
1974-75 . .	5,00,000.00
1975-76	10,00,000.00
1976-77	15,00,000.00
1977-78	20,00,000.00

विवरण 2

उन संस्थाओं के जिन्हें वार्षिक सहायता अनुदान दिया जाता है नाम और अनुदान का प्रयोजन दर्शाने वाला विवरण

संस्थाओं के नाम	प्रयोजन
(1) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान	संसदीय अध्ययनों से सम्बन्धित पत्रिकाओं के प्रकाशन व्यय को पूरा करने तथा भागतः वेतन संदाय और संस्थान के प्रकीर्ण व्ययों को पूरा करने के लिए ।
(2) भारतीय विधि संस्थान	(i) संस्थान में अनुसंस्थान शिक्षण तथा प्रशिक्षण कर्मचारियों के खर्च को पूरा करने के लिए ; (ii) संस्थान के स्थापन खर्च को पूरा करने के लिए ; (iii) संस्थान द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के व्यय को पूरा करने के लिए ; और (iv) संस्थान द्वारा आयोजित संगोष्ठियों और सम्मेलनों पर उपगत व्ययों को पूरा करने के लिए ।
(3) इन्टरनेशनल ला एसोसिएशन क्षेत्रीय शाखा (भारत)	(i) एसोशिएशन द्वारा प्रारम्भ की गई अनुसंधान परियोजना का खर्च ; (ii) अन्तरराष्ट्रीय विधि सम्बन्धी संगोष्ठियों के आयोजन का व्यय ; (iii) अतिथि प्राध्यापकों आदि द्वारा लक्चरों का व्यय ; और (iv) एसोशिएशन की पत्रिका के प्रकाशन का व्यय पूरा करने के लिए ।
(4) केन्द्रीय वक्फ परिषद्	राज्य वक्फ बोर्डों और दरगाह ख्वाजा साहिब अजमेर को उनकी शहरी-वक्फ सम्पत्तियों के विकास के लिए ऋण देने के लिए ।

Railway line in Backward Regions

†7277. **Shri Narmada Prasad Rai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government had announced that new railway lines would be constructed in backward regions ;

(b) whether a railway line is proposed to be laid from Mahoba to Kareli in Sagar and Jabalpur divisions of Madhya Pradesh ;

(c) if not, when the said line will be constructed in order to remove the backwardness of these Divisions and promote business and whether a survey has been carried out in this regard ;

(d) whether Mahoba, Chhatarpur, Navgaon, Tikanegarh, Kharagpu Malhara Hirapur, Shahgarh, Banda, Makronia, Dhana-Military camp, Surakhe Gaurjhamar, Devri, Chhindali Resena, Dhomi, Tendukheda, Barman, ar Kareli will be covered by the new proposed line; and

(e) whether the construction of this new railway line will reduce decoi menace in Sagar Division?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) (a) A new policy for construction of railway lines in backward areas of tl country is under consideration of the Government. The policy will be announce in the Parliament as son as it is finalised.

(b) to (e): There is no proposal presently under consideration for construc tion of the line from Mahoba to Kareli. The proposal will be given du consideration as and when there is substantial improvement in the resource position for construction of new lines in backward areas of the country.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इराक में तेल की खोज पर व्यय

7278. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इराक में तेल की खोज के कार्य पर भारी राशि व्यय की है और उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी हानि हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) । ओ एन जी सी ने अगस्त, 1973 में ईराक नेशनल आयल कम्पनी के साथ तेल की खोज एवं समुपयोजन के लिए एक ठेके पर हस्ताक्षर किये । भूगर्भीय सर्वेक्षणों के परिणाम के आधार पर ओ एन जी सी ने एक कुयें का व्यधन कार्य किया जिससे तेल की प्राप्ति हुई । तेल निकलने की रफ्तार पर्याप्त न होने के कारण ठेके की शर्तों के अनुसार इसे वाणिज्यिक स्तर की खोज नहीं कहा जा सकता । मार्च, 1977 तक इस पर जो कुल व्यय किया गया, वह मूल्यह्रास के रूप में 1.29 करोड़ रुपये मिलाकर लगभग 9.68 करोड़ रुपये था ।

वर्ष 1978-79 में पेट्रो-केमिकल संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव

7279. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री अहमद एम० पटेल :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978-79 में पैट्रोकेमिकल्स संयंत्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो ये संयंत्र कहां-कहां स्थापित किये जाएंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख)। इण्डियन पैट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लि० और बोंगाईगांव रिफाइनरी और पेट्रो-कैमिकल्स लिमि० के इस समय चल रहे कार्यक्रम के अतिरिक्त इण्डियन पैट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लि० द्वारा निम्न- लिखित नये संयंत्रों की स्थापना के लिए पूंजी निवेश की स्वीकृति अभी हाल ही में जारी की गई है। इस पर 1978-79 वर्ष में कार्य आरम्भ किये जाने की आशा की जाती है ।

(1) प्रति वर्ष 55,000 मी० टन पी० बी० सी० के निर्माण के लिए एक संयंत्र ।

(2) प्रतिवर्ष 10,000 मी० टन एक्रोलेटस के निर्माण के लिए एक संयंत्र ।

(3) वर्तमान डो एम टो संयंत्र को क्षमता को 24,000 मी० टन प्रतिवर्ष से 30,000 मी० टन प्रतिवर्ष तक विस्तार ।

1978-79 वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में कोई अन्य पेट्रोकेमिकल्स प्रायोजना स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

पंजाब में रेल लाइनें

7280. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978-79 में पंजाब में कोई नई रेल लाइनें बिछाई जाने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : 1978-79 के दौरान पंजाब में कोई नई रेल लाइन निर्माणाधिन नहीं होगी । लेकिन राजपुरा से चन्डीगढ़ तक एक नई लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है । सूरतगढ़ भटिंडा मीटर लाइन जिसका एक भाग पंजाब राज्य में पड़ता है, की बड़ी लाइन में आम परिवर्तन का काम भी प्रगति पर है और आशा है कि यह काम शीघ्र पूरा हो जाएगा ।

कालिंग एक्सप्रेस गाड़ी की गति

7281. **श्री बैरागी जैना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी की औसतन गति क्या है !

(ख) क्या कालिंग सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी अपनी गति बनाये हुए है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : तेज चलने वाली कुछ एक्सप्रेस गाड़ियों की औसत रफ्तार 49 कि० मी० प्रति घण्टो से 75 कि० मी० प्रति घण्टा के बीच है। 143/144 कलिंग एक्सप्रेस गाड़ियों की औसन रफ्तार 51/49 कि० मो० प्रति घण्टा है। 143/144 कलिंग एक्सप्रेस गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने सम्बन्धि समीक्षा अगली समय सारणी के संशोधन के समय पर की जाएगी ।

Overbridge between Katihar and Goshala

†7282. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether, in the absence of a wooden overbridge at the level crossing at the yard between Katihar-Goshala and R.B.H.M. Jute Mills, about 5 thousand persons face difficulties in coming and going ;

(b) whether the Divisional Superintendent, Shri Sarkar has personally visited the site ; and

(c) if so, when an over-bridge on the level crossing would be constructed and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) The public can use the level crossing at the new location on Maniharighat side of the station. The inconvenience caused due to the slight detour involved in using this level crossing is minor.

(b) Yes, in February 1978.

(c) The question of providing a foot over-bridge across the Railway lines at the old site of the level crossing is under active consideration by this Ministry—when a final decision is taken, suitable instructions would be issued to the North Eastern Railway in this regard.

रेल वैगनों की कमी

7283. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के इस्पात कारखानों में कोयले की कमी होने का मुख्य कारण रेल वैगनों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सच है ;

(ग) सरकार ने 1977 के दौरान और मार्च, 1978 तक इस्पात कारखानों के लिए कोयले की ढुलाई करने हेतु कुल कितने वैगनों की व्यवस्था की थी ;

(घ) क्या इस्पात संयंत्रों के गम्भीर संकट को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इन कारखानों मे लिए कोयले की ढुलाई हेतु अधिक वैगानों की अधिक व्यवस्था करने का निर्णय किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितने वैगानों की व्यवस्था की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1977 के दौरान, इस्पात संयंत्रों के लिए बंगाल-बिहार के कोयला क्षेत्रों से कोयले 1594 माल डिब्बे प्रतिदिन लाई गये थे । 1978 के दौरान, मार्च 1978 के अन्त तक कोयले के 1636 माल-डिब्बे (अनंतिम आंकड़े) प्रति दिन लादे गए थे ।

(घ) और (ङ) कोयले के लदान के लिए माल-डिब्बे के आबन्टन में, इस्पात संयंत्रों को कोयले की ढुलाई को पहले से ही अति उच्च प्राथमिकता दी जाती है । मार्च, 1978 के अन्त में इस्पात संयंत्रों के पास कोयले का स्टाक लगभग 4.5 लाख मीटरिक टन था जो उनको 10 दिन से अधिक की खपत के लिए पर्याप्त था ।

राज्यों द्वारा विधान परिषदों को समाप्त करने के बारे में पारित संकल्प

7284. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने राज्यों में विधान परिषदों को समाप्त करने के बारे में संकल्प पारित किए थे;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा इन संकल्पों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(घ) क्या सम्बद्ध राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा पारित यह सभी संकल्प व्यपगत हो गये हैं ;

(ङ) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य सरकारों ने यह मामला स्पष्टीकरण के लिए विधि मंत्रालय को भेजा है ; और

(च) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : पंजाब राज्य की विधान परिषद् को पंजाब राज्य की विधान सभा द्वारा पारित एक संकल्प के अनुसरण में पंजाब लेजिसलेटिव काउंसिल (एबोलिशन) ऐक्ट, 1969 द्वारा समाप्त कर दिया गया था । पश्चिमी बंगाल विधान परिषद को पश्चिमी बंगाल विधान सभा द्वारा पारित एक संकल्प के अनुसरण में वेस्ट बंगाल लेजिसलेटिव काउन्सिल (एबोलिशन) ऐक्ट, 1969 द्वारा समाप्त कर दिया गया था ।

बिहार विधान सभा ने 3 अप्रैल, 1970 को हुई अपनी एक बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया कि राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाए । 4 दिसम्बर, 1970 को इस विधान सभा ने एक दूसरा संकल्प पारित किया कि बिहार विधान परिषद को समाप्त करने के लिए 3 अप्रैल; 1970 को पारित किए गए संकल्प का कार्यान्वयन 7 मई से पहले न किया जाए । इस बात को ध्यान में रखते हुए इस संकल्प पर कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

मई; 1970 में समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार छपे थे तथा कुछ पत्र भी प्राप्त हुए थे कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने की सिफारिश करने का एक संकल्प पारित किया था । किन्तु राज्य विधान सभा द्वारा ऐसे किसी संकल्प के पारित किये जाने के बारे में इस मंत्रालय को न तो उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय से और न उत्तर प्रदेश सरकार से कोई सूचना प्राप्त हुई थी । इन परिस्थितियों में इस मंत्रालय द्वारा इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

(घ) भाग (ग) में बिहार और उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है उसको छोड़कर, किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए उस राज्य की विधान सभा द्वारा पारित कोई संकल्प विचाराधीन नहीं है ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिन्दरी में एक नये उर्वरक की स्थापना

7285. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सिन्दरी में वर्तमान संयंत्र के स्थान पर एक नया उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है ;

(ग) क्या नया उर्वरक संयंत्र आधुनिक तकनीक और जानकारी से लैस होगा ;

(घ) संयंत्र को स्थापना में कितना खर्च होगा और संयंत्र कब से उत्पादन करना आरम्भ कर देगा ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : जी, हां। सिन्दरी स्थित वर्तमान संयंत्र, जो संभरण सामग्री के रूप में कोक और कोक ओवर गैस तथा प्रोद्योगिकी पर आधारित है तथा यह प्रोद्योगिकी अब अपरिचित है, आर्थिक दृष्टि से अपनी उपयोगिता समाप्त कर चुका है। अमोनिया उपलब्धता में सुधार लाने और वर्तमान संयंत्र में सीमित उत्पादन की मुख्य बात पर काबू पाने के लिए आधुनिकीकरण की एक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना में आंशिक रूप में ईंधन तेल के आक्सीडेशन पर आधारित प्रतिदिन 900 मी० टन अमोनिया संयंत्र के स्थापना की परिकल्पना की गई है। इस संयंत्र से प्रतिदिन 600 मी० टन अमोनिया का नए संयंत्र में प्रतिदिन 1000 मीटरी टन यूरिया के उत्पादन में प्रयोग किया जाएगा और शेष का अमोनिया सल्फेट के उत्पादन के लिए वर्तमान सुविधाओं के लिए प्रयोग किया जाएगा।

(ग) से (ङ) इस समय सिन्द्री आधुनिकीकरण परियोजना पर 152·04 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। परियोजना जिसकी मूलतः यांत्रिक रूप में नवम्बर, 1977 तक पूरे होने की सम्भावना थी, को अब उसकी मई, 1978 तक पूरे होने की सम्भावना है। आधुनिकीकरण योजना न केवल वर्तमान सुविधाओं के लिए अमोनियम सल्फेट के उत्पादन के लिए आमोनिया की सप्लाई जारी रखेगी अपितु इससे यूरिया के रूप में प्रति वर्ष 129,000 मी० टन नाइट्रोजन की अतिरिक्त उर्वरक क्षमता भी होगी।

Proposal to set up a High Court Bench at Meerut

†7286. **Shri K. Prakash :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the present Uttar Pradesh Government have made a recommendation for opening a High Court bench at Meerut and if so, when it was received ; and

(b) whether he has received a resolution of Bar Association, Meerut in which a demand has been made for opening a High Court bench at Meerut and if so, action taken thereon?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) In March 1978 the Government of Uttar Pradesh have written to the Government of India that they are of opinion that there is justification for the establishment of a Bench of the High Court for the Western Districts of Uttar Pradesh. They have not recommended any specific place where such a Bench should be set up. They have also intimated that certain aspects of the matter, such as the districts to be brought within the jurisdiction of the proposed bench, location of the bench etc. are under the consideration of the State Government.

(b) Yes, Sir. The State Government have been requested to ascertain and intimate the views of the Chief Justice of the Allahabad High Court in the matter.

विदेशी औषध कम्पनियों को लाइसेंस देना

7287. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री विदेशी औषध कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में 14 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2832 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति का प्रतिवेदन पेश होने के बाद बहुत सी विदेशी औषध फर्मों को विभिन्न प्रकार की औषधियों का उत्पादन करने के लिए लाइसेन्स तथा आशय-पत्र जारी किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो हाथी समिति का प्रतिवेदन पेश होने के बाद से अब तक किन किन फर्मों को लाइसेन्स/आशय पत्र जारी किए गए हैं ;

(ग) प्रत्येक फर्म को किस प्रकार के लाइसेन्स दिये गए ; और

(घ) सरकारी निर्णयों को अन्तिम रूप देने में इतना विलम्ब किस कारण से हो रहा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) : हाथी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने की स्थिति से अब तक 13 विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों को जिनकी 40% से अधिक सीधी विदेशी साम्यपूंजी है, औषध और भेषज का उत्पादन करने के लिए 23 औद्योगिक लाइसेन्स सी ओ बी लाइसेन्स/आशय पत्र मंजूर किए गए हैं ।

अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है ।

(घ) औषध और भेषज पर (हाथी) समिति पर सरकार का निर्णय दर्शाने वाला एक विवरण पत्र 29 मार्च, 1978 को सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया है ।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	1975			1976			1977			कुल
		जारी किए हुए औद्योगिक लाइसेन्स की संख्या	सी०ओ० बी० लाइसेंस की संख्या यदि कोई हो	आशय पत्र	जारी किए गए ओद्योगिक लाइसेंस की संख्या	सी.ओ.बी. लाइसेंस की संख्या यदि कोई हो	आशय पत्र	जारी किए गए ओद्योगिक लाइसेन्स की संख्या	सी.ओ.बी. लाइसेंस की संख्या यदि कोई हो	आशय पत्र	
		(हाथी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने की स्थिति से)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	19	11	12
1.	मैसर्स होचेस्ट	1	..	..	2	..		..	1		4
2.	मैसर्स सिनामिड	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1
3.	मसर्स आरगेनोन	1	..	..	..	..	..	1	..	..	2
4.	मैसर्स ग्लैक्सो	1	..		..	..	..	1	..	..	2
5.	मैसर्स पाइजर	..	..		1	..		..	..	..	1
6.	मैसर्स यूनि-सैंकियो	1	..		1		..	..	..		2
7.	मैसर्स अबोट	..	..		*1		1	..	..	..	2
8.	मैसर्स शूहिर्ड गैंगी	..			1		1	..	..	2	4
9.	मैसर्स ब्रोज वैल्कम	..			1	..			..		1
10.	मैसर्स सैंडोज	1		..		..			..	..	1
11.	मैसर्स पारके देविज	..		1		..		..			1
12.	मैसर्स एंग्लो फ्रेन्च	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1
13.	मैसर्स एस० के० एफ०	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1

एन० बी० :—1978 के दौरान किसी भी विदेशी फर्म को औद्योगिक लाइसेन्स/सी०ओ०बी० लाइसेन्स/आशय पत्र जारी नहीं किया गया।

*अब लाइसेन्स लौटा दिया है।

सैलून का प्रयोग

7288. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सादगी और मितव्ययता लाने के उद्देश्य से सरकार का विचार उच्च रेल अधिकारियों और अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा सैलूनों, लग्जरी कारों और वातानुकूलित रेल-डिब्बों के प्रयोग को बन्द करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : ये निदेश जारी किये गए हैं कि निरीक्षण यान जिन्हें सामान्यतया सैलून कहा जाता है उनका उपयोग केवल फंक्शनल प्रयोजन और उन स्थानों के लिए ही किया जाए जहां आवास की व्यवस्था नहीं है । यह विनिश्चय किया गया है कि परिवर्धन लेखें में निरीक्षण यानों का निर्माण न किया जाय । अतः वर्तमान संख्या में किसी प्रकार की और वृद्धि नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे कम होती जायेगी जब कुछ पुराना बेकार स्टाक रह जाएगा और उसको बदला भी नहीं जाएगा ।

अप्रयुक्त टिकटों का किराया वापस लौटाया जाना

7289. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों और छात्रों को, जो अभिभावकों सहित होते हैं, जिनकी गाड़ी, किसी कारण से छुट जाती है गाड़ी के चले जाने से बाद टिकट वापस करने पर किराया वापस किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी हां, उन यात्रियों के मामले में जिन्होंने स्थान आरक्षित न करवा रखा हो । जिनका नाम प्रतीक्षा-सूची में हो, गाड़ी के चले जाने के तीन घण्टे के भीतर, और जिन यात्रियों ने स्थान आरक्षित करवा रखा हो, उनके मामले में गाड़ी छूट जाने के 12 घण्टे के भीतर, बिना इस्तेमाल की गई टिकटों को रद्द कराने के लिए अभ्यर्पित करने पर किराया वापस करने का अधिकार स्टेशन मास्टरों को दिया गया है । जिन टिकटों पर स्थान आरक्षित न कराया गया हों, उनके लिए 50 पैसे प्रत्येक टिकट के हिसाब से लिपिकीय प्रभार लगाया जाता है । जिन यात्रियों के लिए स्थान आरक्षित होता है, उनके मामले में किराए का 30 प्रतीशत वसूल किया जाता है लेकिन इसके लिए निम्नलिखित अधिकतम तथा निम्नतम सीमाएं हैं :—

टिकट रद्द किये जाने के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम फीस			टिकट रद्द किए जाने के लिए प्रति व्यक्ति अधिकतम फीस		
वातानुकूल दर्जा	पहला दर्जा/ 2-टियर वातानुकूल/ वातानुकूल कुर्सी यान	दूसरा दर्जा	वातानुकूल दर्जा	पहला दर्जा/ 2-टियर वातानुकूल/ वातानुकूल कुर्सी यान	दूसरा दर्जा
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
36	18	6	72	36	18

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

एक्सटेन्शन/हैल्थ एजकेटरों के पद

7290. **डा० विजय मण्डल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक्सटेन्शन / हैल्थ एजूकेटरों के पद उस शाखा के अर्हता-प्राप्त एवं अनुभवी फील्डवर्करों की उपेक्षा करके मैट्रिक पास हैल्थ-इन्सपैक्टरों को लेकर भरे जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : प्रसारण शिक्षकों की 50 प्रतिशत रिक्तियां 10 वर्ष सेवा वाले स्वास्थ्य निरीक्षकों की पदोन्नति द्वारा और 30 से 45 वर्ष के बीच कार्यरत कर्मचारियों जिनकी शैक्षिक योग्यता स्नातक स्तर की हो और जिनका सीधा सम्बन्ध रेलवे परिवार नियोजन कार्यक्रम में लगातार 5 वर्ष रहा हो, के द्वारा भरे जाते हैं । पदों को चयन द्वारा भरा जाता है । शेष रिक्तियां रेलवे सेवा आयोग के माध्यम से सीधे भरती करके भरी जाती है ।

भारतीय उर्वरक निगम के निदेशक मंडल के सदस्यों और अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाएं

7291. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार भारतीय उर्वरक निगम के निदेशक मंडल के सदस्यो और उसके उच्च अधिकारियों को दी गई सुविधाओं का मदवार ब्यौरा क्या है, प्रत्येक मद पर कितनी राशि खर्च हुई है ; और

(ख) उनकी आवश्यकताओं में कमी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और ऐसी कार्यवाही कब से की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत की जाएगी ।

राज्यों की वरिष्ठ न्यायिक सेवा के सदस्य जो न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं

7292. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के संविधान में (15वें) संशोधन के पश्चात् वरिष्ठ न्यायिक सेवा के कितने सदस्यों को अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया ;

(ख) क्या विधि आयोग ने अपनी चौदहवीं रिपोर्ट में इन नियुक्तियों के बारे में कोई सिफारिश की है; और

(ग) इस प्रकार कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये, वे किस सेवा से संबंधित थे और उनकी नियुक्ति किन-किन उच्च न्यायालयों में की गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ग) : इस बारे में कि किसी राज्य की वरिष्ठ न्यायिक सेवा के उन सदस्यों की संख्या क्या थी जिन्हें भारत के संविधान के पन्द्रहवें संशोधन के पश्चात् दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियक्त किया गया; वे किस सेवा के थे और उन्हें किन उच्च न्यायालयों में नियुक्त किया गया, जानकारी एकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) विधि आयोग ने अपनी चौदहवीं रिपोर्ट में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं अर्थात्:-

"59. इसके अतिरिक्त, चयन के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण देश को एक ही इकाई मानना होगा क्योंकि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि देश में जो भी सर्वोत्तम प्रतिभावान व्यक्ति उपलब्ध हो सकते हैं उन्हें एक ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए जुटाया जाए जो निःसन्देह आपात स्वरूप की हो गई है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, आवश्यक योग्यता और चरित्र वाले व्यक्ति राज्य में उपलब्ध नहीं हैं तो उस प्राधिकारी को अन्य राज्यों में उपलब्ध व्यक्तियों में से चयन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि वकीलों में से केवल उन्हीं व्यक्तियों का चयन किया जाए जो उच्चतम योग्यता रखते हों और जिनकी वकालत खूब चलती है तथा जो न्यायाधीश के पद को स्वीकार करके धन संबंधी त्याग करने और जन सेवा करने के लिए राजी हों। उपयुक्त वरिष्ठ वकिलों को न्यायाधीश के इन पदों को जन सेवा के रूप में कम से कम थोड़ी अवधि के लिए स्वीकार करने के लिए मनाया जाना चाहिए। विधिज्ञ वर्ग में उनकी स्थिति इतनी लब्ध प्रतिष्ठ होनी चाहिए कि कोई भी यह न कह सके कि उनके द्वारा न्यायाधीश-पद स्वीकार किए जाने से उनकी आमदनी में उमस सय वृद्धि होने की संभावना होगी जब वह फिर से वकालत करने लगेंगे ।

60. हमारी यह परिकल्पना है कि हो सकता है कि कुछ राज्यों में अपेक्षित प्रतिष्ठा वाले और दक्ष व्यक्ति उपलब्ध न हों और राज्य के मुख्य न्यायाधिपति को देश में अन्यत्र उपलब्ध प्रतिभावान व्यक्तियों के बारे में जानकारी न हो। अतः हमारा यह भी प्रस्ताव है कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति की अध्यक्षता में एक ऐसे तदर्थ निकाय का सृजन किया जाए जो प्रत्येक राज्य में वकील वर्ग तथा विधि सेवा, दोनों से उपयुक्त व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तयार करे।

हम पहले हीं कह चुके है कि इन अपर न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय वकील वर्ग और विधि सेवा, दोनों से उपयुक्त व्यक्तियों की उपलभ्यता का समुचित ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि वकील वर्ग के वरिष्ठ सदस्य ऐसे पद को स्वीकार करने के इच्छुक न हों क्योंकि ऐसा करने से उन्हें काफी त्याग करना होगा। यह भी हो सकता है कि वकील वर्ग के उससे निचले स्तर पर, उपयुक्त व्यक्ति प्राप्त न हों। ऐसी स्थिति में उपयुक्त प्रतिभावान व्यक्तियों को सेवारत व्यक्तियों में से ढूंढना होगा। संक्षेप में, भर्ती के इन दोनों स्त्रोतों को इस बात का ध्यान रखते हुए चयन के एक क्षेत्र के रूप में माना जाना चाहिए कि सम्पूर्ण क्षेत्र में उपलब्ध योग्यता व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जाए । देश के अपने दौरे के दौरान हमने पाया कि कुछ राज्यों की न्यायिक सेवाओं में अभी तक ऐसे योग्य व्यक्ति नहीं है जो उच्च न्यायालय के सक्षम न्यायाधीश बन सके। कुछ राज्यों में वकील वर्ग में भी आवश्यक प्रतिभावाले व्यक्तियों की कमी है। इन कमियों को ही ध्यान में रखते हुए हम यह सिफारिश करते है कि सम्पूर्ण देश को चयन के एक क्षेत्र के रूप में माना जाए।"

Supply of Alcohol to the Synthetic and Chemical Ltd., Bareilly

7293. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the quantity of alcohol and other items given by his Ministry to the Synthetic and Chemicals Ltd. Bareilly every month; and

(b) why prices of synthetic rubber produced by Synthetic and Chemical Ltd., Bareilly are not controlled and why the rubber is allowed to be sold at arbitrary prices?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) The Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers does not make any allocation of alcohol or other items to individual industrial units like M/s. Synthetic and Chemicals Ltd., Bareilly.

(b) It was decided to de-control the prices of synthetic rubber (SBR) over two years ago as there was no price control on the products using SBR and as the only raw material for manufacture of SBR, namely alcohol that was under price control constituted about 15% to 20% of total cost of production of SBR. As there was considerable disparity between the prices of natural rubber and SBR, it was considered that market forces would be sufficient to keep the prices at a reasonable level.

The prices charged by M/s. Synthetic & Chemicals on various grades of synthetic rubber are below the prices recommended by the Tariff Commission in May, 1975.

Complaints regarding connection of Somnath Mail with Ahmedabad Weekly Train

†7294. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints from Upleta City in Rajkot District in Gujarat in respect of non-connection of Somnath Mail train with Ahemadabad weekly train and if so, when and the details thereof;

(b) the action taken or proposed to be taken by Government thereon;

(c) the action taken by Government to keep the difference of one hour between both these trains with a view to connect Somnath Mail train with Ahmedabad weekly train every day regularly; and

(d) the action proposed to be taken by Government to connect Somnath Mail train with the weekly train starting from Ahmedabad every day regularly with a view to provide facility to the passengers of Somnath Mail train?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes. A suggestion has been received for providing a wider margin of one hour for connection between 23 Up Veraval-Ahmedabad Somnath Mail and 133 Up Ahmedabad-Howrah Express at Ahmedabad.

(b) to (d): 23 Up Somnath Mail is at present scheduled to arrive Ahmedabad at 6.25 hours and 133 Up Ahmedabad-Howrah Express to leave Ahmedabad at 6.40 hours, thus providing a margin of 15 minutes for connection. Earlier schedule of 23 Up Somnath Mail to widen the margin of connection at Ahmedabad will result in missing of some important connections of this train at Shapur, Jetalsar, Khijadiya, Dhase and Dhola. Later start of 133 Up Express ex. Ahmedabad is also not operationally feasible at present for platform difficulties at Ahmedabad.

Quarters for Railway Employees of Dhoraji

†7295. **Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of quarters for the railway employees of Dhoraji of Rajkot district of Saurashtra region of Gujarat and the number of quarters out of them which do not have electricity and since when and the reasons therefor;

(b) whether these quarters had electricity previously and if so, the duration for which it was there and why it is not provided there now; and

(c) when these will be supplied electricity?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) At Dhoraji railway station of Rajkot District of Saurashtra region of Gujarat State, there are 20 Nos. type I and 11 Nos. type II quarters. All the above quarters have been electrified. There are no quarters without electricity.

(b) and (c) : Do not arise.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की पाइप-लाइनों से अशोधित तेल की चोरी

7296. **श्री फकीर अली अंसारी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की पाइपलाइनों से अशोधित तेल की चोरी में अन्तग्रस्थ होने के कारण अहम्दाबाद में कुछ लोगों को आरोपपत्र दिये गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि चोरी के तेल को कुछ मिलों को बेचा जा रहा था ;

(ग) भविष्य में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की पाइपलाइनों से चोरी को रोकने हेतु सुरक्षात्मक उपाय करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) चोरी के तेल को खरीदने वाली मिलों के नाम क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) : मेहसाना प्रायोजना के एक कुंए से कच्चे तेल की चोरी की घटना हुई थी, जिसका पुलिस अधिकारियों ने पता लगाया। इसमें छः व्यक्ति पकड़े गये जिनमें से ओ० एन० जी० सी० मेहसाना का एक ड्राइवर भी शामिल है, जिन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कादो के कोर्ट द्वारा इस समय निलंम्बित और चार्जशीट किया गया है ।

ऐसा आरोप लगाया गया है कि चोरी किया गया क्रूड दो चावल मिलों को बेचा गया था। ये दो मिलें पटेल राइस मिल और बवाला की भवानी राइस मिल थी। कच्चे तेल की चोरी से संबंधित छः अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध केस इस समय कोर्ट में कर रहे हैं। दो मिलों, जिन पर चुराये गये कच्चे तेल को खरीदने का आरोप लगाया गया है, के विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रश्न पर कोर्ट में पड़ मालों के फैसलों पर निर्भर करेगा। भविष्य में ऐसी चोरी को रोकने के लिए गश्त को और अधिक बढाया जा रहा है।

सी० एल० डब्ल्यू० में कर्मचारी संघ को मान्यता

7297. **श्री रोबिन सेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्राधिकारियों का यह नीति-निर्णय है कि सी० एल० डब्ल्यू० में कर्मचारी संघ को मान्यता न दी जावे;

(ख) क्या यह सच है कि सी० एल० डब्ल्यू० के कर्मचारी गत 20 वर्ष से इस संघ को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं;

(ग) क्या वर्तमान सरकार सी० एल० डब्ल्यू० में कर्मचारी संघ को मान्यता देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) : सरकार ने भारतीय रेलों के उत्पादन कारखानों, जिनमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना भी शामिल है, में किसी यूनियन को मान्यता देना आवश्यक नहीं समझा क्योंकि इन कारखानों के कर्मचारियों की शिकायतें उनके द्वारा चुनी गयी कर्मचारी परिषदों द्वारा, जो इन प्रशासनों में कार्यरत हैं, उठायी जाती हैं, जबकि क्षेत्रीय रेलों पर ऐसी कोई कर्मचारी परिषदें नहीं हैं।

मई, 1977 में हुए त्रिपक्षीय श्रमिक सम्मेलन के बाद श्रम मंत्रालय ने एक त्रिपक्षीय समिति अन्य बातों के साथ-साथ यूनियनों को मान्यता देने के लिए मापदण्डों की सिफारिश करने के लिए गठित की थी। सरकार इस समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रही है तथा रिपोर्ट पर सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार गुण दोष के आधार पर चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने सहित उत्पादन कारखानों में यूनियनों को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

कच्छ जिले में छिद्रण कार्य

7298. **श्री अनन्त दवे :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्छ जिले में अगस्त, 1977 के पश्चात् तेल के लिये छिद्रण-कार्य आरम्भ करने का निर्णय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या छिद्रण संबंधी कोई कार्य आरम्भ किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

गांधीधाम-लखपत रेल लाइन

7299. **श्री अनन्त दवे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधीधाम से लखपत तक एक नई रेल लाइन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस रेल लाइन को प्राथमिकता देने का है क्योंकि यह रेल लाइन पिछड़े जिले में है और वाणिज्यिक सर्वेक्षण से वहां करोड़ों रुपये के मूल्य के खनिज पदार्थों का पता लगा है और यह सीमावर्ती क्षेत्र में है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : गांधीधाम और भुज के बीच वर्तमान मीटर लाइन के आमान परिवर्तन और मांडवी के रास्ते गांधीधाम से लखपत तक बड़ी लाइन के निर्माण के प्रश्न की 1971-72 में किये गये सर्वेक्षण की अवधि के दौरान जांच की गयी थी। यातायात की संभावना अत्याधिक सीमित होने के कारण ये परियोजनाएं व्यवहार्य नहीं पायी गयीं इस लिये इन्हें शुरू नहीं किया गया। जब संसाधनों की उपलब्धता में काफी सुधार हो जायेगा तो इस परियोजना पर नये सिले से विचार करना संभव होगा ।

गांधीधाम तथा भुज के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

7300. **श्री अनन्त दवे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधीधाम तथा भुज के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बलदने का प्रस्ताव विचाराधीन है क्योंकि कच्छ जिला काफी पिछड़ा हुआ जिला है और सरकार ने यह सिद्धान्त: स्वीकार कर लिया है कि पिछड़े जिलों को प्राथमिकता मिलेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में इस समय कितनी प्रगति हुई है और योजना के अनुसार यह कार्य कितने समय में पूरा होना चाहिये था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : 1971-72 में गांधीधाम-भुज मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। यातायात के अति सीमित संभावना के कारण यह परियोजना व्यवहार्य नही पायी गयी और इसलिये शुरु नहीं की गयी । संसाधनों की उपलब्धता में पर्याप्त सुधार होने पर इस परियोजना पर नये सिरे से विचार करना संभव हो पायेगा ।

Replacement of Old Acts

†7301. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are many such Acts at present which were enacted 50 to 80 years ago and these are required to be amended completely in the present context and are to be replaced by new Acts ;

(b) if so, the names of such Acts ; and

(c) whether Government propose to make such Acts up to date or amend them so as to suit the present social conditions?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) to (c): Some of the enactments which became law 50 to 80 years ago do require amendment and, in some cases, replacement by new enactments.

While a comprehensive review of all such enactments has not been attempted, individual Acts are being amended or replaced by new legislation from time to time, either on the basis of the suggestions received from the administrative Ministry, the practical difficulties experienced in the working of an Act, or the recommendations of the Law Commission. Obsolete Acts are also from time to time repealed by Repealing Acts.

Apprentices in Railways

†7302. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minster of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many persons appointed as apprentices in various railway divisions are given training at Railway expense;

(b) whether it is also a fact that it is desirable to give preference in appointments to such persons because of their training at Railway expense; and

(c) if so, the number of such persons in Ratlam division of Western Railway who were given such training but have not been given appointments?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes, under the Apprentices Act, 1961.

(b) Under the Apprentices Act, there is an obligation to train apprentices to provide skilled man-power for the industries in the country. But the training organisation has no obligation to provide employment. The Railways' capacity to offer employment is limited and depends on vacancies as well as the claims of others.

(c) In Ratlam Division there are 127 apprentices but they are still under training.

Expert body to examine Management for twenty fertilizer plants

7303. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an expert body in the year 1967 under the chairmanship of Shri Ram Krishnaya, Joint Secretary, Government of India was formed to examine and recommend the form of management for 20 Fertilizer Plants in the country;

(b) if it is so, whether it is also a fact that all the twenty plants were brought under the Corporation; and

(c) whether the recommendations at (b) above had been implemented by Government and if no, reasons thereof?

The Minster of State in the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) to (c): In October, 1967 a Study Team with Shri M. Ramakrishnayya, the then Joint Secretary in the Ministry of Petroleum & Chemicals as its Convenor, was appointed to study the organisational structure etc. of the two public sector undertakings, namely, the Fertilizer Corporation of India and the Fertilizers & Chemicals Travancore Limited. The Study Team, *inter alia*, suggested that there should be a single public sector fertilizer corporation. Government have not accepted this recommendations because this would involve centralisation in the decision-making and would not be in the interests of plant efficiency.

Conversion of Samastipur-Darbhanga Line

†7304. **Shri Surendra Jha 'Suman'** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether survey work regarding conversion of Samastipur-Darbhanga metre gauge line into broad gauge line has been completed;

(b) the facts of the survey work done; and

(c) the time by which the conversion work will be completed?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c): The final location engineering survey-cum-traffic reappraisal for conversion of the metre gauge line between Samastipur and Darbhanga to broad gauge has been completed. The project is estimated to cost Rs. 8.73 crores according to the Reappraisal. This is an approved project and was included in the budget for 1974-75. Due to severe constraint of resources, only a token provision of Rs. 1,000/- has been made for it in the current financial year. The schedule of construction of the project would depend upon the availability of resources.

10,000 अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती

7305. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19-12-1977 को की गई घोषणा के अनुसार रेलवे श्रम न्यायधिकरण (आर० एल० टी०) के न्याय-निर्णय की क्रियान्विति के लिये 10,000 अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त न्याय-निर्णय क्रियान्वित हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : इन 10,000 पदों, जो विभिन्न श्रेणी III और श्रेणी IV की कोटियों से संबंधित हैं, की भर्ती में कुछ समय लगेगा क्योंकि इस प्रक्रिया में कर्मचारियों की भर्ती तथा प्रशिक्षण शामिल है। रेल इस काम को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। काम के घंटे विनियमों से संबंधित रेलश्रम अधिकरण, 1969 की स्वीकृत सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है। चूंकि ये सिफारिशें 1-8-74 से लागू होती हैं अतः इनके कार्यान्वयन में लगने वाला समय वर्तमान कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं जायेगा क्योंकि जहां कहीं समयोपरि भत्ता देय है, उन्हें मिलेगा।

रोजगार के बारे में नियमों का उल्लंघन

7306. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रोजगार, छंटनी, कृत्रिम सेवारोध, अस्थायी दर्जा देने, स्थायी विभागों में खपाने के संबंध में लागू नियमों का उल्लंघन किये जाने की कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी जोनवार संख्या कितनी है; और

(ग) इन शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) समय समय पर इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) इस बारे में सांख्यिकीय सूचना नहीं रखी जा रही है।

(ग) इन शिकायतों की जांच की जाती है और आवश्यक होने पर उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। कृत्रिम सेवा भंग किये जाने से बचने और शिकायतों को भली प्रकार दूर किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्मिक विभाग को चुस्त बनाने के उद्देश्य से रेल प्रशासनों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

1974 की हड़ताल

7307. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के कुछ कर्मचारियों को, जिन्हें मई 1974 की हड़ताल में शामिल होने के कारण सेवा से निकाला गया था, अभी तक काम पर वापस नहीं लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ;

(ग) क्या सरकार को उनको बहाल करने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) सरकार का उस पर निर्णय क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) : ऐसे केवल दो व्यक्ति सेवा से अलग हैं। चूंकि वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं इसलिए उनको पुनः सेवा में लेने का प्रश्न नहीं उठता।

नेत्रहीन व्यक्तियों को रेल रियायत

7308. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को पुणे (महाराष्ट्र) के नेत्रहीन लोगों से दिनांक 3 दिसम्बर, 1977 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें नेत्रहीन व्यक्तियों को रेलवे द्वारा दी जाने वाली रियायत का कारगर ढंग से और सुविधाजनक तरीके से उपयोग करने की प्रक्रिया में परिवर्तन का सुझाव दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) पूना ब्लाइन्ड मेन्स एसोसिएशन के मई, 1977 में, न कि दिसम्बर, 1977 में, एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि अन्धे व्यक्तियों को वर्तमान नियमों के अनुसार अपेक्षित डाक्टरी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की बजाय पहचान कार्ड प्रस्तुत करने पर रियायती टिकटें जारी की जायें। इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता था और मई, 1977 में ही एसोसिएशन को उत्तर भेज दिया गया था।

रियायत प्राप्त करने की वर्तमान पद्धति के अनुसार अन्धे व्यक्ति अपेक्षित डाक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके सीधे स्टेशन से ही रियायती टिकटें ले सकते हैं। ये डाक्टरी प्रमाण पत्र आंतरिक जांच के लिए स्टेशन कर्मचारियों द्वारा रिकार्ड के रूप में रखे जाते हैं तथा ये रियायत टिकट जारी करने का एक प्राधिकार भी है। इस दृष्टि से, पहचान-कार्ड प्रस्तुत करने पर रियायती टिकट जारी करना सम्भव नहीं समझा गया।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 में संशोधन करने के लिये एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग से प्रस्ताव

7309. **श्री चित्त बसु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री औद्योगिक गृहों के उत्पादन और लाभ के बारे में 21 मार्च, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 388 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने आयोग के प्राधिकार का और विस्तार करने के लिये एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम 1969 में उपयुक्त संशोधन करने के लिये कुछ प्रस्ताव रखे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का स्वरूप क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) : एकाधिकार एवम् निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। उनमें साथ-साथ, एकाधिकार, एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के संशोधनार्थ प्रस्ताव सम्मिलित हैं, ताकि आयोग, अपनी जांच तथा, अनुसंधान की शक्तियों को अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने तथा विशिष्ट रूप से निम्नांकित बातों में समर्थ बन सके :—

(1) अध्यक्ष के पद के रिक्त होने/अनुपस्थित होने की दशा में आयोग कार्य करने के लिये समर्थ हो ।

(2) जांच निदेशक तथा अन्य कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति ।

(3) आयोग को नागरिक प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उसी प्रकार की शक्तियां दी जाय, जैसी कि एक नागरिक न्यायालय को होती हैं तथा आयोग के समक्ष कार्यवहियां, न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाय ।

(4) किसी एक या अधिक उपक्रमों द्वारा एकाधिकारी व्यापार प्रथाओं में निरत रहने का आयोग को निर्देश ।

(5) औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन-पत्रों के खारिज करने की जांच के लिये आयोग को शक्ति ।

(6) आयोग को अन्तरिम आदेश पारित करने की शक्ति देना ।

ये प्रस्ताव, वर्तमान में श्री न्यायाधीश सच्चर की अध्यक्षता में कार्य कर रही विशेषज्ञ समिति के विचाराधीन है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के उपबन्धों का पुनर्विलोकन कर रही है, ताकि उन्हें सरल तथा अधिक प्रभावी बनाया जा सके । उक्त समिति की रिपोर्ट 30 जून, 1978 तक प्राप्त हो जाने की आशा है तथा इसके पश्चात्, सरकार इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करेगी व उन्हें सूचित करेगी ।

Contributions made by Companies to Political Parties and Leaders

7310. **Shri Hukmdeo Narain Yadav:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the companies which gave contributions to the political parties and political leaders from 1970 to 1977 indicating the names of the political parties and political leaders and the amount given to each of them; and

(b) whether giving of contributions thereto was legally justified?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) & (b): The Department of Company Affairs have no information about contributions made during the relevant period by companies to the political parties and political leaders. Sub-section (1) of Section 293A of the Companies Act, 1956 which is on the statute from 28th May, 1969 prohibits a company from making any contribution to any political party or for any political purpose. Therefore, no company could thereafter make such contribution rendering itself liable for prosecution under sub-section (2) of the said section.

However, 1013 companies have made payment of nearly Rs. 10.13 crores during the period 1-1-1974 to 31-3-1977 towards advertisements in souvenir brought out/to be brought out by the political parties including their various organs. The question whether any of these payments would constitute contribution under section 293A of the Companies Act, 1956 is under investigation/examination.

Extension of Bakhtiyarpur-Rajgir B. G.

†7311. **Shri Birendra Prasad:** Will the Minister of **Railways** be please to state:

(a) whether survey work for extending Bakhtiyarpur-Rajgir broad gauge line to Gaya in Bihar State has been completed; and

(b) if so, when the work will be started to complete the work of extending this line?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b): The survey for extending Bakhtiyarpur-Rajgir broad gauge line upto Gaya is nearing completion. A decision regarding construction of this line will be taken after the survey is completed and would depend upon the availability of resources.

बहुराष्ट्रीय औषध फर्मों के प्रबन्धक बोर्ड में प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव

7312. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कार्यरत बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों के प्रबन्धक बोर्डों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं उसके उद्देश्य क्या हैं और उस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) अभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है परन्तु औषध और भेषज उद्योग पर समिति (हाथी) पर सरकार के निर्णयों से संबंधित विवरणपत्र के पैरा 15 और 19 में (जिसकी एक प्रतिलिपि 29-3-78 को सभापटल पर प्रस्तुत की गई है) । विदेशी फर्मों द्वारा उपयुक्त शेयरों का सरकारी वित्तीय तथा सरकारी क्षेत्रीय संस्थान अर्जन कर सकते हैं । ऐसी कम्पनियों के बोर्डों में प्रतिनिधित्व का प्रत्येक मामला सरकारी वित्तीय तथा सरकारी क्षेत्रीय संस्थानों की साम्यपूंजी के आधार पर निश्चित किया जायेगा ।

वरिष्ठ आशुलिपिकों (स्टेनोग्राफरों) से अभ्यावेदन

7313. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर रेलवे के वरिष्ठ आशुलिपिकों से उनके ग्रेड 425-700 (आर एस) के पुनरीक्षित वेतनमान के विरुद्ध दिनांक 18 अगस्त, 1977 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो वरिष्ठ आशुलिपिकों की उचित कठिनाईयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि उनके ग्रेड के पुनरीक्षण से पूर्व उनका और चीफ क्लर्क का अधिकतम ग्रेड वही अर्थात् 425 रुपये था लेकिन जबकि चीफ क्लर्क का पुनरीक्षित वेतन मान में अधिकतम ग्रेड बढा कर 750 रुपये कर दिया गया, आशुलिपिकों का अधिकतम ग्रेड 700 रुपये निम्न स्तर पर निर्धारित किया गया है, जबकि चीफ क्लर्क और वरिष्ट आशुलिपिक के दोनों ही पदों का समान महत्व और दायित्व है;

(घ) यदि हां, तो दोनों श्रेणियों में पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारित करने में उक्त भेद-भाव किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) वेतनमान में उक्त असमानता को दूर करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) : वेतनमानों में सुधार करने के लिए आशुलिपिक कोटि से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, रेलों पर आशुलिपिकों तथा मुख्य क्लर्कों की कोटि के लिए निम्नलिखित वेतनमान आवंटित किये गये हैं :

कोटि	प्राधिकृत वेतनमान	संशोधित वेतनमान
	रु०	रु०
(1) आशुलिपिक	(1) 210 – 425	425—700
	(2) 210 – 425 जमा 30/50 रुपये विशेष वेतन।	550 – 750
(2) मुख्य क्लर्क	335 – 425	(1) 425 – 700 (एक-तिहाई पद)
		(2) 550—750 (दो तिहाई पद)

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश में कोई परिवर्तन करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है चूंकि वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमानों को कार्यान्वित किया गया है, इसलिए ऐसा नहीं समझा जाता कि इस मामले में कोई विसंगति हुई है।

इलाहाबाद में पार्सल ढोने वाले कुलियों को मजुरी का भुगतान

7314. **श्री बटेश्वर हेमराम** : क्या **रेल** मंत्री इलाहाबाद में पार्सल ढोने वाले कुलियों की मजुरी का भुगतान करने के बारे में 2 अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5709 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोसाइटी ने किस विशेष महीने और वर्ष से पार्सल ढोने वाले कुलियों को 3.50 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान करना आरम्भ किया ;

(ख) जुलाई, 1975 से जुलाई, 1977 तक पार्सल ढोने वाले कुलियों और पार्सल की ढुलाई लदान के लिये नियुक्त पर्यवेक्षी-कर्मचारियों को महीने वार पृथक्-पृथक् कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया ;

(ग) क्या पार्सल ढोने वाले कुलियों को उक्त भुगतान ठेका श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के उपबन्ध के अनुसार 'प्रिंसिपल एम्पलायर' के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) अगस्त, 1975 से जून, 1976 तक।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं हैं क्यों कि सोसायटी की लेखा पुस्तिकाओं की सरकार द्वारा लेखा परीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) : केवल सितम्बर, 1977 से रेल प्रतिनिधियों द्वारा भुगतान का साक्ष्यांकन किया गया है। इससे पहले, मासिक बिलों के साथ समिति द्वारा भेजा गया एक प्रमाण-पत्र कि 'कर्मचारियों को उचित मजूरी दी जा रही है' स्वीकार किया गया था।

इलाहाबाद में लाइसेंस धारी कुली

7315. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :**
श्री एन० के० शेजवालकर :

क्या रेल मंत्री इलाहाबाद में लाइसेंस धारी कुलियों के बारे में 13 दिसम्बर 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3625 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर स्थायीकरण (डीकेंज्युलाइजेशन) योजना आरम्भ करने के समूचे प्रश्न पर, दोनों प्रणालियों के लाभ और हानि के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, मंत्रालय में विचार किया गया है और उनके विचार का क्या अन्तिम परिणाम निकला है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : यह मामला अभी विचाराधीन है।

मुगलसराय में पार्सल उतारने-चढ़ाने का काम कर रहे श्रमिक

7316. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या रेल मंत्री मुगलसराय में पार्सल उतारने-चढाने का काम कर रहे श्रमिकों के बारे में 13 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3610 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1975 से मार्च, 1978 तक की अवधि में महीने-वार, अलग-अलग श्रमिकों को कुल कितनी धन राशि दी गई और क्या समची धनराशि का भुगतान मख्य नियोजक के अधीकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया था;

(ख) उपरोक्त अवधि में महीने वार अलग-अलग पर्यवेक्षी अधिकारियों को कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ग) नवम्बर, 1975 से फरवरी, 1978 की अवधि में महीने वार अलग-अलग किये गये काम संबंधी बिलों पर पूर्वी रेलवे द्वारा किये गये भुगतान का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बरेली से सागर तक रेलवे लाइन

7317. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरेली (जिला रेमरन, मध्य प्रदेश) से सागर (मध्य प्रदेश) तक रेलवे लाइन बनाने के लिये कुछ वर्ष पूर्व सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या सरकार का विचार उस परियोजना को विशेषकर उस क्षेत्र के पिछड़े पन को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में क्रियान्वित करने के लिये शामिल करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समय धन की अत्याधिक कमी है और जो धन उपलब्ध है वह उन परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है जिन पर पहले से ही काम चल रहा है।

वैगनों का अप्रयुक्त पड़े रहना

7318. **श्री वसंत साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी और गर-सरकारी क्षेत्रों के लिए समूचे सीमेंट, उर्वरकों और अन्य वस्तुओं की ढुलाई में होने वाले विलम्ब से यह प्रतीत होता है कि बड़ी संख्या में वैगनों का प्रयोग नहीं होता है और इससे स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उसको सामान्य बनाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो वैगनों के कथित अप्रयुक्त पड़े रहने के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में की गई / की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : क्रमशः लदान और उतराई स्थलों पर माल डिब्बों को लादने और खाली करने में विलम्ब के कुछ मामले हुए हैं, जिनके परिणाम-स्वरुप मुख्यतः कोयला खानों, इस्पात कारखानों, ताप बिजलीघरों, उर्वरक उतराई स्थलों आदि पर बहुत से माल-डिब्बों को रुके रहना पड़ा। इस स्थिति को सुधारने के लिए अन्य संबंधित मंत्रालयों के समन्वय से रेल मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किये हैं:—

(1) कलकत्ता में कोयले के आबंटन को नियंत्रित करने वाले निदेशक, रेल संचलन, कलकत्ता द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड और भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ अक्सर बैठकें बुलाना।

(2) सीमेंट कारखानों को कोयले की सप्लाई के बारे में स्थिति की समीक्षा करने के लिए रेल मंत्री, उद्योग और ऊर्जा मत्री की बैठक के बाद एक कृतिक दल की स्थापना जिसमें रेल उद्योग और ऊर्जा मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यह कृतिक दल बिजली घरों को कोयले की सप्लाई से संबंधित स्थिति की भी समीक्षा कर रहा है।

(3) उर्वरकों के लदान और उतराई स्थलों पर माल–डिब्बों को खाली करने और यथासम्भव अधिकतम संचलन को युक्तियुक्त बनाने के लिए समीक्षा हेतु कृषि और रेलवे विभाग के प्रतिनिधियों को मिलाकर कार्यकारी दल का गठन करना।

(4) खाद्यान्नों के संचलन को सप्रवाही बनाने के लिए खाद्य विभाग के प्रतिनिधियों के साथ आवधिक बैठकें।

Rail Line in Meerut District

†7319. **Shri Daya Ram Shakya**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government conducted any survey for laying a new railway line in Meerut district and if so the details thereof; and

(b) the time by which the work of laying this railway line will be completed and the expenditure estimated to be incurred thereon?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b) : Construction of a B. G. line estimated to cost Rs. 22.53 crores in the area served by the former Shahdara-Saharanpur Light Railway, which falls partly in Meerut District, is in progress and is expected to be completely by 1980.

Preliminary Engineering-cum-Traffic Surveys for BG rail links (i) from Daurala to Hastinapur via Mawana and (ii) from Baraut to Chapprauli were carried out during 1963-64 and 1974-75 respectively. The projects were, however, not found to be viable. Due to severe constraint of resources and heavy commitments already made, it is not possible to undertake the construction of these lines at present.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

Review on the working and Annual Report of Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd. for 1976-77

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :—

(1) Review by the Government on the working of the Pyrites Phosphates and Chemicals Limited, Dehri-on-Sone, District Rohtas (Bihar), for the year 1976-77.

(2) Annual Report of the Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited, Dehri-on-Sone, District Rohtas (Bihar), for the year 1976-77 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in the Library. See No. LT 2108/78]

Notifications under Representation of the People Act, 1950 and Companies Act, 1956

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Narsingh Yadav): Sir, I beg to lay on the Table :—

(1) A copy of Notification No. S.O. 191(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 22nd March, 1978 making certain corrections in the description of the extent of constitutency in Schedule XVI of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, under sub-section (2) of section 9 of the Representation of the People Act, 1950. **[Placed in the Library. See No. LT 2109/78]**

(2) A copy of Notification No. G.S.R. 426 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 1st April, 1978 declaring M/s. Amritsar Radhasoami Finance Company (Private) Limited, a company having its registered office in the State of Uttar Pradesh as a 'Nidhi', under sub-section (3) of section 620A of the Companies Act, 1956. **[Placed in the Library. See No. LT 2110/78]**

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में
RE. CALLING ATTENTION MOTION

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : अभी तक हमें विवरण प्राप्त नहीं हुआ है ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं तथ्य एकत्र कर रहा था। मैंने तथ्य एकत्र कर लिए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को 1 बजे म० प० लेंगे ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

73 वां प्रतिवेदन

श्री सो० एम० स्टीफन (इदक्की) : मैं भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के वर्ष 1975–76 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर पैराग्राफ 48 पर लोक लेखा समिति का 73 वां प्रतिवदन प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

चौथा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(1) सरकारी उपक्रमों द्वारा प्रचार पर अत्यधिक व्यय पर चौथा प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

सत्रहवां प्रतिवेदन

श्री निर्मल चन्द्र जैन : (सिवनी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का 17वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

याचिका समिति
COMMITTEE ON PETITIONS

तीसरा प्रतिवेदन

Shri H. V. Kamath (Hoshangabad) : I beg to present the Third Report of the Committee on Petitions (Sixth Lok Sabha).

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(1) कर्नाटक राज्य में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा शक्तियों के प्रयोग करने के सम्बन्ध में कर्नाटक के मुख्य मंत्री द्वारा सहमति वापस लिए जाने का समाचार

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री देवराज अर्स द्वारा राज्य के दाण्डिक अपराधों की जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा शक्तियों का प्रयोग किये जाने के बारे में राज्य सरकार की सहमति वापस ले ली है। मुख्य मंत्री द्वारा यह सहमति वापिस लेने का कारण यही है कि पिछले वर्ष केन्द्रीय सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री देवराज अर्स के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा भाई-भतीजावाद के आरोपों की जांच करने के लिए ग्रोवर आयोग को नियुक्ति कर दी। आयोग ने उन्हें 4 आधारों पर दोषी पाया। अपनी सहमति वापिस लेकर मुख्य मंत्री यह कहते है कि केन्द्र सरकार उनके विरुद्ध की जा रही कार्यवाही समाप्त कर दे क्योंकि उन्हें कर्नाटक के लोगों का पुनः विश्वास प्राप्त हो गया है। परन्तु केन्द्र सरकार ने इसे मानने से इंकार कर दिया है। केन्द्रीय सरकार की यह धारणा सही ही है कि कानून के समक्ष सभी बराबर है तथा जो भी व्यक्ति गलत काम करता है उसे सजा अवश्य दी जानी चाहिए, चाहे वह व्यक्ति कितना भी बडा या छोटा क्यों न हो।

मुख्य मंत्री की यह कार्यवाही अपने आपको आयोग के शिकंजे से बचाने का ही एक प्रयास है। यदि वह निर्दोष है तो उन्हें आयोग का सामना साहस से करना चाहिए। सहमति वापस लेने का तात्पर्य तो यह होगा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो जैसे महत्वपूर्ण तन्त्र से सजा समाप्त हो जायेगी। इससे केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे अनेक पेचीदा समस्याएं उठ खड़ी होंगी क्योंकि देश के सभी भागों में शत्रुओं के एजन्ट तोड़ फोड़ करने वाले तथा समाज विरोधी कार्यवाही करने वाले लोग हैं तथा केन्द्र सरकार को उन पर निगरानी रखनी पड़ती है।

यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरों की तरह ही अन्य केन्द्रीय एजेंसियों को रोका जाने लगा तो देश में बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायगी जिससे सम्पूर्ण देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ऐसी एजेंसियों को राज्यों में बिना किसी राजनैतिक प्रभाव के काम करना चाहिए। सहमति वापिस लिए जाने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। गृह मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें।

(2) तारापूर स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लि अमरिका द्वारा समृद्ध यूरनियम के सप्लाई में विलंब का समाचार

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद): स्पष्ट है कि अमरीकी सरकार तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए समृद्ध यूरेनियम भेजने में अत्यधिक विलम्ब कर रहा है इस सभा में विदेश मंत्री ने इस बारे में दो वक्तव्य दिये है। 23 फरवरी, 1978 को दिए गए वक्तव्य में उन्होंने बताया था कि प्रेसीडेंट कार्टर ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा है। इसमें आशा व्यक्त की गई है कि भारत सभी आणविक गतिविधियों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षणों को स्वीकार कर लेगा। विदेश राज्य मंत्री ने 2 मार्च, 1978 के अपने वक्तव्य में बताया कि सरकार इस समय अमरीकी सिनेट द्वारा पास किये गए परमाणु निरस्त्रीकरण विधेयक की जटिलताओं का अध्ययन कर रही है। इस विषय में वास्तविक स्थिति के बारे में सभा को विश्वास में लिया जाना चाहिए।

(3) मणिपुर में सूखे की स्थिति का समाचार

श्री एम० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मणिपुर): सम्पूर्ण मणिपुर राज्य में सुखे की स्थिति इतनी भयंकर है कि वहां के लोगों को दर्दसाक स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। पर्वतीय तथा घाटी क्षेत्र में पानी के सभी स्रोत तथा कुयें सूख गये है। राज्य सरकार, नगरपालिका बोर्ड तथा अन्य संस्थायें द्वारा पानी की आपात सप्लाई बनाये रखने पर प्रतिदिन भारी धनराशि खर्च की जा रही है। लोगों के सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार को शीघ्र ही सहायता देनी चाहिये। अब समय आ गया है जब कि सरकार को भविष्य में इस प्रकार के स्थिति न आने देने के लिए पर्याप्त तलाब आदि खोदने चाहिए तथा घाटी के उत्तरी भाग में ऐसे तटक्षेत्रों का निर्माण करना चाहिये जहां कि पानी को इकट्ठा किया जा सके।

(4) राष्ट्रीकृत बैंको के अधिकारियों द्वारा हड़ताल करने की धमकी का समाचार

श्री विनोद भाई बी० सेठ (जामनगर): 1 मई, 1978 से पिल्ले समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने सम्बन्धी एकतरफा सरकारी निर्णय के विरुद्ध स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा इसे सम्बद्ध 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के 38,000 अधिकारियों ने हड़ताल करने की धमकी दी है, जिससे व्यापारियों में व्यापक रूप से असंतोष फैल गया है। वित्त मंत्रालय को इस मामले पर आल इंडिया कन्फेड्रेशन आफ बैंक अफिसर्स आरगनाइजेशन के साथ तत्काल बातचीत करनी चाहिए ताकि इस हड़ताल को रोका जा सके अन्यथा इससे देश की समूची अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित हो जायेगी।

(5) मनीला स्थित भारतीय दुतावास में आग लगने का समाचार

Shri S. S. Lal (Bayana): Some time ago there was a bomb explosion in Sydney and now there has been an incident of fire in Manila in which the files and furniture of our embassy were distroyed. The whole building was burnt to ashes. This is a serious matter.

अध्यक्ष महोदय : आपको अपने लिखित बयान के अनुसार मामला उठाना चाहिए।

Shri S. S. Lal: Such recurring incidents are a cause of concern as they have created a sense of insecurity in the minds by employees working in our embassis. It is high time that some agency should be set up to take necessary security measures. If timely action is not taken, the consequences are going to be very serious.

श्री सी० एम० स्टीफन (इडुक्की) : देश में कानून और व्यवस्था की समस्या बड़ी गम्भीर है। कल कहा गया था कि इस बारे में आज चर्चा होगी। पर खेद है कि यह विषय आज हमारे सामने नहीं आया। इस विषय पर बहस करने की अनुमति दी जाए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

बजट (सामान्य)—अनुदानों की मांगे—विदेश मंत्रालय
BUDGET (GENERAL)—DEMANDS FOR GRANTS—MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

अध्यक्ष महोदय : अब हम विदेश मंत्रालय की अनुदानों पर चर्चा करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि वर्तमान सरकार को विदेश मामलों में कुछ सफलताएं प्राप्त हुई है। पर विश्व में आज भी अनेक एसे मामले है जिन्हें हल किया जाना है और हमारी विदेश नीति को यह मान कर चलना चाहिए कि उपनिवेश वाद तथा साम्राज्यवाद की जड़ें अभी उखड़ी नहीं है। इन शक्तियों का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। यह ठीक है कि प्रत्यक्ष उपनिवेशवादी राजनीति का अधिपत्य अधिकांश देशों में समाप्त हो चुका है। किन्तु जिम्बाबवे, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका जसे देश आज भी दमन, कुशासन और उपनिवेशवादी साम्राज्य के शिकार है। आज भी करोड़ों लोग अपने अधिकारों से वंचित है। श्वेत अल्प संख्यकों द्वारा उनका दमन किया जा रहा है। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम अफ्रीका के उन लोगों का राजनीतिक, कूटनीतिक तथा आर्थिक सभी उपायों द्वारा समर्थन करें, जो आज अपनी राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए जद्दाजहद कर रहे है।

जिम्बाबवे के सम्बन्ध में हमारी विदेश नीति में कुछ असंगतता है। मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन से पता चलता है कि हमारी सरकार नें जिम्बाबवे की जनता द्वारा अपनें लोकतांत्रिक अधिकारों तथा श्वत अल्प संख्यकों के अधिपत्य के विरूद्ध किये जा रहे संघर्ष का दृढ़ समर्थन किया है। किन्तु साथ ही सरकार ने एंग्लो-अमरीकी प्रस्तावों का स्वागत किया है जो उन लोगों में फूट डालने के उपायों के अलावा और कुछ नहीं है। यह असंगतता दूर की जानी चाहिए।

अपने पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध अच्छे बनाने के लिए हमारे विदेश मंत्री बधाई के पात्र है। इस दिशा में उठाये गये कदमों का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने हाल ही में

बर्मा, पाकिस्तान आदि पड़ोसी देशों की यात्रा की है इससे हमारे सम्बन्ध और भी मधुर हुए है। यह एक अच्छो बात है। इन देशों के साथ व्यापारिक, सांस्कृतिक आदि सम्बन्ध हमें और सुदृढ़ करने चाहिए। यातायात के साधनों में भी वृद्धि की जानी चाहिए।

चीन के साथ हमारे जो विवाद हैं उन्हें आपसी बातचीत से हल किया जाना चाहिए। यही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा०) की भी राय है। लम्बे समय के बाद चीन से सम्बन्ध सुधारने हेतु कुछ ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। सरकार के इस रवये का हम समर्थन करते हैं। यह नितान्त आवश्यक है कि हम चीन के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने का प्रयास करें।

जहां तक पश्चिम एशिया के देशों का सम्बन्ध है, हमें अमरीका सरकार के अरब देशों के बीच फूट डालने के प्रयासों सख्ती से विरोध करना चाहिए। हम पी० एल० ओ० का समर्थन कर रहे हैं। पर साथ ही पश्चिम एशिया में स्थिति में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्रपति सादात की इजरायल यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार की अनीतियों से हमारी विदेश नीति में कुछ खामियां पैदा हो रही हैं और इसे दूर किया जाना चाहिए।

गुट-निरपेक्ष नीति को हमें जारी रखना चाहिए। गुट निरपेक्ष देशों के कोलम्बो संकल्प का अनुसरण किया जाना चाहिए। भारत को नव-उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहना चाहिए और साथ ही गुटनिरपेक्षता की नीति का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कोरिया के एकीकरण के बारे में सरकार की क्या नीति है? हिन्द महासागर को शान्ति-क्षेत्र बनाया जाना चाहिए तथा वहां जो सैनिक अड्डे हैं उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। प्रतिवेदन में डियगो गार्शिया का कोई उल्लेख नहीं है। लगता है कि अमरीकी साम्राज्यवादियों को समाजवादी देशों को एक समान माना गया है।

हमारे देश को अधिकाधिक आर्थिक सहयोग करना चाहिए तथा स्वतंत्रता संग्राम में अधिक से अधिक मदद दी जाए।

श्री हरि विष्णु कामथ (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, अपने देश के दृष्य से हटकर विश्व के दृष्य को देखते हैं तो दिलों में कुछ उमंगें उठती हैं। किन्तु इसके साथ साथ हम देखते हैं कि विश्व में कई ऐसे स्थल भी हैं जहां संघर्ष चल रहा है और उनमें हमारी बड़ी लाभप्रद भूमिका हो सकती है। इस बात पर मैं बाद में आऊंगा। मैं अभी यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे कम से कम बीस मिनट दिये जाने चाहिए।

मुख्य प्रश्नों पर आने से पहले मैं विदेश मंत्रालय की मांगों के पृष्ठ 5 और 15 पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें दो विचित्र मदें हैं—पहली है मनोरंजन प्रभार। इसके अन्तर्गत एक मद है विशिष्ट व्यक्तियों का मनोरंजन। इस मद के आगे कोई व्यय नहीं दिखाया गया है। किन्तु पृष्ठ 15 पर एक मद है—विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों का मनोरंजन। मैं समझता हूं कि इसमें भारतीय विशिष्ट व्यक्ति भी शामिल हैं। इसके आगे 63 लाख रुपये का व्यय दिखाया गया है जबकि इसके लिए गत वर्ष 104 लाख रुपये की व्यय की व्यवस्था थी। सम्भवतः यह कमी नशाबन्दी के फलस्वरूप हुई है। यह बहुत अच्छी बात है।

यह सत्य है कि किसी राष्ट्र की विदेश नीति उस राष्ट्र के हितों को ध्यान में रख कर होनी चाहिए। हमारी विदेश नीति भी शान्ति, मैत्री और सहयोग पर आधारित है।

इस समय विश्व में अशान्त क्षेत्र एशिया और अफ्रीका में हैं और जहां तक मुझे ज्ञात है दक्षिण अफ्रीका के देशों को छोड़कर सभी देश अब स्वतंत्र हैं तथा प्रशान्त, अटलांटिक द्वीपों तथा अन्य देशों ने भी मुक्ति पाई है।

अब हमारे पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधर रहे है और इसमें हमारे विदेश मंत्री श्री बाजपेयी ने बड़ा प्रयास किया है। कश्मीर के बारे में उन्होंने पाकिस्तान से बात की है। इस बारे में उन्होंने हमें विस्तार से नहीं बताया है किन्तु उन्होंने यह कहा है कि काश्मीर के बारे में भारत का रवैया स्पष्ट तथा सर्वविदित है। जम्मू और काश्मीर संवैधानिक एवं कानूनी दृष्टि से भारत का अंग है। किन्तु कानूनी रूप से सम्पूर्ण जम्मू और काश्मीर भारत का अंग नहीं हुआ है क्योंकि इसका कुछ भाग अभी भी पाकिस्तान और कुछ चीन के पास है . . . (**व्यवधान**)

मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में सरकार की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि वह इस बारे में वस्तुतः क्या करना चाहती है। क्या शान्तिपूर्ण बातचीत से यह समस्या हल हो सकती है। चीन के बारे में प्रधान मंत्री ने हाल ही में मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद पंचशील तथा सम्बध सिद्धान्तों के आधार पर हल किया जायेगा। पं० जवाहर लाल नेहरू ने इस बात पर जोर दिया था कि चीन को भारतीय क्षेत्र को खाली करना चाहिए। किन्तु चीन के एक जनरल ने कहा था कि हम एक बार भारत आये है किन्तु यदि आवश्यकता हुई तो फिर आयेंगे। उस पर छः कोलम्बो शक्तियों ने एक योजना बनाने का निश्चय किया। पं० नेहरू ने इस योजना को स्वीकृत किया था जो कि उनसे बनाई गई योजना से भिन्न थी।

प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई 1962 में लोक सभा द्वारा पास किये गये उस ऐतिहासिक संकल्प में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं जिसमें आक्रमणकर्ता को निकाल बाहर करने के लिए कहा गया है। इसमें भारत को "पवित्र भूमि से आक्रमणकारी को निकाल बाहर करने" के स्थान पर "आक्रमणकारी से खाली करवाने" प्रतिस्थापित करने का संशोधन है। 1963 में कोलम्बो शक्तियों द्वारा बनाई गई योजना को संसद द्वारा पास करने के लिए एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बाद चीन से कोई पत्र आया है और क्या वे बातचीत करने के लिए तैयार हैं।

जहां तक वास्तविक गुट-निरपेक्षता का सम्बन्ध है क्या हम अपने दिलपर हाथ रख कर कह सकते हैं कि हम पश्चिम एशिया के मामले में वास्तविक रूप से गुट निरपेक्ष हैं। यद्यपि यह कठिन है कि हम अपनी 30 वर्ष की नीति को छोड़ दें किन्तु अब समय आ गया है कि हम इस दिशा में कुछ शुरूआत करें। विश्व में नेपाल, बर्मा आदि ऐसे देश हैं जिनका इजरायल के साथ राजनयनिक सम्बन्ध हैं। लगभग ऐसे 48 देश हैं जिनके अरब देशों तथा इजरायल दोनों के साथ राजनयिक सम्बन्ध हैं। अतः सरकार को इस विषय में विचार करना चाहिए। अब तक तो ब्रिटिश दूतावास हमारे हितों का ध्यान रखता है।

वियतनाम और कम्बोडिया में लड़ाई चल रही है और विदेश मंत्री ने कहा है यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है क्योंकि दोनों गुट-निरपेक्ष देश है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी सरकार की पूरी तरह से आलोचना कर रही है और हर प्रकार के वक्तव्य दे रही हैं। विदेशों में हमारी प्रचार व्यवस्था ठीक नही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में विदेश मंत्री के भाषणों का एक भी शब्द अमेरिका के प्रेस में नहीं आया। अंत में हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र में स्थान दिये जाने का प्रश्न है। यद्यपि यह कठिन काम है किन्तु इस दिशा में प्रयत्न किया जाना चाहिए। यह महा सभा में सदस्यों के मत पर निर्भर करता है। जापानी और स्वाली का पहले ही प्रश्न है और इनके बारे में निर्णय होने पर ही हिन्दी के बारे में विचार किया जायेगा। मुझे आशा है कि विदेश मंत्री इस बारे में विचार करेंगे।

Shri Ram Prakash Tripathi (Kanauj) : I support the Demands of the Ministry of External Affairs. I want to congratulate the Foreign Minister and Janta Government for their adopting genuine non-alignment. In fact the Foreign Minister has made efforts in improving relations with our neighbourers with the result that we have better relations today. I also congratulate him for his addressing the U.N.O. meeting in Hindi. Our missions abroad are not doing good work. In these missions, still there are the same persons who, during emergency, carried out propoganda against Shri Jayaprakash Narayan and other leaders. They are tarnishing the image of the country. I want to make some suggestion's in this regard. It is good that some action has now been taken on the report of Dr. Pillai. But the people in the Ministry are not cooperating with the persons taken from outside. By taking Shri Palkhiwala and Shri N. G. Gore the view points of our country will be correctly placed before the World.

In regard to Policy Planning Committee in the Ministry, I have to make a suggestion that a person other than the Foreign Secretary should be the Chairman of this Committee. The Chairman should be an experienced person who should improve abroad the image of India.

I entirely agree with the Members that further improvements should be made in the arrangements for issue of passport. It is good that now some improvement has been made and some powers have been given to Members of Parliament still there are so many difficulties to be removed.

I would also like to advise my congress friends that they should appreciate the good things now being done by Government. It is unfortunate that Smt. Gandhi is criticising Government without any consideration whether a good work has been done. Ministry of Foreign Affairs has done a good work but these people have no appreciation for that. It is being charged that nothing is being said for Mr. Bhutto. Because Smt. Indira Gandhi knows that by defending Mr. Bhutto her case will be strengthened in regard to the observations of Shah Commission. But she has forgotten the emergency days when the photo of Shri George Fernandes, in chains was being flashed abroad. When we want that none should interfere with our internal matters then why should we interfere.

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को लें।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

उपाध्यक्ष महोदय : अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री सोमनाथ चटर्जी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उड़ीसा में तूफान बवंडर

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं कृषि और सिंचाई मंत्री का ध्यान लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"16 अप्रैल, 1978 को उड़ीसा के क्योंझार जिले के पांच गांव बवंडर की चपेट में आ जाने के कारण 150 व्यक्तियों के मारे जाने तथा कई सौ व्यक्तियों के घायल हो जाने का समाचार।"

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं बड़े दुख के साथ सदन को सूचित करना चाहता हूं कि उड़ीसा में बवंडर के कारण काफी संख्या में मनुष्यों की जानें गई हैं और सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा है। इस बवंडर का प्रभाव कटक तथा क्योन्झार जिलों के कुछ हिस्सों में केवल कुछ मिनट तक रहा। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार विनाशकारी बवंडर ने 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 16 अप्रैल, 1978 को सायं 4-30 बजे इन जिलों के कुछ हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि यह स्थानीय बवंडर था, न कि प्रचंड तूफान। कटक जिले में जाजपुर सब-डिवीजन के दो खण्ड अर्थात दनागड़ी तथा कोरई प्रभावित हुए हैं। नवीनतम सूचना के अनुसार कटक जिले में 9 व्यक्तियों की जानें गई, 100 व्यक्ति घायल हुए तथा 150 मकान पूरी तरह से ढ़ह गए हैं। क्योन्झार जिले में आनन्दपूर सब-डिवीजन का घासीपूरा ब्लाक बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार की नवीनतम सूचना के अनुसार इस ब्लाक में 151 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 250 व्यक्ति घायल हुए हैं। 500 मकान पूरी तरह मिट गए हैं और 1000 मकान ढ़ह गये हैं। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के आंकड़े अभी एकत्रित किए जा रहे हैं। अनेक पशुओं, बकरिओं तथा भेड़ों की मृत्यु हुई है। मलबे को साफ किया जा रहा है, जिससे और अधिक लाशों के निकलने की आशा है। राज्य सरकार को आशा है कि मृतकों की ठीक-ठीक संख्या आज शाम तक मालूम हो जाएगी।

राज्य सरकार ने राहत के उपाय शुरू कर दिए हैं। विशेष चिकित्सा दल प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गया है तथा अस्थायी अस्पताल खोल दिया गया है। घायल व्यक्तियों को अस्पतालों में दाखिल कर दिया गया है और गम्भीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों को कटक मेडिकल कालेज अस्पताल में ले जाया जा रहा है। सामान्य आहार के साथ-साथ घायल व्यक्तियों के लिए फल और हार्लिक्स आदि विशेष पोषक आहार भी मंजूर किए गए हैं। 7 दिन के लिए निःशुल्क राहत शुरू कर दी गई है। पेय जल सप्लाई करने के लिए जल

[श्री सुरजीत सिंह बरनाला]

टैंकरों को काम में लाया जा रहा है। कुओं और जलाशयों में कीड़े मारने की दवाइयां डाली जा रही हैं। अस्थायी आश्रय के लिए टेन्ट, तिरपाल तथा बांस की चटाइयां सप्लाई की जा रही हैं। कपड़े और दवाइयां बांटी जा रही हैं तथा आपात राहत दी जा रही है। राहत तथा बचाव के कार्यों में स्थानीय अधिकारियों की सहायता करने के लिए उड़ीसा पुलिस की चार कम्पनियां भेज दी गई हैं। राज्य के मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री, सिंचाई मंत्री तथा आदिवासी कल्याण के राज्य मंत्री ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। राहत-कार्यों की देखभाल करने के लिए विशेष राहत आयुक्त तथा प्रभागीय राजस्व आयुक्त इन क्षेत्रों में ठहरे हुए हैं। राहत-कार्यों की व्यक्तिगत रूप से देखभाल करने के लिए संबंधित कलैक्टर मौके पर मौजूद हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर स केन्द्रीय मेडिकल स्टोर डिपों, कलकत्ता को राहत कार्यों के लिए आवश्यक औषधियों तथा उपस्करों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। भारतीय रेड क्रास सोसायटी प्रभावित क्षेत्र में 2 चिकित्सा एकके, फैमिली टैन्ट, 2 मीटरी टन दुग्ध चूर्ण, विभिन्न प्रकार के कपड़ों की 20 गांठे, 500 कि० ग्रा० बिस्कुट, 500 कि० ग्रा० शिशु आहार, बर्तनों के 100 सेट तथा 250 धोतियां और 250 साड़ियां भेजने की व्यवस्था कर रही है।

स्थानीय स्वेच्छिक संगठन पका हुआ भोजन सप्लाई कर रहे हैं। पशु-चिकित्सा सेवाओं का एक दल भी प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहा है। रामचन्द्रपुर में एक विशेष नियंत्रण कक्ष खोला गया है।

राज्य सरकार ने सूचना दी है कि बुरी तरह से प्रभावित असंख्य ग्रामीण व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाएगा तथा नए मकानों के निर्माण, बैलों की खरीद तथा कृषि कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता की जांच की जा रही है। राज्य सरकार से हमारा सम्पर्क जारी है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि प्रभावित जनता के दुःख दर्द को मग करने के लिए सभी तरह की आवश्यकता कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी।

भारत सरकार ने राज्य सरकार को अपनी तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता देने के लिए 2 करोड़ रुपए की अन्तरिम अग्रिम योजना सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है। यह धनराशि राज्य सरकार को राहत कार्यों के लिए पहले से उपलब्ध 3.58 करोड़ रुपए की मार्जिन धनराशि के अतिरिक्त होगी। प्रधान मंत्री के राहत कोष से भी राज्य सरकार को 3 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। उड़ीसा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उन्होंने शीघ्र ही राहत कार्य आरम्भ किये हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस दैवी विपत्ति से बड़ी संख्या में गरीब लोग उड़ीसा में प्रभावित हुए हैं। वहां काफी तबाही हुई है। इस बारे में रिपोर्ट में कहा गया है :

> "जिन लोगों ने अपने आंखों से वहां का हाल देखा है उनके अनुसार सैकड़ों पेड़ उखड़ गये, कई मवेशियों की क्षति हुई। चद्दरें, बांस के लटठे, दरवाजे, और खिड़कियां हवा में उड़ती दिखाई दी। तूफान इतना भयंकर था कि मवेशी हवा में उड़ गये

और एक इमारत जिसमें 100 आदमी आश्रय के लिए आये, गिर गई जिससे उन सभी की जाने चली गई। कुछ अन्य लोगों के अनुसार रामचन्द्र पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत सात गांवों में मश्किल से 25 प्रतिशत निवासी जीवित होंगे। जो जीवित भी हैं वे उसका सही वर्णन करने में असमर्थ हैं।''

टाइम्स आफ इंडिया के अनुसार तूफान का प्रकोप इतना ज्यादा था कि एक व्यक्ति का शिर अलग मो गया और कुछ लोगों के कान और नाक भी समाप्त हो गये। एक दस वर्ष का बच्चा अपने मां बाप के लिए चिल्ला रहा था जो सम्भवतः मर चुके थे। सरकारी सूत्रों के अनुसार मरने वालों की संख्या 500 थी, कुछ अन्य रिपोर्टों के अनुसार यह संख्या अधिक है। विध्वंस काफी हुआ है। पुर्णबंधागुडा गांव में एक भी मकान बाकी नहीं रहा। मवेशियों की भी बहुत अधिक क्षति हुई है।

मुझे प्रसन्नता है कि उड़ीसा सरकार अपने सीमित साधनों से भरसक प्रयत्न राहत पहुंचाने का कर रही है। किन्तु केन्द्रीय सरकार को भी अपनी पूरी भूमिका निभानी चाहिए। जान पड़ता है कि जो सहायता दी गई है वह बहुत कम है। इस प्रकार की दैवी विपत्ती में कम से कम एक महीने तक राहत दी जानी चाहिए। साथ ही निशुल्क चिकित्सा, भोजन भी प्रदान किया जाना चाहिए।

यह आवश्यक है कि इन गरीब लोगों को पुनर्वास के लिये सहायता दी जाये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह अपने घरों का निर्माण नहीं कर सकेंगे। अतः इसके लिये उन्हें पूरी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये।

प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि उड़ीसा सरकार को 2 करोड़ रुपये की अन्तरिम सहायता दी जा रही है। मैं नहीं जानता कि केन्द्रीय सरकार को यह राहत देनी चाहिये अथवा नहीं क्योंकि यदि योजना व्यय को किन्हीं और मदों पर व्यय किया गया तो उड़ीसा राज्य, जोकि एक पिछड़ा राज्य है, पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह वित्तीय सहायता दे ताकि उन लोगों को राहत मिल सके। अतः हम सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि इन लोगों की इनकी विपदा में सहायता की जाये। उन्हें सात दिन के लिये जो सहायता दी गई है वह कम से कम एक महीने तक दी जानी चाहिये। दूसरी बात यह है कि केन्द्र से एक दल को भेजा जाये जो जाकर यह देखे कि पुनर्वास कार्य ठीक प्रकार से चल रहा है अथवा नहीं और क्या इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को भी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध की हैं अथवा नहीं।

तीसरी बात यह है कि केन्द्र सरकार को एक स्थायी राहत निकाय की स्थापना करनी चाहिये। जब भी कहीं इस प्रकार की विपदा आती है तो गैर-सरकारी संस्थाएं सहायता के लिये जाती हैं किन्तु उनके साधन सीमित होते हैं। अतः प्रधान मन्त्री की राहत निधि के अतिरिक्त एक अन्य स्थायी राहत निकाय भी स्थापना की जानी चाहिये। क्या ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है?

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जा रहे अग्रिम धन के कारण राज्य सरकार के योजना संसाधनों पर प्रभाव पड़ेगा, अतः क्या सरकार इस राशि को अनुदान के रूप में देगी।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह जो राहत एक सप्ताह के लिये दी जा रही है उसे लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर बढ़ाया भी जा सकता है। यदि वहां खाद्य की आवश्यकता पड़ेगी तो केन्द्र सरकार उसे भी पूरा करेगी। जहां तक अग्रिम धन देने की बात का सम्बन्ध है तो छट्टे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार तदर्थ केन्द्रीय सहायता देने के तरीका को समाप्त कर दिया गया है। जब भी किसी राज्य में इस प्रकार की विपदा आती है तो राज्य सरकार राहत के लिये मांग करती है तब अग्रिम योजना सहायता से राहत दे दी जाती है। पहले 1977–78 में बाढ़ों के कारण उड़ीसा सरकार ने सहायता मांगी थी तो उसे 8.52 करोड़ रूपये अग्रिम योजना सहायता से दे दिये गये थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : विज्ञान की सहायता से अनेक देश ने प्रकृति के कोप पर नियन्त्रण पा लिया है। यद्यपि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त किये 30 वर्ष हो गये हैं किन्तु हमें बार बार प्रकृति का कोपभाजन बनना पड़ता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यहा शक्तियां लड़ाई के लिये मौसम के साथ प्रयोग कर रही है। मैं सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में जांच करें क्योंकि प्रकृति का कोप बार बार भड़क उठता है इसका क्या कारण है।

चीन में अभी हाल में बार बार भूचाल आये तो वहां सरकार ने स्थिति को ऐसे सम्भाला कि लोगों की कठिनाइयां कम हो गई और उन्होंने बाहर से भी सहायता लेने से इंकार कर दिया। उड़ीसा से आने वाले टेलेक्स सन्देश में कहा गया है कि 900 घर बिल्कुल गिर गये हैं और 158 या 159 व्यक्ति मर गये हैं। यदि 900 मकान बिल्कुल ढ़ह जाते हैं तो मरने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक होगी। उड़ीसा में होने वाली त्रासदियों में भी यह बड़ी ही भयानक त्रासदी हुई है। धन-जन की अपार हानि हुई है। इस सम्बन्ध में जितनी भी मृत्यु हुई हैं वह धन ढह जाने से हुई हैं यदि इस प्रकार की विपदा के बारे में पहले ही चेतावनी मिल जाये तो लोग खुले मैदान में जाकर लेट सकते हैं। चेतावनी पद्धति को क्या हुआ है। क्या प्रभावित क्षेत्र की लोगों को चेतावनी दी गई थी।

कुछ दिन पहले दिल्ली में बवंडर ने नाश लीला की थी। इसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि उसने एक डबल डेकर बस को उठा कर खाई में फेक दिया। इस सम्बन्ध में अनुसंधान होना चाहिए कि इस प्रकार की उथल पुथल प्राकृतिक पुर्व से जाना जा सकता है अथवा नहीं। उपग्रहों से समुद्री तुफानों के बारे में पहले से जाना जा सकता है किन्तु यह तरीका बड़ा महंगा है। हम इतना व्यय करने की स्थिति में नहीं है। किन्तु एक आधुनिक तरीका है डोपलर रडार का। इस रडार का निर्माण भारत इलेट्रानिक्स द्वारा सुगमता से कराया जा सकता है। इस डोपलर रडार पर अनुसंधान हो चुका है अतः इस बारे में प्रयास किया जाना चाहिये। मैंने एक सुझाव दिया है और इस बारे में मैं मन्त्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं। हम हर बार सैंकड़ों लोगों की बलि नहीं दे सकते और उसके बाद लोक सभा में चर्चा हो जाती है। हमने बार बार यह कहा है कि राष्ट्रीय विपदा बीमा निधि की स्थापना की जाये और जब जब विपदा आये तब तब उसे निधि से धन लगा दिया जाये।

दूसरी बात यह है कि जब भी विपदा हो तब पर्याप्त अनुदान दिया जाये। यह राशि अनुदान के रूप में हो, ऋण अथवा सहायता के रूप में नहीं। उड़ीसा के दु:ख में समूचे देश को हाथ बंटाना चाहिये। अत: मैं आश्वासन चाहता हूं कि उड़ीसा को 5 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में दिये जायें।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मेरे माननीय मित्र ने सही कहा है कि कुछ गांवों में बड़ी भारी हानि हुई है। लगभग 500 घर बिल्कुल मिट गये हैं 1000 घर ढह गये हैं। मलबा हटाने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी मौतें हुई हैं। इस बारे में हम उड़ीसा सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हैं। बवंडर के बारे में पूर्व-सूचना नहीं दी जा सकती। किन्तु भारत के मौसम विभाग ने एक बलैटिन जारी करके मौसम के बारे में सूचना दी थी किन्तु बवंडर चूंकि बाद में बनता है उसकी पूर्व-सूचना देना असम्भव है।

यद्यपि श्री बीजू पटनायक उड़ीसा में थे किन्तु उनको भी यह समाचार बड़ी देर से मिला था अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी सम्भव हो सकता है वह किया जाता है। जहां तक उड़ीसा को 5 करोड़ रुपये देने का सम्बन्ध है मैं पहले भी कह चुका हूं 7 वां वित्त आयोग स्थापित किया गया है शायद वह इस प्रकार की सिफारिश करे अभी तक तो हमें छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार चलना पड़ेगा।

Shri Laxmi Narayan Naik (Khajuraho): Mr. Deputy Speaker Sir, the statistics in regard to the deaths in the tornado which hit the Keonjar district in Orissa should have been correct. It has been reported that about 500 persons have died but the Minister says that only 160 persons have died. The honourable Minister has said that he has conveying the information received from the State Government. But the Central Government should have sent a team to the State because it is not the responsibility of the State Government, the Central Government is also equally responsible. It is the responsibility of the Central Government that it should send immediate help to the State Government to help the victims of the tornado. The Government should also to provide food for a longer period because a period of one week is too short. It were the adivasis and harijans, the people who are already very poor, who were affected by tornado. Therefore, they should be given long-term assistance.

The Prime Minister should appeal to the entire country to help the people of Orissa. It has been said that the Meteorological Department had given warning. But I think the persons maning the Meteorological Department do not work efficiently. If they do not give correct information, they play with innocent lives of the country. They should remain vigilant and work efficiently.

Shri Surjit Singh Barnala: It is only when the salvage work is completed that the total casualties will be known. If we had sent any central team, it would have also waited there for salvage work to be completed to know the final casualties. So the statistics received from the State Government could be placed before Parliament. I would also say that all the needed help would be sent to the State Government.

श्री गोविंद मुण्डा (क्योन्झर) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने पूरी सूचना नहीं दी है। आप जानते हैं कि क्योन्झर में हरिजनों और आदिवासी रहते हैं जोकि बहुत ही गरीब हैं। इन्हीं गरीब लोगों में से अनेक व्यक्ति मारे गये हैं और कितने ही पशु भी मारे

[श्री गोविंद मुण्डा]

गये हैं। मैं प्रधान मन्त्री के प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने 3 लाख रुपये राहत कार्यों के लिये दिये हैं। वहां हुई हानि को देखते हुए यह धनराशि बहुत ही कम है अतः और धनराशि दी जानी चाहिये। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि एक केन्द्रीय दल भेज कर हानि का पता लगाया जाये। मौसम विभाग को भी समय पर सूचनाएं देकर लोगों की सहायता करने के लिये कहा जाये। इस प्रभावित क्षेत्र में धान की फसल उगाई जाती है अतः कृषि मन्त्रालय को बीज, उर्वरक और अन्य उपकरण किसानों को उपलब्ध कराने चाहिये।

सभा को मालूम है कि क्योंझर में सारे मकान झाड़ के बने हैं। स्वतन्त्रता के 30 वर्ष पश्चात भी वहां एक भी पक्का घर नहीं है। यदि सरकार ग्रामीण विकास निधि बना दे तो इससे आदिवासी और हरिजनों में विश्वास की भावना आयेगी।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय, माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में बवंडर से काफी हानि हुई है इसके लिये मुझे उनके साथ पूरी सहानुभूति है। उन्होंने कहा है कि सदन को पूरी सूचना नहीं दी गई है। इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि जितनी सूचना राज्य सरकार से प्राप्त हुई थी हमने उससे सभा को अवगत करा दिया है। जहां तक राहत और पुनर्वास कार्य का सम्बन्ध है, उसके लिये कुछ ग्रामों को अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित करना पड़ेगा तब घरों का निर्माण किया जायेगा। यदि वह पक्के घर बनाने चाहते हैं तो वह सरकार से कह कर इसकी व्यवस्था कर सकते हैं।

बजट सामान्य—अनुदानों की मांगे

BUDGET GENERAL—DEMANDS FOR GRANTS

विदेश मंत्रालय—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विदेश मन्त्रालय को अनुदान मांगों पर चर्चा करेंगे।

श्री मायातेवर (डिंडोगुल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आल इंडिया अन्ना डी० एम० के० की ओर से विदेशी मन्त्रालय को अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। 1954 में पंडित नेहरू ने भारत को विदेश नीति का प्रतिपादन किया था जिसे गुट-निरपेक्ष नीति कहा गया था उन्होंने इस देश और अन्य अनेक देशों को सह-अस्तित्व और पंचशील की नीति का पाठ पढ़ाया। इसके अतिरिक्त हमें गांधीजी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया था और अहिंसा और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व ओर पंचशील के सिद्धान्तों के होते हुए भी और 'हिन्दी-चीनी भाई-भाई' के होते हुए भी चीन ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। अतः हमें चीन की ओर से सचेत रहना चाहिये।

ब्रिटेन हमारे देश के दो टुकड़े करवा गया। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत एक गौ को तरह है। उन्होंने कहा कि भारत को दो हिस्सों में काटना गौ को दो हिस्सों में काटने के बराबर है। किन्तु पाकिस्तान नहीं माना और भारत के दो टुकड़े हो गये। ब्रिटेन बड़ा ही चलाक है अतः हमें अपनी विदेश नीति के सम्बन्ध में ब्रिटेन से सावधान रहना चाहिये। हमें अमेरीका के बारे में भी सावधान रहना चाहिये... (**व्यवधान**) 1947 से

पहले अमरीका भारत को स्वतन्त्रता के पक्ष में नहीं था किन्तु रूस ने हमारी स्वतन्त्रता का समर्थन किया था। अमरीका की सरकार ने पाकिस्तान की हर तरह की सैन्य सहायता को और वह हमें जो सहायता दे रहे थे, उसे बन्द कर दिया। अमरीका ने पाकिस्तान को सहायता के लिए नौसैनिक बेड़ा भेजा। यद्यपि मैं गुट निरपेक्षता की नीति की सराहना करता हूं फिर भी मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह अमरीकी सरकार के प्रति सावधान रहें।

20,000 फीट की ऊंचाई पर जो परमाणु शक्ति यंत्र लगाया गया था, उसकी जानकारी देश की जनता को नहीं दी गयी और उस समय यदि यह देश की सुरक्षा और हित में लगाया गया था तो इसे चीनी आक्रमण के बाद हटाया क्यों नहीं गया? इसके लिए मैं भूतपूर्व कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराता हूं। अब यह यहां अधिक दिनों तक नहीं लगा रहने दिया जाना चाहिये। इस सरकार को अमरीकी सरकार की जासूसी गतिविधियों से सावधान रहना चाहिए। सी० आई० ए० निर्वाचित सरकारों को गिराने का काम करती है। अतः हमें अमरीकी गुप्तचर एजेंसी (सी० आई० ए०) की गतिविधियों से भी सतर्क रहना चाहिए।

हम अमरीका या चीन की नीति के प्रति ईमानदार हैं परन्तु मुझे सन्देह है कि कोई देश हमारी नीति के प्रति भी ईमानदार है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह सभी देशों, चीन, पाकिस्तान, बर्मा, अमरीका और ब्रिटेन सभी के साथ मधुर सम्बन्ध बनाने जा रहे है। परन्तु मुझे सन्देह है कि कोई भी सरकार पंडित नेहरू के समय में अपनायी जानेवाली हमारी गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण नहीं कर रही है। दूसरे देश तो मात्र बातें बना रहे है। यदि वह सामने से वार नहीं कर रहे हैं तो वे पीछे से हमारे कन्धों और पीठ पर वार कर रहे हैं। अतः मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह वास्तविक गुट निरपेक्षता की नीति के सम्बन्ध में बहुत सतर्क रहें।

हमने अमरीका के राष्ट्रपति श्री कार्टर का सम्मान किया। उनका भव्य स्वागत किया परन्तु उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अमरीका के प्रति हमारी ईमानदारी के बावजुद भी उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री को यूरेनियम सम्बन्धी नीति का समर्थन नहीं किया। वह केवल पुरानी अमरीकी विदेश नीति अपना रहे हैं। अतः हमें राष्ट्रपति कार्टर से भी सतर्क रहना होगा।

मेरा एक निवेदन मंत्रालय के प्रतिवेदन के बारे में है। प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि शिष्टाचार के मामलों और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के बारे में समीक्षाधीन वर्ष में हिन्दी का निरन्तर प्रयोग हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि विदेश विभाग क्या हिन्दी का प्रचार करनेवाला विभाग है या विदेश नीति का प्रचार करनेवाला विभाग है। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि परिषद में विदेशों में हिन्दी फिल्मों को दिखाने की भी व्यवस्था की है। केवल हिन्दी की फिल्मों क्यों? तमिल, बंगला, मलयालम, कन्नड़ और तेलगु फिल्मों को भी समान अवसर दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय उत्तर कब देंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : शाम को किसी समय ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं समझता हूं कि इसके लिए समय एक घंटा बढ़ाया जाये। अध्यक्ष महोदय ने कहा वह इस पर विचार करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम शाम को देखेंगे ।

Dr. Subramanyam Swamy (Bombay North-East) : Mr. Deputy Speaker, one cannot deny that the honourable Minister has followed the foreign policy very efficiently and with a long-term perspective. He deserves congratulations for it. But the principles behind a policy were something different from the manner in which a policy is followed. I will request the Minister to reconsider the principles underlying our foreign policy. Everytime it is claimed that our foreign policy is a policy of genuine non-alignment. I have no objection to the word "genuine". But the policy of non-alignment means non-alignment with the bi-polar world i.e. U.S.A. and U.S.S.R. Previously some people wanted us to be linked with U.S.A. while others wanted to be linked with U.S.S.R. But now the situation has changed. Today it is a multipolar world and India occupies an important position. India should be able to provide leadership. We should think about it. The honourable Minister has been supporting this view while he was sitting on opposition benches, but now after becoming Minister he does not say so. The manner in which he supports his stand by saying now that the true national interests did not change with the change in Government is rather strange. Did he not understand the national interest when he sat in the opposition ? It would have been better if he had said that the foreign policy as directed by the cabinet is being followed and that he will make efforts to introduce his old ideas in the foreign policy.

I will request that the word "non-alignment" should be removed from our foreign policy as it is linked with the name of Shri Jawaharlal Nehru and as such can never be liked by the members of the Janata Party and the common people. Some new name sould be given to our foreign policy. We can say that our foreign policy will be a policy of self-reliance. A new base should be sought for our foreign policy. The change seen in our foreign policy after October last is welcome.

It is a matter of great satisfaction that we have developed ties of friendship with our neighbouring countries. But we should be clear as to what will be our definite policy towards Pakistan. Pakistan was created by the British by dividing our country. Attempts should now be made to see that the poisonous feelings generated by the British among the Pakistanese are removed and they start feeling in their hearts that we the Indians, are their true friends. Friendship and feelings of affection between the two countries should be developed on a long term basis. Both the countries should be brought nearer. The Minister deserves congratulations for concluding the Salol Dam Agreement with Pakistan. It may prove very beneficial to Pakistan and India both, if they mutually agree to abolish the international borders between the two countries.

The change noticed in our policy towards China after October last is welcome. But I would like to invite the Ministers attention to a point in this regard also. Whenever any report against India appears even in the smallest newspaper of China, it is given very wide publicity by our External Affairs Ministry and the press, but when anything in appreciation of our country appears

even in the official paper of China, it is neither published by our Ministry nor is given any coverage by our Press. This is a wrong policy. A uniform policy should be adopted towards both types of news.

From the newspapers reports about Nanda Devi which have been published, it is clear as to what type of persons were Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi*

I say what has been done..... (Interruption)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : आप ऐसी बात करने का साहस कसे करते है।*

श्री एल० के० डोले (लावीमपुर) : श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने जवाहरलाल नेहरू और उनकी विदेशी नीति के बारे में जो आरोप लगाये हैं, उनपर हमें आपत्ति है। ये शब्द कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किये जायें कि हमें इनपर आपत्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपत्ति का कोई प्रश्न नहीं है। श्री चन्द्रप्पन।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अपने भाषण में नेहरू के समय की विदेश नीति के बारे में जो कुछ कहा है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूं। कुछ साम्राज्यवादी शक्तियां जवाहरलाल नेहरू और उनकी विदेश नीति का महत्व कम करने का प्रयत्न कर रही हैं। परन्तु ऐतिहासिक तथ्य यह है कि जवाहरलाल नेहरू ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसी विदेश नीति अपनायी थी जो इस देश की परंपराओं के अनुकूल है।

हम हमेशा चीन से अपने सम्बन्ध सामान्य बनाने का प्रयत्न करते रहे है। फिर चीन और भारत शत्रु कसे बने? उसके कारण हैं। चीन द्वारा इस नीति में परिवर्तन करने पर भी हम चीन से मत्रो सम्बन्ध चाहते हैं। परन्तु साम्राज्यवादी शक्तियों ने भारत-चीन सम्बन्धों को सामान्य बनाने में बाधा बहुंचायी है।

क्या मंत्रालय के प्रतिवदन में हम साम्राज्यवादी अमरीका के, जो न्यूट्रोन बम और युद्ध सामग्री बना रहा है विरोध में अधिक जोरदार शब्दों में नहीं कह सकतेथे? अमरीका और सोवियत संघ को बड़ी शक्तियों का नाम देकर एक साथ नहीं रखा जा सकता। हमारे हित में यह कहना उचित है कि दो विरोधी बड़ी शक्तियों के बीच में हम गुट रहित फंसे हैं।

पिछले 30 वर्षों में हमने देखा कि जब भी भारत के हित पर आंच आई अमरीकी साम्राज्यवाद ने भारत का विरोध कर दूसरे पक्ष का ही साथ दिया। काश्मीर, गोआ, बंगलादेश तथा आक्रमक के साथ लड़ गए सभी युद्धों के सम्बन्ध में अमरीकी साम्राज्यवाद दूसरे पक्ष के साथ ही रहा। अमरीकी साम्राज्यवाद विकासशील देशों के हितों के विरूद्ध है। इसलिए व हमेशा हमारे हितों के विरुद्ध रहेंगे।

दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संगठन क्या है। यह और कुछ नहीं है बल्कि 'सीटो' का ही एक रूप है। अतः अमरिका की दोस्ती से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है।

*उपाध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Expunged as ordered by the Chair.

[श्री सी० के० चन्द्रप्पन]

यह अच्छी बात है कि कि प्रधानमंत्री निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग लेने जा रहे । सोवियत संघ ने इस सम्बन्ध में एक बड़ा ठोस सुझाव रखा है । उसका स्वागत किया जाना चाहिए ।

अफ्रीका के स्वतंत्रता आन्दोलन के सम्बन्ध में सरकार के विचार उचित है । परन्तु इतना ही नहीं है । सरकार उन्हें समर्थन देने के साथ वित्तीय सहायता भी दे । जिम्बाबवे के सम्बन्ध में ब्रिटेन-अमरीकी योजना को अफ्रीकी लोगों ने अस्वीकार कर दिया है । इस समय जैसा कि श्री वाजपेयी ने कहा है सशस्त्र क्रान्ति ही एकमात्र हल रह गया है । इसमें भारत को अधिक कारगर भूमिका निभानी चाहिये ।

बंगला देश के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने का प्रयत्न करना एक अच्छी बात है परन्तु लोकतांत्रिक मूल्यों पर ऐसा नहीं किया जाना चाहिये ।

कल सी० आई० ए० के बारे में बहुत कुछ कहा गया । गत पांच वर्षों में सी० आई० ए० ने 660 बार दूसरे देशों के मामलो में हस्तक्षेप किया ।

श्री सी० एम० स्टीफन : (इदक्की) : वर्तमान सरकार ने एक वर्ष पहले कार्य आरम्भ किया । उसने इस बात पर बल दिया है कि हम पिछली सरकार की विदेश नीति को जारी रखेंगे । उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे । पर अब विदेश नीति की विषय-वस्तु और उसके स्वरूप में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है । हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार विदेश नीति में किस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहती है ।

इस वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन में प्रतिवेशी राज और वास्तविक गुटनिरपेक्षता जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है । भारत के लिए एक एशियाई व्यक्तित्व जसी बात भी कही गई है । 1976-77 के प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि सभी पड़ोसियों के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने तथा उनमें सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । हम मंत्री जी से जानना चाहते है कि प्रतिवेशी राजनय और एशियाई व्यक्तित्व का प्रयोग करके उन्होंने कौन सो नई बात पैदा की है जो कि पहल नहीं हो रही थी । यह भी कहा गया है कि भारत को अन्य देशों की मदद करनी चाहिए और उनमें भारत के प्रति विश्वास जगाना चाहिए । श्री देसाई ने सिक्किम के बारे में जो वक्तव्य दिया है उससे पड़ोसी देशों में भय की सी भावना पैदा हुई है । समझ में नहीं आता कि सरकार कौनसी भूमिका निभाना चाहती है । अब तक हम एक ऐसे देश की सच्ची और सीधी भूमिका निभा रहे थे जिसका अपना व्यक्तित्व था और अपनी देशी और विदेश नीति थी । पर आज जो स्थिति है उससे हम लोग चिन्तित हैं । यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि सरकार की आर्थिक नीति क्या है या क्या होनी चाहिए ।

अब तक अमल में लाई जा रही गुटनिरपेक्षता की नीति और वास्तविक गुटनिरपेक्षता में क्या अन्तर है ? भारत की अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति है जो गुटों से दूर रहने की है गुटनिरपेक्षता का अर्थ अक्रमण्यता या उदासीनता नहीं है अपितु यह तो देश के हित में अपनाई गई एक ठोस नीति है । हमारे अपने लोकतंत्र और अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए । हम विदेशी आक्रमणों से मुक्त रहना चाहते है । हम किसी भी गुट के साथ बंधना नहीं चाहते ।

इस समय अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में दो शक्तियां काम कर रही हैं । एक ओर साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और दमन और शोषण की शक्तियाँ है और दूसरी ओर वे शक्तियाँ है जो विकासशील देशों का समर्थन करती है । हमें दूसरी शक्तियों का साथ देना चाहिए । इस प्रतिवेदन में स्वीकार किया गया है कि सोवियत

संघ अनुभव करता है कि गुटनिरपेक्षता की नीति अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सहयोग और उन्नति में भारी सहायक है। उन्होंने हमें एक स्वतंत्र देश माना है जिसकी एक अपनी नीति है। अनेक मामलों में समान दृष्टिकोण के कारण यह देश हमारी ओर झुका है। इसे गुटनिरपेक्षता की नीति से हटना नहीं कहा जा सकता। पर वास्तविक गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता अब भी बनी हुई है। हम चाहेंगे कि मंत्री जी अपने इन शब्दों को व्याख्या करें।

कहा गया है कि भारत में लोकतंत्र की पुनःस्थापना से हमारे प्रति अमरीका तथा कई अन्य देशों के व्यवहार में अन्तर आया है। पर यह मान लेना चाहिए कि कोई भी देश अन्य देश की राजनीतिक प्रणाली के आधार पर अपने सम्बन्ध नहीं बनाता है।

भारत अब पूर्णतया एक आत्मनिर्भर देश है। पर अन्य देशों के साथ अपने सम्बन्ध बनाने में हमें अपने देश के हित को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। हमें यह नहीं दिखाना चाहिए कि हम हर एक देशसे सम्बन्ध बनाने के लिए बेचैन हैं।

कश्मीर के बारे में गुप्त समझौते की बात कही गई है। पर श्रीमती इन्दिरा गांधी और की आगा शाही दोनों ने इस बात से इन्कार किया है। यदि इस बारे में वास्तव में कोई गुप्त समझौता हुआ है तो मंत्री को इस सभा को विश्वास में लेना चाहिये और सारी बातें उसे बतायी जानी चाहिए। विदेश नीति में जो परिवर्तन करने का विचार है उनसे भी सभी को अवगत किया जाना चाहिए यह तो स्पष्ट है कि परिवर्तन हुआ है। पर किस क्षेत्र में हुआ है यह स्पष्ट किया जाना चाहिए।

श्री कृष्ण कान्त (चण्डीगढ) : सरकार की सफलता के बारे में चाहे कोई कुछ कहे पर इस मामले में सभी एक मत हैं कि विदेश नीति में वह सफल हुई है। इसका श्रेय विदेश मंत्री को जाता है। मैं उनको बधाई देता हूँ। जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में निश्चित रूप से तथा सोच विचार कर 'वास्तविक गुट-निरपेक्षता' शब्दों का प्रयोग किया गया है क्योंकि जनता पार्टी वास्तव में वास्तविक गुट निरपेक्षता को नीति में विश्वास रखती है। इन शब्दों को शामिल करते समय जनता पार्टी के सभी घटकों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा गया था। यदि वे ताकतें अभी वैसी ही हैं और उनमें परिवर्तन नहीं हुआ है तो हमें उनका सामना करना है क्योंकि वे संगठित ताकतें नहीं हैं।

वह चाहते हैं कि 30 वर्षों तक जो विदेश नीति रही है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। वे वही गलती कर रहे हैं जो उनका भूतपूर्व दल करता है। आप इतिहास को नहीं भूला सकते हैं। इतिहास हमारे जीवन का अंग बन चुका है। हमें इससे सीखना है। यदि हम अपने इतिहास से अलग हो जायें तो हमारा आज जो अस्तित्व है वह समाप्त हो जायगा। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी चाहते हैं कि हम नेहरू और महात्मा गांधी को भूल जायें किन्तु जनता पार्टी ने इस पृष्ठभूमि में ही अपना विदेश नीति बनाई है।

उन्होंने पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों की चर्चा की है। श्री अटल बिहारी बाजपेयी से इस्लामाबाद में एक सम्मेलन में कहा कि वह अब जनता पार्टी के एक अंग बन गये हैं और उन्होंने मिलकर एक चुनाव घोषणापत्र बनाया है। यदि श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी का रवैया यही रहा और सही गुटनिरपेक्षता के प्रति यही रवैया रखा तो इससे असफलता ही मिलेगी। वह अखण्ड भारत की बात करते हैं। इतिहास बदल गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दो हजार वर्ष पीछे जाना चाहता है। जो गल्तियां हुई हैं भावी पीढ़ी को उन्हें ठीक करना है और उनसे सीखना है तथा आगे बढ़ना है। वह कहते है कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए जब भारत-पाकिस्तान के बीच कोई सीमा न हो। ऐसे समय जब प्रधान मंत्री

[श्री कृष्ण कांत]

और विदेश मंत्री दोनों देशों के आपस के अन्तर को कम कर रहे हैं। वह एक खतरनाक बात कर रह है। मैं समझता हूं कि जनता पार्टी और सरकार की एक ही नीति है। चाहे इसे प्रधान मंत्री व्यक्त करें अथवा विदेश मंत्री व्यक्त करें।

चीन का उल्लेख किया गया है सम्भवतः वह चीन के साथ नई मैत्री की बात कर रहे हैं। हम पहले ही चीन के मित्र हैं। हम अमरीका, रूस आदि हर एक देश के साथ मैत्री चाहते हैं किन्तु यह सम्मान के साथ होनी चाहिए। हम जो कुछ भी निर्णय करते है वह देश के हित को ध्यान में रखते हुए करते हैं। उन्होंने नन्दादेवी अभियान की आलोचना की है। यदि वह भी उस समय होते यही नहीं किन्तु उन्होंने अमरीका की सेनाओं को भी यहां बुलाया होता।

जहां तक गुटनिरपेक्षता का प्रश्न है ; हमने वास्तिविक गुटनिरपेक्षता की बात कही है क्योंकि हम शीत युद्ध के अंग नहीं बनना चाहते। हम गुटनिरपेक्षता में सफल रहे हैं। इसका यह अर्थ नहीं हैं कोई हम पर आक्रमण करे और हम शान्त रहें। जब 1971 में अमरीका ने हमारे हितों के विरुद्ध काम शुरु किया तो हमने भारत-रुस मत्री की किन्तु यह गुटनिरपेक्षता की अपनी नीति को समाप्त कर नहीं की उस समझौते में भी यह दिया है कि रुस भारत की गुटनिरपेक्षता का आदर करता है। जब 1974-75 में सोवियत रुस ने जय-प्रकाश नारायण की आलोचना की और आपातकालीन स्थिति का समर्थन किया तो यह हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप था। सही गुटनिरपेक्षता पंचशील पर आधारित है तथा एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करने को नीति पर आधारित है। रुस ने कठिनाई में हमारी सहायता की है किन्तु इसके बावजूद भी हम यह नहीं चाहेंगे कि वे हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षप करें। सम्भवतः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें गुमराह किया है।

श्री स्टोफन ने कहा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार किया है। पं० नेहरू गुटनिरपेक्षता की जब रचना कर रहे थे तो अफसरशाही के कारण इसमें अधिक प्रगति नहीं हो सकी और विदेश नीति नहीं बनी। श्री अटल बिहारी बाजपेयी सराहना के पात्र है कि उन्होंने आते ही यह काम शुरु किया है। हम अब अनेक देशों के साथ मैत्री बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु यह मैत्री किसी मित्र देश के साथ सम्बन्ध बिगाड़ कर नहीं होगी। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है विदेश नीति के साथ-साथ आर्थिक सहयोग भी बढ रहा है।

मैं चाहता हूं कि हमारे अनाज और विदेशी मुद्रा कोष का उपयोग गुटनिरपेक्ष देशों के साथ पारस्परिक सहयोग पर आधारित हो और न हम इसी दिशा में बढ़ रहे हैं।

विश्व में अणु शक्ति का जो प्रसार हो रहा है वह बहुत ही भयानक बात है। दो विश्व शक्तियों के पास आणुविक शस्त्रों का जमाव हो रहा है जिसका विकासशील देशों पर बुरा असर पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में गम्भीर कार्यवाही की जानी चाहिए। इसका हल पहले हमारी संसद और फिर संयुक्त राष्ट्र में निकाला जाना चाहिए। आणुविक शस्त्र मानवता के विरुद्ध एक अपराध है। इस सम्बन्ध में एक संकल्प लाया जाना चाहिए और सम्पूर्ण विश्व एक मुक्त क्षेत्र होना चाहिए क्योंकि इससे कम किसी बात का अर्थ यह होगा कि बड़ी शक्तियों के आणुविक शस्त्रों को वैध करार देना है। अंत में इस बारे में मैं केवल यही कहूंगा कि हमें इसमें पहल करनी चाहिए। पिछल 15 वर्षों में हमने यह पहल छोड़ दी थी। विश्व में एक ऐसी स्थिति आनी चाहिए जब आणुविक शस्त्रों का निर्माण मानवता के विरुद्ध एक अपराध माना जाय। संयुक्त राष्ट्रसंघ की अगली बठक में इस

सम्बन्ध में एक संकल्प पारित किया जाना चाहिए ताकि यह कार्य आगे बढे और हमारा स्वप्न साकार होगा। अंत में मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इस अवसर को न चूकें क्यों कि हमभी आणुविक शक्ति देश है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (उत्तर-पूर्व बम्बई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। म नियम, 357 **(व्यवधान)** के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप नियम 357 का उल्लेख कर रहे हैं किन्तु मुझे खेद है कि मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना है।

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। आपकी बात संगत नहीं है। आपने भी आरोप लगाये हैं किन्तु किसी ने भी स्पष्टीकरण करने के लिए नहीं कहा है। आप केवल समय बर्बाद कर रहे हैं। श्री उन्नी कृष्णन।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : सभापति महोदय .....

श्री के० लकप्पा : (तुमकुर) : वह रो रहे हैं।

श्री बी० पी० मंडल (मधेपुरा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। This should not be said in the house.

सभापति महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। बहुत से सदस्यों ने अभी कहना है। मैं इसकी जांच क ंगा यदि यह ठीक नहीं है तो इसे कार्यवाहीं वृतान्त से निकाला जायेगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : सभापति महोदय, श्री जवाहर लाल नेहरू इस सब वाद विवाद से ऊपर हैं। वह हमारी आकांक्षाओं और आशाओं क प्रतीक थे और उन्होंने हमारी आजादी संघर्ष का नेतृत्व किया तथा वाद में राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय नीतियों का निर्माण किया। मैं समझता हूं कि श्री स्वामी ने जो कुछ उनके बारे में कहा है वह कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी देन हमारे देश के लिए गट-निरपेक्षता है। हमारी विदेश नीति तथा उद्देश्य विस्तृत अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में बनते है और इसमें जो भी परिवर्तन आते हैं वे भी अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के ही कारण आते हैं

विदेश मंत्रालय के प्रतिवेदन में 'पड़ोस का राजनया चार' और वास्तविक गुट निरपेक्षता का उल्लेख भी किया गया है। इनका वास्तविक अर्थ क्या है। हमारे पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध निसन्देह सुधरने चाहिए। किन्तु वक्त अस्थायी सरकारों के साथ यह होना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरी बात यह है कि भविष्य में क्या स्थिति रहेगी। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

दूसरी बात जो यहां उठाई गई है वह है निरंकुशता तथा मानव अधिकार। इन्हीं बातों के आधार पर आपका दल सत्ता में आया है, आपने यह सिद्ध किया कि देश में निरंकुशता है और सारे इतिहास को आपातकालीन स्थिति से पूर्ववर्ती तथा परवर्ती भागों में बाटां। यह एक बड़ी भारी भ्रान्ति है। किन्तु इसका यह भी अर्थ नहीं है कि गत 19 महीनों में जो कुछ हुआ वह सब ठीक था।

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

मैं यह भी पूछना चाहता हुं कि बंगलादेश के स्वतंत्रता सैनानीयों तथा नेपाल के स्वतंत्रता सैनानी श्री बी० पी० कोइराला के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है ? मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति आप का क्या रुख है । जब यही प्रश्न हम संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाये तो हमसे पूछा जायेगा कि पड़ोंस में हो श्री भुट्टो के प्रति हमारा मानव अधिकार सम्बन्धी क्या दृष्टिकोण है । समूचे दक्षिणी ऐशिया में हम क्या करना चाहते है इसके सम्बन्ध में हमारी स्पष्ट धारणा बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है । इस देश का मानव अधिकारों और प्रजातंत्रों में विश्वास है । हम पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहते । हम अखण्ड भारत की विचारधारा का समर्थन नहीं करते ।

श्री अरविन्द ने कहा था कि भविष्य में जिस एकता का निर्माण होगा उसका स्वरूप दूसरा होगा अतः हमें मित्रता की नीति अपनानी चाहिये और प्रजातंत्र राज्यों में मानव अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिये हमारे पडोस में सक्रिय अधिनायकवादि शक्तियों से हमें कोई सरोकार नहीं रखना है

भारत स्वेज और सिंगापुर के बीच की एक महाशक्ति है । भारत का महत्व उसकी सैन्य शक्ति के कारण नहीं बल्कि उसकी नैतिक शक्ति के कारण है । अतः हमें इस बारे में सचेत रहना चाहिय कि दक्षिण ऐशिया में क्या घटित हो रहा है । हमें सभी देशों के साथ मैत्री सम्बन्धी रखने चाहिये किन्तु कुछ देशों का विश्वास भी प्राप्त करना चाहिये ।

वियतनाम भी ऐशिया में शक्ति केन्द्र बनने जा रहा है । इस बात को हम जितना जल्दी जान लें उतना ही अच्छा रहेगा । इ ी से सम्बन्ध एक प्रश्न हिन्द महासागर का है । महाशक्ति के बारे में हमें गहराई से विचार करना होगा । अमरीका हिन्द महासागर क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति की ओर सुदृढ़ करना चाहता है । डियागो गार्सिया में अड्डा बनाने के बारे में भी मतभेद है । इसी प्रकार पश्चिमी एशिया के बारे में हमारी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी नीति थी, उसके अनुसार हम फिलिस्तानियों को समर्थन देने के लिये वचनबद्ध है मुझे यह जान कर हर्ष हुआ है कि मन्त्री महोदय ने यह तो कहा है कि प्रश्न आक्रमण कारियो से स्थान खाली करवाने का है ।

इसी प्रकार हमें अफ्रीका की समस्याओं के प्रति भी चिन्तित रहना चाहियें । जब तक आप वहां साम्राज्यवाद द्वारा निभाई जा रही भूमिका को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप वहां रचनात्मक भूमिका नहीं निभा सकते ।

ऐसा लगता है कि भारत-रूस सम्बन्धों को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है । यद्यपि सार्वजनिक रूप से इसके विपरीत घोषणाएं की जाती है । हम भारत और अमरीका के द्विपक्षीय सम्बन्धों को भी सुधारना चाहते है । परन्तु सब से महत्वपूर्ण बात यह समझ लेनी चाहिये कि अमरीका के कुछ विश्वहित भी है । अमरीका द्वारा सनिक अड्डे स्थापित करने की इच्छा भी उसके विश्व हितों में से एक है तथा इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता ।

मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा । हमारे यहां एक निशस्त्रीकरण सम्बन्धी सम्मेलन हुआ जिस पर 30 लाख रूपया खर्च किया गया । हमें यह समझ नहीं आई कि इस प्रकार के सम्मेलन पर इतनी अधिक धनराशि खर्च करने

से क्या लाभ हुआ । इस प्रकार के सम्मेलन से केवल कुछ लोगों को ही लाभ हुआ होगा। सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसे मामलों के बारे में अपनी निर्णायक भूमिका निभानी होगी ।

Shri U. S. Patil (Latur): Mr. Chairman, Non-alignment is the policy which is being pursued in the country for the last 30 years. Only a word 'genuine' has been added to it. The policy of non-alignment has proved to be useful for the capitalists. The aim of this policy had been that we could get loans from Russia and America on easy terms. This is an admitted fact that we got more loans from western countries. Everybody knows that how the western countries have rubed us on the issue of Kashmir in UNO but since they had been giving us money for our planning, we could not antagonise USA or USSR.

Mention has been made about genuine non-alignment but it appears that sometimes it is fitted towards Russia and sometimes it is fitted towards America. The fact is that we cannot formulate our own independent policies because we have to depend for money on America or other countries. Unless we formulate independent policies, the country will not march towards prosperity.

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : हमारे देश की वर्तमान विदेशी नीति गत अनेक वर्षों से ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित है तथा उसके बारे में लगभग सभी का मतैक्य रहा है । यह बहुत ही खेद की बात है कि कुछ लोगों ने न केवल गुट-निरपेक्षता की नीति को त्यागने का सुझाव दिया है अपितु कुछ लोगों ने तो यह भी कहा है कि जनता सरकार की विदेश नीति कोई है ही नहीं । जनता सरकार सच्च मायनों में ऐसी गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करने के लिये वचनबद्ध है । जिसमें भारत का सम्बन्ध अथवा झुकाव किसी गुट विशेष की ओर न हो, अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटान शान्तिपूर्ण ढंग से किया जा सके तथा जिसके माध्यम से तीसरे विश्व के साथ नये तथा न्यायिक आर्थिक सम्बन्ध स्थापित किये जा सकें ।

हम यह सुन कर दंग रह गये जब किसी ने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू देशद्रोही थे । हमारे श्री जवाहर लाल नेहरू से, श्री अटलजी अथवा श्री मोरारजी देसाई के साथ मतभेद हो सकते है परन्तु उनकी देश भक्ति को चुनौती देना या जवाहर लाल नेहरू को देशद्रोही कहना बहुत गलत है । पंडित जी हमारी विदेश नीति के संचालक ही नहीं थे किन्तु वह हमारे विदेश नीति के निर्माता भी थे। उन्होंने हमारे देश को नई दिशा प्रदान की तथा हमारे देश को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नया स्थान प्राप्त करवाया । आने वाली शताब्दियों तक हमारा देश श्री जवाहर लाल नेहरू का ऋणी रहेगा ।

हमारे विदेश मन्त्री जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार ठीक विदेश नीति अपना रहे हैं । इस सरकार द्वारा उचित और अनुरूप विदेश नीति का अनुसरण किया जा रहा है । हमने निश्चय ही जवाहर लाल नेहरू के गुट-निरपेक्ष नीति का समर्थन किया था । परन्तु इसके साथ हम मानने लगे थे कि उसमें कुछ फेर बदल किया गया है । कुछ तत्वों ने संतुलन बिगाड़ना शुरू कर दिया था । हमने उस असन्तुलन को समाप्त कर दिया है और सम्पूर्ण देश वर्तमान प्रधान मन्त्री और विदेश मन्त्री का इसके लिये ऋणी है ।

हमारे विदेश मन्त्रालय में बहुत देशभक्त नौजवान हैं लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि हम शिक्षाविदों तथा अन्य लोगों का एक ऐसा गैर-सरकारी वर्ग बनाए जोकि विदेश नीति का गहराई

[श्री रतन सिंह राजदा]

से अध्ययन करें । उन लोगों के साथ निरन्तर बातचीत चलती रहनी चाहिये ताकि नए और रचनात्मक सुझाव इन मित्रों की ओर से आते रहे । इससे हमें निर्णय लेने में बहुत सहायता मिलेगी ।

हमारा एक नीति योजना विभाग है । इसे सशक्त बनाने की आवश्यकता है । यदि इसे निरन्तर सशक्त बनाया जाता रहेगा तो हमारी नीति भी हमेशा गतिशील रहेगी ।

हमारा प्रचार भी ठीक नहीं है । हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम तीसरे विश्व के देशों को सतर्क करे कि वह समृद्ध देशों के आर्थिक और राजनीतिक दबाव में न आये और हमारी नई सरकार ऐसा कर रही है ।

जहां तक चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने का प्रश्न है, हम चीन से मैत्री चाहते है किन्तु यह मित्रता देश के आत्म-सम्मान के मूल्य पर प्राप्त नहीं की जायेगी । किन्तु यदि हमारे चीन से सम्बन्ध सामान्य हो जाते है तो इस क्षेत्र के देशो में स्थिति में स्थिरता आ जायेगी और तब आस्ट्रेलिया से लेकर ईरान और उसके भी आगे तथा अफ्रीका तक एक शान्ति-क्षेत्र की स्थापना हो जायेगी । मैं भाषण समाप्त करने से पहले विदेश मन्त्री को बधाई देता हूं और उन्हें आश्वासन देता हूं कि भारत की 65 करोड़ जनता उनके साथ है ।

Shri Nirmal Chand Jain (Seoni): Mr. Speaker Sir, the entire discussion on international subjects has centered on Dr. Subramaniam Swamy. It is a strange thing that when maximum time should have been given to the opposition to express their views on the subject, it is Dr. Swamy, who got the maximum time. It is true that we have been following a policy of non-alignment but no there has been a certain change in that. Because though we say that we follow a policy of non-alignment, but it is successful only of the other countries also believe it to be so. We have been saying that we are non-aligned but the people used to say that there is a tilt to Russia. After the formation of Janata party, India's relations with foreign countries have improved.

After the Janata Government came into power, our relations with neighbours have improved. We have given up the attitude of a big brother and have started treating our neighbours on the basis of equality.

We believe that our friendship with certain countries cannot stand in the way of our developing friendly relations with another country. Our policy towards Israel is not in the eight direction. We do not want to pursue a certain policy, towards Israel rest Arab countries are offended. There is need for reappraisal of our policy towards Israel.

There is need for toning up our external publicity. We should send more and more delegations of journalists to foreign countries. In these delegations there should be journalists from regional language newspapers also.

We have invited certain singers and poets from Pakistan to visit our country. Our poets and singers should also go to Pakistan.

In our External Affairs Ministry there should be experts on subjects like foreign trade and external publicity. These experts should do research work in these fields so that they can help this Ministry in playing a useful role in different spheres.

We should also be careful in selecting persons for inclusion in our delegations to U.N. We should send persons who can present view point of our country properly.

Now I take up the issue of Hindi. Hindi should be promoted. It is good that our Minister spoke in Hindi in the U.N.O. Hindi should be encouraged in foreign countries. There is one difficulty and that is of Interpreters. We do not have Interpreters who can interpret our language in foreign languages. Sometimes we have to face great difficulties. Attention should be paid towards it.

There are instances when there is delay in permitting our foreign missions to purchase land for missions. Such delays should be avoided.

There should be proper arrangements for education of children of employees in our foreign missions. Due attention should be paid to this matter.

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं सरकार की विदेश नीति का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को मंत्रालय का कार्य सुचारू रूपसे चलाने के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने देश की गरिमा बढ़ायी है और विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया है।

हमारी सरकार ने सोवियत संघ, जर्मन जनवादी गणराज्य, युगोस्लाविया व अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम ही नहीं रखे है अपितु ये सम्बन्ध और मजबूत बनाये है।

हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि जब हमारे उपर आक्रमण हुआ था तो अमरीका ने हमें हथियारों की सप्लाई की थी और उस आक्रमण को नाकामयाब किया था ..... **(व्यवधान)**

इससे पहले की सरकार ने भी-गुट निरपेक्षता की बात की थी और हम भी गुट-निरपेक्षता की बात करते है। परन्तु दोनों में बड़ा अन्तर है। इस समय की गुट-निरपेक्षता वास्तविक है जबकि पंडित नेहरू के समय की अवास्तविक थी।

मध्य-पूर्व में हमारी जो नीती है, उसे हमें तुरन्त समाप्त करना चाहिए।

अरब देशों के साथ हमारी जो मित्रता है उसको मैं कद्र करता हूं। परन्तु हमें इजरायल के साथ भी सम्पर्क रखना चाहिए। हमें किसी देश की निन्दा करने में विवेक से काम लेना चाहिए **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह उनके अपने विचार है।

श्री वयालर रवि : (चिरचिकोल) : इजरायल की ओर से बोल रहे है। क्या यह हमारे देश के हित में है ? यह सत्तारूढ़ दल के हैं **(व्यवधान)**

श्री राम जेठमलानी : इजरायल पश्चोमी देश नही है। यह एशियाई देश है। बंगलादेश युध्द के दौरान जब हमारे अरब मित्रों नें हमारा साथ नही दिया था उस समय इजरायल के विदेश मंत्री ने जो कहा था उसे हमारे विदेश मंत्री को यहां बताना चाहिए। हमें इसे भूलना नहीं चाहिए।

हमारी सरकार सभी तरह के लोगों का सम्मान करती है। परन्तु शर्म की बात है कि हम महान जुबिन मेहता को इस देश में आमंत्रित नहीं करते। हमें इस देश के वैज्ञानिकों, गायकों और दार्शनिकों को क्यों आमंत्रित नहीं करना चाहिए जब कि हम अरब देशों से सभी लोगों को आमंत्रित करते है।

[श्री राम जेठमलानी]

फिलिस्टीनियोंने 12 मार्च को इजरायल की भूमि पर जो आक्रमण किया हम उसकी घोर निन्दा करते है । इस आक्रमण में निर्दोष बच्चे बूढे और महिलाओं की हत्या की गई ।. . . (व्यवधान) । यह सत्य है कि हिंसा से हिंसा बढ़ती है । किन्तु हमारी सरकार ने इस बारे में तबतक कोई आवाज नहीं उठाई जब तक कि इजराइल ने बदले की कार्यवाही नहीं की । मैं चाहता हूं कि हमारा ऐसी स्थिति में गांधी जी का सिद्धान्त होना चाहिए ।

हमने अपने घोषणापत्र में कहा है कि हम मानव अधिकारों का जहां भी उल्लंघन होगा उसका विरोध करेंगे। 1966 में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने मानव अधिकारों की रक्षा और समर्थन के बारे में दो महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किये । मैं चाहता हूं कि सरकार इनका अभिपुष्टि करे। विदेश मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें क्यों कि समस्त विश्व का बुद्धिजीवी वर्ग इसकी अभिपुष्टि चाहता है । इस बारे में हमने पहले ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसकी घोषणा की है ।

एक बात और जो मुझे कहनी है वह अधिनियम के बारे में कहनी है । इसके उपबन्ध पुराने हो गये है । यह 1922 में बना था । इसमें उपनिवेशवाद की विचारधारा है । उस समय ब्रिटिश सरकार भारत की जनशक्ति का अपनी बस्तियों में शोषण करना चाहती थी । यद्यपि यह अधिनियम आज उस प्रकार के शोषण का माध्यम तो नहीं रहा है किन्तु अधिकारी इसके माध्यम से भ्रष्टाचार करते हैं और रिश्वत लेते हैं । वे आप्रवासी लोगों की रक्षा करने की बजाय उनका अपने लाभ के लिए शोषण करते हैं ।

अपने एक राजदूत का मैं उदाहरण देता हूं । उन्होंने एक परिपत्र जारी किया है कि एक निश्चित राशि से कम के वेतन के लिए जाने वाले भारतीयों का पासपोर्ट जब्त किया जायेगा । यह राष्ट्रीय हितों के विरूद्ध है ।

अपने पड़ोसी देश, पाकिस्तान और बंगलादेश के साथ मैत्री बढ़ाने के सरकार के प्रयत्नों की मैं सराहना करता हूं । हमारे घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि मानव अधिकारों का जहां भी उल्लंघन होता है हम उसकी भर्त्सना करेंगे । मैं श्रीमती गांधी से सहमत नहीं हूं कि हमें श्री भुट्टो के लिए कहना चाहिए । यह वह व्यक्ति है जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी अन्तर को और बढ़ाया है । हमें उनसे सहृदयता नहीं है किन्तु सिद्धांतों और मानव अधिकारों से लगाव है । विचारण के दृष्टिकोण से श्री भुट्टो के साथ न्याय नहीं हुआ है । यह अधिकार उन्हे मिलना चाहिए । इस पक्ष के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए ।

मैं भारत-सोवियत मैत्री का समर्थक हूं और आजकल उनका एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया हुआ है । 1975 में हुए हेलसिंकी समझौता के लिए मैं रूस का सराहना करता हूं किन्तु आज उन्होंने 11 व्यक्तियों को इसलिए गिरफ्तार किया है कि उन्होंने मांग की थी कि हेलसिंकी समझौता का अनुपालन किया जाये। हमें मानव अधिकारो के बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहीये चाहे इसके लिए कुछ हमें क्षति भी उठानी पड़े ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (फरीदकोट) : मैं अपनी सरकार की विदेश नीति की सराहना करता हूं किन्तु साथ ही मैं अपने देश के महान लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने श्री बाजपेयी की गुट निरपेक्षता की नीति को आगे बढ़ाने का अवसर दिया जिसकी प्रगति गत वर्षों में रूक गई थी ।

कुछ लोगों ने तथा भारतीय साम्यवादी दल के लोगों ने कहा था कि यदि श्री वाजपेयी, श्री देसाई और श्री चरणसिंह सत्ता में आ गये तो भारत चिली बन जायेगा। किन्तु वे आज देख सकते है कि यह चिली नहीं बना है।.... (व्यवधान)

अरब देश साउदी अरबने उस देश में सिक्खों के जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। पंजाब के मुख्य मंत्री ने श्री बाजपेयी को इस बारे में लिखा है। यहां तक कि मुझे भी जब कि म संसद सदस्य हूं, पासपोर्ट नहीं दिया गया है। श्री बाजपेयी की योग्यता के लिए यह एक चुनौति है। (व्यवधान)

विभाजन से सिक्ख समुदाय ने न केवल अपनी सम्पत्ति पाकिस्तान में खोई है किन्तु वहां जो गुरू द्वारे है वे भी खो दिय। उस समय एक व्यवस्था थी की 12 सेवादार वहां जा सकते है और वहां यह देखने के लिए रह सकते है कि उन गुरूद्वारो का रखरखाव ठीक है किन्तु यह नहीं माना गया। सवाल बांध वगैरह के बारे में बात हुई किन्तु इस समस्या के बारे में कोई बात नहीं हुई। मुझे आशा है कि इस बारे में न्याय किया जायेगा।

1973 में विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम बना। कुछ लोग 10 अथवा 20 वर्ष पहले इंगलैंड मलयेशिया आदि देशों में गये थे और अब इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारी उन्हें सता रहे है। अतः जो लोग 1973 से पहले बाहर गये उन्हें नहीं सताया जाना चाहिए।

बर्मा, उगांडा आदि देशों से कुछ भारतीय को निकाला जा रहा है और वे देश पर बोझ समझे जा रहे है। यही बात अन्य देशों के भारतीयों के साथ भी हो सकती है। पाकिस्तान, इटली और बंगलादेश में दुहरी नागरीकता है। हमारी सरकार को भी दुहरी नागरीकता के बारे में सोचना चाहिए।

बहुत सी ऐसी शिकायतें आई है कि जब प्रवासी भारतीय अपने रिस्तेदारों अथवा अपने गावों को देखने के लिए भारत आते हैं तो सीमाशुल्क अधिकारी उनके साथ कुत्तों जैसा व्यवहार करते है। मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस सम्बन्ध में कुछ विचार करें।

Chowdhry Balbir Singh (Hoshiarpur) : I would like to congratulate the Hon'ble Minister of External Affairs for the successful handling of foreign policy and frustrated those people who had doubts in this regard. I regret to say that Shri Krishna Kant has praised the foreign policy of Shri Nehru. He forgets that Shri Nehru had himself stated that after Chinese aggression in 1962 he realized the outcome of the policy at Panch Sheel. For thirty years we have been strengthening the hands of one person. In fact the hands of the 65 crore people of this country should be strengthened. If this is done the country will emerge a strong power in the World.

It is a matter of pride that today we have an independent policy. We are doing what is in the interest of the country. Janata Party has formulated industrial, foreign and other policies. These will certainly benefit the country and we will go stronger. Formerly our policy was based on the capability of our Ambassador in getting loan from the country in which he was posted. Now our policy has changed.

Our embassies in abroad should now be made aware of the changes that have now taken place. They should be there to see that clean image of our country is displayed there. They have not gone there to enjoy. There have instances when there was misunderstanding.

[Chaudhry Balbir Singh]

I support the policy friendship with all the countries but we should be watchful of their intensions.

Shri Shrikrishna Singh (Monghyr) : I would first like to congratulate the Hon'ble Minister of Foreign Affairs for his handling the foreign affairs and the foreign policy in a most successful manner and brought pride and fame to the country. The change of power in the country has had an important impact in the country and outside and especially on the neighbouring countries. It has brought about healthy changes in Nepal. The attitude there has changed. Shri Koirala has said that democratic set up is possible in Nepal under the present Kingship. The attitude of the ruler there has also changed.

Recently during his visit to India, Shri Carter has stated that they have the same respect for India as they have for Germany and Canada. In other words he wanted that we should come under their influence. But our Prime Minister has refused to be influenced by them. This has raised India's prestige.

After Second World War a new colonialism and imperialism is developing in the world. This technical colonialism. The entire Afro-Asian countries are having impact thereof. That is why industries are not developing in Western Asian countries.

In the very beginning India had made it clear that it would utilize atomic energy for the development of the country in industrial and agricultural fields. We have clearly announced that we want to make use of atomic power for peaceful purposes. But at the same time we would also not tolerate the pressure of any outside country.....**(Interruption).** The bargaining of weapons should be stopped and the atomic power should be utilised for reconstruction and research.

The new policy of genuine non-alignment is all more praise worthy. We have clearly stated that we will not be subordinate to any power. This has indicated that a change has come in India. I support Shri Subrahmaniam Swamy. I would like to say that the policy of non-alignment followed during the past years was not a policy patriotism.

सभापति महोदय : श्री मावलंकर और श्री चित्त बसु भी बोलना चाहते हैं । समय कम है । मैं चाहता हूं कि पांच मिनट से अधिक समय न लें । प्रो० मावलंकर ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : (गांधीनगर) : मेरा एक सुझाव है कि आर्थिक समीक्षा संसद में प्रस्तुत होती रही है । मैं चाहता हूं कि विश्व में भारत की वार्षिक समीक्षा प्रस्तुत की जाये जिससे हम विश्व में भारत की भूमिका के बारे में जानकारी हासिल कर सकें ।

श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए

Shri N. K. Shejwalkar in the Chair

विदेशों में मैंने देखा है कि ऐसी सुविधाएं संसद सदस्यों को उपलब्ध की जाती हैं । इससे विदेश मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा करने में सहायता मिलेगी । विदेशनीति वास्तव में राष्ट्रीय विचार धारा का ही परिणाम है । श्री वाजपेयी ने भी कहा है कि कुछ बातों पर जोर दिया जायेगा और प्राथमिकता दी जायेगी चुंकि हमारी विदेशी नीति काफी वर्षों से चल रही है । हमने कुछ बुनियादी करार किये हैं । मैं समझता हूं कि हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे किसी विशेष

परिस्थिति में कोई बाधा पहुंचेगी। विश नीति आन्तरिक नीति पर निर्भर करती है। मुझे खद है कि पिछले एक वर्ष में बहुत अच्छी नहीं रही है और विदेश नीति तभी ठीक रह सकती है जब आन्तरिक नीति अच्छी हो। यदि देश में कानून और व्यवस्था नहीं है, न्याय नहीं है तो इसका प्रभाव विदेश नीति पर अवश्य पड़गा। मुझे प्रसन्नता है कि जनता सरकार ने कई क्षेत्रों में पहल की है और नये कदम उठाये हैं। 1977 से हम एक सुलझी हुई विदेश नीति अपना रहे है यह एक गर्व की बात है। हम एक स्वच्छन्द समाज में विश्वास करते हैं और इसका हमारी विदेश नीति पर भी प्रभाव पड़गा। हमारी विदेश नीति का व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए क्योंकि बहुत से ऐसी भी बातें हैं जिनका हमें इस समय ज्ञान नहीं होता है चाहे हम कितनी ही समझदारी से क्यों न चल रहे हों।

विदेशों में हमारे प्रचार के बारे में श्री वाजपेयी बार बार आश्वासन देते रहे हैं किन्तु यह संतोषप्रद नहीं है। विदेशों में देश का वह सम्मान नहीं है जो कि वास्तव में विभिन्न देशों के दिमाग में है। हमारे लगभग 127 दूतावास हैं किन्तु वे सभी संतोषप्रद रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं और इस बारे में सुधार होना चाहिए।

विदेश सेवा अंग्रेजों के जमाने से चल रही है। उस समय उस का और प्रयोजन था। इसमें दो भाग हैं अब इसे मिलाकर एक किया जाना चाहिए। ताकि दोनों पर एक से नियम लागू हों। अन्त में यह कहूंगा कि भारत की विदेश नीति भारत की राजनीतिक पद्धति एवं संसदीय ढांचे के अनुरूप हो। हमारी पड़ोसी देशों के साथ नीति व सम्बन्ध लोक तांत्रिक आधार पर होने चाहिए। हमें अपने देश का आकार, जनसंख्या गरीबी आदि सभी बातों को इस सन्दर्भ में ध्यान में रखना चाहिए और स्वतंत्रता तथा न्याय पर होने वाले आक्रमणों के प्रति सचेत रहना चाहिए।

श्री चित्त बसु (बरासत) : महोदय 'हमारे विदेशी नीति के आधारभूत सिद्धान्तों, राष्ट्रहित, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बदलती हुई परिस्थितियां तथा एक समान सामाजिक व्यवस्था, शान्ति, मैत्री जो यद्ध एवं विवाद से मुक्त हो, पर आधारीत होनी चाहिए। इन सिद्धान्तों की कसोटी पर श्री वाजपेयी ने जिस विदेश नीति को अपनाया है वह खरी उतरी है। जहां तक वास्तविक गुट निरपेक्षता का सम्बन्ध है मैं विदेश मंत्री से सहमत नहीं हूं। मुझे डर है वास्तविक गुट-निरपेक्षता की यह नीति धीरे-धीरे समान मित्रता की नीति में बदल रही है।

भारत की विदेश नीति के चार मुख्य पहलू हैं : (1) भारत-रूस सम्बन्ध, (2) भारत-चीन सम्बन्ध (3) भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध (4) भारत–अमरीका सम्बन्ध। मुझे आशंका है कि इन सभी मामलों में समानता के आधार पर मैत्री भाव की प्रक्रिया अपनायी जा रही है लेकिन यह कोई ठोस मानदण्ड नहीं है क्योंकि हमें कुछ मूल्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करना है। साम्राज्यवाद शान्ति, स्थिरता, सामाजिक प्रगति और नई सामाजिक व्यवस्था के लिए नहीं है। विदेश मंत्री को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के उद्देश्य से तथा नयी सामाजिक व्यवस्था लाने के लिए उन्हें वास्तविक गुट-निरपेक्षता का पालन करना चाहिए जिससे साम्राज्यवाद को समाप्त किया जा सके।

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : Mr. Chairman, Sir, I would like to congratulate those Members who participated in the debate and who appreciated the foreign policy.

[Shri Atal Bihari Vajpayee]

There is a general agreement on the question of foreign policy that we have adopted during the last one year. There are some aspects of it which are criticised by the Members of the ruling party whereas some aspects of it have been commended even by the Members of the opposition parties.

Our policy of non-alignment is an expression of our national independence in the international sphere. Even today when there are a number of power blocks, the policy of non-alignment does not become meaningless. The basis of our policy of non-alignment is self-reliance. After the attainment of the independence by our country, it is essential for the economic development of the country as well as in the interest of world peace to adhere to an independent foreign policy.

Our relations with neighbouring countries are more cordial than ever and India's credibility has increased very much today in the international sphere. We have introduced changes in our foreign policy wherever we considered them advisable while maintaining its basic continuity.

It has been aksed whether there has recently been some changes in the content and style of our foreign policy. There has been change both in the content and style of our foreign policy. It will be evident from the fact that we have signed two separate treaties for trade and transit with Nepal. Thus a long standing demand of this land-locked country has been accepted which the previous Government did not accept. This is a small but an important change in the content.

The previous Government had tried to establish friendly relations with Pakistan but during the last 12 years no Minister had visited that country. As a Minister of Janata Government I went to Pakistan. This is the change in the style of our foreign policy.

The object of our foreign policy has been to promote world peace and stability and to encourage international cooperation. We also want to achieve a speedy progress in the disarmament talks.

Objections have been raised in regard to the phrase "genuine non-alignment" It is asked as to what is meant by "genuine non-alignment"

It is not enough to become non-aligned, the world should believe it that we are non-aligned. There are countries in the world who have foreign soldiers on their soil but they want to become members of the non-aligned movement. There are certain countries who are mentally associated with certain blocks but they want to acquire membership of non-alignment movement. We do not allow these countries to become members of this movement. We have adopted policy of non-alignment. It is not a policy of any person or party but it is of the entire country. It is not a negative policy but an emotional, positive and creative policy. It is an instrument for creating a new world order where there is no scope for any kind of political sumugation or economic exploitation or any kind of discrimination on the basis of caste, creed and colour. It is not a policy of cuactive neutrality. There could be no better distortion of truth than to say the Janata Government is bent upon selling the country to foreign powers. No attempt should be made by the opposition to create differences in the country on the issue of foreign policy.

[(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
Mr. Speaker in the chair]

लोकतांत्रिक स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिये हमें सदैव आन्तरिक रूप से सतर्क रहना चाहिये। इस समय भारत को पहले की अपेक्षा कम डर हैं। सन्देहों को कम करने, अच्छे पडोसी सम्बन्ध बनाने की भौगोलिक अनिवार्यताएं ढुंढने और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में हम अप्रत्याशित गति से आगे बढ़े है। सभा इस बात से अवगत है कि समीक्षाधीन वर्ष हमारी कूटनीति के लिये निश्चितता और गहन कार्य का वर्ष रहा और विदेशी सम्बन्धों में ठोस सुधार हुये।

गुटनिरपेक्षता की नीति का पालने करते हुए हमारा प्रयत्न आपसी हितों के आधार पर सम्बन्धों को सुमधुर बनाना है। हमने भारत-सोवियत मैत्री और आर्थिक सहयोग को पहले से कहीं अधिक सीमा तक बढ़ाया है। इसके साथ, ही हमने अमरीका के साथ भी अपने आपसी विश्वास को स्थापित किया है। समस्याएं निसन्देह रूप से हैं और आगे उठ खड़ी हो सकती हैं, परन्तु भारत-अमरीका सम्बन्धी अब अवांछनीय अविश्वास से मुक्त हैं। हमने चीन के साथ वाणिज्यिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में आदान प्रदाने के लिये भी आधार तैयार किया है।

हमने वियतनाम के साथ उसके राष्ट्रीय नवनिमार्ण के कठिन कार्य में साथ देनें में निष्ठा दिखाई है। हमें इस बात पर गर्व है कि समाजवादी देशों के अतिरिक्त भारत एक ऐसा प्रथम देश है जिसके साथ वियतनाम के सम्बन्ध अच्छे स्थर पर स्थापित हुए हैं। हमने अपने महाद्वीप में द्विपक्षीय आधार पर और क्षेत्रीय आधार पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों और आर्थिक और संयुक्त कार्यों के लिये अच्छा आधार प्रस्तुत किया है।

एक ओर हमारे और आस्ट्रेलिया के सम्बन्ध में नई घनिष्टता आई है तो दूसरी ओर ब्रिटेन से भी ऐसा वातावरण तैयार हुआ है। हमने ईरान के साथ आर्थिक सहयोग के अत्यधिक महत्वपूर्ण समझौते किये हैं। हमारे सरकारी उपक्रमों ने समीक्षाधीन वर्ष में लीबिया, इराक और खाडी देशों में नये आर्थिक सम्बन्ध स्थापित किये है। हमें पश्चिमी और उत्तरी यूरोप के समान जर्मन लोकतान्त्रिक संघ और फ्रांस से भी उच्च प्रोद्योगिकी, वैज्ञानिक और व्यापारिक सम्बन्धों की आशा है। अफगानिस्तान, मारिशस और पूर्वी अफ्रीका जैसे देशों से हमारे गहरे तकनीकी सहयोगों के क्षेत्र में विविधता और व्यापकता बढ़ी है।

मैं परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण प्रयोगों के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के सम्बन्ध में राष्ट्रीय समस्या के बारे में यह कहना चाहता हूं कि हमारी समूची विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिये खतरा पैदा कर सकने वाले मामलों के सम्बन्ध में संयम बरतने की रही है। अतः हमारी यह दृढ़ आस्था है कि विश्व परमाणु ऊर्जा का उपयोग विनाश कार्य के लिये न करे और उसका ध्येय इसकी प्रचुरता को रोकना ही नहीं वरन् विद्यमान शास्त्रों को समाप्त करना भी होना चाहिये। अपने ओर से तारापुर रिएक्टर के सम्बन्ध में वचन को निभाने पर जोर देते हुए और उक्त रिएक्टर को उच्च कोटि का ईंधन सप्लाई करने के लिये अमरीका से बातचीत जारी रखते हुये हमारा यह प्रयास रहेगा कि दोनों देशों के बीच इतने लम्बे समय से चला आ रहा सहयोग समाप्त न हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि सभा का समय 15 मिनट के लिये बढ़ाया जाये क्यों कि नियमों के अन्तर्गत सभा स्थगन से 15 मिन्ट पूर्व अनुदानों पर मतदान होना चाहिये। क्यों सभा समय बढ़ाने की अनुमति देती है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : तत्कालीन भारत की नीतियों, सरकार के कार्यक्रमों और हमारी जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और परम्पराओं की सही छबी स्थापित करने के लिए विदेश प्रचार का फिर से नवीनीकरण करने में हमारे मिशनों द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों को और अधिक उद्देश्य पूर्ण बनाने की आवश्यकता को मैं समझता हूं । इसके लिये श्री चंचल सरकार की अध्यक्षता में विदेश प्रचार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिये एक एक समिति का गठन किया गया था । हम समिति की सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं और विदेश प्रचार में शीघ्र सुधार करने के लिये कदम उठाये जायेंगे ।

पिछले वर्ष लन्दन में हुए राष्ट्र-मंडल देशों के प्रमुखों की बैठक और दो मास पूर्व सिड़नी में हुए क्षेत्रीय राष्ट्र मंडल सम्मेलन को सफल बनाने में हमारे प्रधान मंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही । इन में तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में हमारा दृष्टिकोण नेतृत्व प्राप्त करना न था बल्कि जो भी विशेषज्ञता तथा सक्षमता हमारे पास है उससे रचनात्मक पारस्परिक निर्भरता के आदर्शों को पूरा करने और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल ढूंढ़ने का हमारा प्रयास है । हमें अभी भी हमले द्वारा प्राप्त भूमि को खाली कराने और फिलस्तीनियों के अधिकारों को पूरा करने का प्रयास करना है जिस से एशिया के देशों में शान्ति और स्थिरता लाई जा सके ।

हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से जिम्बाबे और नीमिबिया में बहुमत का शासन कायम करने और लोकतांत्रिक से उन्हें स्वतन्त्रता दिलाने में लगे है । हार्न आफ अफ्रीका में अपने साथी गुट-निरपेक्ष देशों में हो रहे संघर्ष पर हमें गहरी चिन्ता हुई और हमने संघर्ष समाप्त कराने और स्थापित सीमाओं का सम्मान किये जाने की दिशा में परामर्श दिये । यद्धपि अमरीका और सोवियत संघ ने हिन्द महा-सागर को शान्ति का क्षेत्र बनाने की दिशा में कुछ कार्य किया है तथापि अभी इस ओर विशेष प्रयास किये जाने शेष है । भारत हिन्द महासागर में विदेशी अड्डे स्थापित किये जाने के खिलाफ है । दियागो गार्सिया सहित सभी विदेशी अड्डे समाप्त किये जाये । हम संयुक्त राष्ट्र सघ और उसके बाहर भी निरंतर प्रयास कर रहे है कि सभी बड़ी शक्तियों के बीच हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने पर समझौता हो जाये और इस दिशा में शीघ्रता से कार्य किया जाये ।

विदेश मंत्रालय का कार्यभार सम्भालते ही मैं उन परिस्थितियों का पता लगाने की कोशिश में हूँ जिन से पता चले कि 1972 में श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री भुत्तो के बीच चल रही वार्ता जो असफल होने को थी एकाएक शिमला समझौते में कैसे बदल गई । बहुत से संवाददाताओं ने, जिन में से कुछ ने श्री भुत्तो से साक्षात्कार किया था, यह बताया है कि दोनों नेताओं के व्यवहार में रात्रिभोजन के बाद अचानक परिवर्तन आ गया । वास्तव में सारे देश को हैरानी हुई कि शिमला समझौते में जम्मू और कश्मीर के बारे में अन्तिम रूप से सहमति का जिक्र किया गया है । मैंने न केवल स्वयं विभिन्न दस्तावेजों को देखा है वरन् कई जानकार व्यक्तियों से भी चर्चा की है । इन सभी बातों को जोड़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचे बिना नहीं रह सकता कि शिमला में श्री भुत्तो के साथ गोपनीय बातचीत में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कोई गुप्त समझौता किया है । मैं इस ओर ध्यान दिलाते हुये इसे एक अन्तरिक मामला मानता हूं शि ला समझौते को हमने पूरे तौर से स्वीकार कर लिया है ; और पाकिस्तान को आश्वासन दिया है कि हम उससे आंतरिक मामलों में दखल न देने की नीति का कड़ाई से पालन करते रहेंगे । श्री भुत्तो पर

कानूनी कार्यवाही के बारे में हमने बिल्कुल तटस्थ रुख अपनाया है। हमारी विदेशी नीति राष्ट्रीय हित और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिरता दोनों की दृष्टि से आपसी तालमेल और स्पष्ट तर्क पर आधारित है। आशा है भारत अपने पड़ोसियों सहित स्थिरता और विश्व सहकारिता का एक उदाहरण पेश कर सकेगा।

श्री वेंयालार रवि (चिरयिंकील): नियम 370 में यह उपबन्ध किया गया है कि "यदि कोई मंत्री किसी प्रश्न के उत्तर में या वादविवाद के दौरान किसी ऐसे परामर्श या राय को प्रकट करता है जो उसे सरकार के किसी पदाधिकारी किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दी गई हो या वह साधारणतया उस राय या परामर्श वाला संगत या दस्तावेज का भाव था उसका संक्षेत्र सभा पटल पर रखेगा।"

मंत्री ने एक ऐसा दस्तावेज का उल्लेख किया है जो उनके पास है ऐसा उन्होंने कहा और उनके आधार पर यह निर्णय किया है कि भारत की और पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था। यह सभा नियम 370 के अधीन यह मांग कर सकती है कि वह दस्तावेज सभा पटल पर रखा जाये। यह एक बड़ी ही गम्भीर बात है और इस सभा को पता लगना चाहिये कि दोनों प्रदान मंत्रियों के बीच क्या बात हुई।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वडागरा): मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्रीमती इंन्दिरा गांधी और श्री भुट्टो के बीच हुई वार्ता का कोई कार्यवाही वृतान्त रखा गया था और क्या मंत्री महोदय ने उसका अध्ययन किया है।

श्री वसन्त साठे (अकोला): मंत्री महोदय कह रहे है कि इस बारे में एक गुप्त बातचीत हुई है फिर भी वह उसे प्रकट करने को तयार नहीं है। मंत्री महोदय उस बातचीत को इस सभा को बताने के लिये बाध्य है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर): किसी भी सरकार में मंत्री को इस सभा को बिना बताये कि उन्होंने कैसा निर्णय लिया, निर्णय लेने का अधिकार है। मंत्री जी ने यह कहा है कि उनके पास अपने कुछ दस्तावेज है जिन्ह लोक हित में प्रकट करना उचित नहीं है। यदि मंत्री महोदय के पास ऐसे दस्तावेज हैं और वह महसूस करते है कि उन्हे लोकहित में प्रकट नहीं किया जा सकता तो इस सभा को एक गोपनीय सत्र में बदला जाये।

मेरा कहना यह है कि किसी भी सरकार ने किसी मंत्री को इस सभा को बताये बिना कि उन्होंने निर्णय कैसे लिया, निर्णय लेने का अधिकार है। मंत्री ने कहा है कि उनके पास कुछ दस्तावेज और कागजात है जिन्हे लोक हित में बताना उन्होंने उचित नहीं समझा **(व्यवधान)** यह तो एक पहलु है। यदि मंत्री यह महसूस करते है कि उनके पास कुछ चीजें हैं जिन्हे वह इस सभा में हम सभी को बताना चाहते है और राष्ट्र हित और प्रचार के विरुद्ध नहीं है तो इस बारे में एक संभावना यह हो सकती है कि इस सभा को एक गोपनीय सत्र के रूप में बदल दिया जाये। परन्तु यदि मंत्री इन दोनों बातों में से एक को भी नहीं चाहते तो हमें क्या करना चाहिये ?

अनेक सदस्य **खड़े हो गए।**

अध्यक्ष महोदय: मैं भिन्न भिन्न दलों के लोगों को बुला रहा हूं। **श्री चन्द्रप्पन।**

श्री सौगत राय (बैरक पुर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हरि विष्ण कामत **खड़े हो गए।**

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : जी, हां। मुझे आशंका है कि नियम 368, 369 और 370 की ओर आपका ध्यान नहीं दिलाया गया है । नियम 368 में यह व्यवस्था है :

"यदि कोई मंत्री सभा में किसी ऐसे प्रेषण पत्र या अन्य राज्य पत्र को उद्धृत करे जो सभा के समक्ष नहीं रखा गया हो तो वह संगत पत्र को पटल पर रखेगा।" मंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं की है। नियम 370 इस प्रकार है : "यदि कोई मंत्री किसी प्रश्न के उत्तर में या वाद-विवाद के दौरान में किसी ऐसे परामर्श या राय को प्रकट करे जो उसे सरकार के किसी पदाधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दी गयी हो ....."

मंत्री ने ऐसा भी नहीं किया है। उन्होंने किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया है और न किसी अधिकारी या प्राधिकारी को राय को प्रकट किया है। (**व्यवधान**) नियम 368 और 370 का उल्लंघन किया गया है। वह नियमाधीन किसी दस्तावेज या पत्र को सभा पटल पर रखने को बाध्य नहीं है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मेरा कहना यह है कि अध्यक्ष को सभा की राय जाननी चाहिए और एक समिती बनानी चाहिये। रिकार्ड अध्यक्ष और समिती के समक्ष रखा जाना चाहिए जैसा कि पांडचरी लाइन्सेंस कांड के मामले में किया गया था। यही परंपरा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : नियम 368 यहां लागू नही होता है, क्यों कि किसी दस्तावेज को उद्धत नहीं किया गया है।

यह स्पष्ट है कि मंत्री किसी दस्तावेज में दी गयी किसी व्यक्ति की राय पर सलाह का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। अतः इस प्रकार के मामले में नियम 370 लागू होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अतिरिक्त इस मामले में हमें विदेश मंत्री के निर्णय पर विश्वास करना चाहिये कि लोकहित में इसे प्रकट नहीं किया जा सकता।

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोडी) : कुछ सदस्य मंत्री का बचाव करने का प्रयास कर रहे है। मैं नहीं समझता कि उनका इस तरह बचाव हो सकता है। उन्होंने एक गोपनीय समझौते का उल्लेख करके हमारे पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने की आशा को धुमित कर दिया है।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : मैंने नहीं किया है।

श्री बी० शंकरानन्द : अब मुख्य बात यह है कि क्या हमारे विदेश मंत्री शिमला समझौते का सम्मान कर रहे है और उसे मान रहें हैं। वह ऐसा नहीं कर रहे है।

अध्यक्ष महोदय : इस समय यह विषय नहीं है। वह दूसरा विषय है। यह नियम 370 के स्वरूप के सम्बन्ध में है। इस नियम के अन्तर्गत मेरे अधिकार क्या है ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। उन्होंने जानकारी रखने वाले कुछ लोगों का उल्लेख किया है। सभा को उन व्यक्तियों के नाम जानने का अधिकार है। यदि वह कुछ दस्तावेजों का उल्लख करते है तो हमें उन दस्तावेजों को देखने का अधिकार है।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : नियम 370 केवल तभी बीच में आता है जब मंत्री ने किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति को दी गई सलाह अथवा राय को सदन में स्वयं बताया हो, परन्तु मंत्री ने अपना मत बताया हो जो पारस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है। उनके लिए नियम 370 के

अधीन सभा को कोई सामग्री देना आवश्यक नहीं। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने कहा है कि उस स्थिति में अनेक कठिनाईयों थी और इन कठिनायों का समाधान असम्भव था किन्तु रात के खाने के बाद एक बैठक हुई और उसके बाद कठिनाईयां छूमन्तर हो गई अतः इन परिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर उन्होंने मत बनाया है किन्तु इस परिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर नहीं कर रहे हैं और न ही वह अन्य लोगों के मत पर ही निर्भर कर रहे है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि मान भी लिया जाये कि मंत्री ने 'राज्य के पत्र' शब्द का प्रयोग किया है जो उनके लियें उसे सभापटल पर रखना आवश्यक नहीं है।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं नियम 368 और 370 के अन्तर्गत दो पूर्व-दृष्टांत देना चाहता हूँ। एक फरक्का बैरज के बारे में है। कहा गया था कि इस सम्बन्ध में श्री मोरारजी देसाई और जिया रहमान के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था। विदेश मंत्री ने यह स्वीकार नहीं किया। हमने भी इस बात पर जोर नहीं दिया।

एक दूसरा पूर्व-दृष्टांत है। इसमें श्री चरण सिंह, गृह मंत्री ने आरोप लगाया था कि भूतपूर्व मंत्री ने जेल में गोली मारदेने के बारे में सोचा था। हमने उस बात की पुष्टि चाहिये किन्तु वह पुष्टि नहीं कर सके। हमने उनके विरुद्ध निन्दा-प्रस्ताव प्रस्तुत किया और वह उस आरोप को पुष्टि नहीं कर सक।

वर्तमान मामला और भी गम्भीर है। यदि मंत्री नियम 368 के अन्तर्गत संरक्षण चाहते है तो उन्हे सभा में वह बयान दस्तावेज रखना होगा कि उनके पास है। परन्तु उन्हें बताना जनहित में नहीं होगा। अथवा मंत्री कह सकते है कि यह उनके द्वारा निकाला गया अर्थ व्यक्तिक है।

श्री निर्मल चन्द जैन (सिवनी) : नियम 370 यह उपलब्ध है कि मंत्री सम्बन्धित दस्तावेज को साधारणतः सभा पटल पर रखेंगे। अतः सभा पटल पर रखने अथवा न रखने का मंत्री महोदय को अधिकार प्राप्त है।

श्री डी० एन० तिवारी : मंत्री महोदय इन कागजात को अध्यक्ष महोदय को दिखा दें। उसक बाद वह अपना समाधान होने के बाद सभा को बता सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने किसी सरकारी दस्तावेज से उद्धरण नही दिया। अतः किसी पत्र के सभा पटल पर रखने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता। न ही मैंने किसी सरकारी अधिकारो द्वारा दी गई सलाह को बताया है। मैंने तो केवल इस मामले में जो निष्कर्ष निकलता है और जो कि अनेक व्यक्तियों से बात करने के बाद और परिस्थितिक साक्ष्य को देखने के बाद निकलता है। श्रीमती इन्दिरा गांधो और श्री भुट्टो के बीच हुए गुप्त समझौते के ब्यौरे के बारे में बताना जनहित में न ी होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर ध्यान से विचार करुंगा और उसके बाद अपना निर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

(व्यवधान) *कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नही किया जायगा। **(व्यवधान)** *

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नही किया गया।
"Not recorded as ordered by Chair

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 1 सभा के मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The cut Motion No. 1 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री जेठ मलानी अपने कटौती प्रस्ताव वापिस ले रहे हैं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 2 से 5 सभा अनुमति से वापिस लिये गये।

The cut motions Nos. 2 to 5 were, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बनतवाला का कटौती प्रस्ताव संख्या 7 सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 7 सभा के मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The cut motion No. 7 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा विदेश मंत्रालय की वर्ष 1978-79 के अनुदानों की निम्नलिखित मांग मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following Demands for Grant in respect of Ministry of External Affairs for the year 1978-79 was put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
3	विदेश मंत्रालय	1283555000

कार्य मन्त्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

15 वां प्रतिवेदन
FIFTEENTH REPORT

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 15 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

तत्पश्चात्, लोक सभा बुधवार 19 अप्रैल, 1978/चैत्र 29, 1900 (शक) को 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha, then, adojurned till Eleven of the clock on Wednesday, April, 19, 1978/Chaitra 29, 1900 (Saka).

मा०स०मु०ना०—वि० 1—137 लोक सभा/78—18-8-78—210